त्रयोदश माला, खंड 18, अंक 15

शुक्रवार, 10 अगस्त, 2001
19 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 10 अगस्त,2001/19 श्रावण ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
223	7	लोक उद्यम राज्य मंत्री	लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
230	15	लोक उद्यम राज्य मंत्री	लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
238	नीचे से 16	(घ)	(ग)
240	14	(ख)	(क)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 15, शुक्रवार, 10 अगस्त, 2001/19 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 285	1–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 286 से 300	31–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 2935 से 3164	52–344
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	345–347
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति.	347
सभा का कार्य.	347–351
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक.	352
कार्य मंत्रणा समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन.	356
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	385–395
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित	
(एक) निस्सहाय बालक (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक	
श्रीमती रेणूका चौधरी	385
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 15, आदि का संशोधन)	
श्री वैको	386
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120 आदि के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
श्री वैको	386
(चार) संविधान (संशोधन)विधेयक (अनुच्छेद 130 का संशोधन)	
श्री वैको	387

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(पांच)	संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)	
	श्री वैको	387
(छह)	महिला और बालिका (सम्पत्ति अधिकारों का संरक्षण)विधेयक	
	श्रीमती रेणूका चौधरी	388
(सात)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक (धारा 10 का संशोधन)	
	श्री किरीट सोमैया	388
(आठ)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक (नई धारा 21क का अंत:स्थापन)	
	श्री किरीट सोमैया	389
(नौ)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय 3क का अंत:स्थापन)	
	श्री किरीट सोमैया	
(दस)	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री अधीर चौधरी	389
(ग्यारह)	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का निवारण विधेयक	
	श्रीमती रेणूका चौधरी	390
(बारह)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विधेयक	
	श्री सुशील कुमार शिंदे	390
(तेरह)	त्वरित कार्रवाई बल विधेयक	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	391
(चौदह)	बाल दत्तक ग्रहण (विनियमन) विधेयक	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	393
(पन्द्रह)	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन)विधेयक	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	394
(सोलह)	शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण (गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बालकों के लिए) विधेयक	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	394
(सत्रह)	महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक	
	श्रीमती रेणूका चौधरी	395

विषय	कालम
(अठारह) राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति आयोग विधेयक	
श्री सुशील कुमार शिंदे	395
जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) (निरसन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव–वापस लिया गया	
श्री चन्द्रनाथ सिंह	391
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–वापस लिए गए	
(एक) राजभाषा (निरसन) विधेयक	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	396
(दो) वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	397
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–विचाराधीन	
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक	
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	398
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा	411
श्री बसुदेव आचार्य	416
श्री माणिकराव होडल्या गावित	419
श्री थावर चन्द गेहलोत	421
श्री रामजी लाल सुमन	431
श्रीमती जस कौर मीणा	434
राज्य सभा से संदेश	437–438

लोक सभा

शुक्रवार 10 अगस्त, 2001/19 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का अन्तःप्रवाह

*281. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मंजूरी दी गई और वास्तव में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) कितना था;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश आशा के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ.डी.आई. अनुमोदनों तथा अंतर्वाह के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष (जनवरी से दिसंबर तक)	अनुमोदन	अंतर्वाह
1998	30,813.50	13,339.84
1999	28,366.53	16,867.79
2000	37,039.45	19,341.74

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) द्वारा भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में प्राथमिक और द्वितीय बाजार से प्राप्ति के माध्यम से किए गए निवल निवेश के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक)	निवल निवेश
1998	-930.96
1999	6,422.76
2000	6,202.51

(ग) और (घ) विदेशी निवेश का अंतर्वाह जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल है, पूंजी बाजार, विदेशी निवेश को शासित करने वाली नीतिगत व्यवस्था सहित घरेलू आर्थिक परिस्थितियां, विश्व की आर्थिक प्रवृत्तियां और विश्वव्यापी निवेशकों की कार्यनीति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर है। एफ.डी.आई. के संबंध में अनुमोदन से अंतर्वाह के अनुपात ने 1992 से आगे की अवधि में निरंतर सुधार दर्शाया है, जो 1992 के 17.37 प्रतिशत से बढ़कर 2001 (जून तक) की अवधि में 56.83 प्रतिशत हो गया है।

जहां तक एफ.आई.आई. निवेश का संबंध है उक्त में 1998 में नकारात्मक वृद्धि होने के बाद एक सकारात्मक प्रवृत्ति रही है।

श्री अजय चक्रवर्ती: हमारे माननीय वित्त मंत्री जो कि यू.टी.आई. के बिना हर एक चीज का प्रबंध कर सकते हैं, ने अपने विदेशी देशों की राजधानियों की यात्रा के दौरान भारत की निवेश स्थल के रूप में व्याख्या की। उन्होंने ऐशियायी निवेशकों से बातचीत करने के लिए हांग कांग और सिंगापुर की यात्रा की। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने स्पेन और जर्मनी का सम्भवतः गत मई में दौरा किया। उन्होंने यह भी बताया कि लाभ की दृष्टि से भारत में निवेश करना अच्छा है। उसके बावजूद भारत एफ डी आई और एफ आई आई के लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा। उन्होंने कुछ कारण भी बताये किन्तु उन्होंने उन्हें इंगित करके उत्तर नहीं दिया। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि एफ डी आई और एफ आई आई के आगमन में कमी के क्या कारण हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वर्तमान एन डी ए सरकार की अस्थिरता के कारण है अथवा अमेरीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नकारात्मक दृष्टिकोण और हस्तक्षेप के कारण है।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, माननीय सदस्य ने एक अत्यंत सम्बद्ध प्रश्न किया है। यदि सभी सदस्यों का दृष्टिकोण यह ही है तो अच्छी बात है। विदेशी निवेश संभावित स्तर तक नहीं आ रहा है। हमारा लक्ष्य 10 बिलियन डालर प्रति वर्ष है। इस स्तर तक हमारी अर्थव्यवस्था इसे समा सकती है। किन्तु हमें मात्र 4 बिलियन डॉलर का ही निवेश मिल रहा है जबकि चीन को 40 बिलियन डॉलर का। वहां, वे मदद करना चाहते हैं। किन्तु हाल ही में तथाकथित अमेरीकन चैम्बर ऑफ कामर्स और मैककैनजी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उन्होंने अत्यंत रोचक बात कही है। किन्तु क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है कि अनेक बातें हमारी जानी पहचानी हैं। भारत में समस्या यह है कि हम समस्याओं को जानते हैं किन्तु उनके उत्तर नहीं जानते। हम उत्तर भी जानते है। हम रोग का उपचार जानते हैं किन्तु हम दवा नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि ''विदेशी निवेश में प्रमुख बाधा क्षेत्रीय नीतियां, एक कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाली नीति, विदेशी स्वामित्व पर रोक, लाल फीताशाही और श्रम कानूनों में सुधार है। यह चीजें तुरंत नहीं की जा सकती। हमें अपनी रफ्तार से इन्हें करना है। यदि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हों और यदि माननीय सदस्य का दल समर्थन दे तो मैं और माननीय वित्त मंत्री कुछ प्रस्ताव लेकर आयेंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, चीन 20 गुना निवेश आकर्षित करता है। भारत क्या करता है? हम ब्राजील, कुवैत और मलेशिया जैसे देशों से काफी पीछे रह गए हैं। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि प्रेस में यह बात आई है कि हमारे प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी जी की पहल पर अमेरिकी चैम्बर ऑफ कामर्स ने विश्व परामर्शदाता मैककैनजी के साथ एक व्यापक रिपोर्ट जिसका शीर्षक है 'एचिविंग ए क्वांटन लैप इन इंडियाज़ एफ.डी.आई.' तैयार की है।

इसे कुछ ही दिन पूर्व सरकार को सौंपा गया है। यह भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट में एफ डी आई को और देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए दूरगामी सिफारिशें की गई हैं। यदि यह सच है तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मुरासोली मारन: मैं इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य ने रिपोर्ट के बारे में पूछा है। रिपोर्ट मेरे हाथ में है। मैं इसे सभी माननीय संसद सदस्यों को वितरित करवा दूंगा क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

कहा जाता है कि भारत लगभग 20 बिलियन अमेरीकी डालर के वार्षिक एफ डी आई को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। किन्तु स्थितियां क्या हैं? वे यह भी कहते हैं कि 'मलेशिया ने अपनी अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक एफ डी आई को निर्यात के माध्यम से डाला है और इलैक्ट्रानिक्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। दूसरी ओर ब्राजील ने गत दस वर्षों के दौरान निजीकरण के माध्यम से 30 बिलियन डालर का एफ डी आई आकर्षित किया है और चीन ने 40 बिलियन डालर वार्षिक के घरेलू और निर्यात क्षेत्र के लिए एफ.डी.आई. आकर्षित किया है। वे चाहते हैं कि हम विनिवेश की ओर रुख करें। क्या आप सहमत हैं? वे चाहते हैं कि हम श्रम सुधार लाएं क्या आप सहमत हैं? यदि सदन में एकमतता हो तो हम तैयार हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अमरीकी चैम्बर ऑफ कामर्स के कथन से सहमत नहीं हूं किन्तु क्या माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे कि हमारे देश में विदेशी निवेश के न आने के कारणों में से एक यह है कि हमारे कुछ शीर्ष नेताओं की धर्मनिरपेक्ष छवि नहीं है और विभिन्न जातीय दलों द्वारा जनित समस्यायें हैं?

जब हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा तथा आई एल ओ की घोषणा भी शामिल है तो फिर श्रम सुधारों के साथ सहमत होने में क्या परेशानी है? श्रम सुधारों से क्या परेशानी है? हम श्रमिकों के शोषण को जारी क्यों रखें? हमें और अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि बड़े-बड़े कारखाने हों। किन्तु भारतीय कारखानों में छोटे से छोटे मजदूर को भी उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि उन्हें अन्य देशों में मिल रहा है।

श्री मुरासोली मारन: मैं पहले, दूसरे प्रश्न को उठाऊंगा। हम श्रम सुधारों के पक्ष में हैं और माननीय वित्त मंत्री ने इस बारे में अपने बजट में घोषणा की है। शीघ्र ही वे श्रम सुधार लाएंगे और मैं उस पर आपके दल का समर्थन चाहूंगा।

दूसरे, आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। संविधान, सरकार को धर्मनिरपेक्ष रहने की अनुमति देता है। देश में गैर-धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं टिक सकती। संविधान में इसी का प्रावधान है यद्यपि यह सत्य है फिर भी विदेशी निवेशक दर्शन की परवाह नहीं करते। आप जियॉपिंग की प्रसिद्ध उक्ति को याद करें चाहे बिल्ली सफेद हो या काली, बात यह है कि यह चूहे को पकड़ेगी'' अत: विदेशी निवेशक धन के अच्छे लाभ और सुरक्षा में रुचि रखते हैं जो कि हम प्रदान कर रहे है। इस तात्पर्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी स्थिति विश्व के अनेक देशों से बेहतर है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: अब उन्होंने हमारे श्रम सुधारों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जो कुछ माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आरम्भ किया था वह श्रम विरोधी नीति थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, सरकार में मंत्री रहने का मेरा कुछ अनुभव है, जिसके बारे में वह अभी कुछ मजाक कर रहे थे।

विदेशी निवेश के न आने का प्रमुख कारण यह है कि जब एक विभाग एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है तो जब यह तैयार हो जाता है अनेक कर, यथा आयकर रेल किरायों और राज्यों में बिक्रीकर इत्यादि में वृद्धि हो जाती है और परियोजना रिपोर्ट अयोग्य हो जाती है। जब मैं ब्रिटेन गया था उन्होंने सुझाव दिया कि एक मानदंड होना चाहिए जिसके अंतर्गत विचाराधीन परियोजना रिपोर्ट की नियम और शर्तें इसके प्रस्तुत किए जाने तक स्थिर रहनी चाहिए, इसमें यही सुविधाएं होनी चाहिए। अन्यथा, यह अनुपयोगी हो जाती है। अब यह दाभोल विद्युत परियोजना के मामले में हो रहा है। इसके मद्देनजर तथा यह भी कि आपका विश्वास आपके बायें बैठे मंत्री महोदय पर अत्यधिक विश्वास है, क्या आप साथ मिलकर कुछ ऐसा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके हम और अधिक विदेशी निवेश आकृष्ट कर सकें।

श्री मुरासोली मारन: सबसे पहले मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।

दूसरे, माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी परियोजना रिपोर्ट अनुपयोगी हो जाती है। मैं उनसे सहमत हूं कि लाल फीताशाही मुख्य कारणों में से एक है। लाल फीताशाही से मेरा आशय अधिकारियों से नहीं बल्कि व्यवस्था है जिसे हमने बनाया है और अंग्रेजों से प्राप्त की है। हमें इसमें संशोधन करना होगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, इसका कारण यह है कि लाल फीताशाही में संशोधन किसे करना है-सरकार को या यह वाले संसद सदस्य करेंगे। कृपया मेरी बात समझें। मैं आलोचना करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। एफ आई आई के संबंध में दिया गया उत्तर यह दर्शाता है कि कुल निवेश बहुत उत्साहजनक नहीं है और इसका ऋणात्मक रुझान है। वर्ष 1998 में यह पूरी तरह ऋणात्मक था; वर्ष 1999 में यह 6422.76 करोड़ और वर्ष 2000 में 6,202.57 करोड़ रुपए था। अत: अब यह फिर नीचे का रहा है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। वे भी श्री मूडी और अन्य दर निर्धारण करने वाले व्यक्तियों से भारत की ऋण दर में कमी किए जाने से अत्यधिक रोष में थे।

अध्यक्ष महोदय: श्री मूर्ति, इस प्रश्न का संबंध माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है माननीय वित्त मंत्रालय से नहीं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: जी हां, महोदय, मैं इस पर आ रहा हूं। जब चीन और ब्राजील क्रमश: 40 और 20 बिलियन डालर प्रत्यक्ष निवेश के रूप में जुटा सकते हैं तो भारत एक बिलियन डालर भी जुटाने में असफल क्यों रहा है? इस कारण का पता लगाना होगा और यदि आवश्यकता हो तो आप संसद सदस्यों के एक दल को अपने अधिकारियों और चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधियों के साथ चीन और ब्राजील के दौरे पर भेजें ताकि वे स्थिति को समझ सकें और अंतत: देश को लाभ होगा। आखिरकार हम सभी चिंतित हैं कि उदारीकरण के पश्चात भी हम उस हद तक विदेशी निवेश आकृष्ट नहीं कर पाते हैं जितने की आवश्यकता थी। अत: मैं सीधे आपसे इसके समाधान के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री मुरासोली मारन: मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। सभी दलों के माननीय सदस्य चीन की यात्रा कर सकते हैं। मैं चीन गया था और वहां से मैंने विशेष आर्थिक जी-7 की व्यवस्था की अपने यहां लागू किया हालांकि हमारी व्यवस्था चीन की व्यवस्था का एक लघु रूप ही है। हम काफी कुछ सीख सकते हैं। यहां सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चरम दक्षिणपंथी और वामपंथी में मित्रता है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: इन सभी को एक साथ लाने की आपकी जिम्मेवारी है।

श्री मुरासोली मारन: मेरी जिम्मेवारी यह है कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से एक शिष्टमंडल चीन यथाशीघ्र भेजने हेतु अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: वे सरकार के शिष्टमंडल की बात कर रहे हैं संसदीय शिष्टमंडल की नहीं।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन: महोदय, आप तटस्थ हो सकते हैं; आप राजनीति से परे हो सकते हैं और इसीलिए मैंने यह अनुरोध आपसे किया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सही प्रश्न यह है कि जब इसे चीन कर सकता है ता भारत क्यों नहीं कर सकता है। उनकी और हमारी आबादी 1.2 बिलियन है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः हमें अंग्रेजी भाषा की बहुत अच्छी जानकारी है। हमें भाषा संबंधी लाभ है।

श्री मुरासोली मारनः हां, हमें भाषा संबंधी लाभ है, मानव संसाधन संबंधी लाभ है, लेकिन हम पुरानी विचारधारा को ढो रहे हैं। हमें अपने विचार में परिवर्तन करना चाहिए। यदि हम अपने विचार में परिवर्तन नहीं करेंगे तो चीन से पीछे छूट जायेंगे।

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, यह कहा गया है कि विदेशी निवेश की आगम, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, भी शामिल है पूंजी बाजार, घरेलू आर्थिक स्थिति इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होता है। हमारे शेयर बाजार में अत्यधिक गिरावट आ रही है। उत्तर में जून, 2001 तक का विवरण दिया गया है। अब अगस्त, 2001 है। पूरे पूंजी बाजार में जुलाई में अप्रत्याशित गिरावट आयी। क्या माननीय मंत्री महोदय भविष्य में दूरदृष्टि से काम करके अन्य देशों द्वारा भारत में किए गए इस निवेश को घरेलू आर्थिक स्थिति, यूटीआई सहित पूंजी बाजार में अप्रत्याशित गिरावट को ध्यान में रखते हुए देश में ही रखेंगे क्योंकि इससे भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अन्य देशों के साथ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय के पास दूरदृष्टि होनी चाहिए-मंघिरीकझगऊ वारूमपोरुल उनरैयठल (Mandhirikkazhaagu Varumporul Uraithal)

श्री मुरासोली मारनः महोदय, माननीय सदस्य महोदय अधिवक्ता रहे हैं, मैं एक आपत्ति सूचना दायर करना चाहता हूँ। हमें विदेशी निवेश का अधिकार ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देवः महोदय, मैं समझता हूं कि जो कुछ कहा जा रहा है वह असंसदीय है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री महोदय, इसका अनुवाद कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियनः माननीय मंत्री महोदय का दायित्व देश के प्रति एक बेहतर कल्पना और दूरदृष्टि की है।

श्री मुरासोली मारनः महोदय, समस्या यह है कि हमें विदेशी निवेश के आगम और एफआईआई का अधिकार 'फेमा' के माध्यम से मिलता है।

फेमा की अनुसूची-एक में उद्योग मंत्रालय को अधिकार दिया गया है लेकिन एफआईआई, अनुसूची-दो के अनुसार हमारे प्रशंसनीय मित्र के वित्त मंत्री के अंतर्गत आता है। अतः मैं विदेशी निवेश के बारे में अधिकार के साथ कह सकता हूं। वे कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं। महोदय मैं कहूंगा कि परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि दक्षिण एशिया की मंदी का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शेयर बाजार की भी इस अर्थ में स्थिति अच्छी है कि विश्व भर में शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव आ रहा है। अतः हाल ही में स्टैंडर्ड एण्ड पुअर और अन्य द्वारा की गई रेटिंग की माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आलोचना ठीक ही की गई है। वे गलत वक्तव्य हैं। शेयर बाजार इसका उदाहरण है। रुपया स्थिर है। हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में हमारी स्थिति अच्छी है।

डा. रामचन्द्र डोमः माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार गत वित्त वर्ष, 2000-01 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19,341.74 करोड़ रुपये रहा। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस कुल राशि का कितना भाग मूल विनिर्माणकारी क्षेत्र में निवेश किया गया है। दूसरा, निवेश करने वाले देशों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतरप्रवाह की हमारी वर्तमान स्थिति के मार्ग में मूल बाधा क्या है? कृपया इसका उत्तर दें।

श्री मुरासोली मारनः महोदय, अधिकतर प्रत्यक्ष विदशी निवेश प्रमुख क्षेत्र में हो रहा है। वर्ष 1991 से, जब डा. मनमोहन सिंह ने सुधार नीति शुरू की थी और जब श्री पी.वी. नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे तबसे लेकर अब तक अर्थात 2001 तक, मैं आपको बताता हूं कि कहां-कहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। परिवहन उद्योग में 36.91 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है; रसायन और उर्वरक क्षेत्र में 36.78 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ; कम्प्यूटर साफ्टवेयर और इलैक्ट्रोनिक सहित इलैक्ट्रानिक उपकरणों में 25.9 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है; तथा वस्त्र क्षेत्र में छह प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। मैं और भी आगे पढ़कर बता सकता हूं। यह केवल प्रमुख क्षेत्र में ही हुआ है।

मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) प्रणाली

***282. श्री त्रिलोचन कानूनगोः**
श्री जी.एस. बसवराजः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अप्रैल, 2002 से राज्यों में एक समान मूल्य वर्धित (वी.ए.टी.) कर प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली का ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली कर संग्रहण की राशि की दृष्टि से एकल और ''फर्स्ट प्वाइंट'' बिक्री कर प्रणाली से किस प्रकार से बेहतर है;

(ग) क्या ''मल्टी प्वाइंट'' बिक्री कर प्रणाली को व्यापक भ्रष्टाचार और उसके परिणामस्वरूप कर वंचन के कारण समाप्त किया गया था;

(घ) यदि हां, तो "मल्टी प्वाइंट" बिक्री कर प्रणाली की तुलना में मूल्य वर्धित कर प्रणाली के वर्तमान लाभ क्या हैं; और

(ङ) मूल्य वर्धित कर प्रणाली शुरु करने से ऐसे पिछड़े और गरीब राज्यों को किस प्रकार अधिक लाभ पहुंचेगा, जहां मूल्य वर्धन की व्यवस्था कम है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 54 के अनुसार, बिक्री कर राज्यों का एक विषय है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों ने सर्व सहमति से 1.4.2002 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। विशेष दर्जा प्राप्त एवं नए बनाए गए राज्यों को 1.4.2003 तक मूल्य-वर्धित कर को लागू करने का विकल्प दिया गया है।

(ख) मूल्य वर्धित कर वो कर है जो किसी जिन्स के उत्पादन एवं वितरण अथवा सेवा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर मूल्य-वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है जिससे मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर निविष्टियों पर कर से पूर्ण छूट दी जाती है। मूल्यवर्धित कर में जहां तक संभव है, इसके दायरे का विस्तार करके इसे उत्पादन वितरण कड़ी के सभी स्तरों पर मूल्य वर्धन पर लागू करने की अनुमति दी गयी है। अत: एक साधारण दक्ष एवं तटस्थ तरीके में संसाधनों में वृद्धि करने के लिए ऊंची क्षमता होती है जो इसे राजस्व का तरणशील स्रोत बनाता है।

(ग) भारतीय राज्य में बिक्री कर की श्रेणियों में भिन्नताएं होती हैं, परन्तु बहु-स्तरीय बिक्री कर प्रणाली की प्राथमिकता में प्रथम स्तरीय बिक्री कर पर पूर्ण रूप से प्रधान आस्था होती है परन्तु बाद वाली प्रणाली का अधिकरूप से सोपानी प्रभाव होता है और इसमें कर निर्धारितियों की संख्या अधिक होती है।

(घ) निविष्टि पर छूट देकर, मूल्य वर्धित कर, करों के सोपानी प्रभाव का निराकरण करता है। इससे बीजकों की स्वयं निगरानी करने संबंधी विशेषता से प्रबंधन को सरल बना दिया जाता है। यह सरल एवं पारदर्शी है क्योंकि यह लेन-देन के प्रत्येक स्तर पर संदेय कर की मात्रा एकत्र करती है। चूंकि मूल्य वर्धित कर में तुलनात्मक दृष्टि से उत्पादन वितरण कड़ी को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, इसलिए इसमें सामान्यतया क्षमतापूर्ण तरीके से संसाधन जुटाने की अधिक संभावना होती है।

(ङ) मूल्य वर्धित कर जिन्सों के कराधान की एक सशक्त प्रणाली है जिसे विश्वव्यापी रूप से स्वीकार किया जाता है और यह लोकप्रिय है। मूल्य वर्धित कर को लागू करने के लिए भौगोलिक स्थिति अथवा पिछड़ापन बाधक नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, प्रश्न विशिष्ट हैं परन्तु उत्तर बचने वाले हैं। मैं अपने पहले अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग में अपने प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) तक ही सीमित रहूंगा। तत्पश्चात् भाग (ङ) के लिये मैं दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दूंगा।

वी ए टी एक बहु-पक्षीय कर है। कई राज्यों में बहु पक्षीय कर प्रणाली को समाप्त कर दिया गया क्योंकि इससे कर अपवंचन हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह उस तरह नहीं होगा। क्या इससे वर्तमान कराधान प्रणली और नहीं उलझेगी और कर अपवंचन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या चालू बिक्री कर प्रणाली की अपेक्षा इससे अधिक राजस्व इकट्ठा होना सुनिश्चित होगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास इस प्रश्न पर बच निकलने का कोई कारण नहीं है। मैं यह कहता हूं कि केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक इस देश में वी ए टी प्रणाली लाए जाने से कराधान सुधार में एक आन्दोलनात्मक कदम होगा।

दूसरा बिक्री कर ढांचे में सुधार करना पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। हम केवल सुविधा प्रदानकर्त्ता के रूप में ही कार्य कर रहे हैं और सुधार के रूप में जो कुछ भी किया जा रहा है उसे पूरी तरह से तैयार करने और कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये विशिष्ट प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी सामान्य बहु-पक्षीय कर प्रणाली और वी ए टी प्रणाली में यह अंतर होता है कि वी ए टी में एक विशेष स्तर पर मूल्य वर्द्धन की बात होती है और इसके अंतर्गत उस विशेष मूल्य पर कर लगाया जाना है। यदि मुझे इस बात को स्पष्ट करने का उदाहरण के लिए अनुमति होतो मानों की एक प्राथमिक उत्पादक है और उस प्राथमिक उत्पादक को कुछ आदान प्राप्त होते हैं तो वीएपी के अंतर्गत आदान पर दस प्रतिशत कर का भुगतान किया जाएगा। दूसरे स्तर पर प्राथमिक उत्पादक के स्तर पर, 20 प्रतिशत कर का भुगतान किया जाएगा परन्तु दस प्रतिशत कर घटाया जाएगा। इसी प्रकार, जब यह थोक का मामला होता है, जो राज्य सरकारों का विषय है, इसमें वृद्धि की जाएगी और खुदरा स्तर पर भी इसमें वृद्धि की जाएगी। बिक्री कर की तुलना में इसका यही लाभ होगा कि यह कर पर कर नहीं लगाता है। इसी अन्तर के कारण यह कर की एक अच्छी और स्पष्ट रूप

से उजागर होने वाली प्रणाली है; यह कर की एक अधिक तर्कपूर्ण प्रणाली है। इससे कर के प्रभाव का अधिक कर अदा करने पर प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी कारण इसे विश्व में 120 से अधिक देशों ने अपनाया है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का तभी उत्तर नहीं दिया गया है। महोदय, मैंने पूछा था कि क्या इससे अधिक राजस्व इकट्ठा किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। वित्त मंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं इसका उत्तर दूंगा। जहां तक अधिक राजस्व इकट्ठा करने का प्रश्न है मैं इस संबंध में आपको एक छोटी सी पृष्ठ भूमि बताता हूं। राज्य सरकारों ने आपस में इस पर सहमति की थी कि 1 जनवरी 2000 से अर्थात् पिछले वर्ष से बिक्री कर की केवल चार आधार दरें होगी। जब उन्होंने इस बात पर सहमति की थी उस समय कुछ राज्य सरकारों के ध्यान में यह आशंका थी कि इससे राजस्व संचय में वास्तव में कमी होगी। वास्तव में इससे वृद्धि हुई है। इसी प्रकार एन आइ पी एफ पी जैसा विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जब वीएटी प्रणाली वर्तमान बिक्रीकर प्रणाली का स्थान लेती है तो इससे अधिक मात्रा में राजस्व इकट्ठा होगा। परंतु राज्य सरकारों को यह आशंका थी कि इससे राजस्व की हानि होगी, और इसलिए हमने इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, भारत सरकार और विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन किया है क्योंकि राज्य सरकारों ने 1 अप्रैल, 2002 को वी ए टी शुरु करने की तारीख निर्धारित की है। इस प्रकार यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। अब तक किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इससे राजस्व हानि नहीं होगी।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मंत्री जी के उत्तर से यह आशंका और डर स्पष्ट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय मैं राज्य सरकारों की आशंका और डर के बारे में कह रहा हूं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि यह बहुमुखी कर कच्चे माल के उत्पादकों से, निर्माताओं तक अर्थात् शुरू से अंत तक होता है। यदि कई निर्माता होंगे तो मूल्य वर्द्धिट कर के कारण अनेक कर होंगे। इसके अलावा थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता भी होंगे। मूल्यवर्धित कर के अंतर्गत ये सभी चरण होते हैं। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत जब कोई उत्पादक राज्य इसे उपभोक्ता राज्य को बेचता है तो संविधान के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए कानून के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर लगाया जाता है। आपके यहां घोषित वस्तुओं पर चार प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर होता है।

महोदय जब उत्पादक राज्य अपने उत्पादों को किसी उपभोक्ता राज्यों को बेचते हैं तो वे इस समय चार प्रतिशत बिक्री कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य वर्धित कर को शुरु करने के बाद क्या उत्पादकों पर कर लगाया जाएगा। क्या यह केवल विकसित उत्पादक राज्यों के लिए ही लाभकारी होगा और पिछड़े राज्यों के हितों के प्रति लापरवाह होगा जहां गौण क्षेत्र का मूल्य वर्धन के लिए विकास नहीं किया जाता? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उत्पादन कर प्रथम रूप में केन्द्रीय बिक्री कर के अतिरिक्त होगा। इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों का डर और आशंका, जो एक सच्चाई है, यह है कि उनकी हालत 'आकाश से गिरे खजूर में अटके' जैसी हो गई है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि संभवत: माननीय सदस्य की आशंका पिछड़े राज्य के संबंध में सही नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रातों रात नहीं हो रहा है। इस देश में बिक्री कर सुधार की प्रक्रिया वर्ष 1994 में शुरु हुई थी। इसे सात से अधिक वर्ष हो गए हैं। अब हम इसका परिणाम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्थात् इसके अंतिम चरण की ओर हैं। मैंने राज्य के मुख्यमंत्रियों और राज्य के वित्तमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो यह बैठक 5 जुलाई 2001 को हुई थी जिसमें मुख्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति से 1 अप्रैल 2002 से इस देश में मूल्यवर्धित कर प्रणाली को लागू करने की सहमति की थी। उन्होंने विशेष श्रेणी के राज्यों और नये गठित राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल को एक और वर्ष का समय भी दिया था। इसका कारण था कि उन्हें अपनी-अपनी प्रणालियों को व्यवस्थित करना था। परंतु अन्य सभी राज्यों ने इस पर अमल करने की सहमति की थी। यह बहुत ही स्पष्ट विचार पर आधारित है कि इस प्रणाली से पिछड़े राज्यों को न तो कोई राजस्व हानि होगी और न ही इसका कोई नुकसान होगा।

महोदय, प्रत्येक राज्य में जब लेन देन होता है तो उसमें निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता होते हैं। जैसा कि मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था, हम कर लगाने के लिए प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्यवर्धन को ही ले रहे हैं। अत: यह कर की एक बहुत अच्छी प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्येक राज्य में आज भी चल रही है। इसलिए मूल्य वर्धन से राज्य सरकारों को कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है।

महोदय, जहां तक केन्द्रीय बिक्री कर का संबंध है, इसका भी अध्ययन किया गया है और मैं सभा के सामने यह तथ्य भी रखना चाहता हूं कि हमारे पास राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति है-जिसे न केवल भारत सरकार द्वारा बल्कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा भी अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त मंत्री हैं और वे लोग इसके ब्यौरों का अध्ययन कर रहे हैं और अपनी सिफारिशें दे रहे हैं।

जहां तक केन्द्रीय बिक्री कर का संबंध है इसका भी व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है और हम केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत सरकार ने संशोधन करने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि मैं इस संशोधन को बहुत जल्दी लाऊंगा। परंतु केन्द्रीय बिक्री कर लगाने का एक बहुत सही तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)* अत: जैसा कि हम इसका ...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो: हमने 1956 में यह काम सभी विकसित राज्यों के पक्ष में किया था।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं उस पर आ रहा हूं।

महोदय, हमने राज्यों के वित्त मंत्रियों को इस अधिकार प्राप्त समिति के साथ केन्द्रीय बिक्री कर की संरचना को देखा। केन्द्रीय बिक्री कर पूर्णत: राज्यों को दिया जाता है। इसलिए, इससे उनके राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है और इसलिए यह महसूस किया गया था कि हमें केन्द्रीय बिक्री कर में तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इसका अध्ययन करेंगे और मूल्यवर्धित कर के अनुरूप इसे बनाए रखने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इस समय के लिए यही सीमित उद्देश्य हैं। किंतु हम केन्द्रीय बिक्री कर की जटिलताओं को जैसे आगे बढ़ेंगे उस का अध्ययन करेंगे।

श्री जी.एस. बसवराज: महोदय, कुछ राज्य मूल्य संवर्धित कर शुरू किए जाने के संबंध में भयभीत तथा आशंकित हैं। राजस्थान जैसे कुछ निर्धन राज्य हैं तथा उन्होंने मूल्यवर्द्धित कर शुरु करने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कुछ विशेषज्ञों ने भी यह महसूस किया कि वर्तमान कर प्रणाली से वैट बेहतर नहीं है। अतएव राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच कई बैठकें भी हो चुकी हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वैट के मामले में संबंधित राज्यों के लाभ-हानि के चलते इसे लागू किए जाने की संभावना है।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं इस माननीय सभा के सामने एक बार पुन: स्पष्ट कर दूं कि इस देश में वैट शुरू करने का निर्णय राज्य सरकार के मुख्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। यह भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर थोपने के लिए निर्णय नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: उन्हें सहमति व्यक्त करने के लिए मजबूर किया गया।

श्री यशवन्त सिन्हा: उन्हें सहमति व्यक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मैं पूरी तरह से इस बात से असहमत हूं, यह सही नहीं है।

दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जब हमने नवम्बर, 1999 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी थी जिन्होंने कहा कि वे वैट को शुरू करेंगे भले ही दूसरे राज्य इसका अनुसरण करें अथवा नहीं। उदाहरण के लिए हमारे पास महाराष्ट्र का दृष्टान्त है जिसने वैट शुरू करने की पहल की तथा उस दिशा में आगे बढ़े, किंतु अन्य राज्यों ने अनुसरण नहीं किया।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं उसी की बात कर रहा था।

श्री यशवन्त सिन्हा: इसलिए, हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सिफारिश की थी कि यदि एक ही दिन पूरे देश में इसे शुरू किया जाए तो अच्छा होगा। यही कारण था कि उन्होंने बैठक में फैसला किया कि इसे पूरे देश में, छोटे-मोटे अपवादों को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2002 से शुरू किया जाए।

जहां तक कतिपय राज्य सरकारों की आशंकाओं का संबंध है उनका समाधान किया जा चुका है। यदि कोई अन्य आशंका है, तो हमने इन मुद्दों की जांच करने के लिए दो समितियों का गठन किया है।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं इस दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए पहल का स्वागत करता हूं। यह सरलीकरण है। पिछले वर्ष जब बिक्रीकर का यह युक्तिकरण शुरू किया गया था।

[हिन्दी]

उस समय जो जीवन आवश्यक वस्तुएं थीं, जो अनेक राज्यों में एग्जम्पटेड थीं, उन पर सेल्स टैक्स लगाया गया था। अभी आप जो वैट लगाने जा रहे हैं तो उसमें उसकी चिन्ता आपने की है कि राज्य जीवन आवश्यक वस्तुएं और लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर सेल्स टैक्स इसके माध्यम से नहीं लगायें, उसके लिए क्या

व्यवस्था की है और सैण्ट्रल सेल्स टैक्स रिफार्म्स या उसको धीरे-धीरे करके नाबूद करने की दृष्टि से सरकार का क्या कदम है?

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि यह फैसला भारत सरकार नहीं करती है। मैं बार-बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यह भारत सरकार का फैसला नहीं है। हम यह तय नहीं करते हैं कि एग्जम्पटेड कैटेगरी में कौन सी वस्तुएं होंगी। हम तय नहीं करते हैं कि विभिन्न स्लैब्स में कौन सी वस्तुएं होंगी। यह सारी जिम्मेदारी सारे मुख्यमंत्रियों ने मिलकर एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो अधिकृत समिति है, उसको यह जिम्मेदारी दी है। उसको अधिकृत इसलिए किया गया ताकि बार-बार मुख्यमंत्रियों को इसके बारे में कष्ट नहीं देना पड़े और यह जो कमेटी है, वह इसके बारे में निर्णय कर सके। एग्जम्पटेड कैटेगरी अभी जो सेल्स टैक्स में है, उसकी मेरे पास लिस्ट है, जिसमें करीब 49 आइटम्स है। वैट के अन्दर जो एग्जम्पटेड कैटेगरी बनने जा रही है, उसमें भी काफी सारी वस्तुएं रखी गई हैं। अगर माननीय सदस्य को इसमें कोई सुझाव देना है तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वे मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसे अधिकृत समिति में उपस्थापित कर सकूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 283, श्री के.ई. कृष्णमूर्ति-उपस्थित नहीं हैं।

श्री ए.सी जोस: महोदय, यह केरल के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मुझे एक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध राय।

शुल्क वापसी दर

*283. **श्री सुबोध राय:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शुल्क वापसी दरों की समीक्षा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्यातकों, विशेषतौर पर गारमेंट निर्यातकों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मौजूदा समय में शुल्क प्रतिअदायगी की दरों की पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) पहले विभिन्न वैयक्तिक वस्त्र निर्यातकों, बहुत से वस्त्र निर्यात संवर्धन संगठनों/संघों के साथ-साथ परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सिले-सिलाए वस्त्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पहली जून, 2001 को घोषित शुल्क प्रतिअदायगी की दरों की पुनरीक्षा की मांग की गई थी। इन सभी अभ्यावेदनों पर यथोचित रूप से विचार किया गया था और प्रस्तुत किए गए नए आंकड़ों पर यथोचित रूप से ध्यान देते हुए सिले-सिलाए वस्त्रों (जिसमें बुने हुए वस्त्र शामिल हैं) की सभी श्रेणियों के लिए शुल्क प्रतिअदायगी की दरों में 22 जून, 2001 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा समुचित रूप से वृद्धिकारी संशोधन किया गया था।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि एक जून तक निर्यातकों की तरफ से जो भी उनको ज्ञापन मिले और सुझाव मिले, उसके मुताबिक उन्होंने 22 जून को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 22 जून के बाद भी गारमेंट निर्यातकों की ओर से उनका कोई डैलीगेशन या मैमोरेण्डम उनकी ओर से मिले या प्राप्त हुए हैं या नहीं और नोटिफिकेशन में कोई सुधार करने के लिए उनसे कोई अनुरोध किया है अथवा नहीं? आपका नोटिफिकेशन क्या है?

[अनुवाद]

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: महोदय, अब तक हमें दो या तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हम 'ड्यूटी ड्रॉ बैक' नियमों के अनुसार विवरणों की जांच कर रहे हैं तथा हम 'ड्राबैक' दे रहे हैं। जो निर्माता-निर्यातक हैं, ड्यूटी के कारण घाटा उठा रहे हैं। यदि वे अपना विवरण दें, तो हम इस पर विचार करेंगे तथा यह किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि नोटिफिकेशन में कौन सी बातें कही गई हैं और क्या उसमें

छोटे निर्यातकों के हितों की रक्षा की भी कोई बात की गई है अथवा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य छोटे निर्यातकों के हितों की रक्षा के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: महोदय, यह हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहन है। इसी निर्यात प्रोत्साहन के आधार पर हम यह 'ड्यटी ड्राबैक' दे रहे हैं और अधिक विदेशी मुद्रा कमाएंगे। छोटे निर्यातकों तथा बड़े निर्यातकों के बीच कोई अंतर तथा भेदभाव नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह अधिसूचना में उल्लिखित है? मैं यही पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय: नोटिफिकेशन में क्या है, उसकी जानकारी दीजिए।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): जैसा कि हमारे सहयोगी मंत्री जी ने कहा जो ड्रा-बैक शिडयूल बनता है, उसके नोटिफिकेशन की पूरी पुस्तक है, जो कि उपलब्ध है। उसमें हम इस व्यवस्था के तहत छोटे और बड़े निर्यातकों में कोई अंतर नहीं करते। जो भी निर्यात करता है, उसको ड्यूटी ड्रा-बैक की सुविधा प्राप्त होती है। उसको डोमेस्टिक सफर करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी भी सफर करनी पड़ती है इसलिए उसके बदले हम उसको रियायत देते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या 'ड्यूटी ड्राबैक' से जुड़े भ्रष्ट आचारों की गंभीर घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है? यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार का किन कदमों को उठाने का विचार है?

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: महोदय, अब तक ड्यूटी ड्राबैक में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। तथापि, यदि कोई बात हमारी जानकारी में आती है, तो हम कार्रवाई करेंगे।

श्री रूपचंद पाल: ड्यूटी ड्रॉबैक से जुड़े भ्रष्ट आचारों के बारे में सरकार के पास कई रिपोर्टें हैं *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा तथा आंशाकाओं को दूर करना चाहूंगा। विभाग में सीधे और राजस्व आसूचना के महानिदेशक के माध्यम से जहां भी हम यह महसूस करते हैं कि कदाचार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं हैं हम जानते हैं। हमने कई मामलों में अत्यन्त कड़ी कार्रवाही की है। जहां तक इस पहलू का संबंध है, हम हमेशा सतर्क हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: क्या संसदीय समिति अथवा वित्तीय समिति ने इस क्षेत्र में गंभीर कमियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है?

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हम स्वयं इसके प्रति सजग हैं। कोई इन त्रुटियों के बारे में हमें बताए इसकी आवश्यकता नहीं है। हम सभी बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर इसकी सतत् निगरानी कर रहे हैं, और हम निरंतर इस तरह के कदाचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं।

श्री एम. चिन्नासामी: अध्यक्ष महोदय, अपने लिखित उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है:

> "निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।" ड्यूटी ड्रॉबैक शुरू करके, यह स्वीकार किया गया है कि सरकार निर्यातकों की सहायता नहीं कर रही है। मैं इस प्रश्न पर स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, दुर्भाग्यवश, यह धारणा सही नहीं है। हमने ड्यूटी ड्रॉबैक कभी नहीं रोका है। प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक बजट के बाद, जब तीन महीने की अवधि समाप्त हो जाती है। विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा अन्य निर्यात संवर्द्धन निकायों के साथ परामर्श शुरू हो जाता है। फिर बजट में परिवर्तन के मद्देनजर ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अधिसूचना जारी की जाती है।

इस वर्ष हमने ये परिवर्तन किए हैं। अभ्यावेदन दिए गए थे क्योंकि इस वर्ष उत्पाद और सीमा शुल्क में परिवर्तन मात्र के अलावा भी कुछ परिवर्तन किए गए थे।

अनेक श्रेणियों की संख्या के मामले में परिवर्तन के, सीमाओं के संबंध में कुछ परिवर्तन को इसलिए इसने कुछ समस्याएं खड़ी कीं। निर्यातक पुन: हमारे पास आए। मेरे विशिष्ट सहकर्मी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस मामले को हमारे साथ उठाया। हमने व्यापार निकायों और निर्यात संवर्द्धन परिषद को अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। हमने सभी सूचनाओं की जांच की तथा जो सूचनाएं हमें बाद में उपलब्ध कराई गई उनके आधार पर हमने 22 जून को ड्यूटी ड्राबैक दरों में काफी परिवर्तन

किया तथा ये 7 जून से प्रभावी थे जो पहले के दर थे, ताकि हमारे निर्यातकों को कोई घाटा नहीं हो।

मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जहां तक निर्यात की प्रतिबद्धता का संबंध है भारत सरकार निर्यात के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चित है। जहां तक इसका संबंध है मैं पूरी तरह से अपने सहकर्मी वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ हूं।

लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार समझौते

*284. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.ए.एफ.टी.ए. शुरू किए जाने के बाद मैक्सिको और न्यू लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 तक कौन-कौन से क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए और उन अन्य लैटिन अमरीकी देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ में संबंध स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान इस प्रयोजन हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ङ) इस संबंध में इन देशों के साथ किए गए उन समझौतों का ब्यौरा क्या है, जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) लैटिन अमरीकी देशों के साथ भारत के व्यापार संबंध नाफ्टा के गठन से काफी पहले से रहे हैं। इन संबंधों को पिछले कुछ वर्षों में और सुदृढ़ किया गया है। भारत सभी लैटिन अमरीकी देशों के साथ विदेश व्यापार करता है। मुख्य व्यापारिक भागीदार ये हैं-मैक्सिको, ब्राजील, कोलम्बिया, चिली, अर्जेंटीना, पेरु, पनामा, वेनेजुएला, त्रिनिडाड एवं टोबेगो, उरुग्वे, डोमिनिक गणराज्य तथा ग्वाटेमाला। इन देशों के साथ जिन प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि हुई है वे हैं-इंजीनियरी, औषध एवं रसायन तथा वस्त्र।

(ग) और (घ) सरकार ने फोकस: एलएसी कार्यक्रम वर्ष 1997 में आरम्भ किया और निर्यात वर्ष 1998-99 में हुए 611.31 मिलियन यू एस डालर से बढ़कर 2000-2001 में 981.79 मिलियन यू एस डालर का हो गया। द्विपक्षीय व्यापार 1998-99 में हुए 1342.00 मिलियन यू एस डालर से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 1705.080 मिलियन यू एस डालर हो गया। व्यापार संवर्धन के लिए अभिज्ञात किए गए फोकस क्षेत्र ये हैं:

(1) सिले-सिलाए परिधानों सहित वस्त्र;

(2) आई टी साफ्टवेयर सहित इंजीनियरी उत्पाद; और

(3) औषध तथा भेषज सहित रासायनिक उत्पाद।

(ङ) हाल के वर्षों में ऐसा कोई करार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री चाडा सुरेश रेड्डी: महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एनएएफटीए के लागू होने के पश्चात लैटिन अमरीकी देशों के साथ निर्यात और आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो मैं इसका ब्यौरा चाहता हूं।

श्री मुरासोली मारन: एनएएफटीए बाद में लागू हुआ। इससे पूर्व भी लैटिन अमरीकी देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध रहे हैं। हाल में हमारे व्यापार संबंध सबसे अधिक हुए क्योंकि हमने 'फोकस ऑन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज प्रोग्राम' अथवा ''फोकस 'एलएसी कार्यक्रम' शुरु किया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2000-2001 तक हमारे निर्यात में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम इसमें और अधिक सुधार लाने हेतु कार्य कर रहे हैं।

श्री चाडा सुरेश रेड्डी: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या भारत का विचार मोटर स्प्रिट में एथनॉल के मिश्रण के लिए ब्राजील के साथ प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करने हेतु द्विपक्षीय समझौता करने का है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री मुरासोली मारन: अब तक द्विपक्षीय समझौता किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो हम इस संबंध में कार्य करेंगे।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: आज के समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि अमेरीका के सेकेट्री आफ ट्रेड ने यह टिप्पणी की है कि भारत को अलग-थलग किया जा रहा है चूंकि भारत का एनएएफटीए और अन्य क्षेत्रीय एसोसिएशनों के साथ बेहतर संबंध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त टिप्पणी भारत सरकार के अनुसार सही है।

श्री मुरासोली मारन: अमरीका का लैटिन अमरीका एनएएफटीए और अन्य के साथ कई क्षेत्रीय समझौते हैं। हमारा ऐसा कोई

समझौता नहीं है। हम चिली, कोलम्बिया और वेंनजुएला जैसे देशों के साथ वरीयता वाले व्यापार समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भारत को एनएएफटीए देशों में से किसी देश द्वारा परम मित्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम एनएएफटीए देशों को किन-किन मदों का निर्यात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य में मदवार विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे एनएएफटीए देशों के निर्यात में किन-किन मदों का अधिक निर्यात होता है।

श्री मुरासोली मारन: हमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों से परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात के संबंध में, वस्त्र, अभियांत्रिकी संबंधी उत्पाद और रसायन उत्पाद भारत के कुल निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हैं।

श्री अधीर चौधरी: क्या आपको किसी एनएएफटीए देशों से परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है?

श्री मुरासोली मारन: हां, हमें प्राप्त है। मैंने कहा कि पाकिस्तान को छोड़कर हमें चीन सहित सभी देशों से परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है।

[हिन्दी]

फिल्म उद्योग के लिए बैंकों द्वारा ऋण

*285. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में फिल्मों के वित्तपोषण के बारे में व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंकों को ऐसी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, जिनकी कुल निर्माण लागत 10 करोड़ रुपये से कम हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने फिल्म उद्योग के बारे में और क्या सुझाव दिए हैं;

(घ) कौन-कौन से बैंक/वित्त संस्थाएं फिल्म उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं;

(ङ) इससे फिल्म उद्योग पर अपराध-जगत (अंडर-वर्ल्ड) का प्रभाव किस सीमा तक कम होने की संभावना है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण अशोध्य ऋण न बन जाए?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 14.5.2001 को सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए फिल्म उद्योग को वित्तपोषित करने हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देशों की प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(घ) इसी तरह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा गठित संयुक्त संस्थागत समिति ने भी फिल्म उद्योग को वित्तपोषित करने के लिए मार्गनिर्देश बनाए हैं। ये मार्गनिर्देश कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संस्थाओं में भी परिचालित किए गए हैं। अधिकांश बैंक/वित्तीय संस्थाएं अपने संबंधित बोर्डों से विधिवत अनुमोदन लेने के बाद इन मार्गनिर्देशों को कार्यान्वयन हेतु अपना रही हैं।

(ङ) आशा है कि भारतीय रिजर्व बैंक/आईडीबीआई द्वारा बनाई गई योजनाओं से फिल्म उद्योग के लिए संस्थागत ऋण में विस्तार हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक माध्यमों से निधियों की प्रचलित ऊंची लागत की तुलना में उद्योग के लिए संस्थागत ऋण से फिल्म उत्पादन में निधियों की लागत में सक्रिय रूप से कमी होने की आशा है।

(च) फिल्म उद्योग को वित्तपोषित करने के लिए मार्गनिर्देशों में इस उद्योग को वित्तपोषित करने में अंतर्ग्रस्त अत्यधिक जोखिम को ध्यान में रखा गया है और इन योजनाओं में इस क्षेत्र के लिए अग्रिम राशि की प्रतिभूति से संबंधित सुरक्षा उपाय और साथ ही अनुवर्तन एवं निगरानी हेतु उपयुक्त तंत्र निहित है।

अनुबंध

भारतीय रिजर्व बैंक का फिल्म-निर्माण हेतु वित्त उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिशानिर्देश (बैंकों के लिए वैध)

प्रस्तावना

1.1 फिल्म-निर्माण फिल्म उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फिल्म-निर्माण के अंतर्गत पटकथा, फिल्म-नाटक (स्क्रीनप्ले), संवाद इत्यादि का विकास, म्यूजिक रिकार्डिंग, फिल्मशूटिंग, लैब प्रोसेसिंग

और फिल्म-निर्माण के बाद की गतिविधियां (जैसे एडिटिंग, डबिंग, री-रिकार्डिंग, मिक्सिंग, फाइनल प्रिंट लेना, सेंसर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना तथा वितरण के लिए प्रिंट रिलीज करना इत्यादि) शामिल हैं। फिल्म उद्योग में इस समय वित्तपोषण की प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी फिल्म के निर्माण की लागत की लगभग 25 प्रतिशत राशि की व्यवस्था फिल्म-निर्माता स्वयं करते हैं तथा शेष 75 प्रतिशत लागत वितरकों द्वारा किए गए अग्रिम भुगतानों तथा निजी वित्तपोषकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वित्त से पूरी की जाती है। फिल्म-निर्माण की एक विचित्र विशेषता यह है कि फिल्म-निर्माता फिल्म-निर्माण की पूरी लागत, वितरकों को वितरण संबंधी अधिकार बेचकर, फिल्म रिलीज करते समय/रिलीज करने से पहले ही, वसूल लेता है (वितरक तयशुदा राशि का 40 प्रतिशत भार सामान्यत: फिल्म-निमाण के दौरान ही तथा शेष भाग फिल्म रिलीज होने के समय अदा कर देते हैं)।

1.2 फिल्म-निर्माण के लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता को दृष्टिगत रखने हुए, इस गतिविधि के वित्तपोषण से संबंधित सामान्य दिशानिर्देश निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं।

2. पात्रता

* संबंधित क्षेत्र में जिन फिल्म निर्माताओं (कंपनी या गैर-कंपनी) का ट्रैक रेकॉर्ड अच्छा हो, बैंक उन्हें वित्त प्रदान कर सकते हैं।

* बैंक उक्त फिल्म-निर्माताओं को उस स्थिति में भी फिल्म-निर्माण हेतु वित्त प्रदान कर सकते हैं जब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी उन्हें आंशिक रूप से वित्तीय सुविधा प्रदान कर रहा हो। (कृपया मद 4 देखें)।

3. फिल्म-निर्माण के लिए प्रत्यक्ष वित्त

3.1 वित्त पोषण के लिए मानदंड

* बैंक प्रत्येक फिल्म के लिए फिल्म निर्माताओं से प्रत्येक फिल्म का विस्तृत बजट प्राप्त कर लें जिसमें फिल्म की संपूर्ण लागत का आकलन स्पष्टत: दिया गया हो तथा उसके लिए वित्तीय व्यवस्था के साधन भी निर्दिष्ट किए गए हों।

* परियोजना की लागत की कम से कम 25 प्रतिशत राशि की व्यवस्था करेंगे। फिल्म-निर्माताओं के लिए यह भी अपेक्षित है कि वे सामान्य प्रथा के अनुसार सामान्यत: वितरकों से अग्रिम (विक्रय अग्रिम) की राशि प्राप्त करने की व्यवस्था निश्चित कर लें ताकि बजट की 35 से 40 प्रतिशत तक की राशि पूरी की जा सके। इस प्रकार परियोजना की लागत की 35 से 40 प्रतिशत शेष राशि के लिए ही बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तथापि जिन मामलों में परियोजना तथा फिल्म-निर्माताओं की पृष्ठभूमि अच्छी हो तथा बैंक पूर्णत: संतुष्ट हों उनमें गुणदोष के आधार पर वित्तपोषण की सीमा परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती है।

* बैंक ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करा सकते हैं जिनमें फिल्म-निर्माण की पूरी लागत रु. 10 करोड़ से अधिक न हो। मंजूर की गई राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए विवेकसम्मत मानदंडों की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत हो। बैंक फिल्म उद्योग को दिए जाने वाले समग्र ऋण की अधिकतम सीमा आंतरिक रूप से स्वयं भी निश्चित कर सकते हैं।

* सामान्यत: प्रवर्तकों द्वारा दिए गए अंशदान एवं वितरकों द्वारा अदा की गई अग्रिम राशि का इस्तेमाल कर लिए जाने के बाद ही बैंकऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन वितरकों द्वारा भुगतान किए जाने के साथ-ही-साथ आनुपातिक आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परियोजना के प्रारंभ के समय ही ऐसी व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। फिर भी बैंक ऋण तभी उपलब्ध कराएं जब प्रवर्तक परियोजना के लिए अपना अंशदान उपलब्ध करा चुका हो।

3.2 ऋण की अवधि

वित्त उपलब्ध कराने वाले बैंक के अनुमान के अनुसार उस परियोजना से कितनी नकदी की उगाही हो सकती है इसी बात को आधार बनाकर ऋण की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

3.3 प्रतिभूति

* बैंक संबंधित लैबोरेटरी से इस आशय का पत्र प्राप्त कर लें कि निगेटिव से संबंधित सभी अधिकार ऋण देने वालों के पास हैं।

* म्यूजिक संबंधी ऑडियो/विडियो अधिकार, सीडी/डीवीडी/इंटरनेट अधिकार, सैटेलाइट अधिकार, चैनेल अधिकार, निर्यात/अंतर्राष्ट्रीय अधिकार इत्यादि, उपयुक्त दस्तावेजों के माध्यम से, बैंकों के नाम कर दिए जाने चाहिए ताकि वे लैबोरेटरी के पत्र के रूप में निगेटिव संबंधी अधिकारों के साथ-साथ प्रमुख प्रतिभूति का काम कर सकें।

* परियोजना के अंतर्गत सभी गोचर चल परिसंपत्तियों पर प्रथम दृष्टिबंधक अधिकार।

* सभी समझौतों तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी अधिकारों का ऋण देने वालों के पक्ष में समानुदेशन। बौद्धिक संपदा संबंधी सभी अधिकारों का मूल्य तय करने के लिए होने वाली बातचीत में ऋण देने वालों को शामिल होने का अधिकार होगा।

* बैंकों के विवेक के आधार पर, आवश्यकता पड़ने पर संपार्श्विक प्रतिभूतियां भी ली जा सकती हैं।

* पूंजी और राजस्व संबंधी सभी आय व व्यय के लिए एक न्यास व प्रतिधारण लेखे का रख-रखाव किया जाए। इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा संबंधी अधिकारों को बिक्री से संबंधित सभी प्राप्तियां न्यास व प्रतिधारण खाते में जमा की जा सकती है। न्यास व प्रतिधारण खाते से संबंधित सभी बातें, ऋण देने वालों की संतुष्टि के अनुसार हर मामले के लिए अलग-अलग तय कर ली जानी चाहिए। न्यास व प्रतिधारण संबंधी व्यवस्था के लिए सभी संबंधित पार्टियों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यास व प्रतिधारण खाते पर पहला चार्ज ऋण देने वालों का होगा।

* लैबोरेटरी के पत्र, म्यूजिक, ऑडियो/वीडियो संबंधी अधिकारों के समनुदेशन से संबंधित सभी कानूनी पहलुओं की ओर बैंक स्वयं ध्यान दें।

3.4 बीमा

बैंकों को स्वीकार्य, बीमा संबंधी वर्तमान दस्तावेज फिल्म-निर्माताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.5 अनुवर्त्तन/मॉनीटरिंग

बैंकों को चाहिए कि वे फिल्म निर्माताओं से नियमित अंतराल पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लेखाकरण पद्धति और सुचनाएं/ऑकड़े मंगाने के लिए उपयुक्त फॉर्मेट तैयार करें। वे आवधिक प्रगति रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, लेखापरीक्षा रिपोर्टें तथा ऐसी अन्य रिपोर्टें मंगाएं जिन्हें वे आवश्यक समझें। फिल्म की समय से शूटिंग/प्रोसेसिंग पर नजर रखने और उपयुक्त खर्च होने की स्थिति का आकलन करने के लिए बैंक विशेष एजेंसियां नियुक्त करने पर भी विचार कर सकते हैं।

3.6 जोखिम संबंधी तत्व

किसी भी फिल्म के निर्माण में फिल्म के निर्माण का काम पूरा होने से संबंधित पहलू सबसे अधिक जोखिम भरा है। इस जोखिम को कम करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बैंक फिल्म निर्माताओं तथा वितरकों के ट्रैक रेकार्ड का पूरा ध्यान रखते हुए परियोजनाओं का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक फिल्म उद्योग के विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की भी सेवाएं लें। जोखिमों, प्रमुख कार्मिकों इत्यादि के बीमा के काम को संगठित किए जाने की भी आवश्यकता होगी। उपयुक्त जोखिम बीमा प्रणाली विकसित होने का उपस्कर बीमा, प्रमुख कार्मिक बीमा इत्यादि वर्तमान व्यवस्थाएं की जाती रहें।

4. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को/के माध्यम से वित्त

4.1 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड गुणवत्तापूर्ण सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक विशिष्ट एजेंसी है। रा.फि.वि.निगम फिल्मों (विशेषत: छोटे बजट वाली फिल्मों) के निर्माण, सहनिर्माण और वित्त पोषण का काम करता है। भारतीय सिनेमा के एकीकृत विकास के लिए इसने पिछले वर्षों में व्यापक आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करायी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिल्म संबंधी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ती है (जो कौशल कम से कम शुरू के वर्षों में सभी बैंकों के पास उपलब्ध नहीं हो सकता है), रा.फि.वि. निगम के अनुरोध पर बैंक उन फिल्मों के उत्पादन के लिए भी ऋण उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं जिनके लिए उक्त निगम भी साथ-साथ वित्त उपलब्ध करा रहा हो। फिल्म उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह एक अतिरिक्त साधन होगा। इससे संबंधित विस्तृत तौर-तरीके (जिसमें प्रतिभूति का मुद्दा भी शामिल होगा) बैंक और रा.फि.वि. निगम आपस में तय कर सकते हैं।

4.2 ऋण उपलब्ध कराने के मामले में बैंक सामान्यत: जो सावधानियां बरतते हैं, वे सावधानियां बरतते हुए वे रा.फि.वि. निगम को भी उपयुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह जो उत्तर दिया है और इसके साथ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फिल्म उद्योग को वित्तीय पोषण देने के मामले में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, वे भी संलग्न करके भेजे हैं। मैंने इनका अध्ययन किया है।

महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले अनेक वर्षों में फिल्म निर्माताओं और फिल्म-निर्माताओं के एसोसिएशंस द्वारा समय-समय पर सरकार को

अपनी मांगें दी गई हैं और उन्होंने समय पर अपनी वित्तीय समस्याओं के संबंध में सरकार से चर्चा भी की है। रिजर्व बैंक ने इसके वित्तीय पोषण के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, क्या उसमें उनके सुझाव और उनकी मांगों को ध्यान में रखा गया है। जो निर्देश जारी किए हैं, क्या वे उसके अनुरूप बनाए गए हैं? क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया कि प्रतिवर्ष फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कितने वित्तीय पोषण की आवश्यकता होगी? हमारे पास जो निर्देश बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए हैं, क्या वे उनकी पूर्ति करने में सक्षम होगा?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि समय-समय पर कई स्तर पर फिल्म उद्योग से इस सुविधा के बारे में बात होती रही है। यहां सूचना एवं प्रसारण मंत्री बैठी हैं। जब यह दोबारा मंत्री बनीं तो इन्होंने काफी मजबूती के साथ इस मामले को फिर उठाया, उसके बाद पिछले वर्ष 16.10.2000 को हम लोगों ने आईडीबीआई एक्ट के तहत एक अधिसूचना जारी की। जिसमें कहा गया।

[अनुवाद]

> ''फिल्म सहित मनोरंजन उद्योग वित्तीय संस्थाओं से निधि प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।''

[हिन्दी]

इसी बीच इस मामले को इंडियन बैंक एसोसिशन के साथ टेकअप किया गया। इस इंडियन बैंक एसोसिएशंस के एक दल ने इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने अपनी सिफारिशें रिजर्व बैंक को दी। उसके बाद इस साल मई के महीने में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस इश्यू की हैं। इस समय दो प्रकार की गाइडलाइंस हैं और ये एक-दूसरे के साथ काफी मिलती-जुलती हैं। आईडीबीआई ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कामर्शियल बैंक के लिए गाइडलाइंस इश्यू की हैं। इसमें अभी बहुत समय नहीं बीता है इसलिए इसका पूरा आकलन करना संभव नहीं होगा कि यह कितना सफल हुआ। हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल सैक्टर में सावधानी के साथ एक नई शुरुआत हुई है। मैं सावधानी के साथ जान-बूझ कर कह रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र को फाइनेंस करने में बैंकों को उनकी जो आवश्यकताएं और मांगें हैं, उन्हें ध्यान में रखना ही होगा। साथ-साथ अपने हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस बनी हैं, मैं मानता हूं कि आईडीबीआई और आरबीआई ने इन दोनों का एक अच्छा सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। जिसमें बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्हें ऋण देने में सुविधा भी होगी और वे अपने हितों की भी सुरक्षा कर पाएंगे।

श्री सत्यव्रत चुतर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक हिस्से का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि कोई सर्वेक्षण इस बात का किया गया है कि वार्षिक आवश्यकता फिल्म उद्योग की कितनी होगी, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, शायद आप आगे बताएं। मैं गाइडलाइंस पढ़ रहा था, इसमें आपने बैंक में जो निर्देश जारी किए हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि पहले तो लोन देने के पहले बैंक की यह शर्त होगी कि 25 प्रतिशत पैसे जो निर्माता हैं, वह पहले टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट का देगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और अदर सोर्सेस से 33 से 40 प्रतिशत पैसे का और इंतजाम करेगा। उसके बाद जो शेष बचता है, यानी लगभग 35 प्रतिशत जो पूरी कास्ट होगी उसका मात्र 35 प्रतिशत केवल बैंक उन्हें एडवांस लोन के रूप में करेंगे। क्या यह पर्याप्त है और क्या पहले निर्माताओं और एसोसिएशन के लोगों से आपकी चर्चा हुई? क्या ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा और क्या यह व्यावहारिक होगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

इसको आपने एक हाई-रिस्क इंडस्ट्री बताया है। क्या इस जोखिम को कवर करने के लिए आप जैसे अन्य उद्योगों को जिस दर पर ऋण देते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को उससे अलग और उससे अधिक ब्याज पर ऋण देना प्रस्तावित है।

श्री यशवन्त सिन्हा: सर, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि फिल्म उद्योग की पूरी आवश्यकता क्या है इसका कोई सर्वेक्षण मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन मोटे-तौर पर जैसे आईडीबीआई ने तय किया कि लगभग 100 करोड़ रुपया हम फिल्म उद्योग को उपलब्ध कराएंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह तो ऊंट मुंह में जीरे वाली बात हुई।

श्री यशवन्त सिन्हा : हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम ऊंट के मुंह को जीरे से भर देंगे। आपने अभी इस बात को स्वीकार किया है कि यह जोखिम भरा उद्योग है और पूर्व में बैंकों का जो अनुभव रहा है वह बहुत सुखद अनुभव नहीं रहा है। इसलिए अगर बैंक फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहते हैं तो मेरा इसमें उनसे कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तभी इन्ट्रैस्ट-रेट को डिरेगूलेट कर दिया गया। अब हम तय नहीं करते हैं कि किस व्यक्ति को, किस उद्योग को पैसा किस इन्ट्रैस्ट पर दिया जाएगा। यह सारा बैंक मैनेजमेंट पर निर्भर है कि किसको किस इंट्रैस्ट पर और कितना देना है। आपने कहा कि वे कह रहे हैं कि वे अपने पैसे लगाएंगे, फिर वे डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे लगाएंगे। इसका अध्ययन हुआ है और यह पाया गया है कि लगभग 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत जो फिल्म उद्योग में पैसा लगता है वह या तो फिल्म-निर्माता का होता है या डिस्ट्रीब्यूटर का होता है और उसके बाद उसको बाहर से फाइनेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसमें जो

गाइडलाइन्स इश्यू हुए हैं उनमें कहा गया है कि 40 प्रतिशत और यदि उपयुक्त हुआ तो 50 प्रतिशत तक एक बैंक एक फिल्म उद्योग को फाइनेंस कर सकता है। साथ ही साथ आईडीबीआई की गाइडलाइन्स में उन्होंने कहा है कि जो कोरपोरेटाइज एन्टीटीज हैं उनको करेंगे। बैंकों ने कहा है कि कोरपोरेट्स को भी करेंगे, नॉन कोरपोरेट्स को भी करेंगे। लेकिन जो इन्फोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टरी के साथ मिलकर हम दिशा तय करना चाहते हैं वह यह है कि फिल्म फाइनेंस सफाई-स्वच्छता की ओर बढ़े। उसमें भी वे नार्म्स एप्लाई हों जो कोरपोरेट जगत में और दूसरे उद्योगों में एप्लाई होते हैं। कोरपोरेटाइजेशन को उसमें बढ़ावा दिया जाए। हम इन्सोरेंस को भी बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि जब फिल्म-निर्माता फिल्म का निर्माण करते हैं, टेक-अप करते हैं तो उसमें एक प्रोपर इन्सोरेंस भी हो ताकि जिन लोगों ने या बैंकों ने पैसा लगाया है वह सुरक्षित रहे। ये सारी बातें ध्यान में रखकर हम एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूर्व में जो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हुए हैं वे दोहराए न जाएं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह जवाब बिल्कुल असंतोषजनक है क्योंकि सरकार ने सारी जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी है और अपनी कोई भूमिका नहीं रखी है। मैंने मूल प्रश्न में बार-बार पूछा है कि फिल्म-निर्माताओं ने, उद्योगों ने और उनकी एसोसिएशनों ने अपनी बातें कही हैं। आपके पास आई.बी. मिनिस्टर बैठी हुई हैं। क्या उनको इनकोरपोरेट किया गया है, उनका ध्यान रखा गया है, क्योंकि आपने जो गाइडलाइन्स इश्यू की हैं इनसे वही होगा जो हो रहा है। आज हम इतना हंगामा सुन रहे हैं कि अंडर-वर्ल्ड का पैसा आ रहा है। सरकार की तरह से जब उनको उचित संरक्षण नहीं मिल पा रहा है जो जहां से भी पैसा आता है, आता है और वे लेते हैं। सरकार की नीतियां गलत हैं जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड को फिल्म उद्योग में घुसने का मौका मिल रहा है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि सरकार अपनी ओर से पहल करे, आगे आये और व्यवहारिक नीतियां बनाएं, अन्यथा अंडरवर्ल्ड को आप रोक नहीं पाएंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अब अच्छे काम करने की शिकायत हो रही है क्योंकि इसके पहले कोई गाइडलाइन्स नहीं थी। हम व्यापक गाइडलाइन्स बना कर, निर्गत कर, इस पूरी व्यवस्था को दुरूस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इसके लिए दोष का पात्र नहीं मानना चाहिए। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इन गाइडलाइन्स के तहत फिल्म वर्ल्ड की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। किसी उद्योग की सारी आवश्यकताएं बैंकिंग सैक्टर या फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स से अकेले पूरी नहीं होती है। उन्हें अपना भी पैसा लगाना पड़ता है और कहीं और से संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि एक नेशनल फिल्म डैवलपमैंट ऐंड फाइनेंस कारपोरेशन है जिसका एक ही काम है कि वह अच्छी-अच्छी फिल्मों को फाइनैन्स भी करे और बढ़ावा भी दे। इसमें बैंकों के साथ जो व्यवस्था हुई है, उसमें एनएफडीसी की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे उनके साथ मिलकर असैसमैंट करने में, प्रोजैक्ट एप्रेजल करने में मदद मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आईडीबीआई की गाइडलाइन्स इश्यू होने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने चार प्रोजैक्ट्स को फाइनेंस किया। उन्होंने लगभग 45 करोड़ रुपये अब तक एडवांस में दिए हैं और 12 केसिज पाइप लाइन में हैं। ऐसा नहीं है कि वह शुरू नहीं हुआ है। वह शुरू हो गया है। हमें इस बात की चिन्ता है कि इसमें अंडर वर्ल्ड का पैसा लग रहा है। मैं सुषमा जी के सहयोग से यह करने की कोशिश कर रहा हूं कि अंडर वर्ल्ड का जो गिरफ्त है, स्ट्रैंगल-होल्ड है, उसे कम किया जाए और क्लीन फाइनेसिंग की व्यवस्था हो। अक्तूबर 2000 में आईडीबीआई का नोटिफिकेशन इशू हुआ था तो मैं सुषमा जी दोनों मुम्बई गए थे। इन्होंने घोषणा की थी। हम फिल्म वर्ल्ड के लोगों से मिले। फिल्म वर्ल्ड मेरे विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है लेकिन यह निरन्तर उनके सम्पर्क में हैं। इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से सरकार और बैंक इस पर विचार करेंगे।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, में सूक्ष्म में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा देश और सरकार का अनुभव है कि इस इंडस्ट्री को जब ऋण वितरित किया जाता है तो ऋण वसूली में बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं। देखा गया है कि साधारणत: ऋण वसूल नहीं हो पाता है। मंत्री जी के जवाब में कहा गया है कि फिल्म निर्माण की एक विचित्र विशेषता यह है कि फिल्म निर्माता फिल्म निर्माण की पूरी लागत, वितरकों को वितरण संबंधी अधिकार बेच कर, फिल्म रिलीज करते समय या रिलीज करने से पहले ही वसूल लेते हैं। आपने इस स्थिति को असैस्स करके जवाब में यह बात कही है। क्या सरकार ने ऐसी डायरैक्शन्स बैंकों को दी हैं कि पिक्चर रिलीज करने से पहले बैंकों से लिया गया लोन वसूल कर लिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, देखिए श्री किरीट सोमैया क्या कर रहे हैं? वे सभा में कुछ पत्र बांट रहे हैं। यह आपत्तिजनक है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, आप क्या कर रहे है?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके बगल में बैठे हुए सदस्यगण सभा में कोई पत्र न बांटें।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आपको पहले टोकना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कह दिया है। आप इसे पुन: क्यों दोहरा रहे हैं?

[हिन्दी

श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या ऐसे बड़े निर्माता भी फाइनेंस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पहले से कई पिक्चरें बनाई हैं? यदि वे बैंकों का पैसा वापस नहीं करते हैं कि उनकी पूर्व की पिक्चर के नैगेटिव्स को जब्त करने का सरकार ने कोई नियम बनाया है?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यह व्यवस्था कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आरबीआई ने बनाई है। फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स के साथ मिल कर आईडीबीआई ने उसे बनाया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही हैं जब उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसे उदाहरण हैं जहां जोखिम भरे उद्योग में अपना पैसा लगाया है और पैसा वापस नहीं आया। इसलिए प्रत्येक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बात को ध्यान में रखेगा और केवल उन्हीं प्रोजैक्ट्स को फाइनेंस करेगा जिन पर उसे इस बात का विश्वास हो कि उसका लगाया गया पैसा लौट आयेगा। जो गाइडलाइन्स बनाई गई हैं, वे बहुत विस्तृत हैं। मेरा ख्याल है कि फिल्म वर्ल्ड की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन्स बनाई गई हैं। ये गाइडलाइन्स निश्चित रूप से फिल्म जगत को फाइनेंस करने के लिए बैंकों द्वारा अत्यंत सहायक होंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राज्यों की ऋण चुकौती संबंधी देयताएं

*286. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की ऋण चुकौती संबंधी देयता बहुत अधिक है और उनके लिए भारी बोझ बन चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण देयता में वृद्धि के सामान्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार सभी बकाया ऋणों को एक 'ब्लॉक' ऋण में परिवर्तित करके इस 'ब्लॉक' ऋण पर मौजूदा बैंक दरों पर ब्याज की पुन: गणना/कम करने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार इस ब्लॉक ऋण की मूल राशि की चुकौती पर पांच वर्ष और ब्याज की चुकौती पर एक और वर्ष के अधिस्थगन की घोषणा करने के बारे में भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राज्यों की पुनर्भुगतान देनदारी, राज्य सरकारों पर बकाया ऋण राशि पर निर्भर करती है। ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों पर दीर्घ आवधिक ऋण 31.3.1984 को यथाविद्यमान 37,406 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.3.1999 को यथाविद्यमान 334,666 करोड़ रुपये हो गया है। यह बढ़ा हुआ ऋण-स्टाक, राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच बढ़ते अन्तराल को प्रदर्शित करता है।

(ग) से (ङ) राज्यों को अंतरण के लिए अपनी सिफारिशें करते समय वित्त आयोग अपने विचारार्थ विषयों में राज्यों की ऋण स्थिति की पुनर्समीक्षा करता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के एक भाग के रूप में राज्यों को निधियों के अन्तरण और ऋण राहत के लिए भी एक स्कीम की सिफारिश की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के दायरे से बाहर चुनींदा ऋण राहत को पुन: शुरू किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

कार्यक्रम संबंधी सलाहकार समिति

*287. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्ष से भी अधिक से सभी दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों की कार्यक्रम संबंधी, सलाहकार समितियों का गठन पूरी तरह से नहीं किया जा सका हैं;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन केन्द्र-वार तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) कार्यक्रम संबंधी सलाहकार समिति कब तक पूरी तरह से गठित कर ली जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) प्रसार भारती के गठन के पूर्व, आकाशवाणी स्टेशनों तथा दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कार्यक्रम सलाहकार समितियों का गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था पिछली बार 1995/1996 में दो वर्ष की अवधि के लिए सभी 74 आकाशवाणी स्टेशनों तथा 13 दूरदर्शन केन्द्रों के लिए इन समितियों का गठन किया गया था। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान था कि समितियां अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के बाद भी नई समितियों के गठन तक कार्य कर सकती हैं।

दिशा-निर्देशों में यथावर्णित समिति का संघटन तथा विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

प्रसार भारती के गठन के बाद विशेष रूप से दूरदर्शन के कार्यकरण के बारे में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस तथ्य कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्यक्रमों की विषय-वस्तु का सृजन एक दर्शक संख्या-संचालित गतिविधि है जिसके लिए उच्च व्यावसायिकता तथा तकनीकी मूल्यांकन की जरूरत होती है, को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करने के निर्णयों में इन सलाहकार समितियों की ज्यादा उपयोगिता नहीं होगी। अब इस पर दोबारा विचार किया गया है और सम्पूर्ण मामला निर्णय के लिए शीघ्र ही प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

विवरण

संघटन

समिति का संघटन निम्न प्रकार से होगा :-

(क) **अध्यक्ष** :- आकाशवाणी स्टेशन का स्टेशन निदेशक या दूरदर्शन केन्द्र का निदेशक, जैसा भी मामला हो।

(ख) **गैर-सरकारी सदस्य** :- समिति में अधिक से अधिक 25 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें से 50% महिलाएं होंगी। निम्नलिखित विधा/अभिरूचि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम एक सदस्य होगा:-

1. नृत्य/संगीत
2. नाटक/रंगमंच
3. फिल्म/लोकगीत
4. कला एवं संस्कृति
5. महिला एवं बाल कल्याण
6. युवा कल्याण
7. चिकित्सा विज्ञान
8. पर्यावरण
9. अनुसूचित जाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण सहित समाज कल्याण
10. जनजातीय कल्याण
11. विज्ञान
12. खेल
13. साहित्य
14. भाषायी अल्पसंख्यक (यह वहां लागू है जहां स्टेशन/केन्द्र की मुख्य भाषा के अलावा अन्य भाषा में कार्यक्रम बनाता है।)
15. हास्य
16. कृषि एवं इससे जुड़े अन्य क्षेत्र (विशेषकर कृषि विज्ञान केन्द्र/विस्तार केन्द्रों से)।

(ग) **पदेन सदस्य:**

यहां स्टेशन/केन्द्र का निदेशक कार्यक्रम सेवा से है, वहां स्टेशन/केन्द्र के अभियांत्रिकी प्रमुख और विलोमत:

2. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का सूचना/प्रचार निदेशक या उसके द्वारा नामित व्यक्ति।

3. आकाशवाणी स्टेशन/दूरदर्शन केन्द्र जिससे समिति संबद्ध है, का समाचार सम्पादक/सहायक समाचार सम्पादक।

4. वरिष्ठतम सहायक स्टेशन निदेशक/कार्यक्रम निष्पादक कार्यक्रम सलाहकार समिति का सचिव होगा।

टिप्पणी: महानिदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति किसी भी बैठक में भाग ले सकता है।

समिति के कार्य

समिति पिछली बैठक के बाद प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी तथा आगामी अवधि की कार्यक्रम योजनाओं पर चर्चा करेगी। समिति कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए भी सुझाव देगी तथा संबद्ध स्टेशन/केन्द्र के कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा इनके प्रस्तुतीकरण से संबंधित मामलों पर सलाह देगी।

सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध

***288. श्री मोहन रावले :**
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल 2001 के पहले सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नई ऋण में सहकारी बैंकों पर ऐसे बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो इन बैंकों के काय-निष्पादन पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार ने इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक एवं ऋण नीति, 2001-2002 में सहकारी बैंकों के लिए, कतिपय उपायों की घोषणा की है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

* 19 अप्रैल, 2001 से व्यक्तियों या किसी अन्य संस्था को शेयरों की प्रतिभूति के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार न किया जाए।

* दैनिक आधार पर मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार उनकी कुल जमाराशियों 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

* अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास सावधि जमाराशियों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। विद्यमान सावधि जमाराशियों को जून 2002 की समाप्ति से पहले अक्षत रखा जाएगा।

* 25 करोड़ रुपये और इससे अधिक की निवल मांग और सावधि देयताओं वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चल निधि अनुपात का सरकारी प्रतिभूति घटक 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.0 प्रतिशत और 25 करोड़ रुपये से कम की निवल मांग और सावधि देयताओं वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए शून्य से 10.0 प्रतिशत कर दिया गया है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चल निधि 15.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 20.0 प्रतिशत कर दिया गया है (बढ़ाए गए स्तरों को मार्च 2002 की समाप्ति तक प्राप्त किया जाएगा)।

* 1 अप्रैल, 2003 से, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को निवल मांग और सावधि देयताओं के 25.0 प्रतिशत के अपने सम्पूर्ण चल निधि अनुपात आस्ति का रख-रखाव केवल सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में करना होगा।

ये नीतिगत उपाय शहरी बैंकिंग क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए थे और इनका उद्देश्य अनिवार्यत: शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक महसूस करता है कि इन उपायों का शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

***289. श्री भेरूलाल मीणा :**

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की उपलब्धियां अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) क्या इन आर्थिक सुधारों से देश की तुलना में विदेशी कंपनियों को अधिक लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1992-93 से 2000-01 के दौरान स.घ.उ. में 6.3 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि से भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर सामने आया है।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आबंटन

*290. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण के लिए राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन किस वर्ष के जनसंख्या अनुमान के अनुसार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार आबंटन को नवीनतम जनगणना के आधार पर संशोधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की विधि पर आधारित योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर किया जा रहा है जिसके लिए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी अनुमान हिसाब में लिए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन अस्थायी है। जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन पिछले 10 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के हुए औसत वार्षिक उठान में से 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आबंटन को घटाकर निर्धारित किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवंटन को उसी स्तर पर रखा जा रहा है।

फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आवंटन के आधार पर संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विनिवेश प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

*291. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया में सलाहकारों और बोलीदाताओं के लिए अर्हक मानदंडों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश प्रक्रिया के लिए सलाहकारों और विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अहर्ता के बारे में 13.7.2001 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों की प्रतियां क्रमश: विवरण-I और विवरण-II पर दी गई हैं।

विवरण-I

सं. 6/4/2001 - वि.वि. II
भारत सरकार
विनिवेश विभाग

ब्लांक न. 14, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली।
दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन
विनिवेश प्रक्रिया के लिए सलाहकारों की अर्हता के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने, सलाहकारों के चयन के लिए मापदण्डों को परिभाषित करते हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन-साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सकें। इसके पूर्व क्षेत्र अनुभव, ज्ञान, वचनबद्धता आदि जैसे निश्चित मापदण्ड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार ने, विनिवेश सौदों के लिए सरकार के सलाहकारों के रूप में काम करने के लिए पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है:-

(क) परामर्शी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध गंभीर अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोष सिद्धि अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभ्यारोपण आदेश अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा,

मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा। इसी प्रकार सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलत: नियंवत्रित हैं।

(ख) किसी हस्ती के सलाहकार के रूप में नियुक्त होने के बाद इस प्रकार की अयोग्यता घटित हो जाने की दशा में, पार्टी विनिवेश प्रक्रिया से स्वेच्छा से अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य होगी अन्यथा सरकार, नियुक्ति/अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ग) अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने के अयोग्य ठहराया गया है, सम्बद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे अयोग्य करार क्यों न कर दिए जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदण्ड, इसके बाद सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इसके अलावा इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है उनके नाम तथा पदनाम तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदण्ड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी। उनको इस आशय की वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि उन्हें सौदा पूरा होने से पूर्व किसी समय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अयोग्य ठहराया गया है, उनको इस बारे में सरकार को सूचित करना होगा और इस नियुक्ति से स्वेच्छापूर्वक अपना नाम वापस लेना होगा।

(ज) इच्छुक पार्टियों को यह वचनबद्धता भी करनी होगी कि सौदे के निपटान में सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख तक हित का कोई विरोध विद्यमान नहीं है और यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई हित का विरोध उत्पन्न होता है, तो सलाहकार इसकी जानकारी तत्काल सरकार को देगा। विनिवेश प्रयोजनों के लिए, हित के विरोध की परिभाषा में किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगे रहना अथवा अनुबंध के दौरान सलाहकार द्वारा किसी तीसरी पार्टी की सहभागिता में व्यवसाय करना शामिल है जो भारत सरकार अथवा सौदे के संबंध में (विनिवेशित की जा रही) कंपनी के हित को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामग्रीगत तौर पर बुरी तरह प्रभावित करेगी तथा युक्त-युक्त तरीकों से उससे यह संभावना बनी रहेगी, जिसके बारे में सलाहकार के पास कोई जानकारी है अथवा अनुबंध के दौरान वह किसी प्रकार की उपयुक्तता अथवा ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है जो भारत सरकार अथवा सौदे में (विनिवेशित की जा रही) कंपनी के सामग्रीगत नुकसान के लिए ऐसे ग्राहक द्वारा किसी प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है। हित का विरोध स्वत: उत्पन्न हुआ मान लिया जाएगा यदि किसी परामर्शी फर्म/कंपनी का, किसी बोलीदाता फर्म/कंपनी के साथ उसी विनिवेश सौदे के लिए ऐसे सौदे के लंबित रहने के दौरान, किसी प्रकार का व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंध हो। इस परिपेक्ष्य में, सलाहकार फर्म तथा बोलीदाता फर्म दोनों का अभिप्राय, भिन्न और पृथक विधिक हस्तियों से होगा और इसमें उनकी सहावक कंपनी, कंपनी समूह अथवा संबद्ध आदि शामिल नहीं होगी। व्यवसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंध की परिभाषा में बोलीदाता की ओर से कार्य करने अथवा बोलीदाता के लिए किसी भी प्रकृति का कार्य आरंभ करना शामिल है चाहे वह विनिवेश सौदे से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है अथवा नहीं।

(झ) हित के विरोध पर जानकारी प्राप्त होने पर सरकार, सलाहकार को या तो निश्चित समय के भीतर हित का विरोध समाप्त करने अथवा सौदे से अपना नाम वापस

लेने का विकल्प देगी और सलाहकार को तदनुसार काम करना होगा अन्यथा सरकार, नियुक्ति/अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ए.के.तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग

विवरण-II

सं. 6/4/2001 - वि.वि. II
भारत सरकार
विनिवेश विभाग

ब्लांक न. 14, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली।
दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अहर्ता के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में इच्छुक बोलीदाताओं के लिए मापदण्डों को परिभाषित करते हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन-साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सकें। इससे पूर्व, निवल मूल्य, अनुभव, आदि जैसे निश्चित मापदण्ड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार ने, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है:-

(क) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से इतर अन्य मामलों के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोषसिद्धि अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसे अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश जो सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट, जब इसका विनिवेश हो जाए, का प्रबंधन करने के लिए बोलीदाता की क्षमता पर आशंका प्रकट करता हो अथवा जो गंभीर अपराध से संबंध रखता हो, वह अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ख) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों के संबंध में बोलीदाता पार्टी की किसी सहायक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए सरकार की किसी एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र/न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण अयोग्यता का परिणाम होगा। सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलत: नियंत्रित हैं।

(ग) (क) तथा (ख) दोनों में अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने के अयोग्य ठहराया गया है, सम्बद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे अयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदण्ड, इसके बाद इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ, उपरोक्त मानदण्ड पर जानकारी प्रदान करनी होगी। बोलीदाताओं को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है। उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिनके विरुद्ध जांच-पड़ताल आरंभ की गई है तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की

जानी चाहिए। अन्य मापदण्ड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी।

(ए.के. तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

/*292. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रत्नों और आभूषणों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, हां। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई (जीजेईपीसी) के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2001 से जुलाई 2001 की अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 9317.15 करोड़ रु. या 1995.34 मिलियन अमरीकी डालर रहा है जिसमें गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में रुपये के रूप में 7.62% और अमरीकी डालर के रूप में 13.26% की गिरावट प्रदर्शित हुई है। तथापि, स्वर्णाभूषण का निर्यात 1229.60 करोड़ रु. या 263.52 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है जिसमें उक्त अवधि के दौरान रुपये के रूप में 5.18% की वृद्धि और अमरीकी डालर के रूप में 1.54 % की मामूली गिरावट प्रदर्शित हुई है। निर्यातों में गिरावट के कारणों में शामिल हैं: विकसित देशों जैसेकि अमरीका और जापान आदि के बाजारों में आर्थिक मंदी का होना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में गिरावट जिसके परिणामस्वरूप स्वर्णाभूषण के निर्यात मूल्य में कमी आई है। रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में सुधार के प्रयोजन से सरकार और जीजेईपीसी ने लघु/मध्यम अवधि के लिए अनेक कार्रवाई की हैं या करने का प्रस्ताव है, जिनमें से कुछेक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

* एक मध्यकालिक निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है।

* हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधी खरीद की संभावना का पता लगाना।

* आभूषण डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान के तत्वाधान में सरदार वल्लभभाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण केन्द्र को आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अधीन निधियां प्रदान की गई हैं।

* विदेशों में भारतीय रत्न एवं आभूषण की छवि को लगातार विज्ञापनों/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता विक्रेता बैठकों तथा बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं से सीधे संपर्क आदि के जरिए सुधारना;

* नए बाजारों का पता लगाने और पहचान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के जरिए बाजार अध्ययन कराना और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भारतीय डिजाइनरों को नियुक्त करना जिससे कि डिजाइनों में अद्यतन रुझान का पता लगाने के लिए उसी समय अध्ययन किए जा सकें।

* भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु लैटिन अमरीकी देशों में नए बाजारों का भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

* प्रचार अभियानों के जरिए भारत से हालमार्क्ड आभूषणों के निर्यातों को उचित ढंग से बढ़ावा देना ताकि मेड इन इंडिया को गुणवत्ता के हालमार्क के रूप में बढ़ावा दिया जा सके;

* निर्यातों को सुकर बनाने के लिए निर्यातकों और जीजेईपीसी से प्राप्त फीडबैक और अनुरोधों के आधार पर दिनांक 1.4.2001 से प्रभावी एग्जिम नीति में आवश्यक संशोधन किए गए थे।

[हिन्दी]

यू.टी.आई. द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लिया जाना

*293. **डा. अशोक पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यू.टी.आई. को आर्थिक संकट से उबारने और निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए दूसरे विकल्पों के साथ-साथ भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लेने के किसी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने का संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूटीआई म्यूचुअल फंड का पुनर्गठन

*294. **श्री भालचन्द्र यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यूटीआई म्यूचुअल फंड का पुनर्गठन के लिए कोई योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) सरकार के सुझाव पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों और म्यूचुअल फंड उद्योग के घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक व वाणिज्यिक स्थिति की समीक्षा के लिए श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में एक ''कंपनी स्थिति निर्धारण समिति'' का गठन किया है।

यूटीआई ने सूचित किया है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है।

[अनुवाद]

निर्यात ऋण पर ब्याज की दर

*295. **डा. वी. सरोजा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निर्यात ऋण पर ब्याज की दर घटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अप्रैल, 2001 को वर्ष 2001-02 के लिए घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति में निर्यात ऋण ब्याज दर संबंधी नीति में संशोधन किया गया है। तदनुसार, 5 मई, 2001 से प्रभावी उक्त नीति मे यह निर्णय लिया गया है कि रुपया निर्यात ऋण के लिए केवल अधिकतम दरों को विनिर्दिष्ट किया जाए जिन्हें अलग-अलग बैंकों की उधार की मूल दर (पीएलआर) से जोड़ा जाएगा। रुपया निर्यात ऋण की उक्त नई दर पी एल आर घटा 1.5% पर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण ''लिबोर की तुलना में 1.5% प्वाइंट से घटाकर'' लिबोर ''की तुलना में 1% प्वाइंट से अनधिक'' कर दिया गया है।

चूंकि निर्यात ऋण संबंधी ब्याज की दरें हरेक बैंक की अलग-अलग होंगी जो संबंधित पीएलआर पर निर्भर करेंगी, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप भविष्य में ब्याज दरें घटेंगी और उसमें समाभिरूपता आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक वृहद आर्थिक स्थिति और व्यापार तथा उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों के आधार पर ब्याज दर संरचना की समय-समय पर समीक्षा करता है।

अवलंबित गारंटियों में लिप्त आई.डी.बी.आई. और आई.एफ.सी.आई. की राशि

*296. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. और आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड की बड़ी राशि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी गई ऐसी अवलंबित गारंटियों में लिप्त है, जिन्हें सकारा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के इस कदम से घरेलू वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त गारंटियों के रूप में लिप्त राशि की वसूली के लिए के केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, आई.डी.बी.आई. ने 57 मामलों के संबंध में गारंटियों का अवलंब लिया, जिसमें 213.6 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं, जबकि आई.एफ.

सी.आई. ने 64 मामलों के संबंध में गारंटियों का अवलंब लिया, जिसमें 320.84 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं। एक को छोड़कर बाकी सभी मामले राज्य सरकार गारंटियों से संबंधित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आई.डी.बी.आई. ने अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के उद्देश्य से ऋणों का ब्यौरा देते हुए, जहां राज्य सरकार ने गारंटियां जारी की हैं, विभिन्न राज्य सरकारों को पत्र जारी किए हैं। आई.एफ.सी.आई. ने राज्य सरकारों से, जहां उन्होंने ऋणों की गारंटियां दी हैं, देयराशियों की वसूली के लिए भी कानूनी कार्यवाहियां शुरू की हैं।

विनिवेश के संबंध में राज्यों से परामर्श

*297. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में स्थित परियोजनाओं के विनिवेश के संबंध में संबंधित राज्यों से कोई परामर्श किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में, इन कंपनियों में भारत सरकार की इक्विटी की बिक्री की जाती है। जिन राज्यों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थित हैं, उनमें इस तरह का विनिवेश आरंभ करते समय उन राज्य सरकारों से सामान्यत: ऐसे विषयों पर परामर्श किया जाता है जिनमें राज्य सरकारों के हस्तक्षेप और सहायता आवश्यक समझी जाती है। उदाहरणार्थ, भूमि तथा भूमि-संबंधी अन्य मसलों के पट्टे, खनन पट्टे, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, पर्यावरण और वन, राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित मामलों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना आवश्यक होता है। तथापि किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भारत सरकार की इक्विटी का विनिवेश करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक नहीं होती। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के संयंत्र/इकाइयां विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। ऐसे मामलों में, सभी राज्यों से परामर्श करने में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और परिणाम स्वरूप परिहार्य विलम्ब होगा। फिर भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के उपयुक्त चरणों पर, राज्य सरकारों को घटनाक्रमों से अवगत कराया जाता है। तथा जहां आवश्यक होता है वहां प्रासंगिक मुद्दों पर परामर्श भी लिया जाता है। राज्य सरकारें भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करते समय केन्द्रीय सरकार के साथ तब तक परामर्श नहीं करती जब तक यह विधिक तौर पर आवश्यक न हो।

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस को बेचा जाना

*298. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया का बिक्री मूल्य 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है जबकि इनका बाजार मूल्य बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोनों एयर लाइनों को कम मूल्य पर बेचे जाने के कारण क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सरकार ने, एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस किसी में भी अपनी इक्विटी के विनिवेश के लिए कोई सुरक्षित मूल्य अभी निश्चित नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आटा मिलें

*299. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर भारत में आटा मिलों को वहनीय मूल्य पर गेहूं की खरीद में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और क्या 120 आटा मिलों में से 70 मिलें बंद हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम की ''खुला बाजार बिक्री योजना'' की सुविधा आटा मिलों को उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि (गेहूं के लिए) भारतीय खाद्य निगम की खुला बाजार बिक्री योजना की मूल्य प्रणाली पक्षपातपूर्ण है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) यह सच नहीं है कि उत्तर भारत में फ्लोर मिलें उचित मूल्यों पर गेहूं प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। फ्लोर मिलों के बंद होने से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन विभिन्न अंचलों के लिए निर्धारित दरें नीचे दी गई हैं:-

अंचल	दर प्रति क्विंटल
उत्तर	650/- रुपये
दक्षिण	720/- रुपये
पश्चिम	695/- रुपये
पूर्व/उत्तर पूर्व	705/- रुपये

(ङ) और (च) जैसाकि सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, गेहूं की खुली बिक्री की दरें भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा उठान स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात मासिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं। ये दरें भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए गेहूं की आंचलिक आर्थिक लागत और रख-रखाव लागत, कर घटक, ढुलाई प्रभार आदि जैसे अन्य संगत घटकों को हिसाब में लेने के बाद अंचलवार निर्धारित की जा रही हैं। तथापि, दर ढांचे के आधार को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

घरेलू कर सुधारों के संबंध में मुख्यमंत्रियों की बैठक

*300. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू कर सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए हाल में मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या कुछ मुख्यमंत्रियों ने राजस्व की हानि की संभावनाओं को देखते हुए मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) प्रणाली को अपनाए जाने के बारे में आशंका व्यक्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। घरेलू कर सुधारों और मूल्य वर्धित कर पर चर्चा करने के लिए 5 जुलाई, 2001 को राज्यों और संघ शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

(1) सम्मेलन ने पहली अप्रैल, 2002 से मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) शुरू करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति की रिपोर्ट स्वीकार की और अपनाया। सम्मेलन ने आम कारोबार पहचानकर्ता के रूप में पी ए एन के प्रयोग सहित समिति द्वारा सिफारिश किए गए मू.व.क. डिजाइन को भी स्वीकार किया। यह निर्णय लिया गया था कि विशेष श्रेणी के राज्यों और नए गठित राज्यों को पहली अप्रैल, 2003 तक मू.व.क. शासन शुरू करने का विकल्प होगा। तथापि, एक समान न्यूनतम दरों के कार्यान्वयन में और देरी नहीं होनी चाहिए और सभी राज्य और संघ शासित राज्यों को 31 जुलाई, 2001 तक इन दरों के कार्यान्वयन में पूर्ण रूप से अनुपालन करना चाहिए। सम्मेलन ने नोट किया कि किसी राज्य/संघ शासित राज्य के द्वारा न्यूनतम दरों के शासन का अनुपालन न करने की दशा में भारत सरकार ऐसे अनुपालन न करने वाले राज्यों/संघ शासित राज्य को केन्द्रीय सहायता और अनुदान रोकने के लिए कदम उठाएगी। यदि कोई राज्य अथवा संघ शासित राज्य 31 जुलाई, 2001 तक उद्योगों के लिए बिक्री-कर प्रोत्साहन नहीं हटाता तो इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

(2) यह निर्णय लिया गया कि राज्य वित्त सचिवों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की समिति मू.व.क. के लागू किए जाने के कारण राजस्व हानि, यदि कोई हो, को अनुमान लगाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य पद्धति विकसित करेगी और मुआवजे के ढंग के साथ-साथ सीमा/मात्रा की सिफारिश करेगी।

(3) यह निर्णय लिया गया कि सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर लगाने के मुद्दे पर और अध्ययन की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय राज्य वित्त सचिवों के साथ गोविंदा राव और पार्थासारथी शोम रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों की व्यवहार्यता और रूपात्मकता की जांच

करेगा और 30 सितम्बर, 2001 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ए.ई.डी. के तहत वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर लगाने की भारत सरकार द्वारा अलग से जांच की जाएगी। ये मूल्य वर्धित कर शुरू करने के लिए पूर्व-शर्त नहीं होंगे।

(4) मूल्य वर्धित कर शुरू करने के प्रयोजनार्थ राज्यों में प्रशिक्षण और कम्प्यूटरीकरण का पर्यवेक्षण राज्य वित्त सचिवों द्वारा किया जाएगा। राज्य/संघ शासित राज्यों को भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी, जिसकी रूपात्मकता को राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) आशंका व्यक्त की गई थी कि मूल्य वर्धित कर प्रणाली अपनाने के कारण राजस्व हानि हो सकती है।

(घ) सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार, मूल्य वर्धित कर के लागू किए जाने के कारण राजस्व हानि, यदि कोई हो, का अनुमान लगाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य पद्धति विकसित करने के लिए छह राज्यों के वित्त सचिवों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियो की एक समिति गठित की गई है। समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2001 तक प्रस्तुत कर देगी।

गांवों में पेय जल

2935. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी गांवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु व्यय पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 1071 गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए ऋण की मांग की है।

(ख) नाबार्ड द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ)-VI एवं VII से स्वीकृत ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:

श्रृंखला	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	शामिल किए गए गांवों की संख्या
आर.आई.डी.एफ.-VI	8	45.11	239
आर.आई.डी.एफ.-VII	487	64.9	832

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग को कर छूट

2936. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री अशोक अर्गल :
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री ब्रज मोहन राम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात हेतु इस्पात पाइपों का निर्माण करने वाले इस्पात उद्योगों को उक्त पाइपों के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात पर शत-प्रतिशत कर छूट मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे माल का आयात करने वाली कंपनियां कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं और कच्चे माल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया एवं सरकार द्वारा ऐसे आयातों पर दी गई छूट का मूल्य क्या है;

(ग) वैसी कितनी कंपनियां हैं और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने कर छूट का लाभ तो उठाया लेकिन इन कंपनियों को जिन देशों द्वारा पहले भी आदेश दिया जाता रहा है, उन देशों द्वारा पाइप नमूनों को अस्वीकृत कर दिया गया;

(घ) क्या सरकार अभी भी उन कंपनियों को कच्चे माल के आयात पर छूट दे रही है जिनके नमूने अस्वीकृत कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटन बढ़ाने हेतु केरल सरकार का निवेदन

2937. श्री टी. गोविन्दन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पर्व के आने वाले मौसम के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाली राशन सामग्रियों का कोटा बढ़ाने हेतु केरल सरकार से निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) केरल सरकार से त्यौहार मौसम के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने हेतु चावल और गेहूं के कोटे को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि सभी परिवारों को चीनी जारी करने की प्रणाली, जैसी कि पहले प्रचलित थी, बहाल की जाए। त्यौहार मौसम के दौरान केरल सरकार की चीनी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उनके द्वारा फरवरी, 2001 के अपने लेवी चीनी कोटे की जितनी मात्रा का उठान नहीं किया गया है, उसके बदले 6616.7 टन लेवी चीनी की मात्रा आवंटित कर दी जाए।

[हिन्दी]

बैंकों में हिन्दी आशुलिपिक

2938. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिक/हिन्दी आशुलिपिक टंकक के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद बैंक-वार कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बैंक आफ इंडिया के नई दिल्ली अंचल में हिन्दी आशुलिपि टंकक का एक पद 31.3.2001 से रिक्त पड़ा है।

(ख) बैंक आप इंडिया ने सूचित किया है कि वे हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले विद्यमान लिपिक-सह-टंककों से एक परीक्षा आयोजित करके इस पद को भरने के लिए कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय निवेश केन्द्र

2939. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निवेश केन्द्र का पुनर्गठन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पुनर्गठन प्रक्रिया के कारण कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) उनकी तैनाती हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की पुनर्संरचना से संबंधित रिपोर्टें प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारतीय निवेश केन्द्र (आईआईसी) की पुनर्परिभाषित भूमिका, कार्य तथा पुनर्संरचना भी शामिल हैं। व्यय सुधार आयोग की अनुशंसाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

जी.आई.सी. द्वारा लेखा परीक्षा वसूलियों को माफ करना

2940. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **वित्त मंत्री** जी.आई.सी. द्वारा लेखा परीक्षा वसूलियों को माफ करने के बारे में 27 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6054 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना प्राप्त करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6054 दि. 27.4.2001 के उत्तर में मांगी गयी यथापेक्षित सूचना निम्नानुसार है:-

(क) और (ख) आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग और सरकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इंगित वसूलियों के लिए मंडलीय और शाखा प्रमुखों को उत्तरदायी ठहराने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं हैं। तथापि, लेखा परीक्षा संबंधी संदेहों की जांच करने के लिए चारों कंपनियों में विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध है और लेखा परीक्षा संबंधी वसूलियों की बड़ी बाराकी से कंपनी के वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा और संबंधित कंपनी के बोर्ड की उप-समिति द्वारा मानीटरिंग की जाती है। मंडलीय और शाखा प्रमुखों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में सरकारी लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा दोनों ही के संदेहों के समाधान के संबंध में हुई प्रगति का उल्लेख करने के लिए एक विशेष कालम भी होता है। दर्शायी गयी प्रगति का उनकी प्रोन्नति के समय मूल्यांकन किया जाता है। यदि कोई ऐसा मामला आता है जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो, उसके संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा छोड़ दी गयी वसूलियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

कंपनी	छोड़ी गयी शंकाओं की संख्या	राशि रुपयों में
साधारण बीमा निगम	शून्य	शून्य
नेशनल	19	18.27 लाख
न्यू इंडिया	33	241.61 लाख
ओरियन्टल	4	100.88 लाख
यूनाइटेड इंडिया	1670	216.43 लाख

(घ) वसूलियों के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करने के पश्चात अंतिम साधन के रूप में ही वसूलियों को छोड़ने की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

सम्पूर्ण भारत में किए जाने वाले व्यवसाय के परिमाण और साधारण बीमा कारोबार की जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए छोड़ी गयी शंकाओं और वसूलियों का परिमाण किए गए कारोबार का बहुत ही कम प्रतिशत बैठता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में विश्व बैंक सहायता वाली परियोजनाएं

2941. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर की उन योजनाओं के क्या नाम हैं जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता प्रदान की जा रही है और उनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अब तक स्थान-वार कितना कार्य किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जम्मू और कश्मीर में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता कल्याण कोष, बिहार

2942. श्री राजो सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर बिहार में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष से राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इससे उपभोक्ता किस हद तक लाभान्वित होंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरुकता के विकास तथा देश में समग्र रूप से उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

1992 में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई। उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत कोई भी एजेन्सी/संगठन जो तीन वर्षों से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत हो, इस कोष से वित्तीय सहायता पाने का पात्र है।

(ग) जिन गैर-सरकारी संगठनों को इस कोष से सहायता प्रदान की गई है उनकी राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) अनुदानों का उपयोग उपभोक्ताओं में जागरुकता को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा उसके द्वारा देश में उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया।

विवरण

उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	74
अरूणाचल प्रदेश	–
असम	1
बिहार	32
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
चंडीगढ़	3
दादरा व नगर हवेली	–
दमण और दीव	–
दिल्ली	35
गोवा	–
गुजरात	15
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू व कश्मीर	2
कर्नाटक	18
केरल	8
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	7
मणिपुर	6
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	61
पंजाब	1
राजस्थान	18
सिक्किम	–
तमिलनाडु	62
उत्तर प्रदेश	75
उत्तरांचल	1
पश्चिम बंगाल	13
कुल	456

[अनुवाद]

मांस का निर्यात

2943. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांस निर्यातक संघ के सभी सदस्य अनिवासी भारतीय हैं और भारत का उसमें कोई भी सदस्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मांस निर्यातक संघ के सदस्यों के नाम और पते क्या हैं;

(ग) क्या भारत से बड़ी मात्रा में किए गए मांस/मांस उत्पादों के निर्यात को अस्वीकार कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक निर्यातक की मांस की कितनी मात्रा अस्वीकार कर दी गई और उसका वर्ष-वार मूल्य क्या है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में भारतीय मांस को क्या मूल्य प्राप्त होता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मांस/मांस उत्पादों की नगण्य मात्रा को अस्वीकार किए जाने की सूचना मिली थी।

(घ) बहरीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसम्बर 1998 में एक निर्यातक के 5860.60 अमरीकी डालर मूल्य के भेड़ के मांस के टुकड़ों के 100 कार्टनों के अस्वीकृत किया था। तथापि, इस संबंध में किए गए दावे का जनवरी 2001 में आयात के साथ निपटान कर लिया गया है।

(ङ) मांस की मुख्य रूप से किस्मों, नामत: भैंसे का प्रशीतित मांस तथा भेड़/बकरे की शीतित एवं प्रशीतित मांस का भारत से निर्यात किया जाता है। एफएओ के वर्ष 1999 के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए भैंसे के मांस तथा भेड़े के मांस की औसत प्राप्ति निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	भैंसे के मांस से प्राप्ति प्रति मी. टन अमरीकी डालर में	भेड़ के मांस से प्राप्ति प्रति मि. टन अमरीकी डालर में
भारत	1021	2140
अफ्रीका	2298	2722
एशिया	2000	2061
यूरोप	2370	3321
दक्षिण अमरीका	2094	2108
उत्तर एवं केन्द्रीय अमरीका	2533	3035
ओशियाना	1683	1848

[हिन्दी]

गुजरात में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

2944. श्री मानसिंह पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से स्थान-वार कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) विश्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से स्थान-वार अब तक कितना कार्य किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

2945. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पंजीकरण परिमाण-पत्र को हाल ही में सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान के दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र उनके द्वारा रद्द कर दिए गए थे। इन दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	नाम	पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने के कारण
1.	आटोलाइट कैपिटल एंड फाइनेंस लि. जयपुर	मुख्य व्यवसाय किराया खरीद/पट्टे को सूचना प्रौद्योगिकी में बदल दिया गया
2.	कैजेन आर्गेनिक्स प्रा.लि. (पहले गोपाल केमिकल्स प्रा.लि. के. रूप में जाना जाता था) जयपुर	मुख्य व्यवसाय ऋण एवं निवेश को तेल विनिर्माण में बदल दिया गया

[अनुवाद]

सार्वजनिक निर्गम के लिए सेबी द्वारा दी गई छूट

2946. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक निर्गम जारी करने हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा करने से छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेबी के उक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) व्युत्पन्न व्यापार के लिए खतरे कम करने हेतु जे.आर. वर्मा समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या इन सिफारिशों को सेबी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अध्यधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त एक सुझाव के अनुसरण में सेबी ने 1996 में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक निर्गमों के लिए पात्रता मानकों को पूरा करने, अर्थात् तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों के लिए लाभांश भुगतान आवश्यकता से छूट प्रदान कर दी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्टाक इंडेक्स वायदा बाजारों के लिए जोखिम नियंत्रण उपायों के बारे में जे.आर. वर्मा समिति की मुख्य अनुशंसाओं में आरंभिक मार्जिन संगणना तथा मार्जिन संग्रहण हेतु क्रियाविधि, नकदी मूल्य विनिर्देशन तथा समाशोधन सदस्यों के लिए देनदारी सीमाओं एवं स्थिति संबंधी सीमाओं का निर्धारण शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति

2947. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में खाद्यान्नों के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरेक की समस्या से निपटने के लिए यह लक्ष्य प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को 50 लाख टन गेहूं और 30 लाख टन चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त मात्रा पर्याप्त समझी जाती है।

असम में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2948. **डा. जयन्त रंगपी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम कार्यशील नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अब तक कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। असम में भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदाम कार्यशील हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस

2949. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिए वे कौन-से क्षेत्र हैं जहां केन्द्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है और जहां अभी भी प्रतिबंध लगे हैं; और

(ख) ऐसे क्षेत्रों के कितने लाइसेंस हैं और विभिन्न राज्यों को 30 जून, 2001 तक कितने आशय पत्र जारी किए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) वर्तमान में, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत छः उद्योग आते हैं। ये उद्योग हैं:- (1) अल्कोहलिक पयों का आसवन तथा यवासवन, (2) तंबाकू के सिगार तथा सिगरेट और विनिर्मित तंबाकू प्रतिस्थापन, (3) इलैक्ट्रोनिक एयरोस्पेस तथा सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, (4) डेटोनेटिंग फ्यूजों, सेफ्टी फ्यूजों, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्लूलोज और माचिसों सहित औद्योगिक विस्फोटक, (5) विशिष्टीकृत खतरनाक रसायन, और (6) औषध एवं भेषज (1999) में यथा संशोधित औषध नीति, 1994 के अनुसार)। इसके अतिरिक्त, 10 लाख से अधिक जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले बड़े शहरों पर लागू होने वाले स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबंध यदि किसी परियोजना पर लागू होते हैं तो ऐसी स्थिति में, अथवा जब लघु उद्योग के लिए आरक्षित मद, लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम से भिन्न किसी और उपक्रम द्वारा निर्मित करने की इच्छा व्यक्त की गई हो, तो भी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है किन्तु इसमें निर्यातोन्मुख उपक्रम योजना, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र योजनाओं के तहत संचालित उपक्रम शामिल नहीं हैं।

(ख) अगस्त, 1991 से जून, 2001 तक की अवधि के दौरान उद्यमियों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों की कुल संख्या क्रमशः 987 और 3654 थी।

[हिन्दी]

निष्क्रिय जोशपुर दूरदर्शन केन्द्र, छत्तीसगढ़

2950. श्री विष्णुदेव साय: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने दिनों तक छत्तीसगढ़ के जोशपुर नगर में स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र निष्क्रिय रहा;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस केन्द्र को क्रियाशील न बनाए रख पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस केन्द्र को क्रियाशील बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) जशपुर नगर स्थित टी.वी. ट्रान्समीटर, उपस्कर में कतिपय खराबियों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच अवसरों पर लगभग 10 दिन तक कार्य नहीं कर रहा था। इन खराबियों को तत्परता से ठीक किया गया और अब इस ट्रान्समीटर के संतोषजनक रूप से कार्य करने की सूचना है।

यह एक कर्मचारी रहित संस्थापन है तथा बिलासपुर स्थित अनुरक्षण केन्द्र जो इस ट्रान्समीटर के अनुरक्षण के कार्य को देखता है, से कर्मचारियों को तैनात करने में कुछ समय लगता है। तथापि, इसे सतत् रूप से कार्यात्मक रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बैंकों का निरीक्षण

2951. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों का निरीक्षण के बारे में 27 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6185 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धोखाधड़ी और घोटालों के लिए बैंकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाई शुरू की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी पहले की जांच रिपोर्टों में कतिपय अनियमितताओं का पता चला जैसे अपर्याप्त ऋण मूल्यांकन, ऋण के पर्यवेक्षण के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई में शिथिलता और आस्ति वर्गीकरण में अंतर और अनुवर्ती अल्पावधि प्रावधान करना, भुनाए जा रहे बिलों की नकदी और निधि प्रबंधन के संबंध में निर्धारित मार्गनिर्देशों/निदेशों की अनुपालना न करना, प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण, बैंक के परिचालन का कंप्यूटरीकरण आदि, जो अभी भी बनी हुई हैं। इन त्रुटियों/कमियों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों के कार्यपालकों को पर्यवेक्षी पत्र जारी करके ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है और इसके साथ अद्यतन स्थिति को सुनिश्चित करने और निर्धारित समय अवधि के अंदर कमियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई के लिए उनसे चर्चा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि बैंक, चर्चा के दौरान दी गई सलाह पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और निरीक्षण दल के परिणामों की संतोषजनक अनुपालना भेजते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों की जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आधारित ज्ञापन के साथ-साथ वार्षिक वित्तीय निरीक्षण चर्चा के

दौरान बैंकों द्वारा सम्मत जांच योग्य कार्य योजना वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा भेजी गई अनुपालना की जांच करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अधिकांश तथ्य जिनसे धोखाधड़ी करने में बढ़ोत्तरी हुई वे ये हैं, निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना न करना, स्टाफ की लापरवाही, अपनी शाखाओं पर बैंक के नियंत्रण कार्यालयों द्वारा किया गया अपर्याप्त पर्यवेक्षण, जाली लिखतों को भुनाना, ऋण खातों के संचालन में प्रणाली और प्रक्रियाओं का उल्लंघन, मंजूर की गई सीमाओं से अधिक में साख-पत्रों का जारी करना और उनके बदले बिलों को भुनाना, बेजमानती ओवरड्राफ्ट की मंजूरी, प्रत्येक खाते पर कुछ दिनों के लिए तदनुरूपी जमा के बिना बैंकर्स चेकों और ड्राफ्टों को जारी करना, शाखा और नियंत्रक कार्यालय स्तर पर ऋण सुविधा की अनुवर्ती कार्रवाई में कमी, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, चेक बुक जैसी सुरक्षा मदों की आवधिक सत्यापन का अभाव, आदि।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इन उपायों में ये सम्मिलित हैं-आंतरिक नियंत्रण मशीनरी को सुदृढ़ बनाना, निरंतर आधार पर धोखाधड़ियों वाले मामलों की पुनरीक्षा, विदग्ध मामलों में उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सूचना उपायों के साथ बैंकों की कार्य प्रणाली में सलाह देना, परिचालन कार्मिक को उचित प्रशिक्षण, रिपोर्ट की गई बड़ी धोखाधड़ी मामलों की जांच और संवीक्षा, धोखाधड़ी वाले क्षेत्रों में प्रणाली और प्रक्रिया और नियंत्रण व्यवस्थाओं को कवर करते हुए अचानक निरीक्षण, नियंत्रण विवरणी और उसकी संवीक्षा प्राप्त करना और आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था में सुधार करना। बैंक अपने कारोबार के 50 प्रतिशत को कवर करते हुए समवर्ती लेखा-परीक्षा भी करते हैं, 10 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के निक्षेप और आहरण की संवीक्षा। इसके अतिरिक्त, बैंक नियमित विभागीय कार्रवाई करते हैं और धोखाधड़ी के मामलों में अंतर्ग्रस्त पाए गए अधिकारियों को दण्ड देते हैं। बैंक सिविल और आपराधिक मुकदमें में दायर करते हैं और उपर्युक्त राहत मांगते हैं। जहां कहीं आवश्यक माना जाता है मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो और पुलिस को भेजा जाता है।

चूककर्ता-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2952. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 प्रमुख चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनता से 20 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने वाली 50 प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थिति क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा सी.आई.ए.टी. फिनांशियल, इंडियन सीमलेस फिनांशियल और अन्य कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, 20.00 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां धारित करने वाली 50 मुख्य एनबीएफसी हैं। इनमें से, रिजर्व बैंक ने 17 मुख्य चूककर्ता एनबीएफसी के विरुद्ध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए उनके आवेदन-पत्रों को रद्द करने, निषेधात्मक आदेश जारी करने, आपराधिक शिकायतों को दायर करना, याचिका के समापन, आदि के रूप में कार्रवाई की है। शेष 33 कंपनियों में से, 27 कंपनियों की कार्य पद्धति सामान्य है, 6 कतिपय अस्थाई नकदी समस्याओं का सामना कर रही हैं परन्तु वे सार्वजनिक जमाराशि की चुकौती में चूक नहीं कर रही हैं। ऐसी 50 एनबीएफसी, जिसमें 17 मुख्य चूककर्ता एनबीएफसी सम्मिलित हैं विवरण संलग्न है। 17 मुख्य चूककर्ता एनबीएफसी के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक/ कंपनी विधि बोर्ड द्वारा प्रत्येक कंपनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई अनुबन्ध में दर्शाई गई है। कंपनी विधि बोर्ड की पूर्वी क्षेत्र पीठ ने सीएफएल केपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (पूर्व में फीट फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के रूप में ज्ञात) के संबंध में 18.4.2001 तक 9 आदेश पारित किए हैं जिसमें 194 जमाकर्ताओं के कुल 51,47,307.00 करोड़ रुपये की राशि कवर होती है। कंपनी विधि बोर्ड ने 26.6.2001 को एक और आदेश जारी किया है जिसमें 1.4.2000 से 31.3.2005 के बीच 1,58,99,62,756.00 (परिपक्वता तक का ब्याज सम्मिलित है) की बकाया जमाराशियों वाले कुल 93501 जमाकर्ता कवर करते हुए चुकौती की निर्धारित अवधि दी गई है। कंपनी की स्थिति की बैंक ध्यानपूर्वक निगरानी करता है। दि इंडियन सीमलेस फाइनेंशियल ने अपनी अनुषंगी कंपनियों में से एक अर्थात, इंडियन सीमलेस सिक्यूरिटीज लि. के विलय की योजना के संबंध में 23.11.2000 के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय की शर्तों के अनुरूप किया है। कंपनी के पास 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, 3.11 करोड़ रुपये की बकाया जमाराशियां थीं। कंपनी विधि बोर्ड ने क्रमश: 0.78 लाख रुपये की 7 जमाराशियों और 2.43 लाख रुपये की 21 जमाराशियों के लिए 14.2.2000 और 23.2.2000 को आदेश पारित किए हैं। कंपनी ने कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों की अनुपालना उच्च न्यायालय के दिनांक 23.11.2000 के आदेश के तहत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के अनुसार भुगतान करके की है। तथापि, उसने अभी तक कंपनी विधि बोर्ड के पास अनुपालना का शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

विवरण

20 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमाराशि धारित करने वाली एनबीएफसी
(31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार)

कंपनी का नाम	सार्वजनिक जमाराशि (लाख रुपये)	स्थिति	चूककर्ता एनबीएफसी के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3	4
आईसीडीएस लि.	13631	अस्थाई चल निधि समस्या	शून्य
महाराष्ट्र अपेक्स कार्पो. लि	15308	तदैव	तदैव
मणिपाल फाइनेंस कार्पो. लि.	3575	तदैव	तदैव
विजया कमर्शियल क्रेडिट लि.	3458	चूककर्ता कंपनी	पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन रद्द और निषेधात्मक आदेश जारी
विजया लिजींग लि.	2449	तदैव	तदैव
किर्लोस्कर इंवेस्टमेंट एंड फिन लि.	9804	तदैव	पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन रद्द किया गया और कंपनी की समापन याचिका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर की गई। आरबीआई अधिनियम/ उसके अधीन जारी निदेश के उल्लंघन और साथ ही निधियों के विपथन के लिए पूर्व निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की गई है।
समृद्धि सेविंग एंड इंवेस्टमेंट लि.	3919	तदैव	तदैव
सुंदरम फाइनेंस लि.	67877	सामान्य	शून्य
अशोक लीलैण्ड फाइनेंस लि.	22436	तदैव	तदैव
चोलामंडलम इंवे. एंड फाइ. कं.	18510	तदैव	तदैव
फस्ट लिजींग कं. आफ (आई) लि.	8998	तदैव	तदैव
टी.एन.ट्रान्सपोर्ट डेव. फाइनेंस	26096	तदैव	तदैव
लक्ष्मी जनरल फाइनेंस लि.	13141	तदैव	तदैव
अन्नामलाई फाइनेंस लि.	5645	तदैव	तदैव
टी.एन. इंड. डेव. कार्पो.लि.	16848*	तदैव	तदैव
टी.एन. पावर फिन एंड इन्फ्रा. डे.लि.	24308	तदैव	तदैव
इंटेग्रेटिड फाइनेंस कं. लि.	6424	तदैव	तदैव
इंडिया सीमेन्ट्स कैप एंड फिन लि.	4230	तदैव	तदैव

1	2	3	4
फाइडेलिटी फाइनेंस लि.	2400*	चूककर्ता कंपनी	परिपक्व जमाराशियों का भुगतान न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। बैंक ने जमाराशियों की वापसी अदायगी के लिए छः महीने का समय लिया है।
दि इंवेस्टमेंट ट्रस्ट आफ इंडिया लि.	3157	सामान्य	शून्य
सहारा इंडिया फिन कार्पो. लि.	3950	तदैव	तदैव
कृषि एक्सपोर्ट का. कार्पो. लि.	5656	चूककर्ता कंपनी	सीओआर के लिए आवेदन रद्द और निषेधात्मक आदेश जारी। समापन याचिका दायर की गई।
कुबेर म्युचअल बेनीफिट लि. (अनधिसूचित निधि)	19279	तदैव	अनधिसूचित निधि। बैंक ने समापन याचिका दायर की है।
इन कैन म्युचुअल बेनीफिट लि. (अधिसूचित निधि)	6658	तदैव	अधिसूचित निधि होने के कारण बैंक ने इस मामले को डीसीए के साथ उठाया है जो इसे अनअधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.	792225	अस्थाई नकदी समस्या	शून्य
सिएट फाइनांशियल सर्विसेज	12534	चूककर्ता कंपनी	जारीकिए गए पर्यवेक्षी पत्र
निक्को उकोम एलाइंस क्रेडिट लि.	10006	सामान्य	शून्य
जनप्रिया फाइनेंस एंड इंड. इन्वेस्टमेंट	3855	चूककर्ता कंपनी	
आईएफबी फाइनेंस लि.	2721	–तदैव–	
पश्चिम बंगाल इंड. डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	8180*	सामान्य	शून्य
पश्चिम बंगाल इन्फ्रा. डेवलपमेंट कारपोरेशन	2380*	चूककर्ता कंपनी	–तदैव–
प्रुडेंशियल कैपिटल एंड मार्केट्स लि.	4767	चूककर्ता कंपनी	
संचयनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि.	59972	–तदैव–	
रापती निधि लि.	6266	–तदैव–	
टाटा फाइनेंस लि.	92842	सामान्य	–शून्य–
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लि.	32235	–तदैव–	–तदैव–
कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लि.	17344	–तदैव–	–तदैव–

1	2	3	4
एल्पीक फाइनेंस लि.	3248	चूककर्ता कंपनी	कंपनी ने सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना बंद कर दिया। उसने जमाराशियों की वापसी अदायगी के लिए पुनर्निर्धारण हेतु सीएलबी से संपर्क किया है।
बिरला ग्लोबल फाइनेंस लि.	5258	सामान्य	शून्य
एल एंड टी फाइनेंस लि.	8743	तदैव	तदैव
लायड्स फाइनेंस लि.	27965	चूककर्ता कंपनी	प्रेक्षक नियुक्ति किया गया। सीएलबी ने सार्वजनिक जमाराशियों की वापसी अदायगी का पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया।
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनेंस सर्विसेज लि.	4142	सामान्य	
काइनेटिक फिनकैप लि.	3019	तदैव	शून्य
सीकॉम लि.	3906	तदैव	तदैव
वाल स्ट्रीट फाइनेंस लि.	2019	तदैव	तदैव
जयभारत क्रेडिट लि.	2995	सामान्य	शून्य
एस्कार्ट फाइनेंस लि.	22115	तदैव	तदैव
डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	6285	चूककर्ता कंपनी	प्रेक्षक नियुक्ति किया गया। कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनर्गठन योजना जमा की है।
एमएफजी (आई) लि.	3225	अस्थाई चल निधि समस्या	शून्य
मोटर जनरल फाइनेंस लि.	10355	तदैव	तदैव

*अनन्तिम

यूटीआई में चिकित्सकीय व्यय की पुनर्प्राप्ति

2953. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कपटपूर्वक चिकित्सकीय व्यय की पुनर्प्राप्ति के दावे करने वाले कुछ मामले यूटीआई के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) यूटीआई ने सूचित किया है कि ट्रस्ट के एक अधिकारी पर जून, 1999 से नवम्बर, 1999 तक की अवधि के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक दवाईयों की खरीद के लिए चिकित्सा पुन:पूर्ति का दावा करने का आरोप है।

(ग) उस कर्मचारी को आरोप पत्र दे दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2954. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं और योजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इन परियोजनाओं और योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(घ) विश्व बैंक की सहायता से अब तक किए गए कार्यों का परियोजना-वार और योजना वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/समापन की तारीख	विश्व बैंक द्वारा वचनबद्ध ऋण/उधार राशि (राशि मि. अमरीकी डालर में)	संचयी उपयोग (दि. 1 जून), 2001 की स्थिति के अनुसार (राशि मि. अम.डालर में)	परियोजना के अन्तर्गत कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	उ.प्र. स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	19.5.2000/ 30.12.2005	110	2.840	परियोजनाधीन निर्धारित सांस्थानिक प्रबंध पूर्ण होने को हैं। सेवा सुपुर्दगी, निगरानी, औषधी अधिप्राप्ति के संबंध में परियोजना की गतिविधियां जारी हैं।
2.	उ.प्र. जिला प्राथमिक शिक्षा परि.	23.2.2000/ 26.3.2005	182.4	35.560	सांस्थानिक प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। सिविल कार्य, सामुदायिक भागीदारी शिशु परिचर्या शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।
3.	उ.प्र. सोडायुक्त भूमि सुधार परि.	4.2.99/ 30.9.2005	194.1	29.690	निर्माण कार्यों का चयन पूरा कर लिया गया है। भूमि सुधार बोरिंग, जल प्रयोक्ता संगठनों से संबद्ध गतिविधियां प्रगति पर हैं।
4.	उ.प्र. वानिकी परियोजना	30.12.97/ 31.7.2002	52.80	19.980	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां, वित्तीय प्रबन्ध तथा अधिप्राप्ति संबंधी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। उ.प्र. सरकार द्वारा सांस्थानिक प्रबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।
5	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना	30.7.98/ 31.3.2004	129.9	22.680	ग्रामीण ढांचागत विकास, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी प्रसार, स्व-सहायक समूहों का निर्माण संबंधी घटकों से संबंध कार्य अग्रिम चरण में हैं और कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
6.	उ.प्र. ग्रामीण तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परि.	22.7.96/ 31.5.2002	52.40	19.36	जल निकास स्कीम, स्वच्छ शौचालयों जल पोषक गड्ढ़ों, कूड़ा गड्ढे, कम्पोस्ट खाद के गड्ढ़े, हैंड पम्प आदि संबंधी कार्य चुनिंदा गांवों में प्रगति पर हैं।

1	2	3	4	5	6
7.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	19.5.2000/ 31.2.2004	150.00	15.928	परियोजना कार्यान्वयन संबंधी सांस्थानिक प्रबंध पर कार्रवाई की जा रही हैं। पारेषण तथा वितरण संबंधी विभिन्न कार्यों के पैकेजों पर बोली लगाने की प्रक्रिया पर कार्रवाई की जा रही है।

'जेड' समूह की कंपनियां

2955. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त मंत्री** 'जेड' समूह की कंपनियों के बारे में 22 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'जेड' समूह में रखो गई प्रत्येक कंपनियों के नाम और ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज ने 'जेड' समूह में रखी गई कई कंपनियों को सूची से हटाने/व्यापार करने से निलंबन के संबंध में कोई नई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूची शुल्क का भुगतान न करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं और कंपनी प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बाजार ऋण

2956. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार ऋण के संबंध में सरकार को सचेतक टिप्पण जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में वित्त व्यय के लिए बाजार ऋण का आश्रय लिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान दो बाजार ऋण में वर्ष-वार किस सीमा तक वृद्धि हुई;

(घ) क्या सरकार द्वारा बाजार ऋण पर निर्भरता कम करने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) आय तथा व्यय के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने समय-समय पर बाजार ऋणों को जुटाया ।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
1999-2000	2877
2000-2001	13553

(घ) और (ङ) सरकार ने अनेक व्यय प्रबन्धन उपाय किए हैं तथा वह राजस्व तथा राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए राजस्व में वृद्धि करने के सभी प्रयास कर रही है। सरकार ने एक "राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधेयक" शीर्षक वाला एक विधेयक दिनांक 21 दिसम्बर 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत किया है। विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व घाटा समाप्त करने, राजकोषीय घाटा कम करने तथा एक समयबद्ध अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में लोक ऋण की वृद्धि नियंत्रित करने के लिए एक विधिक तथा सांस्थानिक ढांचे हेतु प्रावधान करता है।

उपयोग प्रमाण-पत्रों का जमा करना

2957. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी 1999 की रिपोर्ट सं. 5 में इस बात पर ध्यान दिलाया है कि कुल 548.52 करोड़ रु. कुल अनुदान राशि के संबंध में 31 मार्च, 1998 तक दिए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में से 7343 उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी जमा कराए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है जिनसे ये प्रमाण-पत्र आने हैं और इन प्रमाण-पत्रों को जमा न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी प्रमाण-पत्रों के कब तक जमा कराए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन मंत्रालयों/विभागों से उपयोग प्रमाण-पत्र आने हैं, वे हैं:

(1) परमाणु ऊर्जा (2) पर्यावरण एवं वन (3) महासागर विकास (4) अंतरिक्ष (5) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय (6) सूचना प्रौद्योगिकी (7) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।

अपने सहायता अनुदान संस्थानों से उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निगरानी रखी जानी अपेक्षित होती है। वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि जब तक पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाएं तब तक नए अनुदान जारी न किए जाएं।

[हिन्दी]

चावल के आवंटन हेतु छत्तीसगढ़ का अनुरोध

2958. **डा. चरणदास महंत:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार से 30 जून, 2001 तक नियमित आधार पर चावल के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इससे पूर्व के अवसरों पर छत्तीसगढ़ को दिए गए 1.60 मीट्रिक टन चावल से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार खाद्यान्न जारी कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है और उसकी मात्रा कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) छत्तीसगढ़ सरकार के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार के अनुरोध पर खाद्यान्न रिलीज किए गए थे। छत्तीसगढ़ सहित सूखा प्रभावित राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 30.6.2001 तक काम के बदले अनाज योजना चलाने का कार्यक्रम था। इसे 30.9.2001 तक बढ़ा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज योजना चलाने का कार्यक्रम के लिए 12.1.2001 को राज्य सरकार को 1.60 लाख टन चावल की मात्रा मुफ्त आबंटित की गई थी।

राज्य सरकार ने फरवरी, 2001 में अनुरोध किया था कि जनवरी, 2001 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए मुफ्त आबंटित किए गए 1.60 लाख टन चावल के अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए मार्च, 2001 के लिए 50000 टन चावल और अप्रैल, मई और जून, 2001 के लिए 4 लाख टन चावल की और मात्रा मुफ्त आबंटित की जाए। राज्य सरकार ने चूंकि पिछले आबंटनों का पूर्णतया उठान कर लिया था इसलिए उसने जुलाई, 2001 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 1.00 लाख टन चावल का और मुफ्त आबंटन करने की मांग की है।

काम के बदले अनाज/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को किए गए चावल के मुफ्त आबंटन के तारीखवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

तारीख	आबंटित मात्रा (टन में)
12.1.2001	1,60,000
23.3.2001	37,000
30.3.2001	10,000
27.4.2001	2,00,000 (*)
1.8.2001	1,00,000
जोड़	5,07,000

*राज्य सरकार को उनके 2,00,000 टन चावल के अनुरोध पर वास्तव में 2,98,507 टन धान आबंटित किया गया था।

विहित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 5.05 लाख टन चावल का उठान कर लिया गया है और इसका उपयोग रोजगार सृजन के अवसरों के लिए कर लिया गया है।

आई.डी.बी.आई. द्वारा अर्जित मुनाफा

2959. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई.डी.बी.आई. द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान कितना मुनाफा अर्जित किया गया और पिछले वर्ष के दौरान कितना मुनाफा अर्जित किया गया था;

(ख) क्या आई.डी.बी.आई. के मुनाफे में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस बैंक का मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या आई.डी.बी.आई. ने नरसिम्हन समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए न्यूनतम दरों पर बाजार से संसाधन जुटाने के प्रयास किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने 734 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया था, जबकि पिछले वर्ष यह 1027 करोड़ रुपये था। 43 करोड़ रुपये के कर की व्यवस्था के बाद कर पश्चात् लाभ 691 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 1999-2000 में यह 947 करोड़ रुपये था।

बाजार आधारित ऋणों का सहारा लेने और ऋण दरों में गिरावट के कारण निधियों की लागत बढ़ने, अनुपयोज्य आस्तियों के बढ़े हुए स्तर, जिससे अधिक प्रावधान करना पड़ा, बट्टे खाते डालना पड़ा और साथ ही वसूल न की गई आय से आई.डी.बी.आई. के मार्जिन पर प्रभाव पड़ा।

(घ) आई.डी.बी.आई. ने अनुपयोज्य आस्तियों पर नियंत्रण, ऊंची लागत वाले ऋणों को समाप्त करना और अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से नए व्यावसायिक पहल करने सहित कई उपाए किए हैं।

(ङ) और (च) आई.डी.बी.आई. ने थोक एवं फुटकर दोनों खण्डों के लिए विभिन्न उत्पादों एवं योजनाओं के जरिए अधिकतम दरों पर बाजार से संसाधन जुटाए हैं। विभिन्न लिखतों के जरिए जुटाए गए संसाधनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपये)

	2000-2001
मीयादी जमा	147
जमा प्रमाण-पत्र	1512
सावधि मुद्रा बाण्ड	14
आईडीबीआई कार्पोरेट जमा	533
ओम्नी बाण्ड-आन टैप	3122
ओम्नी बाण्ड-प्रा. प्लेसमेन्ट	1198
पूंजी आय बाण्ड	10
फ्लेक्सीबाण्ड	1161
कुल	7727

आई.डी.बी.आई. द्वारा पूर्णत: वाणिज्यिक प्रतिफलों के आधार पर संसाधन जुटाए जाते हैं और सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों को बोनस

2960. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पालिसी धारकों के बोनस में वृद्धि करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने एल.आई.सी. बैंक की स्थापना करने हेतु कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने उक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है

उसने 10 वर्ष अथवा उससे कम की अल्पावधि पालिसियों को छोड़कर 31 मार्च, 2001 के लिए बोनस की दर पिछले वर्षों की भांति रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार किए गए कारोबार के बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसके द्वारा नियुक्त मैसर्स बूज एलन एण्ड हेमिल्टन, कन्सलटैंट ने अपने स्वयं का नया बैंक स्थापित करने की सिफारिश नहीं की है। रणनीतिक साझेदारी करने की उसकी सिफारिश को स्वीकार करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम, कारपोरेशन बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, के साथ रणनीति साझेदारी करने की सोच रहा है।

[अनुवाद]

बैंकों का निरीक्षण

2961. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा निरीक्षित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान देखी गई कमियों/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध अनियमितताएं करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय निरीक्षण में आई.डी.बी.आई. बैंक लि. को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को शामिल किया गया। आई.डी.बी.आई. बैंक लि. का 31 मार्च, 2000 की इसकी स्थिति के सन्दर्भ में 1999-2000 के दौरान निरीक्षण किया गया था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निरीक्षण के दौरान जिन अनियमितताओं को पाया गया व सामान्यतया साख प्रस्तावों के मूल्यांकन में कमी, स्वीकृति/संवितरण के पश्चात पर्यवेक्षण की कमी, अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) की वसूली में ढील, ऋण सीमा की संवीक्षा/नवीकरण में देरी, भारतीय रिजर्व बैंक/प्रधान कार्यालय द्वारा जारी निदेशों/मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना, लेखा बहियों के समायोजन कार्य का शेष रह जाना आदि है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध बैंकों के ध्यान में लाया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके अनुपालन की सूक्षमता से निगरानी की जाती है। बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं निदेशकों के साथ-विचार-विमर्श भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण में पाए गए निष्कर्षों के सारांश को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा बीएफएस की सलाह/निदेशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

अपलिंकिंग सुविधाएं

2962. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपग्रह चैनल के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी निवेशकों के नाम क्या हैं और ऐसे निवेश की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त पहल से प्रसारण क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) मौजूदा मार्ग-निर्देशों के अनुसार सरकार उपग्रह चैनलों को केवल भारत से अपलिंक करने की अनुमति देती है। भारत में निगमित जिन कंपनियों की विदेशी इक्विटी अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों/भारतीय मूल के लोगों सहित 49% से अधिक नहीं होती, उन्हें भारत में अपलिंक केन्द्र (टेलीपोर्ट) स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, स्वामित्व (इक्विटी ढांचा या प्रबंध नियंत्रण सहित) का ध्यान किए बिना विदेशी उपग्रह टी.वी. चैनलों सहित सभी टी.वी. चैनलों को कतिपय शर्तों एवं निबन्धनों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें शामिल हैं, के अधीन भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाती है:-

(1) कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन।

(2) गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र

(3) 90 दिनों की अवधि तक अपलिंक की गई सामग्रियों के रिकार्ड का रखरखाव।

(4) कार्यक्रमों या चैनल की विषयवस्तु की मॉनीटरिंग के लिए स्वयं की लागत पर आवश्यक मॉनीटरिंग सुविधा मुहैया कराना।

(5) केवल सी-बैण्ड में अपलिंक करना।

(ग) और (घ) अपलिंकिंग की उदारवादी नीति से भारतीय समाचार एजेंसियों तथा निजी भारतीय कंपनियों को विश्व परिदृश्य में अधिक प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिलेगी। भारत में अपलिंकिंग केन्द्र (टेलीपोर्ट) स्थापित होने से रोजगार के काफी अवसर प्राप्त होंगे और संचार संबंधी अत्याधुनिक आधारभूत ढांचों का सृजन होगा। इससे इस प्रकार के टी.वी. चैनल (भारतीय तथा विदेशी) भारतीय कानून की परिधि में आ जाएंगे।

द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार

2963. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इसके उदेश्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे विस्तार से घरेलू बाजार पर किसी प्रकार का प्रभाव पडेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्य देशों के साथ विस्तार की प्रक्रिया जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सरकार ने उन देशों को छोड़कर, जिनके साथ व्यापार प्रतिबंधित है, विश्व में सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किया है।

(ख) सरकार ने विभिन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उनके साथ द्विपक्षीय करार किए हैं।

(ग) और (घ) द्विपक्षीय व्यापार के उद्देश्य मोटे तौर पर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करना और पारस्परिक लाभ प्राप्त करना है। चूंकि द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार पारस्परिक लाभ के लिए किया जाता है इसलिए घरेलू बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं होती है। तथापि, अनुचित प्रक्रियाओं को रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ इत्यादि जैसे प्रावधान उपलब्ध हैं।

(ङ) विभिन्न देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें शामिल हैं- संयुक्त आयोगों, कार्य दलों और संयुक्त व्यापार परिषदों की बैठकों के जरिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार की नियमित समीक्षा करना, व्यापार योग्य वस्तुओं के क्षेत्र को व्यापक बनाना, बैंकिंग एवं व्यापार संस्थानों के लिए तंत्र तैयार करना, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना, प्रतिनिधिमंडलों को भेजना-बुलाना तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक सूचना का आदान-प्रदान करना इत्यादि।

राज्य सरकारों को एच.डी.एफ.सी. ऋण

2964. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास विकास वित्त निगम के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) क्या एच.डी.एफ.सी. भूखण्डों के अधिग्रहण और विकास करने और मकान बनाने के लिए राज्य सरकार को ऋण सहायता दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपर्युक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को एच.डी.एफ.सी. द्वारा कुल कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) आवास विकास वित्त निगम लि. (एच.डी.एफ.सी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार एच.डी.एफ.सी. का मुख्य कार्य प्रणालीगत और व्यावसायिक आधार पर आवास वित्त के प्रावधान के माध्यम से भारत में रिहायशी आवासों की संख्या बढ़ाना तथा व्यक्तिगत आवास के स्वामित्व को बढ़ावा देना है। निगम व्यक्तियों, सहकारी समितियों और कंपनी क्षेत्र को आवास वित्त प्रदान करता है।

(ख) और (ग) एच.डी.एफ.सी. ने राज्य सरकारों को प्लाट प्राप्त करने एवं विकसित करने के लिए कोई ऋण सहायता प्रदान नहीं की है। जहां तक आवास निर्माण के लिए ऋण का संबंध है, एच.डी.एफ.सी. ने सिर्फ राजस्थान सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण करने के लिए दिसम्बर 1997 में 48 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

अतिरिक्त भंडार और भुखमरी से होने वाली मौतें

2965. **श्री जे.एस. बराड़ :**
श्री रूपचन्द पाल:
श्री सुबोध राय:
श्री रामजी मांझी :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न के रिकार्ड बफर स्टाक के बावजूद सूखा पीड़ित और अकाल पीड़ित क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की विफलता के कारण भी राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और अन्य राज्यों में भुखमरी के कारण मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक उपाय शुरू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भुखमरी से होने वाली मौतों का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने अपने पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक का उपयोग करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करना, गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करना, घटी हुई दरों पर गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री करना, विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना और गेहूं तथा चावल का निर्यात करना शामिल हैं। उपर्युक्त उपायों के अलावा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा और राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया गया है। इन राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए अब तक 21.19 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध करवाया गया है।

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि सूखा प्रभावित राज्यों को 3 माह की अवधि के लिए सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, दोनों) को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर वितरित करने हेतु खाद्यान्नों का विशेष अतिरिक्त आबंटन किया जाए। अब तक उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश को इस कारण 13.07 लाख टन खाद्यान्नों का विशेष अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा सूखा प्रभावित राज्यों के लिए पशुचारा श्रेणी का खाद्यान्न भी मुफ्त उपलब्ध कराया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 196/2001 दायर की गई है। याचिका में सरकार के पास पड़े खाद्यान्नों के स्टाक और सूखा प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से राजस्थान में किए गए राहत उपायों का उल्लेख है। याचिकाकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों को निदेश दिए जाएं कि वे राजस्थान सरकार द्वारा तैयार अकाल संहिता, 1962 लागू करें; सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक खाद्यान्न रिलीज करें; खाद्यान्नों का वैज्ञानिक और उचित वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण की नई योजना तैयार करें और माननीय न्यायालय ऐसे अन्य आदेश अथवा आदेशों को पारित करने की कृपा करे जिन्हें वह उचित समझता हो।

(ज) और (झ) माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर 23.7.2001 को सुनवाई की गई थी। माननीय न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को यह निदेश दिया था कि वे यह देखें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानें, यदि बंद हों, पुन: खोली जाएं और इस आदेश की तारीख से एक सप्ताह के अंदर कार्य करना शुरू कर दें तथा नियमित आपूर्तियां की जाएं। शीर्ष न्यायालय द्वारा भारत संघ, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों को प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। सरकार द्वारा 27.7.2001 को आदेश जारी किए गए हैं कि सभी उचित दर दुकानें खोली जाएं।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

2966. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कुछ राज्यों से कालाबाजारी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाने के बावजूद कालाबाजारी के संबंध में किन-किन राज्यों ने सूचना नहीं भेजी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ताकि कालाबाजारी को कारगर ढंग से रोका जा सके?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत जब राज्य सरकारर द्वारा कोई आदेश किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है, तो राज्य सरकार को सात दिन के भीतर केन्द्र सरकार को इस तथ्य की एक रिपोर्ट भेजनी होती है कि वह आदेश किस आधार पर किया गया है तथा राज्य सरकार के विचार में आदेश किए जाने की क्यों आवश्यकता हुई।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

[अनुवाद]

तम्बाकू का अवैध परिवहन

2967. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक से आंध्र प्रदेश को तम्बाकू के अवैध और अनधिकृत परिवहन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक ने अवैध रूप से आंध्र प्रदेश की 8 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू का उत्पादन किया है जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के किसानों की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एक स्थानीय अखबार में छपी इस आशय की खबर के आधार पर कि कर्नाटक के तम्बाकू का आंध्र प्रदेश के कुछेक गांवों में गैर-कानूनी ढंग से कथित रूप में भंडारण किया जा रहा है, तम्बाकू बोर्ड को वजीर्निया तम्बाकू ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गुंटूर से शिकायत प्राप्त हुई थी। तम्बाकू बोर्ड द्वारा की गई औचक जांच से अब तक आंध्र प्रदेश में कर्नाटक मूल के तम्बाकू की गैर-कानूनी तौर पर भेजे गए किसी भी स्टॉक का पता नहीं चला है। इस शिकायत को ठोस नहीं माना जा सकता क्योंकि 2000-01 में कर्नाटक में 18.25 मिलि. किग्रा. अनधिकृत तम्बाकू में से 17.61 मिलि. किग्रा. तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर बेचने की अनुमति दी गई थी जिसे 5% के अर्थदंड और 2 रु. प्रति किग्रा. के अतिरिक्त शुल्क के अधीन प्रदान किया गया था। बोर्ड के सतर्कता दस्तों ने कर्नाटक के 64.012 किग्रा तम्बाकू को गैर-कानूनी तौर पर आंध्र प्रदेश में भेजे जाने के प्रयासों को रोक दिया था। राज्य की सीमाओं से बाहर कानूनी रूप से उत्पादित तथा नीलाम की गई तम्बाकू के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ) बोर्ड द्वारा उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए सु-प्रचारित अपीलों के बावजूद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक दोनों राज्यों के किसान अपनी-अपनी पंजीकृत मात्रा से अधिक तम्बाकू की खेती करते आ रहे हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान कर्नाटक राज्य में हुआ अधिक उत्पादन 18.25 मिलि. किग्रा. का था। तथापि इस अधिक उत्पादन से यह नहीं माना जा सकता कि आंध्र प्रदेश के किसानों के हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की फसल की गुणवत्ता तथा उसके बाजार में काफी अन्तर होता है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस का मूल्यन

2968. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया का विनिवेश करने का निर्णय इन दो कंपनियों के मूल्यन के बाद लिया गया;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है और उनमें से प्रत्येक संस्था को कितनी धनराशि का मेहनताना दिया गया;

(ग) उपरोक्त दोनों कंपनियों के लिए अलग-अलग कुल कितनी कीमत लगाई गई; और

(घ) मूल्यांकन हेतु इन विशेष संस्थाओं का चयन करने के क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों के व्यवसाय का मूल्य निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) **इंडियन एयरलाइंस–** इंडियन एयरलाइंस के मामले में व्यवसाय का मूल्य निर्धारण, सौदे में सलाहकारों अर्थात् ए.एन. जैड. कंसोर्टियम (जिसमें स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडले बैंक लिमिटेड के सहयोग से ए.एन. जैंड, इन्वेस्टमैन्ट बैंक डिवीजन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और ब्रिटिश एयरवेज पीएलसी, अपनी स्पीडविंग डिवीजन के माध्यम से क्रियाशील हैं) के द्वारा किया जाएगा। सौदे के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के उपरांत, सलाहकारों को, सभी लागू करों को मिलाकर कंपनी के विनिवेश से विक्रय प्राप्तियों के 0.294 प्रतिशत के बराबर सफलता शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण का काम, किसी मूल्य निर्धारक को अभी नहीं सौंपा गया है।

एयर इंडिया– सौदे में सलाहकार अर्थात् जे.एम. मोर्गन स्टेनले लिमिटेड एयर इंडिया के व्यवसाय का मूल्य निर्धारण करेंगे। सौदे के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद सलाहकारों को सभी लागू करों को मिलाकर कंपनी के विनिवेश से विक्रय प्राप्तियों के 0.30 प्रतिशत के बराबर सफलता शुल्क का भुगतान किया जाएगा। सलाहकारों के अलावा, कंपनी का स्वतंत्र मूल्य निर्धारण करने के लिए दो अन्य प्रतिष्ठित मूल्य निर्धारक भी नियुक्त किए जाएंगे। ये दो मूल्य निर्धारक अभी नियुक्ति नहीं किए गए हैं।

भारत में संपत्तियों का परिसंपित्त मूल्य निर्धारण– मैसर्स खरबंदा एण्ड एसोसिएट्स को तीन लाख रुपये (सभी सम्मिलित) के एकमुश्त शुल्क पर परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है।

विदेश में संपत्तियों का परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण– विदेशों में स्थित एयर इंडिया की (लन्दन-1, सिंगापुर-2, मॉरीशस-1 नेरोबी-2, पेरिस-1 तथा हांगकांग-2) के स्वामित्व में संपित्तयों का मूल्य निर्धारण संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों द्वारा चयनित मूल्य निर्धारकों से करवाया गया है। मूल्य निर्धारकों के नामों तथा मूल्य निर्धारण के लिए भुगतान शुल्क की राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	संपत्ति स्थित	मूल्य निर्धारक का नाम	शुल्क
1.	लन्दन	मैसर्स माइकल रिचमैन प्रोपर्टी सिर्विसेज	2,291.25 पॉण्ड (1,55,759 भारतीय रुपये)
2.	सिंगापुर	मैसर्स चेस्टर्टन इंटरनेशनल	1,545 सिंगापुर$
3.	मॉरीशस	मैसर्स राज रामलखन वैल्यूएशन कंस्लटैंट	6000 मॉरीशस रुपये
4.	नैरोबी	मैसर्स मवाका मुसाऊ कंस्लटैंट	30,000 केएसएच (18,215 भारतीय रुपये)
5.	पेरिस	मैसर्स ज्योमीटर-एक्सपर्ट फॉसियर	5,980.00 एफएफ (36,000.00 भारतीय रुपये)
6.	हांगकांग	एफपीडी सेविल्स (हांगकांग) लिमिटेड	30,000.00 हांगकांग$ (लगभग 1,81,000 भारतीय रुपये)

विमानों का मूल्य निर्धारण- एयर इंडिया के विमानों के बेड़े (अतिरिक्त इंजन सहित) का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से बोइंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के मैसर्स बोइंग इंडिया और मैसर्स एअर बस इंडस्ट्रीज से अपनी मूल्य निर्धारण रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग अनुरोध किया गया था। इस कार्य के लिए किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कुल मूल्य का पता कंपनी के व्यावसायिक मूल्य निर्धारण के पूरा हो जाने के बाद ही चल पाएगा।

(घ) सलाहकारों का चयन: इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों के मामलों में, सौदों में सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से सार्वभौमिक सलाहकारों के रूप में कार्य करने के लिए मर्चेन्ट/निवेश बैंकरों से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करते

हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों/पत्र-पत्रिकाओं में सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए गए थे। इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा उनकी वित्तीय बोलियों के आधार पर, विधिवत गठित अंतर्मंत्रालय दल ने दोनों सलाहकारों का अलग-अलग चयन करने की सिफारिश की थी।

परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक का चयन- भारत में एयर इंडिया की संपत्तियों का मूल्य निर्धारण, प्रस्तुतीकरण और वित्तीय बोलियों के आधार पर, अंतर्मंत्रालय चयन समिति द्वारा चयनित सरकार द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक द्वारा किया गया है।

[अनुवाद]

सैल्यूलर फोन की तस्करी

2969. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न पत्तनों और विमानपत्तनों में तस्करी द्वारा लाए कितने सेल्युलर फोन उपकरण पकड़े गए/जब्त किए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में सैल्युलर फोनों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) सहित सीमा-शुल्क विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जून, 2001 तक) के दौरान देश के विभिन्न पत्तनों तथा एयर टर्मिनलों पर अभिगृहीत तथा जब्त किए गए सैल्युलर फोन के उपकरणों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अभिगृहीत किए गए सेल्युलर फोन के उपकरणों की संख्या	जब्त सैल्युलर फोन के उपकरणों की संख्या
1998-99	4717	4233
1999-2000	13326	9936
2000-2001	24890	13222
2001-2002 (जून, 2001 तक)	6810	5078

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) सहित सीमाशुल्क विभाग के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय देश में सेल्युलर फोन की तस्करी सहित सभी प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए चौकस तथा सजग रहते हैं।

आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2970. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास विकास निधियों की भयंकर कमी से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पी.एच.डी. वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार से इस अंतराल को पाटने के लिए आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावनाएं हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) इस समय लाभ का अधिकतम 16 प्रतिशत तक ही स्वदेश भेजने और तीन वर्ष के लॉक-इन पीरियड की शर्तों के अध्यधीन, केवल अनिवासी भारतीयों/विदेशी कार्पोरेट निकायों को ही आवास तथा अचल संपत्ति विकास के क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति है।

आवास क्षेत्र में निधियों की भारी कमी को पूरा करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दिए जाने के लिए विभिन्न पक्षों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार ने दिनांक 21.5.2001 के प्रेस नोट नं. 4 (2001 श्रृंखला) के द्वारा सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत जिनके लिए 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रधान की है, वे हैं: एकीकृत कस्बों के विकास के लिए जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट होंगे तथा सभी महानगरों में सड़कों, पुलों तथा त्वरित सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों जैसी क्षेत्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं के लिए एवं भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण के लिए। न्यूनतम पूंजीकरण, न्यूनतम भू-क्षेत्रफल, आदि से संबंधित दिशा-निर्देशों/मानदंडों की शर्त के अध्यधीन, भूमि का विकास तथा

संबद्ध आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना कस्बों को विकसित करने का अभिन्न हिस्सा होगा।

फूलों की अंतर्राष्ट्रीय नीलामी

2971. श्री के.एच. मुनियप्पा:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंगलूर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में हरी झंडी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक कृषि उद्योग निगम भी इस परियोजना में शामिल होगा;

(घ) क्या कर्नाटक कृषि उद्योग निगम ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण से 3.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या बैंगलूर स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी केन्द्र विश्व पुष्पकृषि मानचित्र पर अपना स्थान बना सकेगा;

(च) यदि हां, तो क्या नीलामी केन्द्र एशिया के इस भाग में अलग तरह का पहला केन्द्र होगा और यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच के अन्तराल को पाटने का काम करेगा; और

(छ) यदि हां, तो इस केन्द्र की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कर्नाटक की राज्य सरकार ने कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (केएआईसी), बंगलौर, जो कर्नाटक राज्य सरकार का एक संगठन है, द्वारा बंगलौर में एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी केन्द्र की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) से (च) जी, हां।

(छ) वर्ष 2002 के अंत तक।

[हिन्दी]

किसानों को रियायती दर पर ऋण

2972. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में भंडारण सुविधाओं के लिए किसानों को गोदामों का निर्माण करने हेतु सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में फिलहाल एक नई योजना तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क/सुरक्षा अधिकारियों और यात्रियों के बीच सांठगांठ

2973. श्री अधीर चौधरी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों को सिपाहियों की सुरक्षा में जा रहे सभी यात्रियों की तलाशी लेने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा/पुलिस अधिकारियों की यात्रियों के साथ सांठ-गांठ है और वे करोड़ों रुपये का शुल्क लगाया जाने वाले सामान की तस्करी कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यात्रियों के साथ सीमा शुल्क/सुरक्षा अधिकारियों की सांठ-गांठ को खत्म कर दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा यात्री निकासी के लिए तैनात सीमा शुल्क के स्टाफ सहित विमान पत्तनों पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों के कार्यकलापों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाती है। सीमा शुल्क गृह के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक दौरा किया जाता है तथा संवेदनशील स्थानों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों में समय-समय पर फेर-बदल किया जाता है। ताकि, जैसी कि आशंका व्यक्त की गई है, किसी भी तरह की सांठ-गांठ को रोका जा सके। यह भी निर्देश जारी दिए गए हैं, कि यदि कोई अधिकारी किसी शुल्क्य सामान की तस्करी में किसी यात्री की सहायता करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

हिन्दी प्रकाशन

2974. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रकाशन विभाग समेत उन सरकारी विभागों के नाम क्या हैं जो पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान इनमें से प्रत्येक विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ग) प्रकाशन हेतु हिन्दी और अंग्रेजी में पांडुलिपियां स्वीकार करने के लिए क्या क्रियाविधि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन विभागों में हिन्दी प्रकाशनों में वृद्धि करने और इस संबंध में विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार औद्योगिकी और तकनीकी संगठन में आई.डी.बी.आई. की हिस्सेदारी

2975. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार औद्योगिक और तकनीकी संगठन में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 49% हिस्सेदारी है;

(ख) क्या उपरोक्त संगठन की स्थिति खराब हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी संगठन (बिटको) वर्ष 1996 से निरंतर घाटे में चल रहा है और अपने खातों को 1998-99 से अंतिम रूप नहीं दिया है। बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी संगठन का निरंतर जारी खराब कार्यनिष्पादन निम्नलिखित कारणों से हैं:

(1) औद्योगिक क्रियाकलापों की धीमी गति के साथ-साथ आधारिक अवरोधों के कारण आबंटन का धीमा प्रवाह

(2) बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी संगठन राज्य सरकार से पर्याप्त आबंटन पाने में असमर्थ है; और

(3) टीसीओ में जरूरत से अधिक कर्मचारी हैं।

(घ) टीसीओ के स्वतंत्र अध्ययन बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी संगठन सहित अधिकांश टीसीओ में गिरावट को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए आईडीबीआई ने एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। इस परामर्शदाता की रिपोर्ट आईडीबीआई को प्राप्त हो गई है और इसमें सुझाए गए उपायों पर टीसीओ के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सभी 17 टीसीओ से कहा गया है कि वे अनुत्पादक टीसीओ के पुनरुद्धार के बारे में एक संक्षिप्त नोट दें। अधिकांश टीसीओ ने पुनर्गठन/पुनरुद्धार संबंधी अपनी टिप्पणी पहले ही आईडीबीआई को भेज दी हैं और शेष टीसीओ से संक्षिप्त टिप्पणियां प्राप्त होने पर आईडीबीआई इन पर विचार करेगा।

[अनुवाद]

पाम और सोया के कच्चे तेल का आयात

2976. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि देश में अपमिश्रित खाद्य तेलों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उपचारात्मक कदम शुरू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997, 98 और 1999 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन देश में जांच किए गए खाद्य तेल, वसा और वनस्पति के नमूनों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	जांच किए नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या	टिप्पणी
1997	14132	823	दादरा व नगर हवेली तथा पांडिचेरी की सूचना को छोड़कर
1998	23880	2009	हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सूचना को छोड़कर
1999	18918	1533	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी की सूचना को छोड़कर

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन सभी खाद्य तेलों के लिए संदूषण की सुरक्षित सीमा सहित गुणवत्ता मानक विहित किए गए हैं। मानव उपभोग के लिए बिक्री हेतु विपणित खाद्य तेलों को उपर्युक्त नियमावली के अधीन विहित गुणवत्ता और सुरक्षा विनिर्दिष्टियां पूरी करनी होती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों, जो अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रशासन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे खाद्य तेलों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखें।

उपभोक्ता संगठन

2977. **श्रीमती कान्ति सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में काम करने वाले स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों को अनुदान/आवंटन देने के लिए मापदंड तैयार कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान इन संगठनों में से प्रत्येक को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार को इन संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन संगठनों में से प्रत्येक के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसर बिहार में इस समय 30 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों की एक सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो कम से कम तीन साल से पंजीकृत हैं और जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण/जागरूकता से संबंधित गतिविधियां चला रहे हैं, वे उन परियोजनाओं के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनसे उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) बिहार के जिन संगठनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त की उनकी सूची विवरण-II में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. अध्यक्ष,
   कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर,
   अवतार बिल्डिंग, बिस्तुंपुर, जमशेदपुर, बिहार-831001

2. अध्यक्ष,
   अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट
   रोड नं. 1, क्वार्टर नं. एल-4/2 फार्म एरिया,
   कदमा जमशेदपुर, बिहार-831005

3. अध्यक्ष,
नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फॉर लीगल एसोसिएशन,
लक्ष्मी मेंशन बिस्तपुर, जमशेदपुर, बिहार-842001

4. अध्यक्ष,
बिहार प्रदेश उपभोक्ता सेवा संघ,
त्रिशूल मन्दिर लेन, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001

5. अध्यक्ष,
महिला उपभोक्ता सेवा संघ,
गोपालदास संगत, प्रभात सिनेमा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार

6. अध्यक्ष,
बिहार राज्य कंज्यूमर फेडरेशन,
छत्त भवन, दक्षिणी मन्दिरी, पटना, बिहार-800001

7. अध्यक्ष,
बिहार राज्य उपभोक्ता संघ,
24-सी, कंकर बाग कालोनी, पटना, बिहार- 800020

8. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत-III,
ए-716, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, बिहार

9. अध्यक्ष,
नेशनल कंज्यूमर यूनियन फॉर लीगल एसोसिएशन,
शिमला भवन, पश्चिमी लोहानी,
पटना, बिहार- 800003

10. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
एफ-10, टाटो कालोनी, पोस्ट गामोरिया, सिंहभूम, बिहार

11. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
एन एफ, 3/6 मऊ भंडार, सिंहभूम, बिहार - 832303

12. अध्यक्ष,
कटिहार डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता संग्राम संघ,
मंगल बाजार, बड़ा चौक, कटिहार, बिहार

13. अध्यक्ष,
कोसी डिविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन,
नूतन प्रेस कटिहार, बिहार-854105

14. अध्यक्ष,
ग्रामीण उपभोक्ता सग्राम ग्राम मांकरी इसमिल,
पोस्ट लाडोरपट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार

15. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
एम-34/5, टेल्को कालोनी, जमशेदपुर, बिहार

16. अध्यक्ष,
मानिला उपभोक्ता सेवा संघ, सी-27, पुनयचाक,
पटना, बिहार

17. अध्यक्ष,
प्रीति महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार,
अबुलास लेन, मछुआटोली, पटना, बिहार

18. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, 64/2/3, पनहेरा कालोनी,
पोस्ट-टाटानगर, जमशेदपुर, बिहार

19. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राम पंचायत, रामरेसाघर, बक्सर, बिहार

20. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
बिनयपुर प्रचंड ग्राम, चेसांछपरा,
पोस्ट पुखरी, सारन, बिहार

21. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, परू प्रचंड, गांव व पोस्ट देवरिया कोठी, मुजफ्फरपुर, बिहार

22. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, साहसपान मोहल्ला, नाका नं. 5,
दरभंगा, बिहार

23. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ग्राम व पोस्ट सिदुवेदी,
पूर्णिया, बिहार

24. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
टोला, कटिहार, बिहार

25. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
पोस्ट विद्यानाथ धाम, देवगढ़, बिहार

26. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
सत्यमकुटीर, पालीसराय एंड मार्ग,
पिलवारपुर, मुंगेर, बिहार

27. अध्यक्ष,
सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडी एंड रिसर्च,
रेंटल प्लैट नं. 344, कंकड़ बाग कालोनी, पटना, बिहार

28. अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता संघ रोहतास, 3/57, करनसराय,
पोस्ट सासाराम, डिस्टिक्ट रोहतास, बिहार-821115

29. अध्यक्ष,
चैम्बर ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहक भवन, 64/2/3, बागबेरा कालोनी,
जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम बिहार-831102

30. अध्यक्ष,
उपभोक्ता संरक्षण संस्थान, ग्राम,- गोपालपुर (पुरान्टोला)
पोस्ट माथर, डिस्ट्रक्ट नवादा, बिहार

विवरण-II

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	रूरल लेडीज वैलफेयर सोसाइटी, ग्रा.- धरमपुर पो.- निकासी, वाया पिनधारुच जिला दरभंगा	1998-99	27,000
2.	जन जागरण समिति, यारपुर, एन.सी. घोष लेन, कैलाश भवन के समीप, एम.ओ.- यारपुर, पो.-जी पी ओ, पटना-800001	1998-99	8,100
3.	लोक मंगलम, मोहल्ला-गुडरी, पो. लहेरिमा, जिला दरभंगा	1998-99	22,500
4.	सेवा संस्थान, मार्फत रामबिलास राय, (चन्दवाडा) कन्हौली मठ रोड, पो. रमन, जिला मुजफ्फरपुर	1998-99	18,000
5.	विकासयान, ग्रा. पो. शेखपुर, अखरघाट, मुजफ्फरपुर	1998-99	22,5000
6.	दरोगा प्रसाद राम महिला प्रशिक्षण एवम औद्योगिक केन्द्र, सुनिहार, नवादा (सारण)	1999-2000	27,000
7	महिला एवं बाल विकास केन्द्र, जयप्रकाश नगर, पटना-800001	1999-2000	13,500
8.	नार्थ बिहार समाज कल्याण संस्थान पैगम्बरपुर वाया सिलओट, जिला मुजफ्फरपुर	1999-2000	22,500
9.	राधिका सेवा संस्थान, ग्रा.-परतापू पो. मेहसी (थाना), जिला ईस्ट चम्पारण	1999-2000	22,500
10.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं जनहित सेवा संस्थान, बोकारो (बिहार)	2000-2001	45,000

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी परियोजनाएं

2978. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान मई, 2001 तक विभिन्न राज्यों हेतु प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों में से प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है और ये परियोजनाएं कौन-कौन से स्थानों पर हैं;

(ग) क्या बहुत से प्रस्तावों पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक)	प्रस्तावों की संख्या	अंतर्वाह रुपये करोड़ में
1998	1191	30813.50
1999	1726	28366.53
2000	1726	37039.45
2001 (जनवरी से मई तक)	942	14086.73

राज्यवार विवरण एस.आई.ए. वेबसाइट (एचटीटीपी:/'डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एन.आई. सी.इन./इन्डमिन) में समाविष्ट तथा घोषित किए गए हैं तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में भी दिए गए हैं जिसे संसद के पुस्तकालय सहित, व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

(ख) से (घ) परियोजना-वार क्रियान्वयन से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। अनुमोदनों का अंतर्वाहों में परिवर्तन होना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार का आकार तथा बाजार की क्षमता, दक्ष व प्रतियोगी जनशक्ति की उपलब्धता, निवेश से लाभ वैश्विक आर्थिक विकास इत्यादि। अंतर्वाहों के अनुमोदन अनुपात में निरंतर सुधार दिखाई दिया है जो 1992 में 17.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 में 52.22 प्रतिशत और वर्ष 2001 में जून, 2001 की अवधि तक 56.83 प्रतिशत हो गया है।

[अनुवाद]

राजनयिक थैलों से सोने की बरामदगी

2979. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री राममोहन गाड्डे:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग ने 12 जुलाई, 2001 को चेन्नई हवाई अड्डे पर सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान से राजनयिक थैलों से 100 किलोग्राम सोने के बिस्कुट और भारी दूरसंचार उपस्कर बरामद किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन राजनयिक थैलों के प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 11.7.2001 को सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान से "राजनयिक डाक" के रूप में पहुंचे 12 थैलों से कुल मिलाकर 5.70 करोड़ रुपये मूल्य के 109.021 किलोग्राम सोने के बिस्कुट तथा 10.111 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण, 1100 आर.ए.एम. चिप्स और 150 पैनासोनिक जी.डी. 90 सेलफोन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया था।

(ग) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, 5 भारतीय राष्ट्रिकों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1965 के उपबंधों के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में विनिवेश

2980. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में सरकारी क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल और दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अपेक्षित उपस्करों का विनिर्माण करने वाली केबल उद्योग की नैनी, इलाहाबाद स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की अग्रणी फाइबर ऑप्टिक्स इकाई के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन और लाभ अर्जन के बावजूद इसमें विनिवेश का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मजदूर संघों और अन्य संगठनों ने सरकार के इस कदम के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या ऐसी ही स्थिति वाले हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उपक्रमों को विनिवेश योजना से अलग रखा गया है; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, लागत प्रभाव और अद्यतन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, निधियां जुटाने की असमर्थता और लगातार खराब कार्य-निष्पादन की घटनाओं की पृष्ठभूमि में, सरकार ने जनवरी, 1997 में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच सी एल) में संयुक्त उद्यम का रास्ता अपनाने के माध्यम से विनिवेश को मंजूरी प्रदान की थी। कंपनी का घाटा निरंतर जारी रहा और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य (-) 93.03 करोड़ रुपये था। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में विनिवेश का निर्णय, सरकार की इस नीति के अनुसार ही है कि सरकार, साधारण मामलों में, गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, सरकारी शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे कम स्तर तक नीचे लाएगी। पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में, फरवरी, 2001 में, संभावित अनुकूल साझीदारों से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया था।

(ग) और (घ) कामगारों की यूनियनों, कर्मचारी संघों और अन्य संघटनों ने यह विचार व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन किया है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में पिछले दो वर्षों में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है और इसका विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में फिलहाल विनिवेश न करने का निर्णय लिया है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की तुलना हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से करना अनुपयुक्त है क्योंकि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड दूरसंचार क्षेत्र में है और जो तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी तथा गहन प्रतिस्पर्द्धा का दिग्दर्शन कर रहा है। इसलिए अनुकूल साझीदार को शामिल करने की अत्यावश्यकता है। दूसरी ओर हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के सम्मुख ये विवशताएं नहीं हैं।

बैंकों के माध्यम से दिए गए ऋण

2981. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने क्षेत्र-वार कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए हैं; और

(ख) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में औद्योगिक विकास के लिए सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने क्या-क्या विशेष प्रोत्साहन और रियायतें दी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण का क्षेत्र-वार संवितरण और बकाया नीचे दिया गया है:

संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण का क्षेत्र-वार संवितरण-मार्च 2000

(राशि लाख रुपये में)

क्षेत्र	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
1. कृषि	564	189	166
2. उद्योग	844	30180	22019
3. परिवहन परिचालक	239	241	152
4. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएं	193	247	217
5. व्यक्तिगत ऋण	2104	1010	808
6. व्यापार	485	863	506
7. वित्त	15	63	14
8. अन्य सभी	522	1379	979
कुल बैंक ऋण	4966	34172	24864
जिसमें से			
1. कारीगरों और ग्रामीण उद्योगों	145	31	27
2. अन्य लघु उद्योगों	329	9230	6339

(ख) खासतौर पर ग्रामीण, अर्द्धशहरी क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है और इसके क्रियान्वयन की निगरानी अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत गठित विभिन्न मंचों, अर्थात ब्लाक स्तर पर ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित विकास के लिए राज्य सरकार को ऋण देने हेतु ग्रामीण आधारित विकास निधि की स्थापना की है।

एयर इंडिया में विनिवेश

2982. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हिन्दुजा परिवार को एयर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस हेतु बोली लगाने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विनिवेश प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने अशोक लेलैण्ड संकाय (जिसमें मैसर्स अशोक लेलैण्ड लिमिटेड, मैकन डेवलपमेंट कारपोरेशन और हिन्दुजा फाइनेंश कारपोरेशन लिमिटेड सम्मिलित हैं) को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया है कि अशोक लेलैण्ड संकाय को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के लिए बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित क्यों न कर दिया जाए। यह कारण बताओ नोटिस हित की अभिव्यक्ति में निर्धारित शर्तों, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की बिक्री के लिए 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध', विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हताओं के बारे में 13 जुलाई, 2001 को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है।

(ग) इनकी विनिवेश प्रक्रिया के पूरा होने के संभावित समय का संकेत देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

समाचार बुलैटिनों पर व्यय की गई राशि

2983. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान दूरदर्शन ने नॉन-प्राइम टाइम के समाचार बुलैटिनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) दूरदर्शन द्वारा इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समाचार बुलैटिनों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है और इस कार्यक्रम ने कितने दर्शकों को आकर्षित किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सभी समाचार प्रसारणों के सम्पूर्ण सुधार के लिए वर्ष 2000-2001 में लगभग 3.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्रमुख/गैर-प्रमुख समय के समाचार बुलेटिनों के लिए पृथक से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान दूरदर्शन ने गैर-प्रमुख समय स्लॉटों के समाचार बुलेटिनों से कुल 65,32,808 रुपये की राशि अर्जित की है।

(ग) जी, हां।

(घ) माह जून-जुलाई 2000 तथा 2001 के लिए टेलीविजन ऑडिएन्स मेजरमेंट (टैम) द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार दर्शकों में आम-तौर पर वृद्धि हुई है।

निर्यातोन्मुखी इकाईयों को दी जा रही सुविधाओं के निर्धारण हेतु तंत्र

2984. प्रो. दुखा भगत:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात और निर्यात के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास निर्यातोन्मुखी इकाईयों को दी जा रही धन संबंधी सुविधाओं का निर्धारण करने हेतु कोई तंत्र नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) निर्यात तथा आयात के राज्यवार ब्यौरों को रखना व्यावहारिक नहीं रहा है क्योंकि निर्यात/आयात पत्तनों तथा इनलैंड कंटेनर डिपो (आई सी डी) के जरिए किया जाता है।

(ग) और (घ) रुपये के रूप में निर्यातोन्मुख इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहनों की मात्रा के निर्धारण हेतु तंत्र विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

बीएससीएल के कामगारों को भुगतान

2985. **श्री महबूब जहेदी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएससीएल की रानीगंज स्थित ''रिफ्रेक्टरी आफ सिरामिक ग्रुप आफ यूनिट्स'' के बंद हो जाने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले 356 कामगारों को बकाया भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) क्या सामान्य सेवानिवृत्त होने वाले 300 कामगारों को उनके भविष्य निधि और अन्य भुगतान प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) रानीगंज रिफ्रेटरी तथा सिरामिक यूनिट में वीआरएस अपनाने वाले सभी 356 कर्मियों को वीआरएस से संबंधित भुगतान कर दिया गया है। लेकिन, यथा तिथि 209 कर्मचारियों के संबंध में पीएफ ट्रस्ट से भुगतान किए जाने वाले पीएफ बकायों का भुगतान अभी किया जाना शेष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय कृषि कार्यक्रम

2986. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न आबंटन संबंधी विशेष कृषि कार्यक्रम राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (च) जून, 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केन्द्रीय पूल से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभिन्न मंचों पर राज्य सरकारों के साथ विस्तृत परामर्श करके शुरू की गई थी। मुख्य मंत्रियों के आधारभूत न्यूनतम सेवाओं पर 4-5 जुलाई, 1996 को हुए सम्मेलन में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित करने के प्रश्न पर आगे चर्चा करने के लिए 7.8.1996 को हुए राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रस्ताव विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के प्रावधान को एकमत से अनुमोदित किया गया था और सिफारिश की गई थी कि केन्द्र सरकार यथासंभव शीघ्र लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करे।

[अनुवाद]

भारतीय गेहूं की खरीद

2987. **श्री कमल नाथ:** क्या **उपभोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया ने भारत से गेहूं खरीदना बंद कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इंडोनेशिया को कुल कितनी मात्रा के गेहूं का निर्यात किया गया और इससे कितनी राशि अर्जित हुई;

(घ) उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या घटिया गुणवत्ता वाले गेहूं के निर्यात के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट छपी है कि बोगासारी फ्लोर मिल्स, इण्डोनेशिया ने भारतीय गेहूं में धूल तत्व अधिक होने के गुणवत्ता संबंधी कारण की वजह से इसकी खरीदारी बंद कर दी है। समाचार पत्र की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बोगासारी डायरेक्टर ने अनाज की गुणवत्ता में सुधार करने की स्थिति में भारत से भविष्य में की जाने वाली खरीदारी से इंकार नहीं किया है। इण्डोनेशिया ने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात पीईसी, एसटीसी और एमएमटीसी से गेहूं का आयात किया है जिनके द्वारा नवम्बर, 2000 से अप्रैल, 2001 तक की अवधि के दौरान इण्डोनेशिया को 1,66,000 टन गेहूं निर्यात करने की सूचना है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इण्डोनेशिया को केन्द्रीय पूल से निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा और अर्जित की गई राशि निम्नानुसार है:-

1999-2000	
(अप्रैल से मार्च)	शून्य
2000-2001	
(अप्रैल से मार्च)	29044 टन

भारतीय खाद्य निगम के पत्तन गोदामों से 4150 रुपये टन की दर पर।

(घ) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया है कि वह कांडला पत्तन अथवा किसी अन्य पत्तन जहां से निर्यात होता हो, पर सफाई की सुविधाएं स्थापित करे। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का सीधे निर्यात नहीं किया गया है। निर्यातकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे निर्यात के प्रयोजनार्थ गेहूं की पहचान कर लें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में सरकारी उपक्रमों का बंद होना

2988. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुनील खां:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में केन्द्र के सरकारी उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस सरकारी उपक्रमों के संबंध में बीआईएफआर के समक्ष क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन, दुर्गापुर को पुनः चालू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में स्थित भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 3 उपक्रमों यथा भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल), वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) तथा रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी) को बंद करने के लिए एप्रोप्रियेट सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई है।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सभी संबंधित एजेंसियों के विचारों पर ध्यान देने तथा उनका पुनरुद्धार करने के सभी संभव विकल्पों का पता लगाने के बाद बीपीएमई तथा डब्ल्यूआईएल को बंद करने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) बीआईएफआर ने यूनियनों द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरुद्धार योजना तथा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार करने के बाद 29.06.2001 को हुई अपनी बैठक में माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी) को बंद करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता अदालतें

2989. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)विभिन्न अदालतों/मंचों के समक्ष निपटान हेतु राज्य-वार कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) गत दो वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) शेष मामलों को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता न्यायालयों में इनकी शुरूआत के समय से निपटाए गए और लम्बित मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चूंकि उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा शिकायतों का संस्थापन और उनका निपटान एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मामलों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, मामलों के तेजी से निपटान को सुकर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) उपभोक्ता न्यायालयों के आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61.80 करोड़ रु. का एक बारगी अनुदान दिया है।

(2) राष्ट्रीय आयोग के जरिए उपभोक्ता न्यायालयों की कार्य की निगरानी की जाती है।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता मंचों में अध्यक्षों/सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(4) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से समय-समय पर यह अनुरोध किया जाता है कि वे उपभोक्ता मंचों का कारगर कार्यकरण और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायें।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शरू से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	तारीख को
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	119009	17765	31.05.2001
अरुणाच प्रदेश	173	35	31.03.2000
असम	6916	1701	30.09.2000
बिहार	38171	20587	30.09.2000
गोवा	4265	897	30.06.2001
गुजरात	50632	22647	30.09.2000
हरियाणा	80456	26522	30.06.2001
हिमाचल प्रदेश	22794	6019	31.03.2001
जम्मू व कश्मीर	10857	2811	31.03.1999
कर्नाटक	64486	8569	30.06.2001

1	2	3	4
केरल	122576	7836	30.06.2001
मध्य प्रदेश	72894	10586	31.03.2001
महाराष्ट्र	88049	28337	31.12.1999
मणिपुर	815	50	31.05.2000
मेघालय	259	67	30.06.1999
मिजोरम	935	215	31.03.2001
नागालैण्ड	36	64	31.03.2000
उड़ीसा	36479	10129	30.09.2000
पंजाब	51580	7821	30.06.2001
राजस्थान	145150	28030	31.03.2001
सिक्किम	122	9	30.06.2001
तमिलनाडु	62799	9547	30.06.2000
त्रिपुरा	981	389	30.09.2000
उत्तर प्रदेश	183682	89076	31.03.2000
पश्चिम बंगाल	41764	6608	31.03.2000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	210	33	31.03.2000
चंडीगढ़	18375	3514	30.06.2001
दादरा व नागर हवेली	23	10	31.12.1999
दमण एवं दीव	37	30	30.09.2000
दिल्ली	74699	26349	31.03.2000
लक्षद्वीप	44	4	30.06.2001
पांडिचेरी	2314	82	30.06.2001

नलकूप लगाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण

2990. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती बहुल क्षेत्रों में कितने छोटे किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण प्रदान किये; और

(ख) इस कार्य के लिए राज्य-वार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सामान्यत: बड़ी जोत वाले किसानों द्वारा नलकूप लगाने के लिए ऋण लिए जाते हैं, जबकि छोटे और सीमान्त कृषक साधारण तौर पर कुंए खोदने और पम्पसेट जैसे अन्य छोटे सिंचाई-क्रिया किलापों के लिए ऋण लेते हैं।

नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके ग्राहक लक्ष्य समूह के छोटे एवं सीमान्त किसानों के पक्ष में नलकूप, कुएं खोदने, पम्पसेट सहित छोटे सिंचाई कार्यों और अन्य छोटे सिंचाई किया कलापों के लिए ऋण देने हेतु पुनर्वित्त सहायता देता है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक छोटे किसानों को लघु सिंचाई सहित सभी कार्यों के लिए जारी ऋण और उस पर बकाया ऋण के संबंध में सूचना विवरण-I में दी गई है। नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों की श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों के संबंध में मांगे गए तरीके से भिन्न-भिन्न आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए लघु सिंचाई क्रियाकलापों के तहत पुनर्वित्त की राज्य-वार राशि विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1997-2000 के दौरान छोटे किसानों को क्षे.ग्रा. बैंकों का बकाया ऋण और उनके द्वारा जारी ऋण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	छोटे किसानों के पास बकाया ऋण			छोटे किसानों को दिया गया ऋण		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	12894.26	16017.12	17223.70	7720.63	8376.56	9841.75
2.	हिमाचल प्रदेश	339.28	561.80	0.00	207.06	233.49	0.00
3.	जम्मू और कश्मीर	2073.08	1597.20	2947.65	131.00	119.20	371.79
4.	पंजाब	6710.59	7126.56	5809.81	4525.57	4890.05	3609.79
5.	राजस्थान	22431.06	25840.16	19750.99	7498.54	8369.62	4781.83
6.	अरुणाचल प्रदेश	535.64	613.79	661.44	171.57	163.17	21.25
7.	असम	7679.35	8602.08	8416.38	673.33	867.03	815.10
8.	मणिपुर	185.13	183.11	0.00	22.67	23.45	0.00
9.	मेघालय	931.80	1058.06	1137.87	791.19	881.36	190.97
10.	मिजोरम	100.67	101.27	378.29	12.38	36.87	61.21
11.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	21.46	23.71	0.00
12.	त्रिपुरा	2261.83	2298.18	2319.14	138.90	166.37	155.80
13.	बिहार	54413.89	52604.30	45742.62	8539.54	9952.09	8421.13
14.	उड़ीसा	17324.28	17727.82	42952.43	9103.41	11345.29	14043.48
15.	पं बंगाल	5205.94	6418.93	6483.79	2716.12	4568.57	3436.86
16.	मध्य प्रदेश	14292.01	17871.67	26267.51	5758.80	6903.08	7582.55
17.	उत्तर प्रदेश	25797.35	27526.94	105612.05	26976.78	37551.07	39587.61

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	गुजरात	7319.43	8789.72	10762.63	4251.33	4855.69	6501.36
19.	महाराष्ट्र	3900.06	4957.07	8379.95	1400.33	2365.59	3183.43
20.	आंध्र प्रदेश	55136.35	63153.07	57223.74	38837.43	40131.40	45821.29
21.	कर्नाटक	50677.65	57524.36	55238.09	23041.16	24201.71	28141.77
22.	केरल	9293.19	23182.75	36334.98	18450.85	21861.08	27576.37
23.	तमिलनाडु	10180.37	10566.20	12458.51	9833.26	9445.23	11972.59
	कुल योग	309683.21	354322.16	466101.57	170823.31	197331.68	216117.93

टिप्पणी

(1) खातों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(2) 2000-2001 के लिए तारीख उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य-वार पुनर्वित्त संवितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
चंडीगढ़			
दिल्ली	3	9	28
हरियाणा	2	0	1
हिमाचल प्रदेश	1	3	5
जम्मू एवं कश्मीर			
पंजाब	464	468	418
राजस्थान			
अरूणाचल प्रदेश	1	0	0
असम			
मणिपुर			
मेघालय			
मिजोरम			
नागालैंड			
त्रिपुरा			
सिक्किम			
बिहार	0	10	1
उड़ीसा	39	28	30
पं. बंगाल	5	6	2
अंडमान निकोबार द्वीप समूह			
मध्य प्रदेश	81	160	219
उत्तर प्रदेश	133	158	283
दादरा नागर हवेली			
गुजरात	35	56	97
गोवा			
महाराष्ट्र	80	78	246
आंध्र प्रदेश	56	59	92
कर्नाटक	458	403	354
लक्षद्वीप	180	131	116
केरल	0	6	9
पांडिचेरी			
तमिलनाडु			
कुल	1539	1578	1902

[अनुवाद]

इंस्ट्रयूमेन्टेशन लिमिटेड, पलक्कड़ में विनिवेश

2991. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इंस्ट्रयूमेन्टेशन लिमिटेड, पलक्कड़ केरल में विनिवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्स्ट्रयूमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा की एक इकाई, पलक्कड़, केरल में स्थित इन्स्ट्रयूमैन्टेशन कंट्रोल वाल्वस लिमिटेड (आई सी वी एल), की 51 प्रतिशत इक्विटी के लिए संभावित अनुकूल साझीदारों से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करते हुए जनवरी, 2001 में एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया था। संयुक्त उद्यम का रास्ता अपनाने के माध्यम से विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है और अभी पूरी नहीं हुई है।

एसबीआई का फोरेक्स ब्यूरो

2992. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस बीआई ने कोलकाता से अपना फोरेक्स ब्यूरो स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) क्या अन्य बैंक भी ऐसा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन बैंकों को अपने फोरेक्स ब्यूरो कोलकाता से स्थानांतरित करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जबकि उसका विदेश विभाग कोलकाता पर ही कार्यरत है, परन्तु उसका अन्तर-बैंक विदेश विनिमय डीलिंग और कवर परिचालन कार्य 12 अक्तूबर, 1998, से अपने राजकोष परिचालन के बैंक के एकीकरण के भाग के रूप में मुम्बई में शिफ्ट कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बताया है कि इससे बैंक के राजकोष परिचालन की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता बढ़ी है, जिससे पर्याप्त रूप से बैंक के अधिशेष रुपया संसाधनों के अभिनियोजन लाभ हुआ है और इसका परिणाम यह हुआ कि बैंक के विदेश विनिमय आय के अतिरिक्त ब्याज आय में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई। बैंक ने यह भी बताया है कि उसके राजकोष परिचालनों के पुनर्गठित करने से उसके विदेशी आवती में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक का विदेश विनियम प्रभाग कोलकाता में नहीं है।

(घ) ऐसे निर्णय बैंक अपने उत्कृष्ट वाणिज्यिक हित में स्वयं लेते हैं।

देश में लाई गई विदेशी निधियां

2993. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्यमियों द्वारा नकद जमा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए देश में ऋण के रूप में लाई गई विदेशी निधियों को "विदहोल्डिंग टैक्स" से छूट मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात हेतु देश में अग्रिम राशि के रूप में लाई गई विदेशी निधियों को इसी प्रकार छूट नहीं दी जा रही हैं; और

(ग) नकद जमा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाई गई ऐसी जमा राशि या ऋण के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। उधार ली गई धनराशियों अथवा विदेश (बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियां) में लिए गए ऋण/अनुमोदित तथा अथवा 1 जून, 2001 से पूर्व किए गए विदेशी करेन्सी उधार करारों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) (IV) के अंतर्गत रोके गए कर से छूट प्राप्त है।

(ख) निर्यात के लिए अग्रिम जमा राशियों को इस तरह की छूट प्राप्त नहीं है।

(ग) भावी निर्यात प्राप्तव्य के लिए निर्यात सम्बंधी अग्रिम जमा राशियां प्रतिभूति के रूप में रखी जाती हैं। उन्हें बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियों के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए ब्याज भुगतानों के लिए कर छूट उपलब्ध नहीं है।

निर्यात खरीद योजना

2994. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गेहूं और चावल के लिए निर्यात खरीद योजना शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च, 2001 में 20 लाख टन चावल का शीघ्र निर्यात करने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को 6750 रुपये प्रतिटन के मूल्य पर निर्यात हेतु 20 लाख टन चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2001-2002 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राइवेट पार्टियों को 5650 रुपये प्रति टन की दर पर रॉ चावल और 6000 रुपये प्रति टन की दर पर सेला चावल का निर्यात करने हेतु 30 लाख टन चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। यह निर्यात किसी भी राज्य से किया जा सकता है।

कर नीति पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

2995. श्री टी. एम. सेल्वागनपति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर नीति और कर प्रशासन के संबंध में गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना के दौरान कर नीति और कर प्रशासन के संबंध में गठित विशेषज्ञ दल ने यह अनुमान लगाया है कि यदि उसकी सिफारिशें मान ली जाती हैं तो सरकार को प्रतिवर्ष 22,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ दल की इस सिफारिश के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा स्थापित "कर नीति और कर प्रशासन" पर परामर्श समूह ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.5.2001 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है। डा. पारथासारथी शोम की अध्यक्षता में परामर्श समूह ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने हेतु उपायों के बारे में सिफारिश की है।

(ग) परामर्श समूह ने यह बताया है कि यदि सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं और कार्यान्वित कर दी जाती हैं तो कर/सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 1999-2000 में 14.09 प्वाइंटों से 3.69 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2006-2007 में 17.78 प्वाईन्ट हो जाएगा।

(घ) कार्यान्वयन के तरीकों को सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

पाटनरोधी कानूनों में खामियां

2996. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाटनरोधी कानूनों में बहुत सी असंगतियां और खामियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा कानूनों में परिवर्तन के लिए एक पैनल बनाया गया है;

(ग) क्या पैनल ने कुछ सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पाटनरोधी जांच को शासित करने वाले कानूनों तथा क्रियाविधि की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

इराक को गेहूं का निर्यात

2997. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक को गेहूं का निर्यात करने वाले निजी क्षेत्र के व्यापारियों ने 1.83 करोड़ रुपए की वापसी का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यह अनुरोध किस आधार पर किया है;

(ग) क्या इराक को गेहूं का निर्यात करने के लिए पिछली निर्यात नीति में कुछ परिवर्तन किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो नीति में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार ने कितनी अतिरिक्त राशि अर्जित की?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) ग्रेड बोर्ड ऑफ इराक के पास पंजीकृत तीन निजी निर्यातकों जिनकी खेपें इराक प्राधिकारियों द्वारा अकार्बनिक विजातीय तत्व और जीवित कीटों आदि की मौजूदगी के आधार पर अस्वीकृत कर दी गई थीं, ने इराक को निर्यात करने से होने वाली अधिक प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इराक को निर्यात हेतु भारतीय खाद्य निगम के निर्गम मूल्य के अलावा उनसे ली गई 190 रुपये प्रति टन की राशि वापस करने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि जब तक ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक की आवश्यकताओं के अनुरूप गेहूं की सफाई नहीं की जाती तब तक इराक को कोई खेप न भेजी जाए। भारतीय खाद्य निगम को कांडला पत्तन अथवा किसी ऐसे अन्य पत्तन, जहां से निर्यात होता हो, पर सफाई की सुविधाएं स्थापित करने का निदेश भी दिया गया है। सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि अर्जित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सरकारी बैंकों की ऋण नीति

2998. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को 5 प्रतिशत कर सुधार करने या प्रोत्साहन राशि का अंश छोड़ने संबंधी कोई अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा परिकलित प्रति वर्ष कुल प्रोत्साहन राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने राज्यों के राजकोषीय सुधार हेतु एक प्रोत्साहन निधि गठित की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के राजकोषीय उद्देश्यों की रूपरेखा को वृहत् आकार देते हुए राज्यों को अपने राजस्व घाटे/अधिशेष में सुधार का लक्ष्य रखते हुए संबंधित मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने को आमंत्रित किया गया है। इस स्कीम में हरेक राज्य के लिए पांच प्रतिशत के अनुपात से राजस्व प्राप्तियों के राजस्व घाटे में वार्षिक सुधार का लक्ष्य रखते हुए एक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने पर जो दिया गया है। अगर कोई राज्य सुधार कार्यक्रम के इस लक्ष्य को एक साल में पूरा नहीं कर पाता है तो यह राशि व्यपगत नहीं होगी बल्कि राज्य के अगले साल की हकदारी से जुड़ जाती है। सिर्फ स्कीम के अंतिम साल में ही यदि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में राज्य का प्रदर्शन अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहता है तो यह हकदारी उन राज्यों को उपलब्ध करा दी जाती है जिन्होंने अपेक्षित सुधार लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ग) प्रोत्साहन निधि का वर्ष-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रोत्साहन निधि का संयोजन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व घाटा अनुदान की रोकी गई 15 प्रतिशत राशि	केन्द्र का समानुरूपी अभिदाय	कुल निधि (कालम 1+ कालम 2)
0	1	2	3
2000-01	1523.06	598.48	2121.54
2001-02	1080.43	1041.11	2121.54
2002-03	994.64	1126.91	2121.55

0	1	2	3
2003-04	861.74	1259.81	2121.55
2004-05	843.99	1277.55	2121.54
कुल	5303.86	5303.86	10607.72

[हिन्दी]

भारत-जापान आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग

2999. श्री रामशकल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-जापान आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जापान से सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मुख्य परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और इनमें वर्षवार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) भारत-जापान सहयोग के विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान भारत-जापान आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग सहित भारत-जापान सहयोग की विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता, तीसरा सबसे बड़ा निवेशक रहा है तथा भारत के चोटी के पांच व्यापार भागीदारों में है। अपेक्षाकृत घनिष्ठ आर्थिक सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापार, निवेश, उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर संबंधित जापानी मंत्रालयों से नियमित वार्ताएं आयोजित की जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर अगस्त, 2000 के दौरान जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरी की भारत यात्रा वर्ष 1990 से 10 वर्षों में किसी जापानी प्रधानमंत्री की प्रथम भारत यात्रा है। शिक्षा, खेल, विज्ञान तथा जन प्रचार के क्षेत्रों में सांस्कृतिक सहयोग के प्रोत्साहन के लिए दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कलाकारों के लिए नियमित रूप से विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि चालू समय खंड परियोजनाएं जापानी आर्थिक प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है, अत: ऋण की उत्तरवर्ती श्रृंखला के लिए निम्नांकित परियोजनाएं जापान सरकार के विचाराधीन हैं;

(1) दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-दिल्ली

(2) सिंहाद्री ताप विद्युत स्टेशन परियोजना-आंध्र प्रदेश

(3) बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना-पश्चिम बंगाल

(4) सिंहाद्री एवं विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना-आंध्र प्रदेश

(ङ) दोनों देशों के नेताओं द्वारा वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ तथा भारत-जापान संघ की 100वीं वर्षगांठ मनाए जाने के प्रस्ताव किए गए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान जे.बी.आई.सी. जापान से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संवितरण

जे बी आई सी ऋण (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	आई.डी.पी. संख्या तथा परियोजना का नाम	संवितरण		
		1998-1999	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	(आई डी पी-40) तीस्ता कैनाल एच.ई. परियोजना	14.13	10.89	बन्द
2.	(आई डी पी-42) असम गैस टरबाइन परियोजना	18.74	1.62	बन्द

1	2		3	4	5
3.	(आई डी पी-43)	श्रीसलेम लैफ्ट बैंक पावर परि. (1)	14.98	0.00	बन्द
4.	(आई डी पी-53)	घाटघर पम्पड स्टोरेज परि.	26.17	27.73	83.02
5.	(आई डी पी-54)	पर्यटन अवसंरचना विकास परि.	46.51	बन्द	बन्द
6.	(आई डी पी-56)	अपर कोलाब सिंचाई परि.	12.51	बन्द	बन्द
7.	(आई डी पी-57)	अपर इंद्रावती सिंचाई परि.	18.25	बन्द	बन्द
8.	(आई डी पी-59)	मैसूर पेपर मिल आधुनिकीकरण परि.	16.69	6.87	बन्द
9.	(आई डी पी-66)	पावर सिस्टम सुधार परि.	122.18	149.16	108.15
10.	(आई डी पी-72)	तीस्ता कैनाल एच.ई. परि.	18.09	19.44	बन्द
11.	(आई डी पी-73)	इंदिरा गांधी वनीकरण परि.	18.35	14.79	22.88
12.	(आई डी पी-74)	स्वास्थ्य गुणवत्ता नियंत्रण परि.	1.38	बन्द	बन्द
13.	(आई डी पी-79)	अरबन सिटी जल आपूर्ति परि.	7.32	19.17	बन्द
14.	(आई डी पी-80)	अरावली हिल वनीकरण परि.	38.40	38.52	बन्द
15.	(आई डी पी-81)	एन.एच.-2 सुधार परियोजना	31.54	35.03	14.38
16.	(आई डी पी-82)	अजंता एलोरा कन. एंड टूरिज्म विकास परि.	16.04	10.60	4.23
17.	(आई डी पी-84)	यमुना कार्य योजना	39.99	86.87	38.92
18.	(आई डी पी-85)	श्रीसलेम विद्युत पारेषण प्रणाली परि.	45.28	28.82	00.60
19.	(आई डी पी-86)	गंधार गैस आधारित विद्युत परि.	1.04	बन्द	बन्द
20.	(आई डी पी-87)	उद्योगमंडल अमोनिया प्रतिस्थापन संयंत्र परियोजना	35.09	1.68	बन्द
21.	(आई डी पी-88)	अनपारा ''बी'' थर्मल पावर	38.53	33.03	55.40
22.	(आई डी पी-89)	बक्रेश्वर थर्मल पावर परि.	313.16	बन्द	बन्द
23.	(आई डी पी-90)	फरीदाबाद थर्मल पावर परि.	93.55	405.36	148.30
24.	(आई डी पी-91)	नैनी ब्रिज ओवर रिवर यमुना	1.40	0.53	31.73
25.	(आई डी पी-92)	एन.एच.-5 को 4 लेन का बनाना	0..37	65.51	54.83
26.	(आई डी पी-94)	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक विद्युत परि.(2)	85.82	92.48	71.25
27.	(आई डी पी-95)	श्रीसेलम विद्युत पारेषण-2	69.15	128.05	38.57
28.	(आई डी पी-96)	असम गैस टरबाइन परि.	37.30	17.15	49.60
29.	(आई डी पी-97)	ब्रकेश्वर ताप यूनिट-3	184.76	24.56	बन्द
30.	(आई डी पी-98)	पुरूलिया पम्पड भंडारण परि.	12.97	17.56	64.98

1	2		3	4	5
31.	(आई डी पी-99)	कोठागुडेम ''ए'' टी.आर.एस.	13.79	8.17	26.75
32.	(आई डी पी-100)	एन.एच.-5 सुधार परि.	0.45	10.99	13.22
33.	(आई डी पी-101)	एन.एच.-24 सुधार परि.	0.47	19.48	31.60
34.	(आई डी पी-102)	मदरास सीवरेज परि.	2.46	33.65	2.15
35.	(आई डी पी-103)	लेक भोपाल कन. एंड मैनेजमेंट परि.	17.65	24.7	35.39
36.	(आई डी पी-104)	राजस्थान वानिका विकास परि.	29.32	29.97	24.24
37.	(आई डी पी-105)	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परि.	3.20	3.61	2.17
38.	(आई डी पी-106)	आई.सी.आई.सी.आई. कार्यक्रम	0.00	0.00	47.98
39.	(आई डी पी-107)	धौलीगंगा एच.ई.पी.	7.88	28.20	57.63
40.	(आई डी पी-108)	अनपारा विद्युत पारेषण परि.	45.62	48.99	49.35
41.	(आई डी पी-109)	बंगलौर जलापूर्ति परि.	23.88	105.97	150.03
42.	(आई डी पी-110)	अरबन सिटी जलापूर्ति परि.	33.98	198.63	46.72
43.	(आई डी पी-111)	अटटापैडी परती भूमि परि.	0.21	3.82	4.46
44.	(आई डी पी-112)	गुजरात वानिकी परि.	110.04	118.17	119.45
45.	(आई डी पी-113)	के.सी. कैनाल परि.	3.56	56.43	58.61
46.	(आई डी पी-115)	पीपावाव शिप ब्रेकिंग परि.	80.77	69.92	24.95
47.	(आई डी पी-116)	उत्तर भारत पारेषण प्रणाली परि.	0.00	10.79	10.35
48.	(आई डी पी-117)	प. बंगाल पारेषण प्रणाली परि.	2.55	25.45	68.05
49.	(आई डी पी-118)	उमियाम पनबिजली केन्द्र परि.	0.00	0.62	8.17
50.	(आई डी पी-119)	टूरियाल पनबिजली परि.	0.00	8.15	7.08
51.	(आई डी पी-120)	सिंहाद्री ताप विद्युत परि.	239.64	361.51	96.31
52.	(आई डी पी-121)	दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परि.	8.76	41.49	47.98
53.	(आई डी पी-122)	कलकत्ता परिवहन प्रणाली परि.	2.82	19.46	39.42
54.	(आई डी पी-123)	केरल जलापूर्ति परि.	0.00	0.00	0.00
55.	(आई डी पी-124)	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परि.	78.13	84.84	101.87
56.	(आई डी पी-125)	तमिलनाडु वनीकरण परि.	58.91	78.13	89.73
57.	(आई डी पी-126)	राजघाट कनाल सिंचाई परि.	20.19	32.22	55.78

1	2		3	4	5
58.	(आई डी पी-127)	सिंहाद्री, एवं विजाग पारे. प्रणाली परि.	0.00	2.45	124.28
59.	(आई डी पी-128)	श्रीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र परि. 3	46.71	148.38	124.97
60.	(आई डी पी-129)	धौलीगंगा एच.ई.पी.-2	0.00	76.35	79.58
61.	(आई डी पी-130)	बक्रेश्वर ताप विद्युत परि.-2	379.61	438.80	156.33
62.	(आई डी पी-131)	तूतीकोरन पत्तन तलकर्षण परि.	0.16	200.65	4.87
63.	(आई डी पी-132)	पंजाब वनीकरण परि.	19.53	33.19	80.65
64.	(आई डी पी-133)	मध्य प्रदेश रेशम पालन परि.	1.77	5.54	4.80
65.	(आई डी पी-134)	मणिपुर रेशम पालन परि.	7.38	6.19	3.27
66.	(आई डी पी-135)	रेंगली सिंचाई परि.	21.80	41.28	36.64
67.	(आई डी पी-136)	लघु उद्योग विकास कार्यक्रम	300.50	बन्द	बन्द
68.	(आई डी पी-137)	बक्रेश्वर टी.पी.एस. युनिट-3 विस्तार परियोजना-2	0.00	167 83	91.02
		जोड़	2941.43	3779.51	2712.69

विगत तीन वर्षों के दौरान जापानी सहायता अनुदान परियोजनाओं के अंतर्गत संवितरण

जापानी अनुदान सहायता				(करोड़ रु.)
1.	पोलियो मेलिटिस उन्मूलन परियोजना	11.7	बन्द	बन्द
2.	पोलियो मेलिटिस उन्मूलन परियोजना	–	33.15	बन्द
3.	पोलियो मेलिटिस उन्मूलन परियोजना	–	–	39.00
	जोड़	11.7	33.15	39.00

उक्त 2 और 3 के अनुदानों के लिए जापान सरकार तथा यूनिसेफ के बीच हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार हस्ताक्षरकर्ता नहीं थी, राशि भारत सरकार के खाते के माध्यम से संवितरित नहीं हुई।

[अनुवाद]

महिला उद्यमियों के लिए ऋण

3000. श्री विजय गोयल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बैंकों ने महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए समनविता नामक एक गैर-सरकारी संस्था की शुरुआत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो एस.बी.आई. द्वारा व्यवसाय-वार कितनी महिलाओं को इसके अंतर्गत लाया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। कुछ बैंकों ने महिलाओं को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए योजना तैयार की है। उक्त योजनाओं का भारतीय रिजर्व बैंक से यथा उपलब्ध ब्यौरा निम्नलिखित है:

(1) **बैंक आफ इंडिया प्रियदर्शनी योजना:** इस योजना के तहत महिलाओं को लघु उद्योग की स्थापना, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग तथा मशीनों और कार्य स्थल इत्यादि, लोक वाहन आदि की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बैंकों ने महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये की ऋण सीमा तक ब्याज दर में 1 प्रतिशत की रियायत दे रही है।

(2) **बैंक आफ बड़ौदा:** बैंक के पास गुजरात में दुग्ध उत्पादन हेतु ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना है।

(3) **सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया:** 1995-96 में लागू कल्याणी जैसी योजना महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू की गई है।

(4) **ओरियंटल बैंक आफ कामर्स :** बैंक के पास केवल महिलाओं के लिए ओरियंटल महिला विकास योजना नामक एक विशेष योजना है। इस योजना में रियायती शर्त पर महिला उद्यमी की ऋण आवश्यकता को पूरा किया जाना शामिल है। इसमें 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की ऋण के लिए ब्याज दर में 2% की रियायत एवं 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि पर ब्याज दर में 1% की रियायत है। 25% की सामान्य मार्जिन की तुलना में 15% तक की रियायत मार्जिन की अनुमति दी गई है। इन खातों में प्रक्रिया शुल्क/प्रत्यक्ष शुल्क प्रभार्य नहीं है।

(5) **भारतीय स्टेट बैंक:** बैंक द्वारा निरूपित श्री शक्ति पैकेज योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए है। इस योजना के तहत प्रवर्तकों के मार्जिन एवं ब्याज दर में छूट है। इस योजना का लक्ष्य इच्छुक महिलाओं को उद्यम निपुणता प्रदान करना भी है तथा यह योजना रियायती शर्तों पर ऋण पैकेज देता है।

(6) **सिंडिकेट बैंक की छोटी बचत योजना:** यह योजना प्रतिदिन की बचत योजना है जिसमें महिला उद्यमियों का एक बड़ा भाग शामिल है।

(7) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विकलांग महिला विकास योजना:** यह योजना विकलांग महिलाओं को स्व-रोजगार शुरू करने हेतु वित्त सुविधा देने पर विचार करती है। शारिरिक रूप से विकलांग महिलाओं की पहचान की जाती है तथा स्थानीय तौर पर उपयुक्त व्यवसाय शुरू करने की उनकी योग्यता को सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी उत्पादक उद्यम को शुरू करने के लिए 25000/- रुपये का वित्त प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) समन्विता ग्राम उन्नयन समिति (समन्विता) एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसे 1978 में गठित किया गया था जिसमें भारत सरकार, उड़ीसा सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का प्रतिनिधित्व है। समन्विता की देख-रेख सरकारी निकाय द्वारा की जाती है, जिनमें राज्य सरकार/बैंक/नाबार्ड के जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिनियुक्ति परियोजना निदेशक समन्विता के प्रतिदिन के कार्य की देख-रेख करते हैं।

समन्विता का पश्चिमी उड़ीसा के कान्धामाला जिले (फूलबनी जिले के रूप में भी प्रचलित) में जनजातिय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के विकास के कई लक्ष्य हैं। इनमें व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, स्थानीय तौर से उपलब्ध वन एवं कृषि उत्पाद का प्रदर्शन एवं प्रसंस्करण, सफाई एवं स्वच्छता के लिए जनजाति लोगों (महिला एवं पुरूष दोनों) को शिक्षित करना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाना आदि बहुतेरे क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ङ) महिलाओं की एसएचजी/लघु उद्योग के सन्दर्भ में समन्विता द्वारा किए गए महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति निम्नलिखित है:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	महिलाओं की संख्या	कारोबार	खर्च राशि (रुपये)
1	2	3	4
स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के लिए महिला शक्ति प्रदान करना	1157	महिला शक्ति	28925.00
पीएमआरवाई प्रशिक्षण	11	लघु व्यवसाय	4620.00

1	2	3	4
नाबार्ड परियोजना	133	लीफ प्लेट बनाना	4800.00
	512	मसाला प्रसंस्करण	35000.00
	30	अगरबत्ती बनाना	4000.00
मसाला बोर्ड	682	कार्बनिक मसाला	105000.00
यूएनडीपी परियोजना	438	क्षमता वर्धन	23164.00
डीआरडीए परियोजना	33	सीसल फाइबर हस्तकरघा	39600.00
	02	टेलरिंग	2400.00
यूनिसेफ परियोजना	15	राजमिस्त्री प्रशिक्षण	9000.00
स्वच्छता जागृति	217	स्वच्छता जागृति	10850.00
उद्योगिनी परियोजना	20	लघु उद्यमी	25000.00
आईटीडीए	15	कंप्यूटर प्रशिक्षण	90000.00
	120	टंकण/आशुलिपि	21600.00
एचआरडी	32	अनौपचारिक शिक्षा	92500.00
कुल			496459.00

चुंगी/प्रवेश शुल्क में रियायत

3001. श्री एम. चिन्नासामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निर्यात होने वाले खाद्य पदार्थों से चुंगी/प्रवेश शुल्क और अन्य स्थानीय करों (लेवी) को हटा लेने के लिए राज्य सरकारों को राजी कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार निर्यात वाले खाद्य उत्पादों पर लगाए गए राज्य करों को समाप्त करने की वकालत करती रही है ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके। राज्य सरकारों की इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आय

3002. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों ने इस वर्ष अपने समग्र कार्य-निष्पादन की दिशा को बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य-निष्पादन बजट के मुताबिक 12 लाभकारी इकाईयों की आय गत वर्ष के 623.47 करोड़ रुपये के लाभ से बढ़कर 679.96 करोड़ रुपये होगी;

(घ) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक उत्साहजनक रूझान कहा जा सकता है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का भी ब्यौरा क्या है जिनसे वर्ष 2001-2002 के दौरान लाभ की उम्मीद की जाती है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) दिनांक 27-2-2001 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 के अनुसार जिस अवधि तक की सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवल लाभ वर्ष 1998-99 के 13203 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1999-2000 के दौरान 14555 करोड़ रुपये हो गया है।

(ग) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के निष्पादन बजट 2001-2002 के अनुसार इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों का वर्ष 2000-01 के दौरान 623.47 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ बढ़कर वर्ष 2001-2002 के दौरान 679.96 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

(घ) चूंकि लाभकारिता इत्यादि से सम्बन्धित अंतिम आंकड़े वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होंगे, इसलिए प्रवृत्ति का पता लगाना असामयिक है।

(ङ) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के निष्पादन बजट 2001-2002 के अनुसार इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 और उद्यमों द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 99.49 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान 33.37 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने की आशा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों द्वारा लाभ अर्जित किए जाने का अनुमान है, उनकी सूची दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष 2000-01 के दौरान लाभ/हानि (-) (अनुमानित)	वर्ष 2001-02 के दौरान लाभ (लक्ष्य)
1.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	(-) 6.22	0.27
2.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	(-) 4.50	0.59
3.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.	0.50	1.50
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	0.29	0.11
5.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर लि.	(-) 3.50	0.50
6.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	(-) 52.29	1.83
7.	एचएमटी लि.	(-) 14.84	20.27
8.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	(-) 20.47	2.45
9.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	(-) 0.15	0.88
10.	नेपा लि.	1.69	4.97
	जोड़	(-) 99.49	33.37

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए अध्ययन समूह

3003. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के उद्देश्य से गठित अध्ययन समूह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में पहचान किये गए जिले कौन-कौन से हैं;

(ग) इस रिपोर्ट की अन्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) श्रेणी ''क'' और श्रेणी ''ख'' के राज्यवार जिले संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) अधिक पात्र जिलों पर जोर देने के लिए समीक्षा दल ने संयुक्त कट आफ इंडेक्स में संशोधनों की सिफारिश की थी। इसने संयुक्त सूचकांक स्तर के आधार पर उद्योग विहीन जिलों तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जिलों को शामिल करने की भी सिफारिश की थी।

(घ) सरकार ने पिछड़े जिलों को श्रेणी ''क'' और श्रेणी ''ख'' घोषित करके उक्त रिपोर्ट को लागू कर दिया है। 250 तक के संयुक्त सूचकांक वाले जिलों को श्रेणी ''क'' में और 251 से 500 तक के संयुक्त सूचकांक वाले जिलों को श्रेणी ''ख'' में रखा गया है। ''उद्योग विहीन जिलों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के जिलों और बिना रेल सम्पर्क वाले जिलों को भी श्रेणी ''क'' में रखा गया है। सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80झ क के अंतर्गत उपर्युक्त आधार पर वित्तीय लाभों को प्रदान किया है। श्रेणी ''क'' के जिले पांच वर्षीय करावकाश और अनुवर्ती पांच वर्षों में लाभों के 25% (कंपनियों के मामले में 30%) की कटौती के पात्र हैं। इसके बजाए श्रेणी ''ख'' के जिले अगले पांच वर्ष के लिए इसी तरह की कटौती सहित तीन वर्षीय करावकाश का लाभ प्राप्त करते हैं। उक्त लाभ उन उपक्रमों द्वारा उठाया जा सकता है जो दिनांक 31.3.2002 को अथवा उससे पहले विनिर्माण अथवा उत्पादन प्रारंभ करते हैं।

विवरण

क- औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की ''क'' श्रेणी

1.	गोड्डा	बिहार
2.	गुमला	बिहार
3.	अररिया	बिहार
4.	मधेपुरा	बिहार
5.	दुमका	बिहार
6.	खगरिया	बिहार
7.	किशनगंज	बिहार
8.	पलामू	बिहार
9.	मधुबनी	बिहार
10.	जहानाबाद	बिहार
11.	सहरसा	बिहार
12.	नबादा	बिहार
13.	सीतामढ़ी	बिहार
14.	साहेबगंज	बिहार
15.	औरंगाबाद	बिहार
16.	पूर्वी चम्पारन	बिहार
17.	पूर्णिया	बिहार
18.	सिवान	बिहार
19.	वैशाली	बिहार
20.	लोहरदग्गा	बिहार
21.	दि डंगल	गुजरात
22.	बेयांड	केरल
23.	इदुक्की	केरल
24.	गडचिरौली	महाराष्ट्र
25.	मांडला	मध्य प्रदेश
26.	सरगुजा	मध्य प्रदेश
27.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश

28.	पन्ना	मध्य प्रदेश
29.	बस्तर	मध्य प्रदेश
30.	फुलबनी	उड़ीसा
31.	कालाहान्डी	उड़ीसा
32.	जालौर	राजस्थान
33.	बाड़मेर	राजस्थान
34.	जैसलमेर	राजस्थान
35.	चुरू	राजस्थान
36.	बांसवाड़ा	राजस्थान
37.	सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश
38.	बहराईच	उत्तर प्रदेश
39.	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
40.	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश
41.	बांदा	उत्तर प्रदेश
42.	बस्ती	उत्तर प्रदेश
43.	चमौली	उत्तर प्रदेश
44.	उत्तर काशी	उत्तर प्रदेश
45.	अल्मोड़ा	उत्तर प्रदेश
46.	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
47.	टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
48.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
49.	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
50.	बंकूरा	पश्चिम बंगाल
51.	जलपाई गुड़ी	पश्चिम बंगाल
52.	माल्डा	पश्चिम बंगाल
53.	पूर्वी दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल

ख-औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की ''ख'' श्रेणी

1.	श्रीकाकूलम	आंध्र प्रदेश
2.	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश
3.	कटिहार	बिहार
4.	भागलपुर	बिहार
5.	गोपालगंज	बिहार
6.	दरभंगा	बिहार
7.	पूर्वी चंपारन	बिहार
8.	सारन	बिहार
9.	भोजपुर	बिहार
10.	समस्तीपुर	बिहार
11.	देवघर	बिहार
12.	नालन्दा	बिहार
13.	गया	बिहार
14.	मुजफ्फरपुर	बिहार
15.	रोहतास	बिहार
16.	बनासकांठा	गुजरात
17.	साबरकांठा	गुजरात
18.	बिदर	कर्नाटक
19.	सिओनी	मध्य प्रदेश
20.	टिकमगढ़ी	मध्य प्रदेश
21.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
22.	बालाघाट	मध्य प्रदेश
23.	झाबुआ	मध्य प्रदेश
24.	सिद्धि	मध्य प्रदेश
25.	विदिशा	मध्य प्रदेश
26.	रायगढ़	मध्य प्रदेश
27.	मुरेना	मध्य प्रदेश
28.	बैतूल	मध्य प्रदेश
29.	राजगढ़	मध्य प्रदेश
30.	राजनन्दगांव	मध्य प्रदेश
31.	सागर	मध्य प्रदेश

32.	बीड़	महाराष्ट्र
33.	बोलनगीर	उड़ीसा
34.	मयूरभंज	उड़ीसा
35.	बालासोर	उड़ीसा
36.	गंजाम	उड़ीसा
37.	डूंगरपुर	राजस्थान
38.	धोलपुर	राजस्थान
39.	सवाई माधोपुर	राजस्थान
40.	टोंक	राजस्थान
41.	नागौर	राजस्थान
42.	झालावाड़	राजस्थान
43.	सीकर	राजस्थान
44.	हरदोई	उत्तर प्रदेश
45.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश
46.	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश
47.	बदाऊं	उत्तर प्रदेश
48.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
49.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
50.	एटा	उत्तर प्रदेश
51.	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
52.	इटावा	उत्तर प्रदेश
53.	देवरिया	उत्तर प्रदेश
54.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
55.	बलिया	उत्तर प्रदेश
56.	जौनपुर	उत्तर प्रदेश
57.	सीतापुर	उत्तर प्रदेश
58.	जालौन	उत्तर प्रदेश
59.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश
60.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
61.	कानपुर देहात	उत्तर प्रदेश
62.	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश
63.	गोंडा	उत्तर प्रदेश
64.	फर्रूखाबाद	उत्तर प्रदेश
65.	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश
66.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
67.	मऊ	उत्तर प्रदेश
68.	पुरूलिया	पश्चिम बंगाल
69.	वीरभूम	पश्चिम बंगाल
70.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल

*जिलों की सूची में दर्शाए गए राज्य वे हैं जो झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ के राज्य बनाने से पूर्व राज्य में स्थित थे।

[अनुवाद]

एफ.सी.आई. के पास खुले पड़े गेहूं का स्टाक

3004. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मई, 2001 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "एफ.सी.आई. गवर्नमेंट ब्लेम इच अद फॉर रेन-सॉपड व्हीट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओ आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार तथ्यों का ब्यौ क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में बड़ी मात्रा में गेहूं खुले में पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नुकसान के लि जवाबदेही तय की है;

(ङ) क्या एफ.सी.आई. की भंडारण प्रणाली को और आधुनि बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठा गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) जी, हां। रि

विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में नजफगढ़ और नरेला मंडियों में 50000 टन गेहूं की वसूली की है। तथापि, वसूल किए गए कुछ गेहूं पर बेमौसमी बरसात हुई थी और इसे भारतीय खाद्य निगम के डिपु में भेज दिया गया था तथा इस वसूल किए गए गेहूं के स्टाक को कोई क्षति नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) खाद्यान्नों की भण्डारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने तथा खाद्यान्नों की बल्क हैंण्डलिंग, भण्डारण, और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इस नीति में खाद्यान्नों की बल्क हैंण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसे चलाने हेतु देश और विदेश के सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों का इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई है। नीति में ''बनाओ और चलाओ'' आधार पर भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए निजी क्षेत्र द्वारा परम्परागत भण्डारण गोदाम बनाने और चलाने की परिकल्पना भी की गई है।

[हिन्दी]

प्रोग्रैमरों के रिक्त पद

3005. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल नेटवर्क में प्रोग्रामरों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या इन रिक्तियों के कारण ऑल इंडिया रेडियो के विशाल नेटवर्क के कार्यकलापों पर असर पड़ा है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी में निम्नलिखित संख्या में कार्यक्रम पद रिक्त हैं:-

1.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	-	16
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	-	52
3.	वरिष्ठ टाइम स्केल	-	100
4.	कनिष्ठ टाइम स्केल	-	106
5.	कार्यक्रम कार्यपालक	-	198
6.	प्रसारण कार्यपालक	-	736

(ग) और (घ) इन पदों को निम्नलिखित कारणों से नहीं भरा जा सका :-

(1) मितव्ययिता उपाय के रूप में, रिक्त पदों को भरने पर रोक लगाई गई है तथा ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि यदि कोई पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़ा है तो उसे समाप्त माना जाएगा;

(2) प्रसार भारती की स्थापना के बाद, संघ लोक सेवा आयोग ने प्रसार भारती में पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों/भर्ती से अपने आप को अलग कर लिया है और प्रसार भारती संस्थान के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था करने में समय लगेगा।

(ङ) जी, नहीं। वर्तमान में, आकाशवाणी में आवश्यकतानुसार स्टाफ की पुनर्तैनाती करके कार्यकलापों को जारी रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले उपक्रमों का विनिवेश

3006. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले कतिपय उपक्रमों का विनिवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के विनिवेश के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की घोषित विनिवेश नीति के अनुसरण में, एक चल रही प्रक्रिया के आधार पर विनिवेश पर विचार किया जा रहा है तथा विनिवेश किया जा रहा है। इसके अनुसार, साधारण मामलों में केन्द्रीय सार्वजनक क्षेत्र के गैर-सामरिक उद्यमों में सरकारी

इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या इसके निचले स्तर तक नीचे लाया जाएगा। सार्वजनक क्षेत्र के सामरिक उद्यम वे हैं जो हथियारों और गोला बारूद, रक्षा उपस्करों आदि के संबद्ध मदों; नाभिकीय विद्युत के उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों, विकिरण का उपयोग, कृषि के लिए आईसोटोप्स, गैर-सामरिक उद्योगों में औषधियों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा; और रेल यातायात। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम शामिल हैं चाहे वे हानि उठाने वाले हों अथवा लाभ कमाने वाले। निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है:

एयर इण्डिया, सी एम सी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इण्डियन एयर लाइन्स, आइ बी पी लि., इंडियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेटस लि., स्पोन्ज आइरन इंडिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेंन्टेशन लि., जेसप एण्ड कंपनी लि., नेपा लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि., एच टी एल लि., एन आइ डी सी., भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स, हिन्दुस्तान साल्टस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड। इनमें से जो 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार हानि उठाने वाले थे, इस प्रकार हैं:

एयर इण्डिया, हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि., पैरादीप फास्फेट लि., स्पोन्ज आइरन इण्डिया लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., जेसप एण्ड कंपनी लि., भारत ब्रेक्सन एण्ड वाल्वस लि., एन आइ डी सी, भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स, हिन्दुस्तान साल्टस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड।

(ग) सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश पूर्व निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। एक जटिल अनुकूल बिक्री/विनिवेश में, अन्य बातों के साथ-साथ सौदे के पूरा होने से पहले सलाहकारों का चयन, संभावित बोलीदाताओं से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करना, सार्वजनक क्षेत्र के उपक्रमों का विधिवत अध्यवसाय, शेयर धारक करार/शेयर खरीद करार नामक सौदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देना, वित्तीय/तकनीकी बोलियां आमंत्रित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्य निर्धारण इत्यादि शामिल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

आई.एफ.सी.आई. में आरक्षित पदों का भरा जाना

3007. डा. संजय पासवान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई.एफ.सी.आई.) ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश पर अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को भरने के लिए वर्ष 2000 के दौरान विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.एफ.सी.आई. द्वारा आरक्षित पदों पर कितने लोगों की नियुक्तियां की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई लि.) ने अक्तूबर, 2000 में अधिकारी संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था।

(ख) सहायक महाप्रबंधक (विधि) का एक पद (अ.जा.-1) और प्रबंधक (वित्त) के छः पद (अ.जन.-4) (अ.ज.जा.-2) भरने के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित किए गए थे।

(ग) एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी सहायक महाप्रबंधक (विधि) के पद के लिए और छः अभ्यर्थी (अ.जा.-4) (अ.ज.जा.-2) प्रबंधक (वित्त) के पद के लिए नियुक्त किए गए हैं और उन्हें नियुक्ति-पत्र भेजे जा रहे हैं।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

3008. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कितना ऋण लिया गया;

(ख) उन वर्षों के दौरान एडीबी के ऋण से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या आगामी चार वर्षों के लिए एडीबी से ऋण सहायता को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एडीबी के ऋण से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होने जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले तीन कलैन्डर वर्षों में एशियाई विकास बैंक से सरकार द्वारा ली गई ऋण राशि इस प्रकार हैं

1998	:	250 मिलियन अमरीकी डालर
1999	:	425 मिलियन अमरीकी डालर
2000	:	600 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक चालू परियोजनाओं को कलैन्डर वर्ष के आधार पर और कभी-कभी परवर्ती वर्ष में अक्तूबर और दिसम्बर के मध्य में पूर्ण करता है। वर्ष 2001 के कलैन्डर वर्ष के दौरान, एशियाई विकास बैंक ने अब तक गुजरात भूकम्प पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर ऋण स्वीकृत किया है। वर्ष 2001 के कलैन्डर वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं और उनके ब्यौरे की जानकारी एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण सम्बन्धी बातचीत सम्पन्न होने और इन ऋणों के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद मिलेगी:

1. मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना
2. मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र कार्यक्रम ऋण
3. पश्चिमी परिवहन गलियारा विकास परियोजना
4. पश्चिमी बंगाल गलियारा विकास परियोजना
5. निजी क्षेत्र ढांचागत सुविधा-2 परियोजना
6. ताज पर्यावरण सुधार परियोजना

जापानी कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

3009. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 300 करोड़ रुपये से भी अधिक के कर अपवंचन के लिए सैंकड़ों जापानी कर्मचारियों और कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत विदेशी नागरिकों को उनके वेतनों पर आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर अदा करने के लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयकर कानूनों के अंतर्गत, भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रवासी कर्मचारियों को भारत में और विदेश में किए गए सभी भुगतान भारत में कराधेय हैं। नियोजक भारत में अथवा विदेश में भुगतान किए गए ऐसे वेतन, भत्तों और अनुलाभों पर स्रोत पर कर की कटौती करने तथा उसे सरकार को प्रेषित करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण अर्थदंड और चूककर्ताओं पर अभियोजन के लिए आयकर अधिनियम में उपबंध भी विद्यमान हैं। प्रवासी कर्मचारियों और उनके नियोजकों द्वारा कर कानूनों के अनुपालन हेतु कानून के ये उपबंध पर्याप्त समझे जाते हैं। जब कभी प्रवासी कर्मचारियों अथवा नियोजकों द्वारा कर कानूनों के अनुपालन में कोई चूक जानकारी में आती है, तो विभाग कार्रवाई भी करता है।

आयकर कानून

3010. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री के. मुरलीधरन:
डा. रमेश चंद तोमर:
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री जय प्रकाश :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि आयकर कानून को अधिक से अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने और करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु वर्तमान आयकर कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इस तरह की समीक्षा कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) आयकर अधिनियम की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है और बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हर वर्ष समीक्षा की जाती है। सरकार को अपने उचित करों का भुगतान करने हेतु करदाताओं को प्रेरित करने की दृष्टि से आयकर कानून का यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण भी एक चालू प्रक्रिया है।

पिछले वर्षों के दौरान ऐसे अनेक संशोधन किए गए थे। उक्त संशोधन अधिकांशतः उपभोक्ता अनुकूल रहे हैं और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार लाने की दिशा में निर्देशित हैं। कर कानूनों में ऐसे संशोधनों के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में करदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) अतः, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरी सहकारी बैंक

3011. श्री वाई.जी महाजनः
श्री रामदास रुपला गावीतः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चल रहे शहरी सहकारी बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी सहकारी बैंकों के संचालन पर कोई नियंत्रण हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2000 को देश में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों की संख्या का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) के कुछ प्रावधानों का विस्तार करके शहरी सहकारी बैंकों को अन्य सहकारी बैंकों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। प्रारम्भ में सहकारी बैंक संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं। लाइसेंसिंग, शाखा लाइसेंसिंग, परिचालन क्षेत्र, निवेश मानदंडों, ब्याज दरों आदि जैसे बैंकिंग से संबंधित कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों एवं विनियमों द्वारा संचालित होते हैं, सहकारी बैंकों का निगमन एवं पंजीकरण, प्रबंधन, परिसमापन, समापन, आमेलन, आदि जैसे कार्य राज्य सरकारों द्वारा संबंधित समिति अधिनियमों द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

देश में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे (दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–
2.	आंध्र प्रदेश	170
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	असम	13
5.	बिहार	11
6.	चंडीगढ़	–
7.	दादरा एवं नागर हवेली	–
8.	दमन एवं दीव	–
9.	गोवा	7
10.	गुजरात	359
11.	हरियाणा	8
12.	हिमाचल प्रदेश	5
13.	जम्मू एवं कश्मीर	4
14.	कर्नाटक	322
15.	केरल	64
16.	लक्षद्वीप	–
17.	मध्य प्रदेश	90
18.	महाराष्ट्र	658
19.	मणिपुर	5
20.	मेघालय	3
21.	मिजोरम	1
22.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	21
23.	नागालैंड	1

1	2	3
24.	उड़ीसा	14
25.	पांडिचेरी	2
26.	पंजाब	6
27.	राजस्थान	44
28.	सिक्किम	–
29.	तमिलनाडु	137
30.	त्रिपुरा	1
31.	उत्तर प्रदेश	82
32.	पं. बंगाल	55
	कुल	2083

[अनुवाद]

बैंक धोखाधड़ी

3012. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग प्रणाली में नए सिरे से प्रणालीगत परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित बैंकों में कुल कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में बैंकों को समय-समय पर आम धोखाधड़ी की संभावना वाले क्षेत्रों और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बताता रहा है। इन उपायों में घोष समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन शामिल है, जिसने वर्ष 1991 में बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ियों और भ्रष्टाचार, 50 प्रतिशत व्यवसाय के लिए उत्तरदायी शाखाओं को शामिल करते हुए समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली शुरू करने, प्रतिभूति फार्म की समुचित सुरक्षा एवं रखरखाव, 10 लाख रु. और इससे अधिक की जमाराशि एवं आहरण की निगरानी करना और कर्मचारियों का आवधिक आवर्तन आदि की पुनरीक्षा की थी। बैंक-वित्तपोषित इक्विटी एवं शेयरों में निवेश के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी रूपों में बैंक द्वारा पूंजी बाजार में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों निवेश सहित कुल निवेश के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की है।

(ग) पिछले 3 कैलेन्डर वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में की गई धोखाधड़ियां निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपये में)

कैलेन्डर वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
1998	1855	481.04
1999	1839	536.63
2000	1858	538.56

[हिन्दी]

भारतीय जन-संचार संस्थान

3013. श्री रामजीवन सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के 'दैनिक जागरण' में ''जन-संचार संस्थान का दीक्षांत समारोह 37 में 15 छात्रों का दीक्षा लेने से इंकार'' गुरूओं पर आरोप लगाये शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो छात्रों द्वारा इस संस्थान के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाए किए गए हैं; और

(घ) भविष्य में छात्रों के असंतोष पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) आरोप मुख्यतया हिन्दी पत्रकारिता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के आयोजन से संबंधित थे।

(ग) और (घ) संस्थान द्वारा मामले की जांच की गयी थी तथा तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए गए थे। शैक्षिक सत्र 2001-

2002 हेतु हिन्दी पत्रकारिता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक नए पाठ्यक्रम समन्वयक को नियुक्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

वृद्धि दर

3014. श्री मंजय लाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू बचत के संदर्भ में पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में वृद्धि दर में आई गिरावट को रोकने और इसकी लक्षित दर को हासिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): योजना आयोग द्वारा प्रकाशित नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के मध्यावधि मूल्यांक के अनुसार घरेलू बचतों में मुख्य कमी सरकारी क्षेत्र में रही है जो लक्ष्य से 70 प्रतिशत कम है। केन्द्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होने और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आन्तरिक संसाधनों को आशा से काफी कम जुटाने दोनों के कारण ही ऐसा हुआ। राजकोषीय सुदृढ़ता हासिल करने की दृष्टि से वर्ष 2001-2002 के बजट में केन्द्रीय सरकार के व्यय के संघठन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यय प्रबंध, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता पर जोर दिया गया। इस प्रयोजन हेतु बजट में कई उपाय किये गए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ कुल सिविलियन स्टाफ-संख्या के एक प्रतिशत तक ही नई भर्ती को सीमित रखना, सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों में इन सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ब्याज भार को कम करने के लिए अधिकांश लागू ब्याज दरों में 1 मार्च, 2001 को 1.5 प्रतिशत की कमी की गई। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 संसद में पेश किया गया। इस विधेयक में ऋण, घाटे और उधार की उच्चतम सीमा से संबंधित उपबंध शामिल है। यह केन्द्र सरकार का प्रयास भी है कि वह उनके वित्त में सुधार लाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करें। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्यों को अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए पांच वर्षों के लिए 10,607 करोड़ रुपये की एक प्रोत्साहन निधि निर्धारित की गई। अर्थव्यवस्था में सम्मिलित कुल बचतों में वृद्धि करने के लिए ऐसे पैरामीटरों में सुधार लाने की भी आवश्यकता है। जिनका निजी बचतों पर असर पड़ता है। इनमें सार्वजनिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय मजबूती के उद्देश्य से किए गए उपायों के अतिरिक्त कर नीतियां, मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार की सक्षमता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल है। अब तक किए गए आर्थिक सुधार संबंधी विभिन्न उपायों और विशेष रूप से व्यय को नियन्त्रित करने के लिए इस वर्ष के बजट में घोषित उपायों का बचतों के सम्मिलित स्तर पर अनुकूल प्रभाव की आशा है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए समय

3015. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के मद्देनजर क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों के दूरदर्शन पर प्रसारण समय की अवधि बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में राजस्थानी बोली मारवाड़ी के लिए कितना समय दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। प्रमुख दूरदर्शन केन्द्र के उपग्रह और स्थलीय चैनल दोनों पर नियमित आधार पर अपनी प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों का प्रसारण करते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार जीतने वाली प्रादेशिक भाषा की फिल्में डीडी राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी-1) पर प्रसारित की जाती है।

[अनुवाद]

विनिर्माण क्षेत्र में यूरोपीय संघ से सहयोग

3016. श्री बी.वी. एन. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने सरकार को इंजीनियरिंग के सामानों, पूंजीगत सामानों और ऑटो कलपुर्जों के विनिर्माण क्षेत्र में यूरोपीय संघ (इयू) से सहयोग की संभावना तलाशने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने अपने यूरोपीय संघ (ई.यू.) के सहयोगियों के साथ, विनिर्माणकारी क्षेत्र,

जिसमें इंजीनियरिंग के सामान, पूंजीगत सामान और ऑटो कलपुर्जे शामिल हैं, में सहयोग की संभावना तलाशने से संबंधित संयुक्त अध्ययनों के लिए पहल की है। यह पहल दिनांक 28.06.2000 को लिस्बन में आयोजित प्रथम भारत- यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 'कार्यवाही हेतु कार्यसूची' की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में है और इसकी अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग में भ्रष्टाचार

3017. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध गत वर्ष शिकायतें मिली हैं;

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या गत एक वर्ष में सी बी आई ने आयकर अधिकारियों के यहां कई बार छापे मारे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन छापों के दौरान सीबीआई को इन अधिकारियों के कई बैंक खातों, जेवरातों और बड़ी मात्रा में संपत्ति का पता लगा है,

(च) यदि हां, तो आयकर के कितने अधिकारियों के यहां छापे पड़े,

(छ) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) आयकर विभाग में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, भ्रष्टाचार के कुछ मामले आयकर विभाग को सूचित किये गए हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान आयकर विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध क्रमश: कुल 980 और 453 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में से अधिकांशतया गुमनाम और झूठे नामों की थीं जो प्रमाणित करने योग्य नहीं हैं।

(ग) वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध 255 शिकायतों का प्रारंभिक सत्यापन किया गया था और विभागीय संतर्कता एजेंसी द्वारा 46 शिकायतों को जांच के लिए हाथ में लिया गया था। अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में, 107 शिकायतों के प्रारंभिक सत्यापन/जांच के लिए हाथ में लिया गया था। इस अवधि के दौरान 37 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाईयां शुरू की गई थीं तथा 21 मामलों में अर्थदंड लगाया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) कुछ कीमती सामान की जब्ती की गई है। तथापि, जब्तियों का सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अन्वेषण ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होनी हैं।

(च) गत वर्ष के दौरान आयकर विभाग के 9 अधिकारियों के यहां छापे मारे गए थे।

(छ) छ: अधिकारियों को निलंबित किया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

(ज) आयकर विभाग में पुनर्गठित ढांचे की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी जिससे काफी सीमा तक भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इस विभाग के सतर्कता तंत्र को भी वर्तमान आयकर निदेशालय (जांच) के दर्जे को आयकर महानिदेशालय (जांच) के स्तर तक बढ़ा करके सुदृढ़ किया गया है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में 4 क्षेत्रीय आयकर निदेशालयों (सतर्कता) का सृजन किया गया है।

[अनुवाद]

अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति

3018. श्री अशोक प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों के फोरम ने सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय/आर्थिक संस्थानों के प्रबंधन बोर्ड के प्रधान/मुख्य कार्यकारियों, कार्यकारी निदेशकों, सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों जैसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पदस्थापन के संबंध में सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीआईसी, सेबी और विदेशी निवेश बोर्ड के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित पदों पर/कार्यभार के लिए कुल कितने लोगों की नियुक्तियां हुई और इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे/कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना था; और

(घ) इन पदों पर चयन हेतु गठित समितियां/बोर्ड किस तरह के/इनमें कौन-कौन सदस्य होते हैं और इन बोर्डों/समितियों में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को शामिल/सम्बद्ध करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लक्ष्य

3019. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्ष 2001-2002 के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) किस सीमा तक उक्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान दिनांक 31 जुलाई, 2001 तक तत्संबंधी स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान और वर्ष 2002-2003 के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि करने और इसकी गति तीव्र करने के लिए क्या ठोस कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के अन्तर्वाह के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, क्योंकि ये विश्व आर्थिक विकास और विश्वव्यापी निवेशकों की कार्यनीतियों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। कैलेंडर वर्ष 1998 में और इसके बाद एफ डी आई अन्तर्वाह इस प्रकार रहा है:-

वर्ष	एफ डी आई अन्तर्वाह की राशि (बिलियन अमरीकी डालर में)
1998 (जनवरी से दिसंबर)	3.38
1999 (जनवरी से दिसंबर)	4.02
2000 (जनवरी से दिसंबर)	4.50
2001 (जनवरी से जून)	1.78

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तुत दस्तावेज में 2002-07 की अवधि के लिए 22.5 बिलियन अमरीकी डालर के एफ डी आई अन्तर्वाह अर्थात् 4.5 बिलियन अमरीकी डालर के औसत वार्षिक अन्तर्वाह का अनुमान लगाया गया है।

एफ डी आई नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि इसे और अधिक निवेश-अनुकूल बनाया जा सके। सरकार ने एफ डी आई परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ आई आई ए) की भी स्थापना की है, जो विदेशी निवेशकों और विभिन्न अनुमोदन प्राधिकरणों के बीच एक ही स्थान पर परस्पर संपर्क स्थापित करने का कार्य करेगा।

[अनुवाद]

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

3020. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के कम्प्यूटरीकृत बैंकों की ए.टी.एम. सुविधा वाली शाखाओं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण और उनमें ए.टीएम. सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उन शाखाओं को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है जहां ए टी एम पहले से ही स्थापित किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी बैंक दिनांक 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार अपना 70 प्रतिशत कारोबार कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2002 के अंत तक विभिन्न शाखाओं में लगभग 900 और ए टी एम लगाने का लक्ष्य रखा है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थापित किए गए एटीएम

इलाहाबाद बैंक	बिहार	मेन, ब्रांच, गया रोड, पटना
	झारखंड	जैल चर्च मार्किट काम्पलेक्स एक्स. काउन्टर रांची
	मध्य प्रदेश	एरिया कालोनी, भोपाल
	महाराष्ट्र	1. जूहू वैली, पारले,
		2. पैडर रोड, मुम्बई।
		3. वाशी, मुम्बई
	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1. चिंतरजन पार्क, नई दिल्ली।
		2. दरियागंज, नई दिल्ली।
		3. संसद मार्ग, नई दिल्ली।
	उड़ीसा	1. टैम्पल मार्ग, भुवनेश्वर।
	पंजाब	2. सिविल लाइन, जालंधर।
	उत्तर प्रदेश	1. मेन ब्रांच, हजरत गंज, लखनऊ।
		2. गोमती नगर, लखनऊ।
	पं. बंगाल	चक्र बेरिया, कोलकत्ता
आंध्र बैंक	आंध्र प्रदेश	1. सैफाबाद, हैदराबाद
		2. एस आर नगर, हैदराबाद
		3. जुबली हिल, हैदराबाद
		4. इन्टेली ग्रुप, हैदराबाद
		5. बीडीएल, कैम्पर, हैदराबाद
		6. हाईटेक, सिटी हैदराबाद
		7. सचिवालय, हैदराबाद
		8. रिंग रोड, विजयावाड़ा
		9. एयू कैम्पस, विजाग
	महाराष्ट्र	घाट कोपर (पं.) मुम्बई।
	पं. बंगाल	न्यू अलीपुर, कलकत्ता।
बैंक आफ बड़ौदा	गुजरात	1. अलकापुरी, बड़ौदा
		2. जीएनएफसी भरुच
		3. रिलांयस काम्पलैक्स, मोड़ा, सूरत।
		4. मनीनगर, मेन, अहमदाबाद।
	झारखंड	जमशेदपुर, मेन
	कर्नाटक	1. पीबीबी, एंड एमजी रोड, बंगलौर
		2. सेंड जोन, मैडिकल कालेज, बंगलौर।
	महाराष्ट्र	1. मैरिनडाइव, मुम्बई
		2. अल्टामाउंट रोड, मुम्बई
		3. नैपियन सी रोड मुम्बई।
		4. मुम्बई मेन आफिस, मुम्बई
		5. वी पी रोड, मुम्बई
		6. वर्ली, मुम्बई।
		7. चकला, अंधेरी ईस्ट मुम्बई।
		8. चैम्बूर, मुम्बई।
		9. सांताक्रूज (पं.) मुम्बई।
		10. पुणे कैम्प, पुणे।
		11. बोरीविली (पं.) मुम्बई।
		12. नासिक मेन, नासिक।
	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	संसद मार्ग, नई दिल्ली।
	तमिलनाडु	1. माइकलापुर, चैन्नई।
		2. कोयम्बटूर, मेन, कोयम्बटूर
		3. ननगम्बक्कम, चैन्नई
	उत्तर प्रदेश	आबू लेन मेरठ।

सिंडिकेट बैंक	आंध्र प्रदेश	सैनिक पुरी हैदराबाद
	गुजरात	मोतीखावेड़ी, रिलायंस काम्पलैक्स, जामनगर
	कर्नाटक	1. गांधी नगर, बंगलौर
		2. विजय नगर बंगलौर
		3. मणीपाल, अस्पताल, ई.सी, बंगलौर
		4. गंगानगर, बंगलौर
		5. के.एम.सी. उद्यपी
		6. हम्पनकटा, मंगलौर
	महाराष्ट्र	1. नरीमन पांइट, मुम्बई
		2. मुलण्ड, मुम्बई
		3. विले पार्ले, मुम्बई।
		4. वाशी आफिसर क्वार्टर नवी मुम्बई।
		5. बोरीवली मुम्बई।
		6. चैम्बूर, मुम्बई
		7. प्रभादेवी, मुम्बई
		8. मलाड, मुम्बई
		9. बजाज आटो ई.सी, पूणे
	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1. आर के पुरम
		2. मालवीय नगर
	तमिलनाडु	टी. नगर, चैन्नई
बैंक आफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1. बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई
		2. गाडकरी चौक, मुम्बई
		3. बाजीराव रोड, मुम्बई
		4. डैक्कम जिम खाना, मुम्बई
		5. वरसोवा, मुम्बई
		6. बोरीवली (पं.) मुम्बई
		7. लोखंडवाला कम्पलैक्स मुम्बई
		8. ओएनजीसी कम्पलैक्स, बांद्रा (पू.) मुम्बई
		9. ओशीवाडा, मुम्बई।
		10. पुणे मैन, पुणे
	उत्तर प्रदेश	नोएडा
सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	आंध्र प्रदेश	1. मेन आफिस, हैदराबाद
		2. सिकन्दराबाद, हैदराबाद
	चंडीगढ़	सैक्टर-22, चंडीगढ़
	गुजरात	लाल दरवाजा, अहमदाबाद
	कर्नाटक	बीटीएम लेआउट, बंगलौर
	महाराष्ट्र	1. खोदतद, स. सर्किल, मुम्बई
		2. सांताक्रूज, मुम्बई
		3. सिवन बंगलांज, मुम्बई
		4. मुम्बई मेन आफिस, मुम्बई
		5. टी.एनसी एक्स. काउन्टर, नयागन, मुम्बई
		6. डिसन जिमखाना, पुणे।
	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	लाजपत नगर, नई दिल्ली।
	तमिलनाडु	ननगबाक्कम, चैन्नई।
	उत्तर प्रदेश	मोहन नगर, लखनऊ
	पं. बंगाल	कैमिक स्ट्रीट, कलकत्ता
कारपोरेशन बैंक	हरियाणा	सिकन्दरपुर
	कर्नाटक	1. एमजीरोड, बंगलौर
		2. मोतोरोला एक्स. काउन्टर, बंगलौर
	महाराष्ट्र	1. बोरीवली पं., मुम्बई
		2. वरसोवा, मुम्बई
		3. विले पार्ले, मुम्बई
		4. कलीना मार्किट, मुम्बई
		5. बांद्रा पं., मुम्बई
		6. मलाड पं. मुम्बई।
	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1. लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली।
		2. ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

देना बैंक	गोवा	पणजी, गोवा
	गुजरात	1. आश्रम रोड, अहमदाबाद
		2. राम नगर, सूरत
		3. अल्का पुरी, वडोदरा
	केरल	एरणाकुलम
	मध्य प्रदेश	पलासिया, इंदौर
	महाराष्ट्र	1. ताड़देव, मुम्बई
		2. मालाबार हिल्स, मुम्बई
		3. आर.आर. दादर, दादर
		4. नेपियन सी रोड, मुम्बई
		5. कांदिवली वेस्ट, मुम्बई
		6. माहिम, मुम्बई सुरर्ब
		7. जुहू, विले पार्ले, मुम्बई, सुरर्ब
		8. घाट कोपर ईस्ट, मुम्बई, सुरर्ब
		9. बांद्रा वेस्ट, मुम्बई, सुरर्ब
		10. मुलंड वेस्ट, मुम्बई, सुरर्ब
		11. माहेश्वरी उद्यान, माटुंगा, मुम्बई
		12. धरमपेठ, नागपुर
		13. डेक्कन जिमखाना, पुणे
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1. दरिया गंज, नई दिल्ली
		2. करोलबाग, नई दिल्ली
	तमिलनाडु	1. टी. नगर, चेन्नई
		2. अलवरपेट, चेन्नई
	उत्तर प्रदेश	नोएडा
	पश्चिम बंगाल	रासबिहारी एवन्यू, कलकत्ता
इंडियन ओवरसीज बैंक	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद, हैदराबाद
	हरियाणा	एनएचपीसी एक्सटेंशन, फरीदाबाद
	कर्नाटक	जय नगर, वी ब्लाक, बंगलोर
	केरल	त्रिवेन्द्रम मेन
	महाराष्ट्र	1. पुणे कैन्ट, पुणे
		2. बांद्रा, मुम्बई
		3. माहिम, मुम्बई
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1. ग्रेटर कैलाश
		2. सफदरजंग एन्क्लेव,
		3. पंजाबी बाग
		4. गोल मार्केट
		5. करोलबाग
		6. प्रीत विहार
		7. लोक कला मंच
		8. न्यू राजेन्द्र नगर
		9. टालस्टाय मार्ग
		10. जनकपुरी
	पंजाब	1. पंजाब ट्रैक्टर्स लि. एक्स. काउंटर
		2. सीएमसी एक्सटेंशन काउंटर
	तमिलनाडु	1. इंदिरा नगर, चेन्नई
		2. बसंत नगर, चेन्नई
		3. गांधी पुरम, कोयम्बटूर
		4. मारामलाई नगर, कांचीपुरम
	उत्तर प्रदेश	अरुण विहार, नोएडा
	पश्चिम बंगाल	साल्ट लेक, कलकत्ता
पंजाब नेशनल बैंक	चंडीगढ़	सेक्टर 22 डी, चंडीगढ़
		सेक्टर 17, चंडीगढ़
	हरियाणा	एनआईटी, फरीदाबाद
	महाराष्ट्र	थाणे
		बांद्रा
		वरली
		वाशी

		ओपेरा हाऊस
		अणुशक्ति नगर
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	भिकाजी कामा प्लेस
		हरी नगर
		संसद मार्ग
		गुरूद्वारा रोड
		डी ब्लाक, वसंत विहार
		ईसीई हाऊस
	पंजाब	लारेन्स रोड, अमृतसर
		सिविल लाइन्स, जालंधर
		सिविल लाइन्स, लुधियाना
	राजस्थान	एम आई रोड, जयपुर
	तमिलनाडु	टी. नगर, चेन्नई
	उत्तर प्रदेश	विधान सभा मार्ग,
		हाल टाउनशिप, लखनऊ
		स्वरूप नगर, कानपुर
		नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
		आर्डरली बाजार, वाराणसी
		सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
		मऊ, मानकापुर
		बिरहाना रोड़, कानपुर
		ई/सी हाल, न्यू चाकेरी, कानपुर
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	महाराष्ट्र	1. मिथ चौक, लिंक मार्वे रोड जंक्शन मलाड (वेस्ट), मुम्बई
		2. वर्सोवा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई
		3. हिरानन्दन गार्डन्स, पोवाई मुम्बई
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1. डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली
		2. इंस्टीट्युशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली
	पंजाब	1. ग्रीन एवेन्यू, जेल रोड एरिया, अमृतसर
	राजस्थान	1. एमआई रोड, जयपुर
केनरा बैंक	आंध्र प्रदेश	1. पट्टापार्थी ब्रांच
		2. तिरूमाला ब्रांच
	कर्नाटक	1. त्रिनीति सर्कल, बंगलोर
		2. मल्लेश्वरण, बंगलोर
		3. जयनगर, बंगलौर
		4. विजय नगर, बंगलोर
		5. कनिंघम रोड, बंगलौर
		6. टाउन हाल, बंगलोर
		7. शेषाद्रिपुरम, बंगलोर
		8. कैन्ट, बंगलोर
		9. बसवांगुडी, बंगलोर
	महाराष्ट्र	1. सिवान वेस्ट, मुम्बई
		2. लोखंडवाला काम्प्लेक्स, मुम्बई
		3. सहार एयर कार्गो, मुम्बई
		4. कांदिवली ईस्ट, मुम्बई
		5. वर्सोवा, मुम्बई
		6. खार वेस्ट, मुम्बई
		7. मुलुंड वेस्ट, मुम्बई
		8. गिरगांव, मुम्बई
		9. वरली, मुम्बई
	महाराष्ट्र	10. दादर वेस्ट, मुम्बई
		11. विले पार्ले ईस्ट, मुम्बई
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1. पार्लियामेंट स्ट्रीट
		2. नेहरू प्लेस
		3. सेक्टर 12, आर.के. पुरम
		4. पदम सिंह रोड, करोलबाग
		5. हौज खास मार्केट, नई दिल्ली

	तमिलनाडु	1. थाउसंड लाइट्स, चेन्नई
		2. केलियास कोमर, चेन्नई
		3. अशोक नगर, चेन्नई
		4. तिडेल पार्क, चेन्नई
		5. टीसीएस, अम्बाट्टुर, चेन्नई
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	चंडीगढ़	1. सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़
	महाराष्ट्र	1. एल.डी. रूपारेल, मुम्बई
		2. प्रभादेवी, मुम्बई
		3. सिवान (ईस्ट), मुम्बई
		4. बान्द्रा हिल, मुम्बई
		5. मुलुंड मुम्बई
		6. ताडदेव, मुम्बई
		7. मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई
		8. नरीमन प्वाइंट, मुम्बई
		9. नेवी नगर, मुम्बई
	राष्ट्रीय राज. क्षेत्र, दिल्ली	शालीमार बाग, नई दिल्ली
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	महाराष्ट्र	1. पेद्दार रोड, मुम्बई
		2. वर्सोवा ब्रांच, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई
	राष्ट्रीय राज. क्षेत्र, दिल्ली	1. चित्तरंजन पार्क ब्रांच, नई दिल्ली
	पश्चिम बंगाल	1. पार्क स्ट्रीट ब्रांच, कोलकाता
		2. गरियाहाट ब्रांच, कोलकाता
		3. साल्ट लेक सिटी, कोलकाता
		4. ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट ब्रांच, कोलकाता
विजया बैंक	कर्नाटक	1. फाउंडर ब्रांच, मंगलोर
		2. इंदिरा नगर, बंगलोर
	महाराष्ट्र	1. ब्रांद्रा, मुम्बई
		2. अंधेरी, मुम्बई
		3. गांवदेवी, मुम्बई
	रा.राज. क्षेत्र, दिल्ली	1. बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
		2. ग्रेटर कैलाश, दिल्ली
	तमिलनाडु	1. एगमोर, चेन्नई
बैंक ऑफ इंडिया	आंध्र प्रदेश	मुख्य शाखा, अहमदाबाद
	गोवा	मारगो शाखा, गोवा
	गुजरात	नवरंगपुरा शाखा, अहमदाबाद
	कर्नाटक	बंगलोर शाखा
	महाराष्ट्र	1. चर्च गेट, मुम्बई
		2. इलेक्ट्रीक हाऊस शाखा, ओरमिंस्टन रोड, मुम्बई
		3. गिरगौम शाखा, मुम्बई
		4. घाटकोपर वेस्ट, मुम्बई
		5. सिओन शाखा, मुम्बई
		6. अंधेरी वेस्ट, मुम्बई
		7. मलाड वेस्ट, मुम्बई
		8. थाणे शाखा, मुम्बई
		9. सांताक्रूज शाखा, मुम्बई
		10. महालक्ष्मी शाखा, पुणे
		11. लक्ष्मी रोड शाखा, पुणे
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिली	1. कनाट प्लेस
		2. नेहरू प्लेस
		3. राजौरी गार्डन
		4. मयूर विहार
	पंजाब	1. सैक्टर 35-सी, चण्डीगढ़
	तमिलनाडु	कथेडरल रोड, चेन्नई
	पश्चिम बंगाल	1. बो बाजार शाखा, कोलकाता
इंडियन बैंक	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद मुख्य
		2. बेगमपेट, हैदराबाद
		3. काकालीयानगर, हैदराबाद

हरियाणा	1. गुड़गांव
कर्नाटक	1. एम.जी. रोड, बंगलोर
	2. राजाजी नगर, बंगलोर
	3. जयानगर बंगलोर
महाराष्ट्र	1. घाटकोपर, मुम्बई
	2. प्रभादेवी, मुम्बई
	3. सिओन शाखा, मुम्बई से जुड़ी आफसाइट लोकेशन
	4. चेम्बूर, मुम्बई
	5. कुम्बला हिल, मुम्बई
	6. अन्धेरी, मुम्बई
	7. महिम, मुम्बई
	8. नरीमन प्वाइंट, मुम्बई
	9. सिद्धार्थ नगर, मुम्बई
	10. माटूंगा मुख्य, मुम्बई
	11. सीबीडी बेलपुर, नवी मुम्बई
	12. वाशी, नवी मुम्बई
	13. बिकोन जिमखाना, मुम्बई
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1. जनकपुरी
	2. शान्ति निकेतन
	3. करोलबाग
	4. हौज खास
पांडिचेरी	1. कामराज सलाई, पांडिचेरी
तमिलनाडु	1. रामनगर, कोयम्बटूर
	2. आर.एस. पुरम, कोयम्बतूर
	3. पी.एन.पलायम, कोयम्बतूर
	4. पीलानेडू, कोयम्बटूर
	5. अदयार, चेन्नई
	6. अलवरपेट, चेन्नई
	7. अन्नानगर, चेन्नई
	8. हरबौर, चेन्नई
	9. मेलापोर, चेन्नई
	10. पुरसवालकम, हाई रोड, चेन्नई
	11. रोयापेट्टाह, चेन्नई
	12. टी. नगर, चेन्नई
	13. एयरपोर्ट, चेन्नई
	14. सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई
	15. त्रिची मुख्य, त्रिची
	16. वेल्लोर इंजीनियरिंग कालेज (एक्सटेंशन काउंटर) वेल्लोर
	पश्चिम बंगाल 1. मानिकटोल्ला, कोलकाता
पंजाब एंड सिंध बैंक	महाराष्ट्र 1. जुहू, मुम्बई
	2. खार, मुम्बई
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 1. राजेन्द्र प्लेस
	2. वसन्त विहार
यूको बैंक	महाराष्ट्र 1. मरोल-मरोशी रोड़, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई
	2. कोलाबा रोड, मुम्बई
	3. खार बान्द्रा, मुम्बई
	4. एस.वी.रोड, गोरेगांव, मुम्बई

भारतीय स्टेट बैंक (स्थानीय बोर्ड)	अहमदाबाद	12
	बंगलोर	12
	बंगाल	9
	भोपाल	10
	भुवनेश्वर	17
	चंडीगढ़	11
	चेन्नई	19
	दिल्ली	14
	हैदराबाद	23
	केरल	3
	लखनऊ	4

	मुम्बई	38
	नार्थ ईस्ट	1
	पटना	7
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	एसएमएस हाईवे शाखा, जयपुर, राजस्थान	1
	विस्तार पटल, कृषि भवन, दिल्ली,	1
	महाराष्ट्र	2
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	5
	महाराष्ट्र	3
	नई दिल्ली	1
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	इन्दौर	1
	भोपाल	1
स्टेट बैंक आफ मैसूर	मल्लेश्वरम, बंगलोर-कर्नाटक	1
	खार, मुम्बई-महाराष्ट्र	1
स्टेट बैंक आफ पटियाला	लीला भवन शाखा, पटियाला पंजाब	1
	कूल रोड, जालन्धर	1
	शिमला (दि माल) शाखा, हिमाचल प्रदेश	1
	चंडीगढ़, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ़	1
	शास्त्री भवन शाखा, नई दिल्ली	1
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	त्रिवेन्द्रम केरल	2
	एर्णाकुलम	2
	कालीकट	1
	गुड़गांव हरियाणा	1

चूककर्ता गैर-बैंकिंग कंपनियां और चिट फंड कंपनियां

3021. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात् चिट फंड कंपनियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996 से आंध्र प्रदेश में कितनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमति प्रदान की गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कौन-कौन सी कंपनियों ने चूक की है; और

(ङ) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में चिट फंड कंपनियों द्वारा की गई चूकों से संबंधित सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है। यह संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी। क्योंकि चिट कंपनियों का विनियमन संबंधित राज्यों के चिट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल चिट फंड कंपनियों की जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधियों का विनियमन किया जाता है।

(ग) 1998 से जमाराशि स्वीकार/धारित वाले वाली 87 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1998 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

जमाराशिया धारित/स्वीकार न करने वाली 211 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को 1998 से अर्थात 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधनों के बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में चूक करने वाली कंपनियां और इन कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	चूककर्ता कंपनी का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	एशिया पेसिफिक इनवेस्ट मेंट ट्रस्ट लि.	बैंक द्वारा दायर की गई परिसमापन याचिका के आधार पर, आंध्र प्रदेश (ए.पी) उच्च न्यायालय ने कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है। सरकारी परिसमापक

1	2	3
		ने 27.40 लाख रु. की राशि वसूल कर ली है और अभी इसे ऋणदाताओं को संवितरित किया जाना है।
2.	दीपिका लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	कंपनी को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र बैंक द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जमाराशियों की स्वीकृति और आस्तियों के अन्य संक्रमण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। कंपनी विधि बोर्ड ने मार्च, 2001 के बाद तीन अवसरों पर अपने आदेशों के तहत जमाराशियों की वापसी अदायगी के आदेश पारित किए हैं।
3.	इलाइट ग्लोबल फाइनेंस लि.	जमाकर्त्ताओं की एसोसिएशन ने अदालत के बाहर निपटान के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया है।
4.	इलाइट फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	-तदैव-
5.	जीनियस फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	कंपनी परिसमापन में है। परिसमापन की कार्यवाहियों की निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.1.1999 को सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई हैं।
6.	लीफिन इंडिया लि.	एक ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ परिसमापन याचिका दायर की गई। लीफिंग जमाकर्ता एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और न्यायालय से कार्यों की देखरेख के लिए कंपनी के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु याचना की। जमाराशियों की वापसी अदायगी के लिए कंपनी विधि बोर्ड के 13 आदेश जारी किए गए हैं।
7.	मिडवेस्ट इंडिया इंड्रस्ट्रीज लि. (मिडवेस्ट फाइनेंस लि.)	बैंक ने कंपनी के परिसमापन के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कंपनी याचिका दायर की है। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के उल्लंघन हेतु बैंक ने कंपनी तथा इसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दायर की है। कंपनी के प्रबंध निदेशक 13 दिसम्बर 1999 से जेल में हैं।
8.	मिहवेस्ट म्युचुअल फंड लि.	-तदैव-
9.	नागार्जुन फाइनेंस लि.	कंपनी ने कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुसार जमाराशियों की वापसी अदायगी करने में चूक की है। बैंक कंपनी के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
10.	नागार्जुन कैपिटल मार्केट्स लि.	कंपनी ने पूर्व में जमाराशियों की वापसी आदयगी में चूक की है। वर्ष 1998 के बाद जमाकर्ताओं द्वारा कोई भी शिकायतें नहीं की गई हैं।
11.	एस-एम. फाइनेंस लि.	कंपनी ने कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों का आंशिक रूप से अनुपालन किया है। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न करने हेतु कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर करने का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है।
12.	पेन्नार पैटरर्सन लि.	कंपनी ने कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुसार जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक की थी। कुछ ऋणदाताओं द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया। परिसमापन की कार्यवाही प्रगति पर है।

1	2	3
13.	मोनार्क फिनलीज लि.	कंपनी ने जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक की चूंकि बैंक के कारण बताओ नोटिस के संबंध में उसका उत्तर असंतोषजनक पाया गया, इसलिए बैंक सीओआर जारी करने के उसके आवेदन को अस्वीकार करने पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित कंपनियों ने सार्वजनिक जमाराशियों की वापसी अदायगी में कथित रूप से चूक की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सी ओ आर जारी करने के लिए कंपनी के आवेदन को पहले ही अस्वीकार कर दिया था और प्रतिबंधक आदेश भी जारी किए थे। तथापि, 1998 से पर्याप्त संख्या में शिकायतों के अभाव में, इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

1. कोरातला लीजफिम ईंडिया लि.

2. नाइस इंडिया सेविंग्स एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.

3. बालाजी लाकर्स बेनिफिट फंड लि.

कस्टम एन्ट्री पोइंट्स की स्थापना

3022. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान व्यापार में वृद्धि करने के लिए सीमा के साथ-साथ कस्टम एन्ट्री पोइंट्स की स्थापना करने और भू-मार्गों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कॉफी बोर्ड को लाभ/घाटा

3023. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस तिथि को कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था और किन उद्देश्यों के लिए उक्त बोर्ड का गठन किया गया था;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉफी बोर्ड को हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) कॉफी बोर्ड में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या कॉफी बोर्ड में विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत में कॉफी उद्योग के विकास हेतु कॉफी बोर्ड, जो कि एक सांविधिक निकाय है, की स्थापना कॉफी अधिनियम (1942 का VII) के अधिनियम के जरिए सन् 1942 में की गयी थी।

(ख) चूंकि कॉफी बोर्ड एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है और इसके कार्यकलापों का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए बोर्ड को लाभ और हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आज की तिथि तक बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 1053 है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में भ्रष्टाचार

3024. **डा. रमेश चंद तोमर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सतर्कता अधिकारी ने गत दो वर्षों में ओरियन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दिल्ली और चंडीगढ़ क्षेत्र में भ्रष्टाचार की घटनाओं में कुल कितने व्यक्तियों को दोषी पाया है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आज की तिथि तक मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कंपनीवार कार्रवाई की है;

(ग) क्या इन कंपनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी के समक्ष सिद्ध हो चुके भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले कार्रवाई हेतु लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक आवश्यक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा कंपनियों द्वारा सूचित किए गए आधार पर दिल्ली तथा चंडीगढ़ क्षेत्र में सतर्कता अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के दोषी पाये गए व्यक्तियों तथा जिनके विरुद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है, की कुल संख्या इस प्रकार है:-

ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.

दिल्ली क्षेत्र	**चंडीगढ़ क्षेत्र**
12	14
मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई	
12	14

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.

19	7
मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई	
13	4

(ग) से (ङ) मुख्य सतर्कता अधिकारी ओरियन्टल इंश्योरेंस के समक्ष कोई भी मामला कार्रवाई हेतु लंबित नहीं पड़ा है क्योंकि सभी मामलों को अनुशासनिक प्राधिकारी को आवश्यक नियमित विभागीय कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी के समक्ष 9 मामले लंबित पड़े हैं, जिसमें एक मामला पहले ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रथम चरण सलाह देने हेतु भेज दिया गया है। एक मामले पर आगे जांच की जा रही है। शेष 7 मामलों के संबंध में सतर्कता अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं तथा उनकी मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्टों का परीक्षण शीघ्र ही पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

आर्थिक विकास में अनिवासी भारतीयों की भूमिका

3025. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आर्थिक विकास में अनिवासी भारतीयों की भूमिका का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जनवरी, 1991 से मई, 2001 तक अनिवासी भारतीयों से निवेश अंतर्वाहों की राशि लगभग 82,511 करोड़ रुपये रही है। अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीय बैंक जमाराशियों की बकाया राशि 24,032 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) थी। वर्ष 1998 में जारी किए गए रिसर्जेंट इंडिया बांडों तथा वर्ष 2000 में जारी किए गए भारत सहस्त्राब्दि डिपाजिट्स की प्रतिक्रियास्वरूप क्रमश: लगभग 4.2 बिलियन अमरीकी डालर तथा 5.51 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए गए। हाल ही में, विदेश मंत्रालय में डा. एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय डायसपोरा संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, देश के आर्थिक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास में अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का अध्ययन करेगी। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय में ''भारत में निवेश अंतर्वाह: अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों की भूमिका'' संबंधी एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बिक्री के लिए मूल्य निर्धारण

3026. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम खुली बिक्री और निर्यातकों के लिए चावल का मूल्य निर्धारित करने में समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यय सुधार आयोग ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा द्वारा निर्धारण किए गए जाने के संबंध में सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने अपने बफर स्टाकों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। चावल की खुली बिक्री योजना के अधीन चावल के मूल्य संपूर्ण देश के लिए 950 रुपये प्रति क्विंटल हैं। निर्यात के संबंध में रॉ चावल के लिए मूल्य 5650 रुपये प्रति टन और सेला चावल के लिए 6000 रुपये प्रति टन निर्धारित किए किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने बफर स्टाक का निपटान करने के लिए कई उपाए किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करना, गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में कमी करना, गेहूं और चावल की घटी दरों पर खुले बाजार में बिक्री करना, ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' चलाने के लिए राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खद्यान्नों का आबंटन करना, सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना और गेहूं तथा चावल का निर्यात करना शामिल है।

वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण

3027. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं का अलग विभाग स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मौजूदा प्रशासनिक तंत्र वित्तीय संस्थाओं का उचित प्रकार से पर्यवेक्षण और निगरानी करने में अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई अंतरिम कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रबड़ उद्योग की समस्याएं

3028. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय रबड़ उद्योग द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रबड़ उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या नयी रबड़ नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) खपत में कमी तथा खपत करने वाले उद्योग में मंदी की वजह से प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट आने के कारण रबड़ के उत्पादकों को वह कीमत नहीं मिल रही है जो उन्हें दो -तीन वर्ष पहले मिल रही थी।

(ग) से (ङ) प्राकृतिक रबड़ की कीमत में स्थिरता लाने तथा उत्पादकों के लिए अपनी उपज की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1997-2000 में एस टी सी के जरिए बाजार हस्तक्षेप किया था तथा लगभग 53,687 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की थी। स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ का उपयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई मूल्यवर्द्धित रबड़ की मदों, जैसे सड़कों पर रबड़ बिछाने के लिए प्राकृतिक रबड़ मोडीफाईड बिटुमन, का संवर्धन कर रही है। अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए उपयोक्ता उद्योग द्वारा घरेलू रबड़ की खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर 20.2.1999 से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। ये सभी उपाय प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास हेतु समग्र नीति का एक भाग है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र

3029. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने सीमेंट संयंत्र कार्यरत थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने संयंत्रों को बंद कर दिया गया है; और

(ग) सरकार का इन संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में नौ सीमेंट कार्यरत हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय सीमेंट निगम, नीमच के स्वामित्व वाले सीमेंट संयंत्र ने उत्पादन करना बंद कर दिया है।

(ग) भारतीय सीमेंट निगम ने नीमच स्थित संयंत्र सहित उसके सभी दस संयंत्रों के मामले, रुग्ण औद्योगिक कंपनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए, बी.आई.एफ.आर. को भेजे गये हैं ताकि इन संयंत्रों के पुनरुद्धार की संभाव्यता का पता लगाया जा सके।

[अनुवाद]

भारत-रूस आर्थिक सहयोग

3030. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सहयोग के लिए रूस के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के साथ क्या शर्तें रखी गयी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारत-रूस अन्त: सरकारी व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग आयोग का सातवां सत्र 15 जनवरी, 2001 को मास्को में आयोजित किया गया। इस बैठक के अन्त में एक प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया । दोनों पक्ष भारत और रूसी संघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और इसमें विविधता लाने की दृष्टि से उचित उपाय करने के लिए सहमत हो गए।

उपर्युक्त के अलावा, भारत और रूस के बीच हाल ही में अन्यों के अलावा निम्नलिखित करार हस्ताक्षरित किए गए हैं;

(1) रूसी संघ के पूर्व प्रधान मंत्री, महामहिम श्री येवजेनी प्रिमाकोव के दौरे के दौरान दिसम्बर, 1998 में नई दिल्ली में व्यापारिक, आर्थिक, वित्तीय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की घोषणा संबंधी प्रलेख।

(2) भारत और रूसी संघ के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी संबंधी घोषणा 3 अक्टूबर, 2000 को हस्ताक्षरित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित सहयोग संबंधी अनुच्छेद सम्मिलित है।

आगरा शिखर वार्ता में मीडिया की भूमिका

3031. श्री भीम दाहाल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की मीडिया ने आगरा शिखर वार्ता के संबंध में जहां तक भारत का संबंध हैं, खराब भूमिका निभायी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्र मीडिया जिसमें प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों शामिल हैं, के आदर्शों के प्रति वचन-बद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में मीडिया को अपनी उपयुक्त भूमिका का निर्धारण स्वयं करना है।

वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण

3032. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए अतिरिक्त अधिकार की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला फिलहाल सरकार की जांच और विचार के अधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पृथक विभाग

3033. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु एक पृथक विभाग खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मुद्दों का निराकरण करने के शासनादेश के साथ दिनांक 10.12.1999 को विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का थोक और खुदरा मूल्य

3034. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में इस समय कितना अन्तर है;

(ख) सरकार आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों की किस प्रकार से निगरानी करती है;

(ग) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच के अधिकतम अन्तर के संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) दिल्ली, मुम्बई कलकत्ता और चेन्नई में 1 अगस्त, 2001 को चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 12 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के माध्यम से उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है। 12 चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्यों तथा साप्ताहिक थोक मूल्यों की निगरानी विभाग के मूल्य निगरानी सैल द्वारा की जाती है। 18 राज्यों की राजधानियों में दैनिक खुदरा मूल्यों तथा देश भर में फैले 37 केन्द्रों में साप्ताहिक थोक मूल्यों की निगरानी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नागरिक पूर्ति विभागों द्वारा की जाती है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए समय-समय पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और निश्चित उपाय किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महानगरों में 1 अगस्त, 2001 को चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य

मदें	दिल्ली		मुम्बई		कलकत्ता		चेन्नई	
	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चावल	9.75	12.00	10.75	11.50	9.00	10.00	9.00	11.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गेहूं	5.95	7.00	9.25	10.25	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	8.60	10.00
चना	22.40	26.00	26.00	27.00	24.25	25.00	24.50	26.00
चीनी	20.00	26.00	22.75	25.00	22.55	25.00	24.00	27.00
तूर	15.70	16.50	15.80	16.50	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	13.80	14.50
मूंगफली का तेल*	66.00	71.00	47.00	48.00	55.00	72.00	41.00	43.00
सरसों का तेल	38.00	43.00	प्राप्त नहीं	66.00	34.50	40.00	नगण्य	नगण्य
वनस्पति	38.00	40.00	41.00	42.00	38.00	42.00	37.00	42.00
चाय (खुली)	100.00	115.00	प्राप्त नहीं	130.00	प्राप्त नहीं	80.00	116.00	120.00
आलू	6.00	8.00	5.75	9.50	5.10	6.00	8.00	9.00
प्याज	4.00	7.00	4.00	6.50	5.00	8.00	4.00	5.00
नमक (पैक किया हुआ)	4.60	6.00	6.40	7.00	प्राप्त नहीं	7.00	5.20	6.00

स्रोत राज्यों के नागरिक पूर्ति विभाग।

नोट: थोक मूल्य मूलत: प्रति क्विंटल की दर से रिपोर्ट किए गए और उनको रुपये प्रति किलोग्राम की दर में परिवर्तित किया गया।

*दिल्ली और कलकत्ता में खुदरा मूल्य प्रीमियम ब्राण्ड से संबंधित हैं और थोक मूल्य 15 कि.ग्रा. के टिन के सामान्य ब्रान्ड से संबंधित हैं। मुम्बई और चेन्नई में खुदरा मूल्य और थोक मूल्य खुली किस्म से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

जापान और जर्मनी से वित्तीय सहायता

3035. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए जापान और जर्मनी द्वारा वर्षवार और परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या इन देशों से प्राप्त सहायता का उचित उपयोग नहीं किया गया है अथवा प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोनजाओं के लिए जापान तथा जर्मनी से प्राप्त कुल सहायता राशि क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

(ख) से (घ) निधियों के उपयुक्त उपयोग सहित परियोजनाओं के सामयिक क्रियान्वयन का अनुवीक्षण परियोजना स्थलों पर दौरों, पुनरीक्षा बैठकों, त्रैमासिक रिपोर्टों, उच्च स्तरीय बैठकों, आदि के माध्यम से नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है। सुधारात्मक कदम, जहां कहीं भी आवश्यक होते हैं, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा क्रियान्वयन अभिकरणों के परामर्श से उठाए जाते हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान जे.बी.आई.सी. जापान से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संवितरण

जे बी आई सी ऋण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	आई.डी.पी. संख्या तथा परियोजना का नाम		संवितरण		
			1998-1999	1999-2000	2000-01
1	2		3	4	5
1.	(आई डी पी-40)	तीस्ता कैनाल एच.ई. परियोजना	14.13	10.89	बन्द
2.	(आई डी पी-42)	असम गैस टरबाइन परियोजना	18.74	1.62	बन्द
3.	(आई डी पी-43)	श्रीसलेम लैफ्ट बैंक पावर परि. (1)	14.98	0.00	बन्द
4.	(आई डी पी-53)	घाटघर पम्पड स्टोरेज परि.	26.17	27.73	83.02
5.	(आई डी पी-54)	पर्यटन अवसंरचना विकास परि.	46.51	बन्द	बन्द
6.	(आई डी पी-56)	अपर कोलाब सिंचाई परि.	12.51	बन्द	बन्द
7.	(आई डी पी-57)	अपर इंद्रावती सिंचाई परि.	18.25	बन्द	बन्द
8.	(आई डी पी-59)	मैसूर पेपर मिल आधुनिकीकरण परि.	16.69	6.87	बन्द
9.	(आई डी पी-66)	पावर सिस्टम सुधार परि.	122.18	149.16	108.15
10.	(आई डी पी-72)	तीस्ता कैनाल एच.ई. परि.	18.09	19.44	बन्द
11.	(आई डी पी-73)	इंदिरा गांधी वनीकरण परि.	18.35	14.79	22.88
12.	(आई डी पी-74)	स्वास्थ्य गुणवत्ता नियंत्रण परि.	1.38	बन्द	बन्द
13.	(आई डी पी-79)	अरबन सिटी जल आपूर्ति परि.	7.32	19.17	बन्द
14.	(आई डी पी-80)	अरावली हिल वनीकरण परि.	38.40	38.52	बन्द
15.	(आई डी पी-81)	एन.एच.-2 सुधार परियोजना	31.54	35.03	14.38
16.	(आई डी पी-82)	अजंता एलोरा कन. एंड टूरिज्म विकास परि.	16.04	10.60	4.23
17.	(आई डी पी-84)	यमुना कार्य योजना	39.99	86.87	38.92
18.	(आई डी पी-85)	श्रीसलेम विद्युत पारेषण प्रणाली परि.	45.28	28.82	00.60
19.	(आई डी पी-86)	गंधार गैस आधारित विद्युत परि.	1.04	बन्द	बन्द
20.	(आई डी पी-87)	उद्योगमंडल अमोनिया प्रतिस्थापन संयंत्र परियोजना	35.09	1.68	बन्द
21	(आई डी पी-88)	अनपारा ''बी'' थर्मल पावर	38.53	33.03	55.40
22.	(आई डी पी-89)	बक्रेश्वर थर्मल पावर परि.	313.16	बन्द	बन्द
23.	(आई डी पी-90)	फरीदाबाद थर्मल पावर परि.	93.55	405.36	148.30

1	2	3	4	5
24.	(आई डी पी-91) नैनी ब्रिज ओवर रिवर यमुना	1.40	0.53	31.73
25.	(आई डी पी-92) एन.एच.-5 को 4 लेन का बनाना	0..37	65.51	54.83
26.	(आई डी पी-94) श्रीसेलम लैफ्ट बैंक विद्युत परि.(2)	85.82	92.48	71.25
27.	(आई डी पी-95) श्रीसेलम विद्युत पारेषण-2	69.15	128.05	38.57
28.	(आई डी पी-96) असम गैस टरबाइन परि.	37.30	17.15	49.60
29.	(आई डी पी-97) ब्रकेश्वर ताप यूनिट-3	184.76	24.56	बन्द
30.	(आई डी पी-98) पुरूलिया पम्पड भंडारण परि.	12.97	17.56	64.98
31.	(आई डी पी-99) कोठागुडेम ''ए'' टी.आर.एस.	13.79	8.17	26.75
32.	(आई डी पी-100) एन.एच.-5 सुधार परि.	0.45	10.99	13.22
33.	(आई डी पी-101) एन.एच.-24 सुधार परि.	0.47	19.48	31.60
34.	(आई डी पी-1032) मदरास सीवरेज परि.	2.46	33.65	2.15
35.	(आई डी पी-103) लेक भोपाल कन. एंड मैनेजमेंट परि.	17.65	24.77	35.39
36.	(आई डी पी-104) राजस्थान वानिकी विकास परि.	29.32	29.97	24.24
37.	(आई डी पी-105) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परि.	3.20	3.61	2.17
38.	(आई डी पी-106) आई.सी.आई.सी.आई. कार्यक्रम	0.00	0.00	47.98
39.	(आई डी पी-107) धौलीगंगा एच.ई.पी.	7.88	28.20	57.63
40.	(आई डी पी-108) अनपारा विद्युत पारेषण परि.	45.62	48.99	49.35
41.	(आई डी पी-109) बंगलौर जलापूर्ति परि.	23.88	105.97	150.03
42.	(आई डी पी-110) अरबन सिटी जलापूर्ति परि.	33.98	198.63	46.72
43.	(आई डी पी-111) अटटापैडी परती भूमि परि.	0.21	3.82	4.46
44.	(आई डी पी-112) गुजरात वानिकी परि.	110.04	118.17	119.45
45.	(आई डी पी-113) के.सी. कैनाल परि.	3.56	56.43	58.61
46.	(आई डी पी-115) पीपावाव शिप ब्रेकिंग परि.	80.77	69.92	24.95
47.	(आई डी पी-116) उत्तर भारत पारेषण प्रणाली परि.	0.00	10.79	10.35
48.	(आई डी पी-117) प. बंगाल पारेषण प्रणाली परि.	2.55	25.45	68.05
49.	(आई डी पी-118) उमियाम पनबिजली केन्द्र परि.	0.00	0.62	8.17
50.	(आई डी पी-119) टूरियाल पनबिजली परि.	0.00	8.15	7.08

1	2	3	4	5
51.	(आई डी पी-120) सिंहाद्री ताप विद्युत परि.	239.64	361.51	96.31
52.	(आई डी पी-121) दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परि.	8.76	41.49	47.98
53.	(आई डी पी-122) कलकत्ता परिवहन प्रणाली परि.	2.82	19.46	39.42
54.	(आई डी पी-123) केरल जलापूर्ति परि.	0.00	0.00	0.00
55.	(आई डी पी-124) पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परि.	78.13	84.84	101.87
56.	(आई डी पी-125) तमिलनाडु वनीकरण परि.	58.91	78.13	89.73
57.	(आई डी पी-126) राजघाट कनाल सिंचाई परि.	20.19	32.22	55.78
58.	(आई डी पी-127) सिंहाद्री एवं विजाग पारे. प्रणाली परि.	0.00	2.45	124.28
59.	(आई डी पी-128) श्रीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र परि. 3	46.71	148.38	124.28
60.	(आई डी पी-129) धौलीगंगा एच.ई.पी.-2	0.00	76.35	79.58
61.	(आई डी पी-130) बक्रेश्वर ताप विद्युत परि.-2	379.61	438.80	156.33
62.	(आई डी पी-131) तूतीकोरन पत्तन तलकर्षण परि.	0.16	200.65	4.87
63.	(आई डी पी-132) पंजाब वनीकरण परि.	19.53	33.19	80.65
64.	(आई डी पी-133) मध्य प्रदेश रेशम पालन परि.	1.77	5.54	4.80
65.	(आई डी पी-134) मणिपुर रेशम पालन परि.	7.38	6.19	3.27
66.	(आई डी पी-135) रेंगाली सिंचाई परि.	21.80	41.28	36.64
67.	(आई डी पी-136) लघु उद्योग विकास कार्यक्रम	300.50	बन्द	बन्द
68.	(आई डी पी-137) बक्रेश्वर टी.पी.एस. युनिट-3 विस्तार परियोजना-2	0.00	167.83	91.02
	जोड़	2941.43	3779.51	2712.69

विगत तीन वर्षों के दौरान जापानी सहायता अनुदान परियोजनाओं के अंतर्गत संवितरण

	जापानी अनुदान सहायता			(करोड़ रु.)
1.	पोलियो मेलिटिस उन्मूलन परियोजना	11.7	बन्द	बन्द
2.	पोलियो मेलिटिस उन्मूलन परियोजना	–	33.15	बन्द
3.	पोलियों मेलिटिस उन्मूलन परियोजना	–	–	39.00
	जोड़	11.7	33.15	39.00

उक्त 2 और 3 के अनुदानों के लिए जापान सरकार तथा यूनिसेफ के बीच हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार हस्ताक्षरकर्ता नहीं थी, राशि भारत सरकार के खाते के माध्यम से संवितरित नहीं हुई।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जर्मनी से प्राप्त सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	(मिलियन ड्यूश मार्क)		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001
1.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-6	70		
2.	लघु सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र	45		
3.	आदिवासी विकास कार्यक्रम, महाराष्ट्र	28		
4.	एच डी एफ सी -3	30		
5.	मूलभूत स्वास्थ्य परियोजना, पश्चिम बंगाल		60	
6.	इरेडा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्द्धन		120	
7.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम		15	
8.	ग्रामीण जलापूर्ति, महाराष्ट्र			46.60
9.	राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि (सेवा संघटक)			2.40
	जोड़	173	195	49.00

शेयर बाजारों में यूटीआई का निवेश

3036. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेन्चुरी कंसलटेन्ट (सीसी) यूटीआई के बीच कई करोड़ के सौदों के मामले की जांच को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) स्टाक मार्केट में धन निवेश करने की यूटीआई की क्या नीति है;

(घ) क्या यूटीआई ने अपने स्वयं के अनुसंधान स्कंध की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए करोड़ों रुपये मूल्य के शेयर खरीद लिए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन संदिग्ध सौदों में शामिल यूटीआई के उच्च स्तर के अधिकारियों की पहचान कर ली है; और

(छ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लखनऊ शाखा द्वारा सेंचुरी कंसल्टेंट्स से संबंधित नौ मामले दर्ज किए गए हैं। श्री अरविन्द मोहन जौहरी, श्री आनन्द कृष्ण जौहरी, मुख्य अभियुक्त तथा श्री ए.के. शाह एवं श्री. पी.एन. माथुर की इन मामलों में गिरफ्तारी की गई है। मामलो की जांच चल रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मुंबई शाखा जून/जुलाई, 2000 के दौरान मैसर्स साइबरस्पेस इन्फोसिस लिमिटेड के 345000 इक्विटी शेयरों की 930.00/- रुपये प्रति शेयर की दर पर यूटीआई के साथ निजी नियोजन के आधार पर किए गए सौदे की अलग से जांच कर रही है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) यूटीआई ने सूचित किया है कि वह उन कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करती है जो इसके बोर्ड व कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित निवेश मानदंडों को पूरा करती है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि यूटीआई ने अपने स्वयं के अनुसंधान स्कंध अर्थात् "इक्विटी अनुसंधान

प्रकोष्ठ'' की अनुशंसाओं की अनदेखी करते हुए निजी नियोजन के आधार पर मैसर्स साइबरस्पेस इन्फोसिस लिमिटेड के 345000 इक्विटी शेयर 930 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे थे।

(ङ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि यूटीआई के इक्विटी अनुसंधान प्रकोष्ठ ने निजी के आधार पर मैसर्स साइबरस्पेस इन्फोसिस लिमिटेड के 930 रुपये प्रतिशेयर की दर पर पेशकश का मूल्यांकन किया और दिनांक 23.06.2000 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह अनुशंसा की गई थी कि ''हम यह सिफारिश करते हैं कि ट्रस्ट वर्तमान नियोजन से कोई नई देनदारी ग्रहण न करे। वास्तव में हम अधिग्रहणों की घोषणा के पश्चात् सृजित सकारात्मक वातावरण में स्टाक में बही लाभ दर्ज पर विचार कर सकते हैं।'' इक्विटी अनुसंधान प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए यूटीआई के प्रबंधन ने दिनांक 17.07.2000 को यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर भी श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक श्री एम.एम.कपूर, कार्यकारी निदेशक, श्री एस.के. बसू, कार्यकारी निदेशक और श्री पी.एस. सुब्रहमण्यम यूटीआई के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21.07.2000 को यह प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत कर दिया गया और 32,085,000/- रुपये के मूल्य वाले 345000 शेयरों के क्रय की स्वीकृति दे दी गई। यूटीआई द्वारा जारी और यूटीआई बैंक लिमिटेड का 320,085,000/- रुपये का एक चेक यूटीआई ने दिनांक 27.07.2000 को मैसर्स साइबरस्पेस इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक श्री अरविन्द जौहरी को दस्ती सौंप दिया।

(च) उपर्युक्त लेने-देने के संबंध में श्री पी.एस. सुब्रहमण्यम, पूर्व अध्यक्ष, श्री एम.एम. कपूर, कार्यकारी निदेशक, श्री एस. के. बसु, कार्यकारी निदेशक और श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक की भूमिका की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुम्बई शाखा जांच की जा रही है।

(छ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री पी.एस. सुब्रहमण्यम पूर्व अध्यक्ष, श्री एम.एम. कपूर, कार्यकारी निदेशक, श्री एस. के. बसु, कार्यकारी निदेशक को गिरफ्तार कर लिया था। यूटीआई ने सूचित किया है कि सर्वश्री एम.एम. कपूर, एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक और श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक निलंबन के अधीन हैं।

[हिन्दी]

जी.आई.सी. बीमा द्वारा निवेश

3037. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री सुबोध राय:
श्री अशोक अर्गल:
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) में मुम्बई स्थित साउंड क्राफ्ट लिमिटेड से वर्ष 2000-2001 के दौरान निजी प्लेसमेंट आधार पर कितने शेयर खरीदे और जीआईसी ने इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) उक्त कंपनी के शेयरों की खरीद के समय इनकी कीमत क्या थी;

(ग) उक्त कंपनी के शेयरों का वर्तमान मूल्य क्या है;

(घ) जी.आई.सी. को उक्त शेयरों की खरीद पर कितना घाटा हुआ; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने साउंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि. के 1,40,000 इक्विटी शेयरों को वर्ष 2000-01 में निजी स्थापन आधार पर अभिदत्त किया था। निगम ने इन शेयरों के अंशदान हेतु 645.05 लाख रुपये खर्च किए।

(ख) प्रत्येक शेयर की अधिग्रहण लागत 460.75 रुपये थी और खरीद के समय अर्थात् दि. 30.6.2000 को इसी शेयर की बाजार मूल्य पर कीमत 540/- रुपये प्रति शेयर थी।

(ग) उक्त कंपनी के शेयर का बाजार मूल्य दि. 2.8.2001 को मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 506.60 रुपये प्रति शेयर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 507.10 रुपये प्रतिशेयर था।

(घ) अब तक भारतीय साधारण बीमा निगम ने 90.99 लाख रुपये मूल्य के 16,846 शेयर बेचे हैं और इस प्रकार कुल 13.38 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। भारतीय साधारण बीमा निगम के पास वर्तमान में 1,23,154 इक्विटी शेयर हैं। प्रति शेयर का 460.75 रुपये के औसत लागत मूल्य तथा 507.10 रुपये के बाजार मूल्य के आधार पर कुल धारिता मूल्य 57.08 लाख रुपये है।

(ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध

3038. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय देशवार-कौन-कौन से क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध विद्यमान हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विस्तार करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए देशवार-कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) इस समय सरकार के पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक व्यापारर हित के विभिन्न क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में किए गए विभिन्न उपायों में शामिल हैं- सूचना का आदान-प्रदान, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि। पड़ोसी देशों को भारत के निर्यात हित के क्षेत्रों में शामिल हैं- कृषि उत्पाद, खनिज एवं अयस्क, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा तथा चमड़े की विनिर्मितियां, रत्न तथा आभूषण, इंजीनियरी वस्तुएं, इलैक्ट्रॉनिक तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हस्तशिल्प आदि।

जानबूझकर चूक करने वालों का वर्गीकरण

3039. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चूककर्त्ताओं की छः श्रेणियों का जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में वर्गीकरण करते हुए सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एक परिपत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ वित्तीय संस्थाओं ने जानबूझकर चूक करने वालों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि जानबूझकर चूक करने वालों के संबंध में उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सभी पूर्णरूप से पालन करें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उसने 1999 में 25 लाख एवं अधिक की जानबूझकर की गई चूकों के मामले के बारे में सूचना इकट्ठी करने एवं प्रचार-प्रसार के लिए एक योजना तैयार की थी जिसमें जानबूझकर की गई चूक में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(1) पर्याप्त नकदी प्रवाह और अच्छी निवल सम्पत्ति होने के बावजूद देयराशियों की जानबूझकर गैर-अदायगी।

(2) निधियों की निकासी करना जिससे चूक करने वाली ईकाई को हानि हो

(3) वित्तपोषित आस्तियों की या तो खरीद नहीं की गई है अथवा बिक्री कर दी गई है और आय का दुरूपयोग किया गया है।

(4) अभिलेखों का अन्यथा कथन और मिथ्याकरण

(5) बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूतियों का निपटान/हटाना

(6) उधारकर्त्ता द्वारा कपटपूर्ण लेनदेन।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उसे उनके द्वारा पहचानी गई जानबूझकर की गई चूकों के बारे में सूचना प्रस्तुत कर रही है और इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने का कोई उदाहरण उसके ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

अ.पि.व. के कर्मचारियों की नियुक्ति

3040. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती, भारत सरकार के नियमों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पद-वार ऐसे कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते थे;

(ग) कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों की तुलना में निर्यात के क्षेत्र में प्रदर्शन

3041. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश से किया जाने वाला कुल निर्यात, इंडोनेशिया, थाइलैण्ड और सिंगापुर जैसे बहुत छोटे देशों से किए जाने वाले निर्यात की तुलना में भी कम ही ठहरता है;

(ख) यदि हां, तो अपने पड़ोसी देशों की तुलना में निर्यात-क्षेत्र में बहुत पीछे रह जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश द्वारा किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) डब्ल्यू टी ओ के व्यापार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999 के दौरान सिंगापुर, थाइलैड, इंडोनेशिया तथा भारत के निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार रहा है:-

	अमरीकी डालर (बिलियन)
सिंगापुर	114.7
थाइलैंड	58.4
इंडोनेशिया	48.7
भारत	36.6 (डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार 2000-01 में 44.1)

निर्यात निष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, घरेलू उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा अन्य देशों में प्रतिस्पर्धियों की प्रतिस्पर्धात्मकता इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में भारत से हुए पण्य वस्तुओं के कुल निर्यातों में 19.83% तक की वृद्धि हुई है जो वर्ष के लिए निर्धारित 18% के लक्ष्य से अधिक है।

निर्यातों में और अधिक वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सौदों की लागत में कमी लाना, एस ई जैड की स्थापना करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण, 5% शुल्क के भुगतान पर किसी न्यूनतम सीमा के बिना सभी क्षेत्रों तथा सभी पूंजीगत वस्तुओं के लिए ई पी सी जी योजना लागू करना तथा एक्जिम नीति में उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय जिनमें शामिल हैं- कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करना, उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, बाजार अनुसंधान संबंधी प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए बाजार पहुंच संबंधी प्रोत्साहन, इत्यादि। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहलों के जरिए थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके निर्यातों को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

बीमा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक

3042. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत के जीवन बीमा बाजार क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता बरकरार रखने की दृष्टि से किसी रणनीतिक साझेदार की तलाश में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंक ने जीवन बीमा करने का व्यवसाय प्रारंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका जीवन बीमा निगम के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा: और

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा क्षेत्र के बाजार में अपनी अग्रगण्यता बनाए रखने के लिए क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वह जीवन बीमा कारोबार में किसी रणनीति साझेदारी पर विचार नहीं कर रहा है। तथापि, वह भारतीय बीमा बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए रखने की आशा करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एसबी आई कार्डिफ लाइफ इंश्योरेंस क. को जो भारतीय स्टेट बैंक तथा कार्डिफ इंश्योरेंस ऑफ फ्रांस के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मार्च, 2001 को जीवन बीमा कारोबार शुरू करने की अनुमति प्रदान की।

(घ) अनुमान है कि निजी क्षेत्र में नई बीमा कंपनियों के पंजीकरण से जीवन बीमा निगम के कारोबार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए दावों के त्वरित निपटान, सभी शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग, नई स्कीमों की शुरूआत करने, मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों द्वारा कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने, एजेंसी के कार्यबल को प्रशिक्षण देने जैसे कई उपाय किए हैं।

असम स्थित दिफू आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र का काम न करना

3043. डा. जयन्त रंगपी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, असम स्थित दिफू दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र से कुल कितने घण्टे की समयावधि का टेलीप्रसारण/रेडियों प्रसारण नहीं किया जा सका;

(ख) इस व्यवधान के क्या कारण रहे; और

(ग) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यक्रमों का निर्बाध टेलीप्रसारण/रेडियोप्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र और अल्प शक्ति टी.वी. ट्रान्समीटर दीफू की सेवा में बाधा का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	खराबी की अवधि	
	स्थानीय रेडियो केन्द्र	(घंटों में) अ.श.ट्रा.
1998-99	शून्य	29.15
1999-2000	8.30	29.23
2000-2001	26.37	19.20

(ख) और (ग) इस व्यवधान का मुख्य कारण बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होना और कुछेक मामलों में कुछ उपकरणों में खराबी आना था। हालांकि उपकरण की खराबियों के लिए शीघ्र उपस्थित हुए थे। विद्युत आपूर्ति न होने के कारण सेवा में बाधा को कम से कम के लिए आकाशवाणी केन्द्र और अल्प शक्ति ट्रान्समीटर पर एक डीजल जनरेटर उपलब्ध करा दिया गया है। तथापि, मुख्य स्रोत से जनरेटर तथा जनरेटर से मुख्य स्रोत आपूर्ति स्रोत को बदलते समय हर बार सेवा में थोड़ी बाधा आती है।

तम्बाकू युक्त उत्पादों का आयात

3044. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार, कितनी मात्रा और मूल्य की सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू युक्त उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर यदि कोई आयात-शुल्क लगा, तो वह कितना था तथा आयात की बंधित-सीमा कितनी थी और बंधित-सीमा की तुलना में प्रशुल्क-दर कम रहने के क्या कारण थे;

(ग) क्या आंतरिक बाजार-क्षेत्र में शुल्क मुक्त सिगरेटों तथा तम्बाकू युक्त उत्पादों की उपलब्धता के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंतरिक बाजार में शुल्कमुक्त तम्बाकूयुक्त उत्पादों तथा सिगरेटों की आवक को प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) तम्बाकू के उत्पाद मुक्त रूप से आयात योग्य हैं इन सभी मदों पर इस समय लागू मूल सीमाशुल्क 35% है। इसके अतिरिक्त, सिगरेटों का आयात विशेष महत्व की वस्तुओं पर शुल्क के अध्यधीन होता है जो सिगरेटों के टाइप के आधार पर 37/- रुपये प्रति हजार से लेकर 495/-रुपये प्रति हजार होता है। सिगरेटों का आयात राष्ट्रीय आपदा शुल्क के अध्यधीन भी होता है जो सिगरेट के टाइप के आधार पर 20/-रुपये प्रति हजार से लेकर 235/-रुपये प्रति हजार तक होता है। इन सभी मदों के लिए निर्धारित दर 150% है। वर्तमान शुल्क ढांचा आयातों के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(ग) सिगरेटों तथा तम्बाकू उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि असबाब नियमों के अन्तर्गत व्यक्तिगत उपयोग हेतु सीमित मात्रा की अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

तम्बाकू उत्पादों का आयात

मात्रा टनों में
मूल्यों करोड़ रुपयों में

एक्जिम कोड	मदों का विवरण	देश	1998-99 मात्रा	1998-99 मूल्य	1999-2000 मात्रा	1999-2000 मूल्य	2000-2001 (फरवरी तक) मात्रा	2000-2001 (फरवरी तक) मूल्य
24.02	तम्बाकू या तम्बाकू प्रतिस्थापन से बने चुरूट, सिगार, सिगरिल्स, सिगरेट	क्यूबा	1.4	0.57	0.6	0.29	0.5	0.52
		हांगकांग	4.4	0.33	0.3	0.05	14.4	1.14
		सिंगापुर	41.2	2.34	25.7	1.48	0.9	0.09
		स्विटजरलैण्ड	1.0	0.04	2.7	0.29	3.6	0.42
		यू.के.	37.0	2.63	58.8	2.47	7.6	0.43
		यूएसए	58.6	3.19	15.9	1.38	2.1	0.20
		अन्य	17.3	0.51	0.7	0.04	2.5	0.16
		कुल	160.9	9.61	104.7	6.00	31.6	2.96
24.03	अन्य विनिर्माण तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापन ''होमोजेनीकृत'' या ''पुनर्निर्मित'' तम्बाकू, तम्बाकू निस्सारण या सत	जर्मन संघीय गणराज्य	1.8	0.07	0	0	1.2	0.01
		यू.के.	0.4	0.03	12.3	0.23	0.5	0.02
		अन्य	9.0	0.10	15.7	0.14	6.9	0.04
		कुल	11.2	0.20	28.0	0.37	8.6	0.07

तुलन-पत्रक को प्रस्तुत न किया जाना

3045. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वित्त मंत्री** 'सेबी' के बारे में अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4934 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सूचना को सभा पटल पर कब तक रखा जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सेबी ने तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट दर्ज न करने के कारण किसी कंपनी को न तो चूक नोटिस जारी किया है और न ही अभियोजित किया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अन्तर्गत सेबी के अधिकारियों को चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, की धारा 162/220 के अन्तर्गत मैसर्स जयंती बिजनेस मशीन्स लिमिटेड का अभियोजन वित्तीय वर्ष 1996-1997 और 1998 की वार्षिक विवरणियां और तुलन-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई द्वारा दर्ज कराया गया है। मैसर्स नोवा पूमेक लिमिटेड और मैसर्स उनीलीव फूड लिमिटेड के संबंध में इन कंपनियों द्वारा वर्ष 1997-98 और 1998-99 के तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट दर्ज न करने के कारण कंपनी अधिनियम की धारा 159/220 के अन्तर्गत कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद ने अभियोजन दर्ज करवाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह सूचना दिनांक 5.12.2000 को पहले ही सभा-पटल पर रख दी गई थी।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के लिए एकल खिड़की प्रकोष्ठ

3046. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के लिए एकल खिड़की निपटान प्रकोष्ठ गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों हेतु उनकी नीति संबंधी ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के मार्गदर्शन हेतु कोई नीति संबंधी ढांचा तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी तथा बाधा मुक्त माहौल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि एसईजेड एककों के लिए एक ही स्थान से निपटान वाले तंत्र की व्यवस्था की जाए। राज्यों द्वारा इस प्रकार की प्रणाली अभी शुरू की जानी है।

आवास-निर्माण के लिए 'नाबार्ड' द्वारा वित्तपोषण

3047. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नाबार्ड' अपने वित्त पोषण के क्रम को आवास-क्षेत्र की ओर भी ला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आवास-क्षेत्र के लिए 'नाबार्ड' द्वारा बनाई गई पुनर्वित्त योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास-बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आवास खण्ड के लिए संसाधन बढ़ाने में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा बैंकिंग क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2001 से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 25 के अन्तर्गत सभी पात्र बैंकों को निवेश ऋण के अन्तर्गत पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु ग्रामीण आवास को पात्र क्रियाकलाप के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। आवास क्षेत्र के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना की महत्वपूर्ण बातें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

"ग्रामीण आवास" के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना की महत्वपूर्ण बातें:-

1. **परिचालन क्षेत्र** : वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, उत्तर पूर्वी विकास वित्त संस्थाएं (एन ई डी एफ आई) जैसे सभी पात्र बैंकों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं का उनके द्वारा किए जाने वाले वित्त पोषण हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा।

2. **पात्र उधारकर्त्ता** : व्यक्तियों, सहकारी आवास समितियां, लोक निकाय, आवास बोर्ड/आवास विकास प्राधिकरण, *सुधार न्यासों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक एजेंसियों और* गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

3. **पात्र उद्देश्य** : ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवास का निर्माण और विद्यमान आवास की मरम्मत/जीर्णोद्धार

4. **प्रतिभूति मार्जिन:** भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिदर्शों के अनुसार।

5. **लागत की अधिकतम सीमा:** आवासीय इकाई की लागत 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां भूमि प्राप्त की जा रही है वहां अंतिम लागत को मार्जिन राशि के रूप में माना जाए, अन्यथा भूमि लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

6. **व्यक्ति के लिए बैंक ऋण की प्रमात्रा (अधिकतम):** नए आवास के लिए 5 लाख रुपये तथा मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए 50,000 रु./-

7. **वापसी अदायगी अवधि:** नए आवास के लिए 15 वर्ष से अनधिक तथा मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए 5 वर्ष से अनधिक।

8. **पुनर्वित्त पर ब्याज की दर:** 50,000 रु. तक 9 प्रतिशत वार्षिक, 50001 रु. से 2 लाख रु. तक 10.5 प्रतिशत वार्षिक, 2 लाख रु. से अधिक के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक (ये ब्याज दरें सभी ऐजेंसियों पर लागू हैं)।

[हिन्दी]

धान की खरीद

3048. डा. चरणदास महंत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि आगे से वह भारतीय खाद्य निगम की ऐसी एक पृथक एजेंसी की नियुक्ति करे, जो समर्थन मूल्य पर धान व मोटे अनाज की खरीद का काम देखे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

व्यवस्थापन संबंधी सलाहकार समिति

3049. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि बैंकों द्वारा उनकी दीर्घकाल से एकत्रित गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) का समझौतागत-व्यवस्थापन करने के लिए व्यवस्थापन संबंधी सलाहकार समितियां बनाई गई थी;

(ख) क्या यह भी सही है कि ये समितियां दीर्घकाल से एकत्रित उन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का बंदोबस्त करने में विफल रहीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1999 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि वे निपटान सलाहकार समितियां (एस ए सी) गठित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, एस ए सी के माध्यम से 668.37 करोड़ रुपए की अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन पी ए) की वसूली हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्गनिर्देशों में वर्णित निपटारा फार्मूला आदि से संबंधित निदेशक पैरामीटरों की अपरिवर्तनीयता के कारण एस ए सी के माध्यम से अनुप्रयोज्य आस्तियों की और वसूली नहीं हो पाई।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से प्राप्त हुई प्रति सूचना के आलोक में और नई एन पी ए के विस्तार को रोकने हेतु, मई, 1999 के अपने परिपत्र में वर्णित मार्ग-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक में जुलाई, 2000 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए जिसमें 5 करोड़ रुपये तक के बकाया एन पी ए की वसूली के लिए सरलीकृत, अभेदमूलक और गैर-विवेकाधीन तंत्र उपलब्ध कराया गया है। 31 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने संशोधित मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत 1914 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है।

भारतीय नौवहन निगम का विनिवेश

3050. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री प्रकाश वी. पाटिल:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 2001 के 'बिजनिस स्टैण्डर्ड' समाचार पत्र में ''मिनिस्ट्री, डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेन्ट स्पिल्ट ओवर शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल-ऑफ स्ट्रेटेजी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) क्या पोत परिवहन मंत्रालय ने उक्त निगम में अपनी हिस्सेदारी का एक भाग अपने रणनीतिक साझेदार को अंतरित करने के लिए, इस विषय को विनिवेश मंत्रालय के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लाभ में चल रहे 'भारतीय नौवहन निगम' का विनिवेश करने के क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में, भारतीय नौवहन निगम में विनिवेश के विभिन्न तौर-तरीकों की बात कही गई है। इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड का विनिवेश, विनिवेश आयोग की सिफारिशों और सरकार की इस नीति पर आधारित है कि सरकार, साधारण मामलों में, गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, सरकारी शेयर धारिता को 26 प्रतिशत अथवा इसमे कम स्तर तक नीचे लाएगी।

''नाबार्ड'' की नवीन परियोजना

3051. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक (नाबार्ड) ने 135 करोड़ रु. के कार्य करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान, पहले भी 120 करोड़ रु. लागत के कार्य किये थे;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष उसे कितनी सफलता साहिल हुई;

(घ) 2001-2002 के दौरान किन-किन कार्यों को किया जाने की संभावना है; और

(ङ) इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) संभवत: माननीय सदस्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अधीन किए गए कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। नाबार्ड ने सूचित किया है कि 3 अगस्त, 2001 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 28 राज्य सरकारों को आरआईडीएफ की विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत 19593 करोड़ रु. की राशि मंजूर की है और इसके विरुद्ध कुल 9784.64 करोड़ रुपए का संवितरण हुआ है। वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों यथा सिंचाई, सड़कें एवं पुल, मिनी हाइडल, ग्रामीण जल आपूर्ति, भू मृदु संरक्षण, जलविभाजक विकास प्राइमरी स्कूल भवन, ग्रामीण बाजार, बाढ़ सुरक्षा एवं जल निकासी, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवस्था सुधार परियोजनाओं के आधारभूत तत्वों के सृजन का कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से कार्यक्रम के अधीन उपयोग के लिए परियोजनाएं भी प्रतीक्षित हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आरआईडीएफ में से 3176.85 करोड़ रु. तक के ऋण का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों यथा लघु, मध्यम एवं मुख्य सिंचाई, ग्रामीण सड़कें एवं पुल, जल विभाजक, बाढ़ सुरक्षा, बाजार अहातों, प्राइमरी स्कूल, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जल निकासी, मत्स्य बंदरगाह एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण आधारभूत के सृजन के लिए किया गया है। आरआईडीएफ के अधीन ऋण का उपयोग नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार पूरा किया जाना है:-

श्रृंखला	समाप्त होने की तारीख
आरआईडीएफ-2	31 दिसम्बर, 2001
आरआईडीएफ-3	31 मार्च, 2002
आरआईडीएफ- 4	31 मार्च, 2002
आरआईडीएफ- 5	31 मार्च, 2002
आरआईडीएफ- 6	31 मार्च, 2003
आरआईडीएफ- 7	31 मार्च, 2004

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारियां

3052. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत कितनी गिरफ्तारियां की गई;

(ख) आज तक, उन गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितनों को रिहा कर दिया गया है;

(ग) उन लंबित मामलों, जिनमें गिरफ्तारी का निर्णय तो पहले ही सुनाया जा चुका है, किन्तु संबंधित व्यक्ति फरार हैं, की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में सरकार उचित कार्यवाही नहीं कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं की जब्ती

3053. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विधि प्रवर्तन अभिकरणों, जिनमें राज्य पुलिस, अर्ध-सैनिक बल इत्यादि शामिल हैं, ने पिछले दो वर्षों के दौरान की गई नशीली दवाओं की जब्ती तथा उन्हें लाने-ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विषय में ब्यौरा देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन संबंधी एजैंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, वर्ष 1999 और 2000 में कुल मिलाकर जब्त की गई अफीम, मार्फीन, गांजा, हशीश, कोकीन, मैथाक्वालीन तथा ऐफीड्राइन, एल.एस.डी. की मात्रा क्रमश: 46751 किलोग्राम और 110581 किलोग्राम थी, 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में वर्ष 1999 और 2000 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमश: 13490 और 15065 थी।

'एयर इंडिया' का विनिवेश

3054. श्री जे. एस. बराड़: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक महत्ताप्राप्त विश्व विख्यात विमान सेवाओं जैसे 'ब्रिटिश एयरवेज' 'एमिरेट्स' 'एयर फ्रांस' और 'डेल्टा ग्रुप' इत्यादि, में सितंबर, 2000 में 'एयर इंडिया' के विनिवेशार्थ जारी की गई सूचना के प्रति रूचि दिखाते हुए प्रत्युत्तर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ ने अपना आवेदन वापस ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) एयर इंडिया में विनिवेश के विज्ञापन पर निम्नलिखित कैरियर्स ने अपने हित की अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की और बिड-पैक्स प्राप्त किए:

(1) एयर फ्रांस-डेल्ट्य एयरलाइंस

(2) स्विस एयर ग्रुप

(3) एमिरेट्स

(4) सिंगापुर एयरलाइंस (टाटा के साथ)

ब्रिटिश एयरवेज - कोण्टस ने भी आरंभिक चरणों में अभिरूचि व्यक्त की थी। उन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की और बाद में सूचित किया कि वे वास्तव में भाग नहीं लेंगे।

(ग) और (घ) उपरोक्त (1) से (3) पर उल्लिखित पार्टियों ने बिना कोई कारण बताए अपने नाम वापस ले लिए। चूंकि ब्रिटिश एयरवेज -कोण्टस ने अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की थी, उन्होंने अपना नाम वापस लेने के लिखित कारण नहीं बताए।

[हिन्दी]

नवसृजित राज्यों में औद्योगिक विस्तार

3055. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नवसृजित राज्यों में औद्योगिक-विस्तार करने के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को अंतिम रूप कब तक दे दिये जाने की संभावना है; और

(घ) औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तारार्थ, नव-सृजित राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) राज्यों में औद्योगिक विस्तार सहित औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है। उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार अपने द्वारा चलायी जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे कि- पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्र योजना, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राजसहायता योजना और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना। ग्रामीण औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम की भी घोषणा की गयी है।

[अनुवाद]

आयकर की बकाया राशि

3056. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, आयकर की कुल बकाया राशि कितनी थी; और

(ख) इसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया राशि 59,425.17 करोड़ रुपये है।

(ख) बकाया मांग की वसूली, कमी करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा इसकी वसूली के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी एवं अन्य उपाय किये जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली कार्रवाइयां स्थगित की जाती हैं तो स्थगन को रद्द कराने के लिए उपाए शुरू किए जाते हैं। उपयुक्त मामलों में मांग की शीघ्र वसूली के लिए अवपीहक उपाय भी किए जाते हैं। बड़े मामलों में, डोजियरों का रख-रखाव किया जाता है तथा वसूली की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजे गए 'फेरा' उल्लंघन संबंधी मामले

3057. श्री रामजी मांझी:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 'फेरा' के उल्लंघन से संबंधित विस्तृत मामलों को आगे जांच और अभियोजन के लिए प्रवर्तन निदेशालय के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या 'फेरा' संबंधी इन लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'फेरा' के उल्लंघन संबंधी सभी लंबित मामलों का निपटारा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 35,188 मामले प्रेषित किए हैं। ये उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें विदेशी मुद्रा पहले ही भेजी जा चुकी है और आयात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) मुम्बई और दिल्ली में विशेष एकक स्थापित किए गए हैं जहां पर बड़ी संख्या में मामले प्राप्त हुए हैं।

(ङ) मामलों को विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार 31 मई, 2002 तक निपटाए जाने की संभावना है।

विज्ञापन जारी करना

3058. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2001 से लेकर आज तक, दिल्ली, गुजरात और मुंबई से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक

समाचार पत्रों को कितने विज्ञापन दिए गए और इस हेतु उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) 1 जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर, 2000 तक उक्त समाचार पत्रों को कितने विज्ञापन दिए गए और इस हेतु उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया है;

(ग) समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के लिए क्या नियम और प्रक्रिया रखी गई है;

(घ) विज्ञापन जारी करने के उद्देश्य से समाचार-पत्रों का चयन करने के लिए क्या प्रविधि अपनाई गई;

(ङ) क्या वर्ष 2000 और 2001 के दौरान सरकार ने विज्ञापन-दरों को बढ़ाया;

(च) यदि हां, तो कहां तक;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या कुछ समाचार पत्रों और पत्र समूहों ने इन दरों को बढ़ाने की मांग की है;

(झ) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों और पत्र समूहों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इन दरों को बढ़ाने की मांग की और कितनी बढ़ोत्तरी की मांग की गई;

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया अथवा लिया जाएगा; और

(ट) उन वर्तमान दरों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन पर छोटे मध्यम दर्जे के तथा बड़े दैनिकों, साप्ताहिकों तथा पाक्षिकों को विज्ञापन दिए जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचारपत्रों को जारी विज्ञापनों तथा उन्हें भुगतान की गई राशि का सांख्यिकी ब्यौरा वित्तीय वर्ष-वार रखा जाता है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय इसके पास सूचीबद्ध समाचारपत्रों को "विज्ञापन नीति तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों के सूचीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों" के प्रावधानों के आधार पर विज्ञापन जारी करता है।

(घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा लक्ष्यित दर्शकों, प्रचार अपेक्षाओं, ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरें सामान्यतया चार वर्ष की अवधि के लिए वैध होती है। इन दरों को पिछली बार 1.1.99 से संशोधित किया गया था और इसलिए वर्ष 2000 तथा 2001 में कोई संशोधन आवश्यक नहीं था।

(ज) से (ञ) इंडियन न्यूजपेपर्स सोसयटी ने सरकारी विज्ञापन दरों में कम से कम 50% संशोधन करने का अनुरोध किया है। एक नई दर संरचना समिति स्थापित करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ट) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रत्येक समाचार-पत्र के संबंध में विज्ञापन दरों का निर्धारण, दर संरचना समिति द्वारा तैयार दर संरचना फार्मूले के आधार पर किया जाता है और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उपयुक्त के अनुसार निर्धारित दरों के आधार पर प्रत्येक समाचार पत्र के साथ दर समझौता करता है।

विवरण

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान गुजरात, दिल्ली तथा मुम्बई से प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचारपत्रों और अन्य समाचारपत्रों को जारी विज्ञापनों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

गुजरात

समाचारपत्र/पत्रिकाएं	1999-2000				2000-20001			
	समाचारपत्रों की सं.	निवेशनों की सं.	स्थान (कालम से.मी. में)	वचनबद्ध राशि (रु.)	समाचारपत्रों की सं.	निवेशनों की सं.	स्थान (कॉलम से.मी.)	वचनबद्ध राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दैनिक	62	5539	378816	34256234	67	6138	353598	30692118
साप्ताहिक	38	117	11473	286896	27	62	6155	146057

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाक्षिक तथा अन्य	6	18	1479	36525	8	21	1859	44523
जोड़	106	5674	391768	34579655	102	6231	361612	30882698
				दिल्ली				
दैनिक	96	30109	1050592	174034982	78	30363	983087	166876557
साप्ताहिक	109	4576	317194	103696134	65	2614	253272	94629690
पाक्षिक तथा अन्य	140	453	39136	1575835	102	254	21693	1051187
जोड़	345	35138	1406922	279306951	245	33231	1258052	262557434
				मुम्बई				
दैनिक	36	9540	408718	65726459	37	9748	371014	57422663
साप्ताहिक	10	27	2429	107723	6	18	1667	72092
पाक्षिक तथा अन्य	2	6	471	18579	1	2	156	3400
जोड़	48	9573	411618	65852761	44	9768	372837	57498155

अंतरण-मूल्यन संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

3059. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को कम करने का कोई प्रस्ताव है, जो अंतरणमूल्यन संबंधी मानदंडों (ट्रांसफर प्राइसिंग नार्म्स) का उल्लंघन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ये शिथिलीकृत मानदंड कब से लागू होंगे;

(घ) क्या इस संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है कि इस प्रकार सरकार को कितनी राजस्व राशि प्राप्त होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राजस्व प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अदा की गई बढ़ती हुई भूमिका पर विचार करते हुए नये अन्तरण मूल्यन संबंधी मानदण्डों में कर राजस्व बढ़ाने की क्षमता है। तथापि, समुचित आंकड़ों के अभाव में इसके कारण राजस्व में बढ़ोत्तरी की सही मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है।

भारतीय सीमेंट निगम का निजीकरण

3060. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम (सी.सी.आई.) ने इकाईवार सीमेंट का कितना वार्षिक उत्पादन तथा कारोबार किया;

(ख) इस अवधि के दौरान, विद्युत की अनुपलब्धता की वजह से, इकाई-वार उत्पादन में कितना वास्तविक घाटा हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान तथा 2001-2002 की प्रथम तिमाही में सरकार द्वारा गैर-योजनागत बजट सहायता के रूप में कितनी राशि दी; और

(घ) भारतीय सीमेंट निगम के पुनरूद्धार तथा इसके निजीकरण के संबंध में, बी.आई.एफ.आर. के पास इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का इकाई वार वार्षिक उत्पादन विवरण-I में दर्शाये गये अनुसार है।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) विगत 3 वर्षों और वर्ष 2001-2002 की प्रथम तिमाही के दौरान सरकार द्वारा दी गई गैर-योजना बजटीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (रुपये करोड़ में)	टिप्पणियां
1	2	3
1998-99	8.31	वेतन/मजदूरी के लिए
1999-2000	36.77	वेतन/मजदूरी के लिए
2000-2001	41.40	वेतन/मजदूरी के लिए
	43.25	वीआरएस के लिए
	0.33	बकाया सांविधिक देयताओं के लिए (ग्रेच्युटी)
वर्ष 2000-01 के लिए कुल	**84.98**	
2001-02 (प्रथम तिमाही)	6.33	वेतन/मजदूरी के लिए

(घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) बीआईएफआर के संदर्भाधीन है और रूग्ण घोषित कर दी गई है। बीआईएफआर ने प्रचालन एजेंसी (ओए) को सीसीआई की इकाइयों की अलग-अलग अथवा सामूहिक बिक्री करने के लिए मर्चेंट बैंकर की सेवाएं लेने का निदेश दिया है। प्रचालन एजेंसी (ओए) ने इस उद्देश्य के लिए मर्चेंट बैकर के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

विवरण-I

विगत 3 वर्षों के दौरान सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) का इकाईवार सीमेंट उत्पादन

(उत्पादन लाख मी. टन में)

क्र.सं.	यूनिट	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	बोकाजन	1.27	1.18	1.34
2.	राजबन	1.59	1.62	1.06
3.	तंदूर	4.89	3.64	0.36
4.	अदिलाबाद	1.07	0.09	0.02
5.	कुरकुंटा	0.44	–	–
6.	नया गांव	0.10	0.02	–
7.	दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	0.11	–	–
8.	मंढ़ार	–	–	–
9.	अकलतारा	–	–	–
10.	चरखी दादरी	–	–	–
	कुल	9.47	6.55	2.78

विवरण-II

विगत 3 वर्षों के दौरान सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) का इकाईवार सीमेंट उत्पादन

(मी. टन में)

क्र.सं.	यूनिट	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	बोकाजन	23590	36246	26087
2.	राजबन	7650	9373	2417
3.	तंदूर	21580	31368	566
4.	अदिलाबाद	6283	*	*
5.	कुरकुंटा	4851	*	*
6.	नया गांव	*	*	*
7.	दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	3717	*	*
8.	मंढ़ार	*	*	*
9.	अकलतारा	*	*	*
10.	चरखी दादरी	*	*	*
	कुल	67671	76987	29070

*निधि के अभाव में उत्पादन बंद रहा।

[हिन्दी]

कर की वसूली

3061. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2001 की तिथि के अनुसार घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितना कर बकाया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई कंपनियां बिना उत्पााद शुल्क का भुगतान किये अपने उत्पादों को फैक्ट्रियों से बाजार में भेज रही हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा कर की तेजी से वसूली करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी कर राशि की वसूली कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की कुल बकाया राशि 10,212.95 करोड़ रुपए थी। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रुपए और इससे अधिक बकाया मांगवाली घरेलू और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध बकाया आयकर की कुल राशि 17,035 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना अपने उत्पाद कथित रूप से बाजार में भेजने वाली कंपनियों वाले मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	कम्पनियों की संख्या	संलिप्त राशि (करोड़ों में)
2001-01	1573	690.71
2001-जून 2001 तक	323	441.85

पता लगाए गए मामलों की जांच के आधार पर अपवंचित शुल्क की और शास्ति लगाने की मांग करते हुए, कारण बताओ नोटिस जारी करने के माध्यम से विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं। उपयुक्त मामलों में कर अपवंचकों के विरुद्ध मुकदमा भी दायर किया जाता है।

(घ) करों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें चल और अचल सम्पत्ति की जब्ती, विलम्ब भुगतान के लिए ब्याज लगाना, शास्ति लगाना इत्यादि शामिल है। कर की वसूली तेजी से करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए समय-समय पर उच्चतर अधिकारियों द्वारा बकाया वाले मामलों की निगरानी और आवधिक समीक्षा की जाती है। प्राथमिकता के आधार पर मामलों में निर्णय देने के लिए अपीलीय निकायों में तत्काल सुनवाई याचिका दायर करने और स्थगन आदेश को हटवाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) बकाया वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि पार्टियां वसूली कार्रवाई के प्रति अपीलीय/कानूनी उपचार करने के लिए हकदार हैं और अपीलीय प्राधिकरण (न्यायालयों के सहित) न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए पूर्णत: अथवा अंशत: स्थगन, पुष्ट शुल्क अथवा जुर्माना और शास्ति के प्रति प्राय: अपील स्वीकृत करते हैं।

[अनुवाद]

तस्करी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी

3062. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में तस्करी गतिविधियों, विशेषकर स्वर्ण, अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र, विस्फोटक और विदेशी/नकली मुद्रा आदि में आई तेजी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पकड़े/जब्त किये गये खेपों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य के तस्करी वाले माल/खेप की जब्ती की गई;

(ग) कितने लोग गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को दबाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धन्धा होने के कारण यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि हाल में देश में तस्करी की गतिविधियों में, विशेषकर सोने, अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र, विस्फोटक और विदेशी/नकली मुद्रा आदि में तेजी आई है। फिर भी, तस्करी की वारदातें लगातार ध्यान में आ रही हैं। गत दो वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (जून, 2001 तक) के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए माल की कीमत एवं मामलों की संख्या और इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	पकड़े गए मामलों की संख्या	पकड़े गए माल की कीमत (करोड़ रुपए में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1999-2000	41018	1298.71	712
2000-2001	38393	437.54	669
2001-2002 (जून, 2001 तक)	8943	144.88	173

संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई तथा अभियोजन आरम्भ किया जाता है और उपयुक्त मामलों में कोफेपोसा के तहत नजरबंदी पर भी विचार किया जाता है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालय निषिद्ध माल की तस्करी रोकने और उसका पता लगाने के लिए सदैव चौकस तथा सतर्क रहते हैं।

महाचक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए विदेशी सहायता

3063. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को आज की तिथि तक महाचक्रवात प्रभावित उड़ीसा में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अलग-अलग विभिन्न देशों, घरेलू उद्योगों और स्वैच्छिक संगठनों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) किस तरीके से धन खर्च किया गया है/किये जाने की संभावना है और इस सहायता से संवितरण तथा उचित उपयोग पर नियंत्रण रखने हेतु क्या तंत्र अपनाया जा रहा है; और

(ग) सरकार को उड़ीसा में सरकारी संपत्ति के पुनर्निर्माण कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि की जरूरत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हरी चाय के लिए राज-सहायता

3064. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार हरी चाय के उत्पादकों को किस दर से अनुदान/राजसहायता दी जा रही है;

(ख) क्या अनुदान/राजसहायता बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के तहत चाय बोर्ड द्वारा इमदाद की दरों का निर्धारण किया जाता है जो प्रति हैक्टेयर-इकाई लागत का लगभग 25% होता है, जैसाकि विभिन्न चाय उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में आकलित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चाय बोर्ड द्वारा दी जा रही इमदाद की दरों में समय-समय पर उर्ध्वगामी संशोधन किया जाता है ताकि इसे प्रति हैक्टेयर इकाई लागत के 25% के बराबर किया जा सके।

[हिन्दी]

भारतीय सीमेंट निगम की स्थिति

3065. **श्री मानसिंह पटेल:**
प्रो. दुखा भगत:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमेन्ट निगम की घाटे में चल रही इकाइयों को बेचने/बंद करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इकाइयों की बिक्री के लिए निविदायें आमंत्रित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को अब तक कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री (डा. बल्लभभाई कथीरिया): (क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) एक रुग्ण कंपनी है तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के संदर्भाधीन है जोकि सिका (SICA) के तहत् एक अर्ध न्यायिक निकाय है। बीआईएफआर ने आपरेटिंग एजेंसी (ओए) को सीसीआई की सभी यूनिटों को एक एक करके या सामूहिक रूप से बिक्री करने के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करने का निदेश दिया है । आपरेटिंग एजेंसी ने इस उद्देश्य के लिए एसबीआई केपिटल मार्केट्स लिमिटेड को मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	स्थान	स्थापित क्षमता (लाख टन/प्रतिवर्ष)	प्रक्रिया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	बोकाजन सीमेंट प्लांट	कारबी-अंगलोंग असम	1.98	ड्राई	प्रचालन में है।
2.	राजबान सीमेंट प्लांट	जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	1.98	ड्राई	प्रचालन में है।

1	2	3	4	5	6
3.	तंदूर सीमेंट प्लांट	जिला रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश	10.00	ड्राई	संयंत्र 26.4.2001 को पुनः शुरू किया गया।
4.	मंढ़ार सीमेंट प्लांट	जिला रायपुर छत्तीसगढ़	3.80	वेट	प्रचालन में नहीं है। (6.6.1996)
5.	कुरकुंटा सीमेंट प्लांट	जिला गुलबर्ग, कर्नाटक	1.98	वेट	प्रचालन में नहीं है (1.11.1998)
6.	नया गांव सीमेंट प्लांट	जिला निमुच, मध्य प्रदेश	4.00	ड्राई	प्रचालन में नहीं है (30.6.1997)
7.	अकलतारा सीमेंट प्लांट	जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	4.00	ड्राई	प्रचालन में नहीं है (9.12.1996)
8.	चरखी दादरी सीमेंट प्लांट	जिला भिवानी, हरियाणा	1.74	सेमी ड्राई	प्रचालन में नहीं है (14.8.1996)
9	अदिलाबाद सीमेंट प्लांट	जिला अदिलाबाद, आंध्र प्रदेश	4.00	ड्राई	प्रचालन में नहीं है (5.11.1998)
10.	दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	दिल्ली	5.00		प्रचालन में नहीं है

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का पुराना भंडार

3066. **डा. सुशील कुमार इन्दौराः**
श्री रामजीलाल सुमनः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 3 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल पड़ा हुआ है;

(ख) क्या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़े रहने पर खाद्यान्न मानव उपभोग के ठीक नहीं होते; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्धारित अवधि कितनी है और सरकार की उक्त अवधि के बाद अब गोदामों में पड़े हुए खाद्यान्नों के उपयोग को लेकर क्या योजना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) पहली जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 3 वर्ष से अधिक पुराना 10.3 लाख टन गेहूं और 3.42 लाख टन चावल पड़ा हुआ था।

(ख) ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं है जिसके बाद खाद्यान्न मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। यदि भण्डारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है तो अनाज 3 वर्ष बाद भी उपभोग के लिए उपयुक्त रह सकता है। भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक रूप से बने गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से खद्यान्नों का भण्डारण करता है। आवधिक निरीक्षण करके और नियमित अंतराल पर जन्तुबाधानाशी उपचार करके स्टाक की गुणवत्ता और स्थिति की मानीटरिंग की जाती है।

(ग) विभिन्न उपाय करने के बावजूद कभी-कभी खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण और बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों के स्टाक को कुछ क्षति हो जाती है। ऐसे क्षतिग्रस्त स्टाक को जिसमें 5 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त अनाज होता है उसे छांटने के बाद उसका वर्गीकरण पशुचारे, औद्योगिक उपयोग, खाद्य और डम्पिंग आदि के रूप में किया जाता है तथा इसकी पेशकश पहले राज्य सरकार/सैनिक फर्मों आदि को

जाती है। इसके बाद जो स्टाक बच जाता है उसकी बिक्री भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन पंजीकृत पार्टियों को निविदा/सरकारी बोली के माध्यम से की जाती है जो इस स्टाक के प्रामाणिक उपयोगकर्ता हैं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत

3067. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक और आर्थिक लागत में कटौती के उपाय सुझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) ए.एस.सी.आई. की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने 22 मई, 2001 को सरकार को ''भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की अधिग्रहण और वितरण लागत'' संबंधी अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(ख) खाद्यान्न रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक और आर्थिक लागत में कटौती करने के उपाय और तरीके सुझाने के लिए भारतीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद की अध्ययन रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्वायत्त मौजूदगी वांछनीय है और भारतीय खाद्य निगम का संगठन बनाना देश के हित में नहीं होगा।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार को तीन घटकों (क) वसूली मूल्य निर्धारित करना; (ख) वसूली मात्रा निर्धारित करना और (ग) निर्गम मूल्य निर्धारित करना; में से किन्हीं दो पर नियंत्रण त्यागना होगा।

(ग) स्टाक का स्तर कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को नैमित्तिक प्रक्रिया के रूप में में खुली बाजार बिक्री करने की अनुमति दी जाए।

(घ) खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे प्राइवेट व्यापारियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए जो केवल लाभ से प्रेरित होते हैं।

(ङ) राज्य सरकारों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित मात्रा का उठान करने के लिए जोर दिया जाए और आवंटन के संदर्भ में उठान न की गई मात्रा के लिए राज्य सरकारों से भंडारण और ब्याज प्रभार अदा करने के लिए कहा जाए।

(च) रेलवे को ढुलाई हेतु प्राप्त खेप की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें केवल स्पष्ट आर.आर. ही नहीं जारी करना चाहिए बल्कि भारतीय खाद्य निगम के गंतव्य पर उसी स्थिति में खेप की सुपुर्दगी देनी चाहिए और संविदा अधिनियम के अधीन बैली के दायित्व को पूरा करना चाहिए।

(छ) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर के लिए लागू कठिन और पहाड़ी ढुलाई राजसहायता की योजना समाप्त कर दी जाए।

(ज) बैंकिंग क्षेत्र से निधियां उधार लेकर बफर स्टाक का वित्त पोषण करना समाप्त किया जाना चाहिए और इसका वित्त पोषण सरकारी अनुदान/अंशपूंजी के माध्यम से किया जाए।

(झ) विकेन्द्रीकृत वसूली प्रोत्साहित की जानी चाहिए।

(ट) अत्यधिक लागत वाला विभागीय श्रम समाप्त किया जाना चाहिए।

(ढ) भारतीय खाद्य निगम सभी भंडारण परिसंपत्तियां केन्द्रीय भंडारण निगम को बेच सकता है, जो देश में प्रमुख भंडारण वाहक बन सकता है।

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना

3068. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु के वार्षिक खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष के दौरान राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु को कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन तमिलनाडु को 1582944 टन चावल आवंटित किया गया था। 2000-2001 के दौरान खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2000-2001 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3179.258	96.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	88.704	8.200
3.	असम	788.708	123.600
4.	बिहार	837.444	1256.168
5.	छत्तीसगढ़	126.417	42.128
6.	दिल्ली	163.320	511.680
7.	गोवा	49.070	23.154
8.	गुजरात	559.526	919.287
9.	हरियाणा	0.000	184.558
10.	हिमाचल प्रदेश	98.691	106.753
11.	जम्मू और कश्मीर	262.920	123.840
12.	झारखंड	82.236	123.352
13.	कर्नाटक	1485.272	363.068
14.	केरल	1746.539	452.640
15.	मध्य प्रदेश	577.452	814.762
16.	महाराष्ट्र	790.064	1465.140
17.	मणिपुर	65.534	20.520
18.	मेघालय	224.770	12.000
19.	मिजोरम	95.660	15.120
20.	नगालैण्ड	122.040	23.040
21.	उड़ीसा	994.562	102.300
22.	पंजाब	20.160	107.556
23.	राजस्थान	33.062	1251.943
24.	सिक्किम	92.556	1.200
25.	तमिलनाडु	1582.944	0.000
26.	त्रिपुरा	164.890	15.360
27.	उत्तर प्रदेश	873.440	1798.576
28.	उत्तराखंड	24.760	16.964
29.	पश्चिम बंगाल	874.824	1354.896
30.	अंडमान और निकोबार$	31.804	9.840
31.	चंडीगढ़	2.520	15.478
32.	दादर और नागर हवेली	5.109	1.345
33.	दमन और दीव	1.852	0.748
34.	लक्षद्वीप$	6.540	0.504
35.	पांडिचेरी	38.568	6.240

गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन आंकड़ों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर किए गए अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण

3069. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के ऊपर प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त ऋण के ब्याज भुगतान पर कितनी धनराशि व्यय हुई/होगी; और

(ग) सरकार द्वारा इसे घटाने हेतु क्या उपाए किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 30 सितम्बर, 2000 को भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 4504 रुपये अथवा 97.7 अमरीकी डालर के बराबर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विदेशी ऋण पर ब्याज भुगतान इस प्रकार हैं:

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर
1997-98	4391
1998-1999	4781
1999-2000	4912

(ग) भारत के विदेशी ऋण पर ब्याज भार से संबंधित स्थिति हाल ही के वर्षों में काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार, चालू प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात 1990-91 के 15.5 प्रतिशत के ऊंचे अनुपात से घट कर 1999-2000 में 7.2 प्रतिशत हो गया है। यह सुधार सरकार द्वारा अपनाई गई विवेकपूर्ण ऋण ऋण प्रबंधन नीति के कारण ही संभव हुआ है जो निर्यातों की उच्च विकास दर बनाये रखने, परिपक्वता तंत्र और कुल वाणिज्यिक ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं के अन्तर्गत रखने, अल्पावधि ऋण को सीमित करने और ऋण-भिन्न सृजक वित्तीय प्राप्तियों को प्रोत्साहित करने पर संकेद्रित थी।

[अनुवाद]

बी.सी.सी.आई. द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती

3070. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनिवासी खिलाड़ी, जो भारतीय नागरिक न हो, की स्त्रोत पर कर कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 से 1997-98 के दौरान बी.सी.सी.आई. द्वारा विभिन्न देशों के खेल निकायों को किये गए भुगतान के संबंध में स्त्रोत पर कर न काटने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। गैर निवासी खिलाड़ी जो भारत का नागरिक नहीं है, को देय आय के सम्बन्ध में स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है।

(ख) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न गैर निवासी खेल निकायों को किए गए भुगतान के संबंध में इस तर्क पर स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी कि विदेशी क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों को गारन्टी मनी का भुगतान आय की प्रकृति का नहीं है और तद्नुसार, ऐसे भुगतानों पर कोई आयकर देय नहीं होता है।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों का पालन न करने के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को चूककर्ता कर निर्धारिती के रूप में समझा गया हैं। कर मांगें जारी कर दी गई है जिसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने विरोध करते हुए चुकता कर दिया है।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों की बरामदगी

3071. श्री राजो सिंह:
श्रीमती जसकौर मीणा:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नशीले पदार्थों की तस्करी बड़ी मात्रा में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए;

(घ) नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त कितने लोग गिरफ्तार किए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) नशीले पदार्थों की तस्करी तथा व्यापार एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है तथा तस्करी की मात्रा का ठीक-ठीक आंकलन करना संभव नहीं है। तथापि, प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त की गई नशीले पदार्थों की मात्रा से इस गैर-कानूनी धंधे के आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। विश्व में नशीले पदार्थों की जब्ती में भारत का हिस्सा 1.62% है। भारत में नशीले पदार्थों के व्यापार का प्रमुख खतरा, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया से इसकी समीपता की वजह से है। अन्य देशों के साथ अच्छी वायु सेवा से जुड़ने की वजह से भी भारत नशीले पदार्थ के व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बन गया है।

(ग) और (घ) चूंकि जब्त किए गए समस्त स्वापक पदार्थों को नष्ट किया जाता है तथा इनका कोई प्रामाणिक बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, अत: इनका कोई सटीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तथापि, विभिन्न स्वापक कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999 तथा 2000 के दौरान, अफीम, मार्फीन, हेरोइन, गांजा, हशीश, कोकेन, मेथाक्वालीन, तथा एफीड्राइन एल.एस.डी. की जब्त की गई कुल मात्रा 30 जून, 2001 तक क्रमश: 46751 किलोग्राम तथा 110581 किलोग्राम थी। विभिन्न स्वापक कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999 तथा 2000 के दौरान, नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 30 जून, 2001 तक क्रमश: 13490 तथा 15065 थी।

(ङ) मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें समस्त मादक पदार्थों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों अर्थात् ऐसेटिक एनहाइड्राइड, एफीड्राइन आदि को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत ''नियंत्रित पदार्थों'' के रूप में अधिसूचित करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सचिव तथा महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की आवधिक बैठकें करवाने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों की तिमाही आधार पर आयोजित करना तथा म्यांमार के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा म्यांमार को दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंजों के लिए नये नियम

3072. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या केन्द्र सरकार महसूस करती है कि देश भर के स्टाक एक्सचेंजों के नियमों, प्रक्रियाओं और विनियमों के मानकीकरण की बहुत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी स्टाक एक्सचेंजों के उप-नियमों, नियमों और विनियमों की जांच कर रहा था और इनमें एकरुपता लाने व उनका प्रशासन अधिक सुगम बनाने के लिए उसने उन्हें संशोधित किया है। ये संशोधन स्टाक एक्सचेंजों के परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किए गए हैं। सेबी के अनुसार, वे क्षेत्र जिनमें, अन्य बातों के अलावा, नियम, उप-नियम और विनियम संशोधित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:-

* स्टाक एक्सचेंजों का प्रशासन व प्रबंधन ढांचा-सभी स्टाक एक्सचेंजों में अब शासी निकाय हैं जिनमें 50 प्रतिशत दलाल निदेशक हैं और 50 प्रतिशत भिन्न निदेशक हैं जिनमें जन प्रतिनिधि व सेबी के नामांकित शामिल हैं।

* दलाल -भिन्न कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति जिसकी विशिष्ट जिम्मेवारियां स्टाक एक्सचेंजों की निगरानी तथा दैनंदिन का प्रबंध है। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियुक्ति व बरखास्तगी के मुख्य सिद्धांतों को भी एक समान बना दिया गया है।

* मुवक्किलों को मूल्य, दलाली और समय समाहित मानक विशेषताओं वाले संविदा नोट जारी किए जाने की परम्परा।

* सभी स्टाक एक्सचेंजों को निर्देशित किया गया था कि समाशोधन गृहों या समाशोधन निगमों की स्थापना करें।

* सूचीकरण और अ-सूचीकरण के मानदंडों को एक समान बनाया गया।

* सूचीकरण करार के माध्यम से सभी स्टाक एक्सचेंजों हेतु समान रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कंपनी अभिशासन की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया।

* सभी स्टाक एक्सचेंजों के लिए एक समान रूप से आवर्ती निपटान शुरू किया गया है।

* व्युत्पाद कारोबार के लिए समान मानदंड और व्युत्पाद एक्सचेंजों के लिए प्रतिमान उपनियम, जो नए स्थापित किए हैं, निर्दिष्ट किए गए हैं।

निर्यात प्रसंस्करण जोनों में श्रम कानून

3073. **डा. वी. सरोजा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस असामान्य तथ्य के बारे में जानकारी है कि निर्यात प्रसंस्करण जोन की कई इकाइयां समूचे देश में पालन किये जाने वाले श्रम कानूनों की अवहेलना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम कानून की अवहेलना करने वाली इन इकाइयों पर नियंत्रण रखने हेतु कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजेड) की एककों को सामान्य श्रम कानूनों द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। चूक करने वाले एककों के खिलाफ कार्रवाई, जब कभी जरूरी होती है तो संबंधित राज्य के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी चीनी मिलें

3074. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई चीनी मिलें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ग़ाज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी चीनी मिलों की स्थापना की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) तीन चीनी मौसमों यथा 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान क्रमश: 54, 69 तथा 70 (अनन्तिम) चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया। इन चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में चीनी मिलों को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है- सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की रुग्ण चीनी मिलें रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत कवर होती हैं तथा इन्हें अपनी रुग्णता के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजने होते हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जहां व्यवहार्य होता है, पुनरुद्धार योजनाएं तैयार करता है तथा पुनरुद्धार पैकेज में यदि सरकार से संबंधित कोई राहत या रियायत शामिल की जाती है तो पुनरुद्धार योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा उस पर विचार किया जाता है। सहकारी क्षेत्र के अधीन चीनी मिलें रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। ये मिलें संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के दायरे में आती हैं। राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) सहित वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी के साथ अथवा उनकी भागीदारी के बिना रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु उपयुक्त पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार करें।

इसके अतिरिक्त, रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच करने और संभावित व्यवहार्य यूनिटों के लिए पुनरुद्धार पैकेजों की सिफारिश करने के लिए सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठित की है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में जिन चीनी मिलों ने पहली बार उत्पादन आरम्भ किया है, उनकी संख्या निम्नवत है:-

वर्ष (अक्तूबर -सितम्बर)	चीनी मिलों की संख्या
1997-98	3
1998-99	3
1999-2000	3

विवरण

1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के चीनी मौसमों के दौरान जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनकी राज्यवार संख्या

राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)
पंजाब	1	1	1
हरियाणा	-	-	-
राजस्थान	-	1	2
उत्तर प्रदेश	10	19	19
मध्य प्रदेश	2	2	3
गुजरात	3	4	3
महाराष्ट्र	10	10	7
बिहार	17	18	18
असम	1	2	2
आंध्र प्रदेश	5	6	6
कर्नाटक	2	3	3
तमिलनाडु	-	-	-
केरल	1	1	1
उड़ीसा	1	1	4
पश्चिम बंगाल	-	-	-
नागालैंड	1	1	1
पांडिचेरी	-	-	-
गोवा	-	-	-
अखिल भारत	54	69	70

सरकारी उपक्रमों में खुली बोली

3075. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को खुली बोली में बेचने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए जिन सरकारी उपक्रमों की पहचान की गई है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी खुली बोली तेज विकास के लिए देश के हित में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाई जाती है। निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है:-

एयर इंडिया, सी एम सी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. (चरण 1), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इंडियन एयर लाइन्स, आइ बी पी लि. इण्डियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि. की सम्पत्तियां, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेटस लि., स्पोन्ज आइरन इण्डिया, लि., राज्य व्यापार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., जेसप एण्ड कंपनी लि., नेपा लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि., एच टी एल लि., एन आइ डी सी, भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड, (इ पी आई एल), और हिन्दुस्तान साल्टस लि.।

(ग) और (घ) जी, हां। खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता और विनिवेश के अधीन पेशकश की गई भागीदारी के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की बात सुनिश्चित करती है।

संयुक्त उद्यम कंपनियां

3076. श्री कमलनाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का सरकारी प्रतिभूतियों और कार्पोरेट ऋण में निवेश के प्रबंध के लिए कार्पोरेशन बैंक के साथ संयुक्त उद्यम की दो और कंपनियों के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एल.आई.सी. द्वारा एक वर्ष के दौरान एकत्रित प्रीमियम में से कुल कितना अनुमानित निवेश किया गया;

(घ) क्या एल.आई.सी. और कार्पोरेशन बैंक का संयुक्त उद्यम में एक मर्चेंट बैंक शुरू करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय जीवन निगम ने सूचित किया है कि वे अपने निवेश के प्रबंधन हेतु कारपोरेशन बैंक के साथ संयुक्त उद्यम का गठन नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका कारपोरेशन बैंक सिक्यूरिटी लि., जो वर्तमान में कारपोरेशन बैंक की पूर्णत: स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, के 33 प्रतिशत शेयर लेने का प्रस्ताव है ताकि सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने में सहायता की जा सके।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 2000-2001 के दौरान 41,110 करोड़ रुपये की राशि निवेश की है।

(घ) और (ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि कारपोरेशन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन में संयुक्त रूप से एक मर्चेंट बैंक के अधिग्रहण की अथवा स्थापना करने का व्यवहार्यता अध्ययन शामिल है।

बैंक शाखाओं का बंद किया जाना

3077. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के चार क्षेत्रीय कार्यालयों और पचास शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) शाखा लाइसेंसिंग नीति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार बैंक ग्रामीण केन्द्रों के अलावा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी बंदी के कारण कोई स्थान/वार्ड बैंकिंग सुविधा से वंचित न हो जाए। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि अपनी पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में इसने अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों का अन्य क्षेत्रों में विलय कर दिया है जिससे उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या 32 से घटकर 28 रह गई है। इसके अतिरिक्त, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए घाटा देने वाली और निष्क्रिय अपनी 55 शाखाओं के विलय की योजना बनाई है, जिसमें से इसने 18 शाखाओं का 2000-2001 के दौरान विलय कर दिया है और चालू वर्ष के दौरान 27 शाखाओं का विलय कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजसहायता पर निगरानी

3078. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजसहायता देने वाले तंत्र द्वारा अपना काम ठीक से न करने के कारण राजसहायता कम करने या समाप्त कर देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को राजसहायता देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार के समक्ष अनिवार्य उपभोग की मदों पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) समाप्त कर देने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहां तक संभव हो सके बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता को रोका जाए ताकि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंध के सरकार के प्रयासों पर कोई दबाव न पड़े।

(ग) सरकार गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 50 प्रतिशत आर्थिक लागत पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के अलावा मार्च, 2001 से अंतोदय योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को गेहूं की 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. और चावल की 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सहायता वाली दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाएगी जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए गेहूं के 4.15 रुपये प्रति कि.ग्रा. और चावल के 5.65 रुपये प्रति कि.ग्रा. के निर्गम मूल्य से काफी कम है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्य भंडार

3079. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री शमशेर सिंह दूलो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अतिरिक्त खाद्य भंडार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्यवार क्षमता का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार इनमें कितने खाद्यान्न का भंडारण किया गया है तथा गत एक वर्ष के दौरान उनकी भंडारण की निर्धारित अवधि कितनी थी;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान गोदामों में राज्यवार कितनी मात्रा में खाद्यान्न सड़ गया;

(ङ) गोदामों में खाद्यान्नों की सड़न को रोकने हेतु शुरू किए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत एक वर्ष के दौरान गोदामों के रखरखाव और विकास पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(घ) कभी-कभी दीर्घावधि भण्डारण, बाढ़ और अत्यधिक तेज हवाओं वाली अभूतपूर्व वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों को क्षति हो जाती है। पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा लगभग 0.70 लाख टन थी।

(ङ) खाद्यान्नों को सड़ने/क्षति से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं-

(1) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक तरीके से बने गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण करता है जो मूषक और नमी रोधी होते हैं।

(2) खाद्यान्नों के आवधिक निरीक्षण और उचित रखरखाव के लिए अर्हक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाये जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों का भण्डारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और नियमित रूप से जन्तु बाधा रोधी उपाय किए जाते हैं।

(4) रोग निरोधी और रोगहर उपचार करने के लिए प्रत्येक डिपु/भण्डारण केन्द्र पर रसायनों की पर्याप्त मात्रा रखने की व्यवस्था की जाती है।

(5) जहां तक संभव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्यान्नों का संचलन ढके हुए वैगनों में किया जाता है। तथापि, जब कभी खुले वैगनों में स्टाक ले जाया जाता है तो इसे तारपोलिन आदि से उचित रूप से ढका जाता है ताकि मार्गस्थ क्षति से बचा जा सके।

(6) कभी-कभी, ढ़के हुए भण्डारण स्थान की अत्यंत कमी होने और संचलन बाधा होने के कारण भारतीय खाद्य निगम अस्थायी भण्डारण, जिसे कैप (कवर और प्लिंथ) कहते हैं, के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार प्रणाली के अधीन खुले में गेहूं और धान का भण्डारण करने के लिए बाध्य हो जाता है। कैप में भण्डारित खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं-

(क) स्टाक का भण्डारण लकड़ी की क्रैटों पर किया जाता है जिसे कम घनत्व के विशेष रूप से तैयार काले पॉलिथीन कवरों से ढका जाता है जो जलरोधी होते हैं ताकि खाद्यान्नों को वर्षा से बचाया जा सके।

(ख) पॉलिथीन कवरों को उचित रूप से बांधने के लिए नायलोन की रस्सियां प्रदान की जाती हैं ताकि अत्यधिक तेज हवा चलने आदि के दौरान कवरों को उड़ने से बचाया जा सके।

(ग) पॉलिथीन कवर, मोनोफिलामेंट के जाल, कवर टाप आदि अग्रिम में खरीद लिए जाते हैं ताकि कैप में रखे स्टाक को मौसम की प्रतिकूलता से बचाया जा सके।

(च) वर्ष 2000-2001 के दौरान गोदामों के रख-रखाव और विकास के लिए 22.95 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1.7.2001 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कुल भंडारण क्षमता (ढकी और कैप) इसके पास रखा स्टाक और पिछले एक वर्ष में भंडारण में रखा स्टाक बताने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य का नाम	क्षमता (ढकी हुई और कैप)	स्टाक (1.7.2001 की स्थिति के अनुसार)	पिछले एक वर्ष में भंडारण में रखा स्टाक
1	2	3	4
बिहार	5.26	4.72	3.24
झारखंड	1.09	0.90	0.83
उड़ीसा	6.21	5.42	4.90
पश्चिम बंगाल/सिक्किम	10.65	7.39	4.69
असम/अरुणाचल प्रदेश	3.16	2.19	1.84
उत्तर-पूर्वी राज्य	1.19	0.66	0.54

1	2	3	4
दिल्ली	3.74	3.55	0.62
हरियाणा	24.86	24.37	18.65
हिमाचल प्रदेश	0.25	0.16	0.15
जम्मू और कश्मीर	1.18	0.67	0.52
पंजाब/चंडीगढ़	123.63	116.86	85.59
राजस्थान	18.78	16.50	6.01
उत्तर प्रदेश	36.57	35.74	17.64
उत्तरांचल	2.93	4.61	–
आंध्र प्रदेश	34.92	38.95	36.52
केरल	5.83	6.76	3.82
कर्नाटक	10.02	10.26	6.09
तमिलनाडु/पांडिचेरी	11.76	11.70	7.69
गुजरात	9.98	6.66	2.10
महाराष्ट्र/गोवा	20.02	17.32	3.19
मध्य प्रदेश	9.95	8.19	2.90
छत्तीसगढ़	8.57	8.10	3.64
जोड़	350.55	331.68	211.17
		+ 3.43 (*)	
		335.11	

(*) 3.43 स्टाक मार्गस्थ

विवरण-II

2000-2001 के दौरान गोदामों के रख-रखाव और विकास पर खर्च किए जाने वाले रकम का ब्यौरा बताने वाला विवरण

जोन	राज्य	2000-2001 के दौरान खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
उत्तरी	पंजाब	155.74
	हरियाणा	77.65
	उत्तर प्रदेश	194.04
	राजस्थान	46.25
	जम्मू और कश्मीर	37.98
	दिल्ली	36.80
	हिमाचल प्रदेश	0.21
		548.67
	तौल सेतुओं का रूपान्तरण	53.83
दक्षिणी		
	तमिलनाडु	84.93
	आंध्र प्रदेश	242.91
	कर्नाटक	67.76

1	2	3
	केरल	129.21
		524.81
	तौल सेतुओं का रूपान्तरण	26.75
पश्चिमी		
	महाराष्ट्र	230.26
	गुजरात	104.39
	मध्य प्रदेश	158.53
		493.18
पूर्वी जोन		
	पश्चिम बंगाल	218.29
	बिहार	145.75
	उड़ीसा	101.60
		465.64
उत्तरी पूर्वी		
	असम	146.60
	शिलांग	35.70
		182.30
	जोड़	22.95करोड़ रुपये

[हिन्दी]

सुपर बाजार वार्षिक बिक्री

3080. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सुपर बाजार की वार्षिक बिक्री कितनी थी;

(ख) सुपर बाजार के खातों की किस वर्ष लेखा परीक्षा की गई थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सुपर बाजार के खातों में लेखा परीक्षकों द्वारा पाई गई विसंगतियों/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार की वार्षिक बिक्री इस प्रकार रही :-

1998-99 - 12,527.27 लाख रु.

1999-2000 - 8,167.35 लाख रु.

2000-2001 - 3,713.47 लाख रु. (लेखा परीक्षित नहीं)

(ख) सुपर बाजार के 1999-2000 तक के खातों की लेखा परीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) वार्षिक रिपोर्टों और खातों के लेखा परीक्षित विवरणों, जिनमें उक्त अवधि के लिए खातों की लेखा परीक्षित रिपोर्टें भी शामिल हैं, पर सुपर बाजार की आम सभा द्वारा अभी विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

हल्दिया में सीमा शुल्क कार्यालय

3081. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पूर्णरूपेण सीमा शुल्क कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) हल्दिया पत्तन पर एक सीमा-शुल्क गृह पहले ही से कार्य कर रहा है। हल्दिया में "इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज" (ई डी आई) शुरू किया जा रहा है तथा मैं. सी एम सी ने प्रणाली प्रतिस्थापित करने के लिए स्थल की तैयारी करनी प्रारम्भ कर दी है, कार्यालय भवन हेतु भूमि की खरीद पर विचार किया जा रहा है।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के विभागों का पुनर्गठन

3082. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के समक्ष विचाराधीन पुनर्गठन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में कतिपय तकनीकी संवर्गों को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संवर्ग पुनः संरचना की मंजूरी दी है।

(ख) और (ग) पुनः संरचना का लक्ष्य कार्य-क्षमता में सुधार करना, संसाधनों को अतिरिक्त रूप में गतिशील बनाना, व्यापार और उद्योग को बेहतर रूप से सुगम्य बनाना, विभाग के कार्मिकों की संख्या में कमी करना तथा बेहतर जीवन परिदृश्य का प्रबन्धन करना है। इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

योजना आयोग के सुझाव

3083. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने खाद्य संबंधी नीति में आमूलचूल परिवर्तन का सुझाव दिया है और निजी क्षेत्र को इसमें बड़ी भूमिका देने और खामियों से भरपूर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपचारात्मक उपाय करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या पैनल द्वारा तैयार किए गए प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में इंगित किया गया है कि सबसे बड़ी चुनौती खाद्यान्न भंडारों के मौजूदा स्तर को आधा तक लाना और किसानों को प्रभावित किए बिना इसका उपयोग कुपोषण दूर करने के लिए किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (च) योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डील करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है। तथापि, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण संबंधी कागजात को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनिवेश

3084. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के 40 प्रतिशत शेयरों को न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर 26:14 के अनुपात में सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा को बेचने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सरकार ने, एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस में अपनी इक्विटी के विनिवेश के लिए अनुकूल खरीददार और/अथवा मूल्य के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.सी.आई. के गोदामों में खराब खाद्यान्न

3085. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 400000 टन से ज्यादा खराब खाद्यान्न भंडार में है जो मानव खपत के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार के पास भंडारण प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण खाद्यान्न खराब हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने अथवा नई प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय एफसीआई के गोदामों में कितने रुपये का खराब खाद्यान्न है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं। पहली जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कुल 327.06 लाख टन स्टाक में से 1.82 लाख टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त था जो स्टाक का केवल लगभग 0.56 प्रतिशत बैठता है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का भण्डारण वैज्ञानिक रूप से बने गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से करता है। नियमित अंतराल पर आवधिक निरीक्षण करके स्टाक की गुणवत्ता और स्थिति की मानीटरिंग की जाती है। खाद्यान्न के स्टाक को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक रोगनिरोधी और रोगहर जन्तुबाधारोधी उपचार किए जाते हैं।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की भण्डारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने तथा खाद्यान्नों की बल्क हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई की आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों के भण्डारण, हैण्डलिंग और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इस नीति में खाद्यान्नों की बल्क हैंण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसे चलाने हेतु देश और विदेश के सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों का इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई है। नीति में ''बनाओ और चलाओ'' आधार पर भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए निजी क्षेत्र द्वारा परम्परागत भण्डारण गोदाम बनाने और चलाने की परिकल्पना भी की गई है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की वर्तमान कीमत लगभग 6.04 करोड़ रुपये है।

अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित करना

3086. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनाजों के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित करने का है और देश में 20 विभिन्न स्थानों पर अनाज भंडारण गृह की स्थापना के लिए विश्वभर से निविदाएं आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनाज भंडारण गृहों में बेहतर गुणवत्ता मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए अनाजों की विभिन्न किस्मों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) भण्डारण और मार्गस्थ हानियों को न्यूनतम करने और खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई के काम में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दृष्टि से सरकार का निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों में 10 स्थानों पर बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई की सुविधाएं सृजित करने का प्रस्ताव है। तथापि, अभी तक इन सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित नहीं की गई हैं। प्रथम चरण में भारतीय खाद्य निगम की ओर से राईटस द्वारा इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उसके पश्चात छांटी गई पार्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने अनाज की बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई सुविधाओं का सृजन करने के लिए कुल 21 लाख टन की क्षमता के निम्नलिखित 10 स्थानों की पहचान की है:

क्र.सं.	राज्य का नाम/वसूली राज्य		स्थान	क्षमता
1	2		3	4
1.	पंजाब	1.	नाभा	3 लाख टन
		2.	बरनाला	3 लाख टन
		3.	मोगा	3 लाख टन

1	2		3	4
2.	हरियाणा	1.	सिरसा	3 लाख टन
		2.	कैथल	3 लाख टन
	उपभोक्ता राज्य			
3.	पश्चिम बंगाल	1.	हुगली	1 लाख टन
4.	तमिलनाडु	1.	चैन्नई	1 लाख टन
		2.	कोयम्बटूर	1 लाख टन
5.	कर्नाटक	1.	बंगलौर	1 लाख टन
6.	महाराष्ट्र	1.	नवी मुम्बई	2 लाख टन
	जोड़			21 लाख टन

इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के माध्यम से पिपावाव (गुजरात) पत्तन कस्बे में 1 लाख टन के लिए सुविधा सृजित की जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) इन इन्फ्रास्ट्रक्चरों में प्राप्ति और प्रेषण के समय खाद्यान्नों की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने की आधुनिक सुविधाएं होंगी। कीट नियंत्रण, वातन और सीधा-उल्टा करने हेतु खाद्यान्नों के प्रधूमन के लिए मशीन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

फिल्मों पर सट्टेबाजी

3087. श्री विजय गोयल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस में कुछ ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई जिनके अनुसार क्रिकेट में सट्टेबाजी घोटाले के बाद सटोरिये फिल्मों पर सट्टा लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस घृणित कार्य की कार्य-प्रणाली क्या हैं; और

(ग) इस बुराई पर नियंत्रण के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, हां। तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है और इसलिए अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना तथा उनकी रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

एलआईसी और जीआईसी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3088. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास साधारण जीवन बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बैंकों की तरह है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्तमान में भारतीय साधारण बीमा निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याएं

3089. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रणी निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्षों ने केन्द्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी की गई किसी अधिसूचना के विरुद्ध शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) अधिसूचना सं. 29, दिनांक पहली जून, द्वारा अधिसूचित विभिन्न निर्यात मदों के लिए शुल्क प्रतिअदायगी की सभी उद्योग की दरों की घोषणा के बाद, निर्यात उत्पादों की कतिपय श्रेणियों के लिए निश्चित की गई प्रतिअदायगी की सभी उद्योग की दरों की अपर्याप्तता के विरूद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों और वैयक्तिक निर्यातकों से कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उनके अनुरोध पर विचार करते हुए और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तथा निविष्टि शुल्कों में हुई हानि के औसत आपात के तुरंत अध्ययनों के पश्चात् 22 जून, 2001 के वस्त्रों, चमड़ा उत्पाद, जिसमें जूते शामिल हैं, और हस्तशिल्प मदों के संबंध में प्रतिअदायगी की सभी उद्योग की दरों में वृद्धिकारी संशोधन किया गया था।

एमटीएनएल पर आयकर

3090. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क को आयकर की परिकल्पना करते समय कुल आय में कटौती और छूट के रूप में नहीं लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) कर निर्धारण अधिकारी ने महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारत संचार निगम लि. द्वारा चुकाई गई लाइसेंस फीस के संबंध में कटौती के दावे की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि यह मानना था कि ऐसा भुगतान न तो अध्यारोही शीर्ष के कारण है, न ही इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत कारोबार के प्रयोजनार्थ पूर्णतया और अनन्यतया किया गया कोई व्यय है। यह भी निर्णय लिया गया था कि ऐसा भुगतान कराधेय आय को कम करने के लिए कोष के पथान्तरण की प्रकृति का है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को प्रथम अपील स्तर पर बरकरार रखा गया।

बिहार के प्रस्ताव

3091. **श्री मंजय लाल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से बिहार को औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य के रूप में घोषित किये जाने और पूर्वोत्तर राज्यों की तरह औद्योगिक नीति उपलब्ध कराने, जिसमें राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम की शाखा खोलना, टूल रूम और ट्रेनिंग केन्द्र खोलने, कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने, निर्यात केन्द्र की स्थापना और शिल्प निर्यात केन्द्र खोलने से संबंधित कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) सापेक्ष भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग, क्षेत्र की लघुता, क्षेत्र के बाहर स्थित बाजारों में कम अभिगम्यता और व्याप्त असाधारण परिस्थितियों को मदेनजर रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहनों का एक विशेष पैकेज तैयार किया गया था। अन्य क्षेत्र को भी ऐसा पैकेज देना मुश्किल होगा। भारत सरकार की विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए पांच विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। इनके अतिरिक्त, राज्य में 27 जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस प्रकार वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1बी के अंतर्गत आयकर लाभ पाने के पात्र हैं। राज्य सरकार को इन योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

छोटे किसानों को ऋण

3092. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को कम करने का है जिससे वह समय पर ऋण की धनराशि का भुगतान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घोषणा किस तिथि तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा सभी अग्रिमों पर ब्याज की दर ऋण के आकार पर निर्भर करती है। 2 लाख रुपये तक के ऋण, ऋणदाता बैंक की मूल उधार दर (पीएलआर) तक किसी भी दर पर दिए जा सकते हैं। 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज दर अविनियमित हो गई है और ऋणदाता बैंकों को अपने विवेक पर ऋण की कुल मात्रा से संबद्ध ब्याज प्रभारित करने की स्वतंत्रता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक का इस समय, ब्याज दर को और कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सीएनजी वाहनों के कलपुर्जों में तकनीकी खराबी

3093. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएनजी वाहनों विशेषकर सीएनजी बसों में तकनीकी खराबी से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके कारण वाहन मालिकों को वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएनजी वाहनों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण काफी महंगे होते हैं और दुकानों में आमतौर पर नहीं मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) उपलब्ध रिकार्डों से यह प्रतीत होता है कि जबकि सीएनजी वाहनों विशेषरूप से सीएनजी बसों में तकनीकी खराबी के संबंध में बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, फिर भी, दिल्ली में सीएनजी वाहनों को चलाने में प्रभावित करने वाली कई कठिनाईयों जैसे गैस की कमी आदि दर्शाते हुए प्रेस रिपोर्ट मिली है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को उनके संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेताओं के भाषण

3094. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक उपयोग के लिए महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे आधुनिक भारत के नेताओं के टेपों की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने नेताओं के भाषणों की बिक्री किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने रिकार्ड की गई टेपों के लिए कोई दर निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वर्षगांठ, पुण्य तिथि आदि जैसे अवसरों पर उपयोग करने हेतु उभोक्ता एजेंसियों को अति विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों/उनकी वार्ताओं के अंश उपलब्ध कराने के लिए प्रसार भारती द्वारा सेवा प्रभार निर्धारित किए जाते हैं। सेवा प्रभारों की दरें अवधिक रूप से संशोधित की जाती हैं तथा वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं:-

	गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु रिकार्डिंग (रुपये)	लिप्यन्तरण (रुपये)	वणिज्यिक उद्देश्यों हेतु रिकार्डिंग (रुपये)	लिप्यन्तरण (रु.)
(1) प्रधान मंत्री/ राष्ट्रपति के भाषण (15 तक)	5000/-	3000/-	12000/-	7000/-
(2) संस्मरण वार्ताएं (30 तक)	10,000/-	7000/-	25000/-	15,000/-
(3) साक्षात्कार (30 से 60)	25000/-	12000/-	50,000/-	25,000/-

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का निर्यात

3095. श्री के. येरननायडू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों ने इन मशीनों को खरीदने में रूचि दिखाई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारत के निर्वाचन आयोग ने भारत इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, बंगलौर और इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए इन मशीनों का अन्य देशों को निर्यात करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें खरीदने के लिए उसे मालावी, केन्या, नेपाल और बंगलादेश जैसे कुछ देशों से प्रारम्भिक पूछताछ प्राप्त हुयी है।

ऋण वसूली अधिकरण

3096. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने ऋण वसूली अधिकरण और डीआरएटी कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकरणों में कुल कितने मामले दायर किये गये है और इन अधिकरणों द्वारा कितने मामले निपटाए गए;

(ग) 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार इस समय इन अधिकरणों में कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या ये डीआरएटी प्रत्येक अधिकरण में दायर किये जा रहे मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामलों के शीघ्र निपटान और एनपीए की वसूली हेतु देश में कुछ और डीआरएटी की स्थापना करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या डीआरएटी द्वारा मामलों के निपटान में अधिक समय लगता है और महंगा है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्याय दिलाने हेतु कुछ वैकल्पिक उपाय करने का है जो कि लागत प्रभावी और कम समय लेने वाला है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्तमान में 22 ऋण वसूली अधिकरण हैं जिनमें से महाराष्ट्र

में 5, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दो-दो तथा राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में एक-एक ऋण वसूली अधिकरण हैं। 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण हैं जिनमें से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक-एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान इन अधिकरणों में दायर मामलों और इन वर्षों में अधिकरणों द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

31 मार्च को समाप्त वर्ष	दायर मामलों की संख्या (प्रगामी)	निपटाए गए मामलों की संख्या (प्रगामी)
1998-99	27333	5937
1999-2000	37889	9825
2000-2001	47667	14462

(ग) ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार, इन अधिकरणों में लगभग 35907 मामले लम्बित थे।

(घ) से (च) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डीआरएटी अधिनियम) के उपबंधों को लागू करके शुरूआत में देश में 10 ऋण वसूली अधिकरण और एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण स्थापित किए गए थे। प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरणों पर काम के बोझ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में देश में 22 ऋण वसूली अधिकरण तथा 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कार्यरत हैं। इन ऋण वसूली अधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने 7 और ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से दिल्ली, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, लखनऊ, रांची और पुणे में एक-एक स्थापित किए जाने हैं।

(छ) से (झ) उक्त अधिनियम की धारा 19 उप-धारा 24 के अंतर्गत अधिकरणों के पास दिए गए आवेदनों पर इसके द्वारा यथासंभव त्वरित कार्रवाई की जाती है और इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि आवेदन प्राप्त होने के तारीख से छः महीने के भीतर उक्त आवेदन का अंतिम रूप से निपटान कर दिया जाए। विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर कतिपय मामलों के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने डीआरटी अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया था, के कारण मामलों के निपटान की दर अपेक्षित स्तर तक नहीं है। ऋण वसूली अधिकरण वर्तमान में एक स्थगन आदेश के अधीन कार्य कर रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जारी किया है। ऋण वसूली अधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन करने, प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में पदों की संख्या बढ़ाने, कार्यालय परिसर का क्षेत्र बढ़ाने, पीठासीन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करने तथा विभिन्न स्थानों पर केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य पूल आवास से कार्यालयी/आवासीय परिसर के लिए डीआरटी और उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को पात्र बनाने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण

3097. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष सभी स्टाक एक्सचेंजों के निगमीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) स्टाक बाजारों में सांस्थानिक प्रक्रिया तथा कारोबार प्रथाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार का सभी स्टाक एक्सचेंजों को परस्परीकरण रहित (डिम्यूटलाइज़) करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन तथा कारोबार सदस्यता एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इससे निम्न बातों में सहायता मिलेगी :

* एक्सचेंजों के प्रबंधन का और व्यावसायीकरण तथा हितों के टकराव की समाप्ति;
* कार्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन में सुधार;
* एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने तथा बेहतर निवेशक सेवा प्रदान करने के लिए बाजार से निधियां जुटाने की स्टाक एक्सचेंजों की क्षमता का वर्धन।

सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी है।

सांविधिक तरलता अनुपात

3098. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सांविधिक तरलता अनुपात को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निर्णयों से मुद्रास्फीति पर और बैंकों के कार्यकरण पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), से संबंधित उपबंध विहित हैं। एसएलआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक निर्धारण है जिसके अंतर्गत बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अधीन सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में चल आस्तियों को अपनी कुल मांग और समय-समय पर निर्धारित मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में रखना अपेक्षित होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिए प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

ईख परिवहन लागत

3099. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुल्क आयोग और बी.आई.सी.पी. जैसे मूल्य निकायों द्वारा 1997 तक अपनी सिफारिशों में मूल परिवर्तन लागत में ईख परिवहन लागत को शामिल किया जाता रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 1998-99 के मौसम तक अपनी रिपोर्ट और लेवी चीनी के लिए क्षेत्रीय लेवी मूल्य को स्वीकार कर लिया है क्योंकि 1959 से ईख परिवहन लागत इसमें शामिल रही है;

(ग) कया सरकार ने लागत लेखा शाखा को निर्देश दिया है कि ईख परिवहन लागत में लेवी मूल्य के भाग के रूप में चीनी की सावधिक न्यूनतम मूल्य को समायोजित करने के पश्चात् जैसाकि बी.आई.सी.पी. द्वारा 1992 से किया जा रहा है इसको सिफारिश की है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के मौसम के लिए अधिसूचित की गई लेवी मूल्य में सिफारिश की गई कुल ईख परिवहन लागत को शामिल किया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के मौसम के लिए अधिसूचित की गई लेवी मूल्यों में सकल ईख परिवहन लागत को अस्वीकार कर मूल्य निर्धारण की गत 90 वर्षों से चली आ रही एक प्रक्रिया से अलग हटकर अपनाई गई प्रक्रिया को किस प्रकार न्यायोचित ठहराएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने लागत लेखा द्वारा किए जाने वाले लागत अध्ययन से संबंधित विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ एक ऐसी प्रणाली तैयार करने संबंधी विषय भी शामिल किया था जिसके जरिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य में ढुलाई लागत के घटक तथा फैक्ट्रियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों को निर्धारित किया जाएगा। इन दोनों में अन्तर की धनराशि रूपान्तरण लागत का हिस्सा हो सकती है।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा ने फरवरी, 2000 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गने के जिस सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की जाती है उसमें गन्ने की ढुलाई लागत पहले ही शामिल की जा चुकी होती है और इस स्थिति के मद्देनजर लेवी मूल्य में इस वजह से चीनी मिलों को कोई और धनराशि देय नहीं बनती है। यदि चीनी मिलें गन्ने की ढुलाई पर कुछ अतिरिक्त लागत वहन करती हैं, तो वे गन्ने की उपलब्धता तथा चीनी के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से करती हैं जिसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में चीनी अपेक्षाकृत अधिक बिक्री के माध्यम से उनके लाभ में वृद्धि होती है। सरकार ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशों तथा अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि 1999-2000 तथा 2000-2001 के चीनी मौसमों के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों के निर्धारण के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य में पहले से ही शामिल गन्ना ढुलाई लागत के अलावा किसी अन्य गन्ना ढुलाई लागत को शामिल न किया जाए।

राज्यों को अधिशेष उत्पादों के निर्यात के लिए अनुमति

3100. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों के पास उपलब्ध खाद्य पदार्थ, फलों और वस्तुओं के भारी अधिशेष भंडारों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को उनके पास उपलब्ध अधिशेष उत्पादों को शीघ्र विदेशों को निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) कृषि उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति देने की सरकार की नीति सैद्धांतिक रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, कृषि आय को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने से नियंत्रित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार जब कभी आवश्यक समझा जाता है, नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं ताकि कृषि निर्यातों को अधिकाधिक व्यवहार्य बनाया जा सके। निर्यात नीति को निरंतर अद्यतन किया जा रहा है और कृषि उत्पादों के संबंध में निर्यात दायरे को उदार बनाया गया है। अब ऐसी बहुत ही कम वस्तुएं हैं, जो या तो निर्यात के लिए निषेध हैं या जिनका निर्यात प्रतिबंधित है या मात्रात्मक सीमा के अध्यधीन है। राज्य सरकारों सहित कोई भी कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकता है।

पशु परियोजनाओं के लिए नाबार्ड निधियां

3101. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु खरीदने हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड की योजना विभिन्न जिलों/राज्यों में लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन जिलों/राज्यों में लागू की गई है और इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सभी राज्यों में डेयरी विकास सहित कृषि और संबंधित क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक है। नाबार्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी विकास के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	वित्तपोषित इकाइयों की संख्या (लाख पशु)	पुनर्वित्त सहायता (करोड़ रुपये)
1998-99	6.29	457.05
1999-2000	7.42	581.43
2000-2001	5.01	769.39

नाबार्ड ने सूचित किया है कि यह योजना देश के लगभग सभी जिलों में कार्यान्वित की जाती है। तथापि, योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय तेल निगम की इक्विटी की बिक्री

3102. श्री प्रकाश जी. पाटील: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम की 10 प्रतिशत इक्विटी को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 10 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री से कितनी राशि की उगाही होने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मई, 1998 में जी डी आर/स्वदेशी निर्गम के माध्यम से भारतीय तेल निगम की 10 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के विनिवेश को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जी डी आर/स्वदेशी निर्गम नहीं हुआ है।

(ग) जी डी आर/स्वदेशी बाजार में इक्विटी की बिक्री के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि विद्यमान बाजार परिस्थितियों, कंपनी की प्रभावकारिता और इसके भावी कार्य-निष्पादन इत्यादि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करती है। अत: उसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता है।

उत्तरी पर्वतीय राज्यों के लिए अलग औद्योगिक नीति

3103. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल भी देश के पूर्वोत्तर राज्यों की भांति पिछड़े और दूरस्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग औद्योगिक नीति है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के उत्तर पर्वतीय राज्यों के लिए एक अलग औद्योगिक नीति की घोषणा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है, जिसके ये कारण हैं- व्यापार और उद्योग के मुख्य केन्द्रों से इस क्षेत्र का भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत पृथक होना, अपर्याप्त भौतिक आधारभूत सुविधाएं, क्षेत्रीय बाजार का छोटा आकार तथा क्षेत्र से बाहर के बाजार तक बहुत कम पहुंच होना । इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यहां पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 24.12.1997 को एक नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी थी।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल राज्यों से अलग औद्योगिक नीति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य से अलग औद्योगिक नीति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय शाकाहार का निर्यात

3104. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों में भारतीय शाकाहार लोकप्रिय हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का देश-वार लोकप्रियता हासिल करने वाले भारतीय शाकाहार के नामों का पता लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसे अध्ययन से भारतीय शाकाहार के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जिन देशों में भारतीय शाकाहार लोकप्रिय हो रहा है उनमें शामिल है- यूके. यूएसए, जर्मनी, कनाडा, मध्यपूर्व और सुदूर पूर्व।

(ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने चुनिंदा देशों अर्थात् बुल्गारिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैण्ड, पोलैण्ड, रूस, स्पेन, यूके और यूएसए में भारतीय खाद्य मदों की निर्यात संभावना का आकलन करने के लिए अध्ययन किया है। इन देशों में जो शाकाहारी मदें लोकप्रिय हैं उनमें शामिल हैं-सेवरी स्वीट, कैण्डी, ताजी मिठाइयां, ताजे हल्के खाद्य, इंस्टैंट एथनिक बने बनाए, स्नैक मिक्सेस, पकाने के लिए तैयार खाद्य मदें और करी।

(ग) और (घ) अध्ययन रिपोर्ट में विभिन्न देशों में भारतीय खाद्य मदों की स्वीकार्यता का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में सरकार ने विदेशों में शाकाहारी मदों सहित भारतीय खाद्य मदों का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(1) एपीडा द्वारा बर्मिंघम, यूके में वार्षिक रूप से आयोजित "एथनिक फूड्स ट्रेड फेअर" सहित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकृत खाद्य व्यापार मेलों में भागीदारी की जा रही है और उनमें निर्यातकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) एपीडा द्वारा भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें नमूनों को विदेशों में भेजने, पत्रिकाएं/विज्ञापन, फिल्म इत्यादि तैयार करने, अधिक जागरूकता के लिए विदेशी पत्रिकाओं/ प्रकाशनों में विज्ञापन निकालने, समुचित पैकेजिंग मानकों का विकास करने, आईएसओ अथवा एचएसीसीपी गुणवत्ता प्रणालियों की स्थापना करने तथा मानव संसाधन विकास के जरिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता शामिल है।

(3) वर्ष 2001-2002 के बजट में फल एवं सब्जियों पर आधारित खाद्य पदार्थों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गयी है।

सहकारी क्षेत्र की इकाइयों का वित्तपोषण

3105. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई, एफआईसी, जीआईसी तथा यूटीआई सहकारी क्षेत्र की इकाईयों का वित्तपोषण करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अभी तक सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित की गई सहकारी क्षेत्र की इकाईयों का वित्तीय संस्थाओं-वार तथा उद्योग-वार का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार में अनियमितताएं

3106. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 2001 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''सुपर बाजार ऑफिसर सस्पेंडेड फॉर ग्राफ्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सुपर बाजार में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के ''सन्त लोंगोवाल टावर'' का ठेका मैसर्स वी.वी.कन्स्ट्रक्शन एण्ड कं. को दिए जाने में गंभीर अनियमितताओं का पता चला है। निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था और सुपर बाजार के निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। सुपर बाजार के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री एस.पी. पाठक और सुपर बाजार के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एस.पी. नैय्यर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा उनके खिलाफ बड़े दण्ड के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू किए जाने तक श्री नैय्यर को मुअत्तल किया जा चुका है और श्री पाठक को मुअत्तल करने का प्रस्ताव संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को भेजा गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस मामले में सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष श्री एस.एस. धुरी, सुपर बाजार के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य श्री हरचरण जोश तथा सुपर बाजार के पूर्व मुख्य अभियन्ता-सह-सुरक्षा अधिकारी श्री जे.एस. सिद्धू के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की अनियमितताओं में सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई से भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

''बैंकों में धोखाधड़ी''

3107. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** ''बैंकों में धोखाधड़ी'' के बारे में 24 अप्रैल, 2001 और 15 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 5050 और 4157 क्रमश: के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सभी संबंधित बैंकों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंक धोखाधड़ियों में बैंक-वार कितना धन अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा उनसे धन वसूली करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 2000 के दौरान मुम्बई और दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की शाखाओं में पता लगे धोखाधड़ी/जाली खाते खोलने के मामले, उसमें जुड़ी राशि और

प्रत्येक मामले में उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। बैंकों ने धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली के लिए संबंधित कर्मचारियों एवं पार्टी के विरुद्ध सिविल और आपराधिक वाद दायर किए हैं।

विवरण

वर्ष 2000 के दौरान एस बी आई के सहयोगी बैंकों की मुंबई और दिल्ली की शाखाओं में पाई गई धोखाधड़ी/फर्जी खातों को खोले जाने के मामलों की संख्या

क्र.सं.	शाखा का नाम	पता लगाने की तारीख	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपये में)	उत्तरादायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर			
	(1) सर्विस ब्रांच मुम्बई	04.05.02000	7,020.00	एक अधिकारी को प्रशासनिक चेतावनी दी गई।
	(2) नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	13.06.2000	4,21,28,000.00	एक प्रबंधक को निलंबित किया गया।
	(3) नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	07.07.2000	29,30,000.00	एक प्रबंधक को निलंबित किया गया
	(4) चांदनी चौक, नई दिल्ली	13.09.2000	57,13,428.00	एक अधिकारी को निलंबित किया गया।
2.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद		-शून्य-	
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर		-शून्य-	
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर		-शून्य-	
5.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला			
	(1) पालम एक्सटेंशन, नई दिल्ली	09.02.2000	25,637.50	दो लिपिक दोष मुक्त किए गए तथा अल्प अर्थदंड कार्यवाहियों के लिए दो अधिकारियों को आरोपपत्र जारी किए गए।
	(2) पालम एक्सटेंशन, नई दिल्ली	05.05.2000	5,538.00	दो लिपिक दोष मुक्त किए गए तथा अल्प अर्थदंड कार्यवाहियों के लिए दो अधिकारियों को आरोपपत्र जारी किए गए।
6.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	-शून्य-		
7.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	-शून्य-		

सुपर 301 की निगरानी सूची

3108. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने अमरीकी उत्पादों पर ''अनुचित'' व्यापार पर रोक लगाने अथवा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत, यूरोपीय संघ, जापान तथा 10 अन्य देशों को अपने व्यापार कानून की सुपर-301 तथा विशेष 301 प्रावधानों की ''निगरानी सूची'' में रखा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार पर इस सुपर 301 तथा विशेष 301 निगरानी सूची के संभावित प्रभाव क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपना विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की सैक्शन 301 रिपोर्ट में भारत और यूरोपीय संघ (ई.यू.) सहित यूएस के 16 व्यापारिक भागीदारों को ''प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। यूएस द्वारा किसी भी देश को ''निगरानी सूची'' अथवा ''प्राथमिकता निगरानी सूची'' में रखे जाने का कोई कानूनी महत्व नहीं है।

फिल्मों में सेक्स

3109. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात् भी फिल्मों में सेक्स, हिंसा, अश्लीलता में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिल्मों के ऐसे दृश्य युवा मस्तिष्कों को दूषित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) फिल्मों के प्रमाणन के लिए चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 की धारा 58 के अधीन जारी दिशानिर्देशों में महिलाओं को किसी भी प्रकार से बदनाम करने या उनकी निन्दा करने वाले दृश्यों को दिखाने, फिल्मों में महिलाओं के साथ बलात्कार के प्रयास या छेड़छाड़ आदि जैसे यौन हिंसा के दृश्यों का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। किसी फिल्म का उसके प्रमाणित रूप में ही प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने चार महानगरों के थिएटरों में नियमित जांच करने तथा तुरंत जांच पड़ताल एवं संभावित अभियोजन हेतु संबंधित राज्य प्राधिकारियों को मामलों की रिपोर्ट करने के लिए परीक्षण मामलों के आधार पर एक निजी गुप्तचार संस्था को किराए पर लिया है।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं

3110. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आने वाली तथा दूसरी लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत आने वाली दो भिन्न प्रकार की सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की परिभाषा में एकरूपता लाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक वित्तीय संस्था की परिभाषा में एकरूपता लाने के लिए दोनों अधिनियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) लोक वित्तीय संस्था (पीएफआई) (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 में लोक वित्तीय संस्थाओं के लिए विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यताओं की व्यवस्था की गई है और यह लोक वित्तीय संस्था को इसके संघटकों से, अथवा कार्यों से संबंधित किसी सूचना को प्रकट करने से रोकता है। उक्त अधिनियम के अतंर्गत लोक वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा में सभी संस्थाओं के नामों को शामिल नहीं किया जाता जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन किया जाता है।

(ग) से (च) सामान्यत: अधिनियम में कोई परिभाषा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संबंध में प्रासंगिक होती है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार के समक्ष फिलहाल इन अधिनियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

म्यूचुअल फंड विनियामक प्राधिकरण

3111. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश म्यूचुअल फंडों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है क्योंकि वह लघु निवेशकों के हितों का ध्यान नहीं रखते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लघु निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए म्यूचुअल फंड विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ऋण लिखतों में मुख्य रूप से निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाएं स्टाक बाजारों में उतार-चढ़ावों से प्रभावित नहीं होती। तथापि, इक्विटी अथवा इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश करने वाली योजनाएं स्टॉक बाजारों में प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान बीएसई 30 सूचकांक तथा बीएसई 200 सूचकांक में क्रमश: 28.91 प्रतिशत तथा 41.98 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं पर असर पड़ा है।

(ग) से (ङ) सेबी अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अनुसरण में, सेबी म्यूचुअल फंडों को विनियमित करता है। सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम वर्ष 1996 में अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, म्यूचुअल फंडों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उड़ीसा के जगतसिंहपुर के लिए कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

3112. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कटक में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर होने के बावजूद उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के अधिकांश भाग में डी डी मेट्रो चैनल तथा चौबीसों घंटे उड़िया समाचार चैनल दिखाई नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चालू वर्ष 2001-2002 के दौरान जगतसिंहपुर में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने के लिए लम्बे समय से लम्बित सुझाव पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कटक स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर द्वारा उपलब्ध कराए जा रही कवरेज के अलावा तिरतोल में कार्यरत एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के लिए डीडी मेट्रो चैनल के कार्यक्रमों को भी रिले कर रहा है। प्रसार भारती 24 घंटे का उड़िया समाचार चैनल नहीं चलाती है तथापि, वह उपग्रह प्रणाली में उड़िया चैनल चलाती है जिनके कार्यक्रम उपयुक्त डिश एन्टिना प्रणाली का उपयोग करके या केबल नेटवर्क के माध्यम से देखे जा सकते हैं।

(ख) और (ग) जगतसिंहपुर में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए प्रसार भारती के पास वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

लौह अयस्क की निर्यात संबंधी नीति

3113. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में निर्यात नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) 2000-2001 में देश से कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात हुआ;

(घ) क्या सरकार ऐसे लौह अयस्क निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(ङ) 2000-2001 में ऐसे लौह अयस्क निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(च) क्या उन लौह अयस्क खानों को जो अपनी उपयोगिता की समाप्ति पर हैं और पारिस्थितिकीय दृष्टि से बहुत महंगी हैं, को बंद करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लौह अयस्क तथा इसके निर्यात के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2000-01 के दौरान लौह अयस्क के बारे में निर्यात नीति की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम.एम.टी.सी.) 64% तथा इससे अधिक लौह तत्व वाले लौह अयस्क के निर्यात के लिए सरणीयन अभिकरण बना रहेगा। तथापि जिन गैर-सरकारी निर्यातकों की लौह अयस्क की स्वयं की खानें हैं उन्हें भी सरकार उच्च ग्रेड लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दे रही है ताकि वे स्वस्थ

प्रतिस्पर्द्धा में शामिल हो सकें और प्रगतिशील उदारीकृत नीति के अनुरूप अपने को ढाल सकें।

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान निर्यात की गई लौह अयस्क की कुल मात्रा 37.29 मिलियन टन है।

(घ) मौजूदा नीति के तहत उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात पर निम्नलिखित तरीके से रोक लगाई गई है, जो वर्ष 2005-2006 तक वैध है:-

(प्रति वर्ष मिलियन टन में मात्रा)

बैलाडिला लम्प्स	3.0
बैलाडिला फाइनस	3.8
उच्च ग्रेड लम्प्स (बैलारी होसपेट सैक्टर)	1.2
उच्च ग्रेड फाइन (बैलारी होसपेट सैक्टर)	3.0

(ङ) वर्ष 2000-01 में लौह अयस्क के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा 620.50 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(च) इस समय सरकार का ऐसी किसी लौह अयस्क खानों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

3114. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी रक्षित कोयला खनन कार्यों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के पश्चात् निजी उद्यमियों की प्रतिक्रिया की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) कोयला खनन गतिविधि में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निजी भारतीय कंपनियों के लिए मार्च, 2000 में खोला गया था। यह सुविधा पूर्व में रक्षित खपत के लिए केवल विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए खोली गई थी। इसके पश्चात् इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों का प्रकाशन

3115. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्रीमती कैलाशो देवी :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले वर्ष के दौरान देश में कुछ नए दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों के प्रकाशन के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2000 से आज तक राज्य-वार प्राप्त अनुरोधों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार मंजूरी प्रदान किये गये समाचार-पत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है, कितने अनुरोध अभी भी विचाराधीन हैं और कितने रद्द कर दिए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 15 जुलाई, 2001 को प्रकाशित किए जा रहे दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक की संख्या, नाम तथा पतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1 जनवरी, 2000 से 1 अगस्त, 2001 की अवधि के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय को शीर्षकों के सत्यापन हेतु 28128 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 18852 को अनुमोदित किया गया था, 1801 विचाराधीन हैं तथा 7475 को प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों की शर्तों के तहत शीर्षक उपलब्ध न होने के कारण रद्द कर दिया गया था। राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय में कुल 5364 दैनिक, 17749 साप्ताहिक तथा 6553 पाक्षिक समाचारपत्रों के रूप में पंजीकृत किए गए थे। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय द्वारा सामान्यतया जितने प्रकाशनों को संकलित किया है, उनके नामों तथा पतों का राज्यवार ब्यौरा और विवरण भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय की "प्रेस इन इंडिया" नामक वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

विवरण

1 जनवरी, 2000 से 1 अगस्त, 2001 के दौरान शीर्षकों के सत्यापन के लिए प्राप्त हुए, अनुमोदित किए गए, लम्बित (1.8.2001 की स्थिति के अनुसार) और रद्द किए गए आवेदन पत्रों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त हुए	अनुमोदित किए गए	रद्द किए गए	लम्बित (1.8.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	35	25	10	–
2.	आंध्र प्रदेश	1146	894	243	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	4	4	–
4.	असम	145	90	53	2
5.	बिहार	225	159	56	10
6.	चंडीगढ़	109	87	9	13
7.	छत्तीसगढ़	111	75	32	4
8.	दादरा एवं नगर हवेली	6	4	2	–
9.	दमन एवं दीव	4	2	2	–
10.	दिल्ली	3712	2284	928	–
11.	गोवा	52	32	18	2
12.	गुजरात	1081	935	146	–
13.	हरियाणा	360	254	96	10
14.	हिमाचल प्रदेश	98	63	33	2
15.	जम्मू एवं कश्मीर	102	91	8	3
16.	झारखण्ड	35	16	14	5
17.	कर्नाटक	2369	1679	1160	30
18.	केरल	1152	826	264	62
19.	लक्षद्वीप	3	2	1	–
20.	मध्य प्रदेश	1685	1197	424	64
21.	महाराष्ट्र	8111	4614	2237	1260
22.	मणिपुर	32	17	14	1
23.	मेघालय	29	9	18	2

1	2	3	4	5	6
24.	मिजोरम	69	52	16	1
25.	उड़ीसा	565	424	138	3
26.	पांडिचेरी	35	23	8	4
27.	पंजाब	335	228	98	9
28.	राजस्थान	525	444	60	21
29.	सिक्किम	21	11	9	1
30.	तमिलनाडु	1820	1689	130	1
31.	त्रिपुरा	31	9	21	1
32.	उत्तरांचल	145	75	34	36
33.	उत्तर प्रदेश	2994	1822	1010	162
34.	पश्चिम बंगाल	978	716	179	83
	कुल	28,128	18,852	7,475	1,801

[अनुवाद]

राज्य राजस्व उत्तरदायित्व कार्यक्रम

3116. श्री मंजय लाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस समझौता ज्ञापन प्रणाली के बाद जिसमें राज्य स्तरीय सुधारों के लिए समन्वय स्थापित किया था। केन्द्र अब एक महत्वाकांक्षी राज्य राजस्व उत्तरदायित्व कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है जो 2004-2005 तक राज्य की राजस्व स्थिति में नाटकीय बदलाव लाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यय की यह योजना सुधार चाहने वाले राज्यों के लिए एक अच्छा अवसर है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित राज्य राजस्व उत्तरदायित्व कार्यक्रम का मुख्य भाग ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इस योजना को किस सीमा तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वायत्तशासी हैं और राज्यों का राजकोषीय दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वे अपने-अपने विधान मंडलों के प्रति जवाबदेह होती हैं। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार की दृष्टि से राज्य सरकारें समय-समय पर अपनी प्राथमिकता के अनुसार उपाय उठाती रहती हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मध्यम अवधि में वित्तीय स्थिति सुधारने के लक्ष्य से मध्यम आवधिक राजकोषीय नीति पुनर्निर्धारित किए जाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करते हुए राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) की एक स्कीम तैयार की गई है। यदि स्कीम में दिए सुझावों के अनुसार सुधार की प्रवृत्ति जारी रहती है तो वित्त वर्ष 2005-06 तक समग्र राज्य क्षेत्र के राजस्व सन्तुलन में आने की आशा है।

[हिन्दी]

उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशों से प्रस्ताव

3117. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए आज तक विदेशी कम्पनियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और किन-किन देशों का संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश में इन उद्योगों को स्थापित करने के समग्र परिणामों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) अगस्त, 1991 से जून, 2001 तक की अवधि के दौरान सरकार ने कुल 12,907 प्रस्ताव (संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए प्रस्तावों सहित) अनुमोदित किये हैं जिनमें 2,60,789.26 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्ग्रस्त है। विदेश प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के देशवार ब्यौरे मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में प्रकाशित किये जाते हैं, जिन्हें संसद पुस्तकालय सहित विभिन्न संगठनों को विस्तृत रूप से परिचालित किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग के बारे में 8 वर्षीय संगणना सर्वेक्षण आयोजित करता है। अन्तिम सर्वेक्षण, जो छठवां सर्वेक्षण है, में 1986-87 से 1993-94 तक की अवधि शामिल है। ''सर्वेक्षण की उपलब्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1999 में प्रकाशित अपने भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग, छठी सर्वेक्षण रिपोर्ट'' नामक प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम

3118. **श्री मानसिंह पटेल :**
प्रो. दुखा भगत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भारी राशि खर्च की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और उपक्रमों के अधिकारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर इतनी भारी राशि खर्च करना समझदारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान से चीनी का आयात

3119. **श्री पी.डी. एलानगोवन :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1999-2000 के दौरान रिकार्ड घरेलू उत्पादन के बावजूद पाकिस्तान से चीनी का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने 1999-2000 के दौरान पाकिस्तान सहित किसी भी देश से चीनी का आयात नहीं किया है।

चूंकि चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है, इसलिए आयातक अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किसी भी देश से चीनी का आयात कर सकते हैं। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कोलकाता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान पाकिस्तान से लगभग 54,826 मी. टन चीनी का आयात किया गया है।

विनिवेश के माध्यम से प्राप्त धन

3120. **श्री जे.एस. बराड़ :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से अभी तक कितना धन प्राप्त हुआ है और चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कितना धन प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) क्या इस प्रकार से जुटाए गए धन का सरकार के बकाया ऋणों, कर्जों तथा अन्य देनदारियों के निपटान हेतु उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक धन किस प्रकार खर्च किया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान किस प्रकार खर्च किए जाने का प्रावधान है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) विगत वर्षों में विनिवेश से हुई प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	विनिवेश से प्राप्तियां
1991-92	3,038
1992-93	1,913
1993-94	शून्य
1994-95	4,843
1995-96	168
1996-97	380
1997-98	910
1998-99	5,371
1999-2000	1,829
2000-01	1,869
कुल योग	20321

चालू वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित है। तथापि विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री के निबंधन और शर्तों, बोलीदाताओं की अभिरूचि, कंपनी की प्रभावकारिता और इसकी भावी संभाव्यता, जैसे कारकों पर निर्भर करती है। प्रक्रिया में विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियां शामिल होती हैं। इस प्रकार विनिवेश से प्राप्त राशि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं होता है।

(ख) और (ग) जैसा कि वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, विनिवेश से जुटाई गई राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना में सहायता प्रदान करने, कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने, सार्वजनिक ऋण में कमी करने तथा सामाजिक तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में किया जाएगा। विनिवेश की प्राप्तियों को भारत सरकार की अन्य प्राप्तियों के समान ही भारत के संचित कोष में जमा कराया गया है। भारत के संचित कोष के व्यय में आधारभूत क्षेत्र का परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों का व्यय शामिल होता है। इन प्रयोजनों के लिए किया गया कुल व्यय, विनिवेश की प्राप्तियों से कहीं अधिक रहा है।

जानबूझकर पैसा न चुकाने वाले

3121. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम, 1993 में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त अधिनियम में क्या संशोधन किए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूट मिलों को उत्पाद शुल्क से छूट देना

3122. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूट मिलों को जूट से बने थैलों की बिक्री पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) छूट दिए जाने के वर्ष से सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस छूट को वापस लेने का है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार द्वारा 4-5 वर्ष पहले जूट मिलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने के बाद भी बिक्री कर लगाना जारी रखा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को विभिन्न संसद सदस्यों और संगठनों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) रुग्ण जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने तथा इसे बढ़ावा देने के समस्त जूट तथा जूट उत्पादों को 1997-98 के बजट में उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी।

(ग) वर्ष 1997-98 में जब छूट दी गई थी, तब एक वर्ष में 65 करोड़ रुपए की सीमा तक राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया गया था।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किसी उत्पाद पर उत्पाद शुल्क से छूट की स्वीकृति पूर्णत: केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करती है कि उक्त उत्पाद पर बिक्री कर प्रभारणीय है या नहीं। सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

(च) ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जूट उत्पादों पर से उत्पाद शुल्क की छूट को समाप्त करने के लिए कोई अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नमक का उत्पादन/खपत/निर्यात

3123. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में नमक का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ, कितनी खपत हुई और कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया;

(ख) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में नमक कार्य में लगे लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात महाराष्ट्र को लगभग 3 लाख टन नमक की आपूर्ति करता है, जबकि जयपुर के नमक आयुक्त द्वारा केवल 58,000 टन की अनुमति प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र के क्षेत्रीय अधिकारी नमक, उत्पादक संघ और जन प्रतिनिधियों ने नमक आयुक्त से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक के राज्य-वार उत्पादन, प्रेषण और निर्यात ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, नमक आयुक्त के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक उद्योग में और विशेषकर महाराष्ट्र में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार थीं:-

	1998	1999	2000
अखिल भारतीय स्तर पर	1,10,845	92,773	1,00,034
महाराष्ट्र	3,698	2,798	4,290

(ग) से (ङ) 2000-2001 की जोनल (क्षेत्रीय) स्कीम में मूलत: गुजरात से महाराष्ट्र को नमक के 25 बी.जी. रेक (58,000 टन के बराबर) ले जाये जाने का प्रावधान था। महाराष्ट्र में अक्तूबर, 2000 तक 1.5 लाख टन के नमक उत्पादन का अनुमान था, जबकि राज्य की कुल आवश्यकता (औद्योगिक उपयोग सहित) 7.5 लाख टन थी। राज्य में नमक उत्पादन में इस कमी को ध्यान में रखते हुए नमक आयुक्त द्वारा गुजरात से महाराष्ट्र को नमक के 111 बी.जी. रेक (2,57,000 टन के बराबर) ले जाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, ताकि नमक की कमी को रोका जा सके जिससे इसके मूल्यों पर नियंत्रण बना रहे। किंतु महाराष्ट्र के नमक विनिर्माताओं ने इस अधिशेष मात्रा को वहां लाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया। अत: सरकार द्वारा इस स्थिति की समीक्षा की गयी और स्थानीय विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए गुजरात से महाराष्ट्र को वरीयता आधार पर भेजे जा रहे नमक रैकों को जनवरी, 2001 से बंद कर दिया गया।

महाराष्ट्र, गुजरात, आदि के नमक विनिर्माताओं के साथ परामर्श करके नमक आयुक्त द्वारा मार्च, 2001 में वर्ष 2001-2002 के लिए एक नयी जोनल स्कीम जारी कर दी गयी, जिसमें अप्रैल,

2001 और मार्च, 2002 के बीच गुजरात से महाराष्ट्र को खाद्य नमक के 72 बी.जी. रैक (1,67,000 टन के बराबर) ले जाये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुमान है कि उक्त अवधि के दौरान गुजरात से महाराष्ट्र को सड़क मार्ग के द्वारा 293000 टन नमक ले जाया जा सकता है।

वर्ष 2001-2002 के लिए जोनल स्कीम जारी किये जाने के पश्चात् सरकार को किसी भी पक्ष से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

1998, 1999 और 2000 के दौरान सामान्य नमक का राज्य-वार उत्पादन

(आंकड़े ''000 टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998	1999	2000
1.	राजस्थान	1120.5	1711.1	1228.5
2.	गुजरात	8716.8	10048.3	11588.4
3.	महाराष्ट्र	218.7	157.6	154.2
4.	कर्नाटक	14.1	12.0	14.8
5.	गोवा	0.2	2.0	2.2
6.	आंध्र प्रदेश	238.2	278.1	204.8
7.	तमिलनाडु	1565.6	2159.9	2359.7
8.	उड़ीसा	38.4	29.2	12.2
9.	पश्चिम बंगाल	6.8	13.2	11.2
10.	हिमाचल प्रदेश	2.4	3.0	2.6
11.	दीव एवं दमन	42.7	38.3	72.7
	कुल	11964.4	14452.7	15651.3

विवरण-II

विभिन्न उत्पादन केंद्रों से अलग-अलग राज्यों को प्रेषित किया गया खाद्य/गैर खाद्य नमक

(आंकड़े 000 टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रेषित नमक		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	916.9	692.9	643.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.8	4.7	4.5
3.	असम	208.8	253.1	226.8

1	2	3	4	5
4.	बिहार	626.6	713.4	751.0
5.	गोआ	2.3	3.2	3.8
6	गुजरात	4084.9	4159.0	4904.9
7.	हरियाणा	73.4	112.6	154.2
8.	हिमाचल प्रदेश	10.0	9.3	7.3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	26.2	24.0	34.2
10.	कर्नाटक	173.5	224.1	195.3
11.	केरल	266.2	286.3	332.2
12.	मध्य प्रदेश	543.6	594.0	580.8
13.	महाराष्ट्र	533.7	507.0	655.7
14.	मणिपुर	4.2	1.8	0
15.	मेघालय	10.4	2.9	0
16.	मिजोरम	1.2	0	4.7
17	नागालैंड	4.6	7.1	10.8
18.	उड़ीसा	219.3	213.7	221.9
19	पंजाब	169.1	236.4	211.7
20.	राजस्थान	261.6	245.8	228.3
21.	सिक्किम	4.0	6.6	4.7
22.	तमिलनाडु	431.4	582.0	584.3
23.	त्रिपुरा	26.6	6.3	19.8
24.	उत्तर प्रदेश	974.9	1068.9	1141.7
25.	पश्चिम बंगाल	618.5	624.5	677.6
26.	दिल्ली	268.6	334.5	339.6
27.	चंडीगढ़	32.2	28.9	36.6
28.	रक्षा	5.3	10.3	7
29.	पांडिचेरी	59.4	53.6	47.6
30.	दियू और दमन	–	0.2	0.1
31.	अंडमान और निकोबार	0.8	0.9	0.6
	कुल	10568.0	11008.0	12031.4

विवरण-III

विभिन्न राज्यों से नमक का निर्यात

(आंकड़े ''000 टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998	1999	2000
1.	गुजरात	328.04	426.34	677.90
2.	महाराष्ट्र	–	0.2	–
3.	तमिलनाडु	78.81	402.44	371.97
4.	राजस्थान	–	–	6.96
	कुल	406.85	828.80	1056.83

[अनुवाद]

दूसरे चरण के सुधार

3124. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश के क्षेत्र में दूसरे चरण के सुधारों के लिए रुपरेखा तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत दूससंचार, डायरेक्ट टू होम और नागर विमानन जैसे क्षेत्रों में और उदारीकरण के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अनुषंगी कंपनियों द्वारा लाभांश प्रत्यावर्तन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है जो अब तक किए गए नीति संबंधी उपायों की समीक्षा करेगी और नवीन नीतिगत उपाय सुझाएगी; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) इस समय किए जा रहे सुधारों के भाग के रूप में सरकार ने डी.टी.एच. प्रसारण में लाइसेंसीकरण, सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं और प्रसारण संहिता के अध्यधीन 20 प्रतिशत तक एफ.डी.आई., विमानपत्तनों में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. और गेटवेज, रेडियो पेजिंग तथा एंड-टू-एंड बैंडविड्थ सहित आई.एस.पी. में लाइसेंसीकरण तथा सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन 74 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी है।

अब तक 22 अधिसूचित उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में लागू रही लाभांश संतुलन की शर्त को 14 जुलाई, 2000 से हटा लिया गया है। दूसरे शब्दों में, इस तारीख को अथवा इसके बाद घोषित लाभांश पूर्णत: स्वदेश भेजे जा सकेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और चीनी उद्योग

3125. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 2001 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''न्यू पी डी एस ए बूस्ट टू शूगर इण्डस्ट्रीज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुक्त बिक्री हेतु कितनी मात्रा में चीनी जारी की गई है; और

(ग) इससे चीनी उद्योग द्वारा गन्ना बकायों का भुगतान करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान जनवरी-सितम्बर, 2001 की अवधि के लिए और पिछले चीनी मौसम

1999-2000 की तदनुरूपी अवधि के लिए खुली बिक्री की चीनी का मासिक कोटा निम्नानुसार है:-

खुली बिक्री की चीनी का मासिक कोटा, लाख टन में

मास	मौसम	
	1999-2000	2000-2001
जनवरी	8.00	8.25
फरवरी	8.25	8.50
मार्च	8.50	9.00
अप्रैल	9.00	10.50
मई	9.50	11.00
जून	9.00	10.50
जुलाई	8.50	9.50
अगस्त	8.50	9.50
सितम्बर	9.00	10.00
	78.25	86.75

(ग) जनवरी-सितम्बर, 2000 की तुलना में जनवरी-सितम्बर, 2001 के दौरान 8.50 लाख टन अधिक खुली बिक्री की चीनी इस उद्देश्य से रिलीज की गई थी चीनी उद्योग को अधिक धनराशि प्राप्त करने में सहायता की जा सके जिससे कि वह गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का समय भुगतान कर सके।

नेपाली चाय की नीलामी

3126. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नेपाल विदेशों में सस्ती दार्जिलिंग चाय की बिक्री कर रहा है जिससे भारतीय चाय उद्योग को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल के तराई प्रदेश में दार्जिलिंग चाय का उत्पादन करने वाले कई बागान हैं जो कि विदेशों में बेची जा रही भारतीय दार्जिलिंग चाय की कीमत के एक-तिहाई मूल्य पर चाय की बिक्री करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या टी बोर्ड ने नेपाल में निर्मित चाय की कोलकाता में नीलामी आयोजित करने हेतु सरकार ने अनुमति मांगी है जिससे की नेपाली चाय उत्पादकों को बेहतर मूल्य और शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार/चाय बोर्ड के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, दार्जिलिंग बागान जिले में नेपाल की हरी चाय पत्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए, चाय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल की सरकार से अनुरोध किया है कि वह यह देखने के लिए आवश्यक उपाय करे कि दार्जिलिंग चाय के विनिर्माण में नेपाल से आयी हरी पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के राज्य के दार्जिलिंग जिले में उत्पादित चाय के संबंध में किसी संभावित अतिलंघन से बचने के लिए, चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग प्रमाणन ट्रेड-मार्क लागू किया है ताकि दार्जिलिंग चाय की अलग पहचान बनी रहे। नेपाल में वर्ष 1988 में राष्ट्रीय चाय और कॉफी विकास बोर्ड के गठन से नेपाल के तराई क्षेत्र में नए चाय बागानों का लगाया जाना शुरू हो गया है, सरकार/चाय बोर्ड के पास विभिन्न विदेशी बाजारों में नेपाली चाय की बिक्री कीमत के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) भारत-नेपाल अंतर सरकारी समिति की दिसम्बर, 1999 में आयोजित बैठक में कोलकाता चाय नीलामी में नेपाली चाय उत्पादकों को भाग लेने की अनुमति देने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कोलकाता नीलामी सहित भारत की नीलामी में नेपाली चाय को शामिल करने की अनुमति देने के प्रस्ताव का भारत की विभिन्न चाय उत्पाद एसोसियेसनों ने विरोध किया है। अत: भारत सरकार/चाय बोर्ड ने नेपाली चाय की भारत में नीलामी की अनुमति देने के बारे में निर्णय नहीं लिया है।

जम्मू-कश्मीर के उग्रवादियों को वित्तपोषित करने वाले हवाला डीलरों पर छापे

3127. **श्री विजय गोयल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के उग्रवादियों को धन मुहैया कराने वाले हवाला डीलरों का पता लगाने और उनकी पहचान करने हेतु बड़े पैमाने पर छापे मारे गए;

(ख) यदि हां, तो उन हवाला डीलरों का ब्यौरा क्या है और उनके यहां किस प्रकार के अभियोगात्मक दस्तावेज पाए गए हैं;

(ग) क्या लाल किले की कार्रवाई की योजना हवाला से प्राप्त धन की सहायता से तैयार की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जम्मू व कश्मीर के उग्रवादियों को धन उपलब्ध कराने वाले संदेहास्पद हवाला डीलरों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए पुलिस द्वारा छापे मारे गए। जब कभी प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया गया तभी इन कार्यों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सहायता प्रदान की गई।

(ख) से (घ) जांच से पता चला है कि मोहम्मद आरीफ, मोहम्मद अश्फाक और आबू हमीद जो तथाकथित रूप से लाल किला कार्रवाई में संलिप्त हैं, ने हवाला धन के रूप में 37 लाख रुपये प्राप्त किए थे। दूसरे मामले में फिरोज अहमद और सय्यद तान्त्रिक को 15 लाख रुपये तक हवाला धन के प्राप्तकर्त्ता के रूप में पहचाना गया है।

तमिलनाडु में चावल का भंडारण

3128. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के गोदामों में पड़ा चावल का भंडार मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दोष को दूर करने और अच्छी किस्म का चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं। पहली जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे कुल 9.7 लाख टन स्टाक में से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त स्टाक 513 टन था, जो केवल लगभग 0.05 प्रतिशत है।

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न वितरित किए जाएं, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक उठाने से पूर्व इसका निरीक्षण करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं।

(2) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक से कम रैंक का अधिकारी नहीं लगाया जाना चाहिए।

(3) उचित दर दुकानों के काउंटरों पर उपभोक्ताओं के हितों के लिए नूमनों प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा स्टाक से खाद्यान्नों के संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं और सील किए जाते हैं।

(4) राज्य सरकारों और मंत्रालय के अधिकारी उचित दर दुकानों की अचानक जांच करते हैं ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके।

(5) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की संबंधित राज्य में मानीटरिंग करने के लिए 'क्षेत्राधिकारी' के रूप में नामित विभाग के अधिकारी राज्य में अपने दौरे के दौरान जारी किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भण्डारण डिपुओं और उचित दर दुकानों के भी दौरे करते हैं।

धनशोधक संबंधी कार्यकलाप

3129. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को धनशोधन के संबंध में एक चिन्ता का कारण वाले राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किये जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में चल रहे धनशोधन संबंधी कार्यकलापों के संबंध में टिप्पणी की है;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा और टिप्पणियां क्या हैं;

(घ) क्या भारत को विभिन्न व्यक्तियों, मादक पदार्थों के बन्दी विनिमय इत्यादि के द्वारा धनशोधन संबंधी कार्यकलापों के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत कर अपवंचन से होने वाली वित्तीय हानि को रोक पाने में अक्षम है;

(च) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ओ इ सी डी द्वारा क्या टिप्पणियां की गई हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) इस संबंध में सरकार को किसी सरकारी संप्रेषण की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ङ) मामले में संबंधित आसूचना/प्रवर्तन एजेन्सियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, आयकर अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करती हैं।

(च) उपयुक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1999 को धन शोधन को अवरुद्ध करने के लिए धन शोधन निवारक विधेयक के रूप में एक व्यापक कानून पारित किया गया। तदन्तर, विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जिसे चयन समिति को भेज दिया गया। इस चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो कि विचाराधीन है।

समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण आवश्यकताओं संबंधी कृतक बल

3130. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण आवश्यकताओं संबंधी विशिष्ट कृतक बल ने अपनी सिफारिशें सौंपे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक इनमें से किसी सिफारिश को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण आवश्यकताओं संबंधी कृतिक बल द्वारा गठित कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री उत्पादों और समुद्री खाद्य उद्योग को बैंक ऋण देना, साफ सुथरे मतस्यायन बंदरगाह/उतराई केन्द्र मुहैया कराने के प्रयोजन से बुनियादी सुविधाओं का सृजन, समुद्री उत्पाद क्षेत्र के लिए पुनर्निर्माण कोष की स्थापना इत्यादि शामिल हैं। बैंक ऋण से संबंधित सिफारिशें भारतीय बैंक एसोसिएशन और समुद्री खाद्य उद्योग को बैंक ऋण प्रदान करने वाले विभिन्न बैंकों को भेज दी गई हैं ताकि उन्हें अलग-अलग मामलों में अपनाया जा सके और लागू किया जा सके। एम्पीडा ने मस्त्यायन बंदरगाहों/उतराई केन्द्रों की स्वच्छता और उनके रख-रखाव में सुधार के मामले को अनेक राज्य सरकारों के साथ उठाया है। समुद्री उत्पाद क्षेत्र के लिए एक पुनर्निर्माण कोष के सृजन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मंच

3131. **श्री मंजय लाल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परिवर्तनों को करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा किए गए नए परिवर्तनों में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु भारी शुल्क देना होगा;

(घ) पूरी कीमत का भुगतान करने के बाद घटिया सामान प्राप्त कर वित्तीय हानि उठाने वाले उपभोक्ता से उसकी शिकायत दर्ज कराने हेतु सरकार द्वारा भारी शुल्क वसूलने का क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुल्क की रकम एक समान रखने का प्रस्ताव है; और

(च) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इससे कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) उपभोक्ता शिकायतों के जल्दी निपटान को सुकर बनाने, प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों की

शक्तियों को मजबूत करने के लिए सरकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:

(1) राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की खण्डपीठें सृजित करना तथा सर्किट खण्ड पीठें आयोजित करना;

(2) शिकातों को स्वीकार करने, नोटिस जारी करने तथा शिकायतों के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करना।

(3) प्रतितोष एजेंसी द्वारा आदेशित मुआवजे की राशि की भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाण-पत्र मामले के जरिए वसूली करना।

(4) प्रतितोष एजेंसियों द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने का प्रावधान

(ग) और (घ) छोटी मोटी शिकायतों को दायर किए जाने की निरुत्साहित करने तथा नोटिस आदि देने पर आने वाले व्यय को आंशिक रूप से कवर करने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधनों में शिकायत के साथ शुल्क की राशि, जो नियमों में निर्धारित की जाए, का भुगतान करने के लिए एक सामर्थ्यकारी प्रावधान शामिल किया गया है।

(ङ) शुल्क की राशि अभी निर्धारित की जानी है।

(च) यह निर्धारित शुल्क की राशि पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

आर्थिक विधि पैनल

3132. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एक आर्थिक विधि पैनल गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक विधि पैनल की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शेयर दलालों की समस्याएं

3133. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शेयर दलालों द्वारा हाल ही में की गई हड़ताल के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार शेयर दलालों की मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या शेयर बाजार में रोलिंग प्रणाली लागू किए जाने का यह उचित समय था, विशेषकर तब जब भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजर रही हैं;

(ङ) क्या रोलिंग योजना को लागू करने के बाद शेयर बाजार के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा शेयर बाजार में नकद धन की कमी को दूर करने हेतु क्याा उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) दलालों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की समीक्षा करने के लिए थे:-

(1) आवर्ती निपटान की शुरुआत,

(2) आस्थगन उत्पादों पर प्रतिबंध

(3) दलालों तथा निवेशकों के लिए बैंक वित्त,

(4) कुल कारोबार शुल्क।

सरकार ने सेबी से दलालों द्वारा की गई मांगों की जांच करने तथा उनके संबंध में सेबी की सिफारिशें भेजने का अनुरोध किया है।

(घ) से (छ) 13 मार्च, 2001 को सरकार ने घोषणा की थी कि स्टॉक बाजारों में सांस्थानिक प्रक्रियातंत्रों तथा कारोबार प्रथाओं में सुधार करने के उपाय के रूप में आवर्ती निपटान जुलाई, 2001 तक 200 श्रेणी 'क' स्टॉकों तक विस्तारित कर दिया जाएगा। 2 जुलाई, 2001 से आवर्ती निपटान की शुरूआत स्क्रिपों

में कर दी गई है जिनमें अग्रेनयन सुविधा वाली सभी स्क्रिपें शामिल हैं। आवर्ती निपटान एक महत्वपूर्ण पूंजी बाजार सुधार उपाय है जो कारोबार में सुनिश्चितता लाता है, जोखिम तथा निपटान में विलम्ब को कम करता है तथा ''अनुसूचित'' सट्टेबाजी पर नियंत्रण करता है। आवर्ती निपटान की शुरूआत तथा बदला की समाप्ति 1990 के दशक में हुए सुधारों के समनुरूप तथा उनका युक्तिसंगत विस्तार हैं। कुल कारोबार में अधिकांश गिरावट मार्च-अप्रैल, 2001 में हुई। जून तथा जुलाई, 2001 के बीच कुल कारोबार में अपेक्षाकृत कम गिरावट आई है।

[अनुवाद]

स्टाक और शेयर में जीवन बीमा निगम और जी.आई.सी. द्वारा निवेश

3134. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या हाल के यूटीआई के यू.यूस.-64 घोटाले के मद्देनजर जीवन बीमा निगम और जी.आई.सी. द्वारा स्टाक और शेयर में किए गए निवेशों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम और जी आई सी द्वारा निवेश शर्तों के अनुपालन में की गई बड़ी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) जीवन बीमा निगम और जी.आई.सी. द्वारा स्टाक और शेयर में किए गए निवेश और उनकी वर्तमान कंपनी-वार होल्डिंग का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्टाक और शेयर की खरीद हेतु जीवन बीमा निगम और जीआईसी की नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के ध्यान में जीवन बीमा निगम और साधार बीमा निगम द्वारा किए गए निवेश से संबंधित कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आयी है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश निवेश संबंधी विनियमों के तहत शासित होता है तथा निगमों की निवेश संबंधी समितियों द्वारा उनकी नियमित तौर पर मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

3135. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक की स्थिति के अनुसार भारत के विरुद्ध विश्व बैंक का कुल कितना ऋण बकाया है और उस पर कितने ब्याज का भुगतान देय है;

(ख) उक्त ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान किए जाने की समयावधि क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गरीबी-निवारण योजनाओं में प्रयुक्त ऋण की कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या गरीबी उपशमन योजनाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित धन का अन्यत्र उपयोग किया गया अथवा दुरूपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दि. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक का बकाया ऋण 114021.30 करोड़ रुपये था। देय ब्याज लंदन-इंटर-बैंक आफर रेट (लिबोर) में समय-समय पर होने वाली घटबढ़ पर निर्भर करता है। पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर विश्व बैंक को दिए जाने वाले ब्याज की अदायगी के प्रति, वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान 2162.13 करोड़ रुपये है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लिए ऋणों की वापसी अदायगी 50/35 वर्षों की अवधि में, (ऋण के वर्ष पर निर्भर करते

हुए) 10 वर्ष की माफी अवधि सहित, की जाती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से लिए ऋणों की वापसी अदायगी 5 वर्ष की माफी अवधि सहित 20 वर्ष की अवधि में की जाती है।

(ग) भारत को मिलने वाली विश्व बैंक की सभी सहायताओं के उद्देश्यों में से एक मूल उद्देश्य गरीबी निवारण है। तथापि, पिछले एक वर्ष में, तीन ऐसी विशेष योजनाएं आरंभ की गई हैं जो सीधे ही गरीबी निवारण से संबंधित है। ये हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में जिला गरीबी उपक्रम परियोजनाएं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी दृष्टिकोणों और मांग आधारित निवेश निर्णयों के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण गरीबों के लिए अवसरों में सुधार लाना है। इन परियोजनाओं के लिए कुल सहायता राशि 321.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1500 करोड़ रुपये के समकक्ष) बैठती है। चूंकि ये परियोजनाएं हाल ही में आरंभ हुई हैं, इसलिए उनके परिणाम के बारे में मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

(घ) ऐसी कोई घटना नोटिस में नहीं आयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन राज-सहायता योजना

3136. डा. वी. सरोजा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यमान परिवहन राज-सहायता योजना का ब्यौरा क्या है और यह किन स्थानों पर लागू है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के कुछ बाहरी क्षेत्रों में विशेषकर तमिलनाडु में इस योजना को लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): क) परिवहन राजसहायता योजना का ब्यौरा, समय-समय पर संशोधित दिनांक 23.7.1971 की अधिसूचना संख्या एफ 6 (26)/ 71-आई सी में दिए गये अनुसार है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। परिवहन राजसहायता योजना को भारत के किसी भी अन्य भाग/क्षेत्र के लिए लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियां

3137. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में कई कमियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने प्रणाली में कतिपय परिवर्तनों का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक योजना में कितने परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भंडारण और नामित डिपुओं तक ढुलाई करने और उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है।

चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क सहित कई एजेंसियां शामिल हैं इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में त्रुटि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारों से उचित दर दुकानों तथा अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिन्सों का वितरण पारदर्शी तथा उत्तरदायी रूप में करने के लिए प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को

शामिल करने से यह प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हो जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

शहरी सहकारी बैंक

3138. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में शहरी सहकारी बैंकों और निर्यात हेतु पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुछ राजकोषीय उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नकद जमा अनुपात के संबंध में बैंकों की तरलता में सुधार लाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या अन्य निर्णय लिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने मौद्रिक और ऋण नीति 2000-2001 में विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। ये हैं:-

(1) शहरी सहकारी बैंकों को 19.4.2001 से या तो अलग-अलग व्यक्तियों अथवा अन्य किसी को शेयरों की जमानत के बदले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने से रोकना;

(2) पिछली वित्तीय वर्ष के मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार, मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में अपने उधारों को दैनिक आधार पर बैंक की कुल जमाराशि के 2.0 प्रतिशत तक सीमित करना;

(3) उन्हें अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास नई मीयादी जमाराशियां रखने से रोकना;

(4) सरकार के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिता के अनुपात और सहकारी बैंकों द्वारा रखे जाने वाले निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की प्रतिशतता के रूप में अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वृद्धि की गई है:-

शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणी	सरकार में निवेश और निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की प्रतिशतता के रूप में अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	
	विद्यमान	संशोधित
अनुसूचित यूसीबी	15%	20%
गैर-अनुसूचित यूसीबी 25 करोड़ रु. और उससे अधिक एनडीटीएल वाले यूसीबी	10%	15%
25 करोड़ रु. से कम के एनडीटीएल वाले यूसीबी	शून्य	10%

मौद्रिक और ऋणनीति में घोषित की गई निर्यात पुनर्वित्त सुविधा से संबंधित उपाय शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित नहीं हैं बल्कि वे केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए हैं।

(ग) मौद्रिक और ऋण नीति, 2001-2002 के अनुसरण में, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की 65% की दैनिक न्यूनतम अपेक्षा में रिपोर्ट किए जाने वाले पखवाड़े के प्रथम सात दिनों के लिए 50% के रूप में कमी की गई है, जबकि शेष पखवाड़े के 65% की न्यूनतम अपेक्षा को चलने दिया गया है यह न्यूनतम अपेक्षा बिना किसी विकल्प के रिपोर्ट किए जाने वाले शुक्रवार सहित सभी सात दिनों के लिए लागू होगी यह उपाय 11 अगस्त, 2001 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।

[हिन्दी]

मुखबिरों को इनाम

3139. श्री मानसिंह पटेल:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के चूककर्ताओं और "फेरा" का उल्लंघन करने वालों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को इनाम दिए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में जिन व्यक्तियों को इनाम दिया गया उनकी राज्यवार संख्या कितनी है और इनाम के रूप में इस पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख)ऐसे दिशानिर्देश प्रवृत्त हैं जो अघोषित आय, धन, उपहार और सम्पदा शुल्क के बारे में विशिष्ट सूचना देने वाले मुखबिरों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रावधान करते हैं। पुरस्कार उन मुखबिरों को भी प्रदान किए जाते हैं यदि सूचना सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती और/या शुल्क अपवंचन के बारे में पता लगता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (''फेरा'') के अन्तर्गत चूककर्ताओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने की भी योजना है।

(ग) आयकर और फेरा मामलों से संबंधित मामलों में वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रदान किए गए पुरस्कारों का राज्य/मंडल वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) आयकर मामले:

राज्य	व्यक्तियों की संख्या	राशि संस्वीकृत/ भुगतान (रु.)
1	2	3
गुजरात	49	22,15,600
पश्चिम बंगाल	68	40,87,697
बिहार एवं झारखंड	12	15,61,409
महाराष्ट्र	66	63,36,111
गोवा एवं कर्नाटक	48	48,03,402
आंध्र प्रदेश	28	16,97,881
पंजाब	10	5,05,200
केरल	26	29,53,000
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	7	2,63,895
तमिलनाडु	70	33,42,000
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	17	6,02,000
दिल्ली	35	37,11,000
राजस्थान	42	24,25,000

(2) फेरा मामले:

अहमदाबाद	5	3,64,200
बंगलौर	1	1,28,000
कोलकाता	3	1,75,700
चेन्नई	5	1,42,700
दिल्ली	7	33,18,620
जालंधर	1	21,800
मुम्बई	2	1,15,100

[अनुवाद]

चीनी का उत्पादन और आपूर्ति

3140. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी के उत्पादन और आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र की चीनी मिलें सरकारी और सहकारी क्षेत्र की चीनी कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की सरकारी और सहकारी क्षेत्र को चीनी के उत्पादन और उसकी देश में बिक्री करने में सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों की चीनी की आवश्यकता की पूर्ति आंशिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी से, जिसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक निर्धारित कोटा है तथा आंशिक रूप से खुले बाजार में उपलब्ध खुली बिक्री की चीनी से की जाती है, जिसके संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार चीनी की घरेलू मांग/आवश्यकता का आकलन करना संभव नहीं है। चीनी मौसम 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार चीनी के उत्पादन तथा लेवी चीनी के आबंटन के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार चीनी मिलों के लाभ और हानि के लेखे नहीं रखती है और इसलिए चीनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) चीनी का उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसै-गन्ने की उपलब्धता, गन्ने की क्वालिटी, गन्ने से चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता, चीनी मिलों की तकनीकी दक्षता आदि। भारत सरकार चीनी मिलों को गन्ने के विकास, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना तथा चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उदार शर्तों पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मुहैया करती है।

चीनी की बिक्री प्रत्येक चीनी मिल की अपनी जिम्मेदारी है। इस संबंध में भारत सरकार कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

विवरण-I

चीनी का राज्यवार उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 1999-2000 (अनन्तिम)
1	2
पंजाब	3.90
हरियाणा	4.75
राजस्थान	0.14
उत्तर प्रदेश	45.76
मध्य प्रदेश	1.03
गुजरात	11.41
महाराष्ट्र	64.68
बिहार	3.70
असम	0.04
उड़ीसा	0.53
पश्चिम बंगाल	0.07
नागालैण्ड	-
आंध्र प्रदेश	11.78
कर्नाटक	15.78
तमिलनाडु	17.08
पांडिचेरी	0.48
केरल	0.13
गोवा	0.15
अखिल भारत	181.41

विवरण-II

चीनी मौसम 1999-2000 के लेवी चीनी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कोटे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोटा टन में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	367087
2.	अंडमान और निकोबार	4123
3.	अरुणाचल प्रदेश	8059
4.	असम	186706
5.	बिहार	482076
6.	चंडीगढ़	4641
7.	दादरा और नगर हवेली	860
8.	दिल्ली	169094
9.	गोवा	6997

1	2	3
10.	दमन	640
11.	दीव	
12.	गुजरात	227616
13.	हरियाणा	92722
14.	हिमाचल प्रदेश	45755
15.	जम्मू और कश्मीर	69949
16.	कर्नाटक	249794
17.	केरल	158382
18.	लक्षद्वीप	1211
19	मध्य प्रदेश	377398
20.	महाराष्ट्र	431191
21.	मणिपुर	17093
22.	मेघालय	16491
23.	मिजोरम	6438
24.	नागालैंड	11428
25.	उड़ीसा	175641
26.	पांडिचेरी	6837
27	कंराईकल	
28.	माहे	
29	यनम	
30	पंजाब	110934
31.	राजस्थान	251208
32.	सिक्किम	3807
33.	तमिलनाडु	301093
34.	त्रिपुरा	25647
35.	उत्तर प्रदेश	801512
36.	पश्चिम बंगाल	375996
	जोड़	4988426

अर्थात् 49.88 लाख टन

आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन

3141. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में आवश्यक परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया है ताकि ई-कॉमर्स कम्पनियों पर कर लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को आयकर कानूनों में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा कानून के अंतर्गत ई-कामर्स लेन-देनों की स्थिति और आयकर अधिनियम, 1961 में अपेक्षित परिवर्तनों और दूसरे देशों के साथ कर संधियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

(ख) उक्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 6 अगस्त, 2001 को प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी। जनता से प्राप्त सुझावों के साथ-साथ उक्त समिति की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उसके बाद आवश्यक परिणामी कार्रवाई की जाएगी।

आर्थिक उदारीकरण

3142. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लिया था और उन्हें आर्थिक उदारीकरण की भारत की इच्छा से अवगत कराया;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने जापान से अपने वित्तीय क्षेत्र को सुधारने और यूरोपीय संघ द्वारा विश्व व्यापी आर्थिक मंदी को समाप्त करने के लिए लागू किये गये कठोर श्रम बाजारों में शिथिलता बरतने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या भारत ने पश्चिमी देशों से विदेशी सहायता प्रदान करने में और अधिक उदारता दिखाने का अनुरोध भी किया है; और

(घ) इन बैठकों में भारत को किस सीमा तक सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने 29 और 30 अप्रैल, 2001 को आयोजित विश्व बैंक/भारतीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग मीटिंग में भाग लिया था। वित्त मंत्री ने सूचित किया कि भारत मजबूती से उच्च विकास के पथ पर स्थित है और संरचनात्मक सुधारों के दूसरी पीढ़ी के एजेंडा के प्रति सुव्यवस्थित भी है। अर्थव्यवस्था ने नब्बे के दशक के प्रारम्भ में उत्पन्न कठिनाइयों पर दूरगामी संरचनात्मक समायोजनों के उपयुक्त कार्यक्रम के जरिए सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जापान में बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक कमियों को सुधारा जाए। उन्होंने यह भी सूचित किया कि यूरोपीय संघ को श्रम तथा उत्पाद बाजार के कड़े नियमों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

(ग) वित्त मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि औद्योगिक देशों को विकास सहायता बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(घ) ये बैठकें भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं और इस प्रकार इनमें विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास भी निहित है।

खाद्य तेलों का आयात

3143. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित खाद्य तेलों की मांग में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का आयात कितनी मात्रा में किया गया; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात, आयात नीति के अनुसार नारियल के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। अत: आयात की मात्रा आयातकों के वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करेगी।

निर्यात वृद्धि दर

3144. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री राम जीवन सिंह:
श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात वृद्धि लक्ष्य में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात वृद्धि लक्ष्य में कटौती करने से पहले निर्यातकों से विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यात वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) वर्ष 2001-02 के दौरान 49733.15 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो 2000-2001 में दर्ज किए गए कुल पण्य वस्तु निर्यातों की तुलना में 12.19% अधिक है। भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात हेतु इस लक्ष्य का निर्धारण विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ई पी सी) और वस्तु बोर्डों के साथ व्यापक परामर्श करके और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थितियों और विश्व व्यापार में बढ़ोत्तरी के संभावित अवसरों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल पण्य वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 44327.99 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मूल्य की तुलना में 19.83% की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार, वर्ष 2000-2001 के दौरान वास्तविक निर्यात वृद्धि दर इस वर्ष के लिए निर्धारित 18% के लक्ष्य से ज्यादा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता

(छ) निर्यात वृद्धि दर में आगे और बढ़ोत्तरी करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सौदों की लागत में कमी लाना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जैड) की स्थापना करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण, 5% शुल्क के भुगतान पर सभी वस्तु क्षेत्रों और सभी पूंजीगत वस्तुओं पर किसी आरंभिक सीमा के बिना निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना लागू करना और एक्जिम नीति में यथा-उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय जिनमें कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों, बाजार पहुंच अनुसंधान में उद्योग की सहायता करने हेतु पहुंच संबंधी प्रोत्साहन देना इत्यादि। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहलों के जरिए, थ्रस्ट क्षेत्रों एवं फोकस क्षेत्रों की पहचान करके निर्यातों को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3145. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के बराबर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को केवल 40 प्रतिशत अग्रिम देने की सुविधा दी जाती है, जिसमें से 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस मूल उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और ग्रामीण विकास की विशेष वित्तीय संस्थाएं हैं; और

(ग) सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण विकास की विशेष संस्थाओं के रूप में अनुरक्षित रकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने बकाया अग्रिमों का कम से कम 40% प्राथमिकता क्षेत्रों को उधार देना होता है। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्दर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह निवल बैंक ऋण का कम से कम 18% कृषि के लिए वित्त तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना अपेक्षित है। प्राप्त की जाने वाली उपर्युक्त प्रतिशतता न्यूनतम है।

(ग) ग्रामीण ऋण संवितरण प्रणाली के अभिन्न भाग के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने संबंधित परिचालन क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की सभी वास्तविक ऋण संबंधी जरूरतों को सतत पूरा करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए उत्पादन एवं निवेश ऋण प्रदान कर रहे हैं। वे स्वयं सहायता समूहों की संकल्पना को बढ़ावा देकर और उन्हें बैंक ऋण के साथ संबद्ध करके, किसान क्रेडिट कार्डों आदि के माध्यम से कृषि फसल ऋणों का प्रावधान करके नवोन्मेष ऋण संवितरण तंत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों, कारीगरों, खुदरा व्यापार/कारोबार, लघु परिवहन परिचालन, व्यावसायिकों/स्वनियोजित व्यक्तियों, उपभोग और अन्य प्रयोजनों के लिए भी ऋण प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात गरीबी उन्मूलन, रोजगार के सृजन आदि में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

यूटीआई के बोर्ड में नामित व्यक्ति

3146. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूटीआई के न्यासी बोर्ड और उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूटीआई न्यासी बोर्ड में यूटीआई के व्यक्ति को मनोनीत करने के उसके अधिकार को जब्त कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) यूटीआई के न्यासी बोर्ड का वर्तमान संघटन तथा उनकी पृष्ठभूमि विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार, सरकार आईडीबीआई के परामर्श से अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। अन्य न्यासियों का मनोनयन भारतीय रिजर्व बैंक, आईडीबीआई, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाता है। मई, 1997 से 21 जुलाई, 2001 तक यूटीआई के बोर्ड में सरकार का कोई नामिती नहीं था। आईडीबीआई ने आर्थिक कार्य भिाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव डा. जे. भगवती को 21 जुलाई, 2001 से न्यासी बोर्ड में नामित किया है।

विवरण

क्र.सं.	न्यासी का नाम	नामित करने वाली संस्था	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1.	श्री एम. दामोदरन, अध्यक्ष	केन्द्र सरकार (आईडीबीआई के परामर्श से)	अर्थशास्त्र एवं विधि में स्नातक। भारतीय प्रशासनिक सेवा (1971): विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।
2.	श्री के.एल. खेतरपाल,	भारतीय रिजर्व बैंक	बी.एस.सी. (आनर्स), एम.ए., पत्रकारिता में डिप्लोमा, सी.ए.आई.आई.बी.। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत।
3.	डा. जे. भगवती	आईडीबीआई	एम.एस.सी. (भौतिकी), एम.एस. (वित्त), पी.एच.डी. (वित्त) आई.एफ.एस. (1976): विश्व बैंक कोष सति भारत तथा विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वर्तमान में वित्त मत्रालय में संयुक्त सचिव।
4.	श्री राजेन्द्र पी. चिटाले	आईडीबीआई	वाणिज्य एवं विधि में स्नातक, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य। चार्टर्ड लेखाकार के रूप में कार्यरत।
5.	डा. वी.बी. देसाई	आईडीबीआई	एम.ए., पी.एच.डी. (अर्थशास्त्र), वर्तमान में आईसीआईसीआई में सलाहकार के रूप में कार्यरत।
6	श्री जी.एन. बाजपेयी	एलआईसी	एम.कॉम., एल.एल.बी., वर्तमान में जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत।
7.	श्री जानकी वल्लभ	एसबीआई	एम.कॉम., सी.ए.आई.आई.बी., वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत।
8.	श्री डी.टी. पाई	यूटीआई अधिनियम की धारा 109(ङ) के अंतर्गत निर्वाचित	एम.कॉम., सी.ए.आई.आई.बी., वर्तमान में सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत।

[हिन्दी]

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ''फिक्की'' की टिप्पणी

3147. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''फिक्की'' ने इस बात की ओर इशारा किया है कि निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी सुधार का कोई संकेत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''फिक्की'' ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए चार सूत्रीय योजना का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है: और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त स्थिति से उबरने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने मत व्यक्त किया है कि एक निश्चित समुत्थान के अवसर कम से कम निकट भविष्य में बहुत कम हैं। उपभोक्ता मांग में काफी अधिक वृद्धि के लिए राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और निवेश की मांग में सुनिश्चित वृद्धि की सम्भावनायें काफी कुछ कारोबार का विश्वास बढ़ाने पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) चैम्बर ने अर्थव्यवस्था में मन्दी को पलटने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक चार सूत्रीय रणनीति

की मांग की है। स्कीम के चार बिन्दु निम्नलिखित है:-

(1) वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में किए गए वायदों को कार्यान्वित करना।

(2) कम्पनी कर के यौक्तिकीकरण, न्यूनतम वैकल्पिक कर की समाप्ति और निवेश छूट की बहाली के माध्यम से निवेश सम्भावनाओं को पुन: सृजित करना।

(3) निवेश मांग में सुधार लाने में सहायता करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में पड़ी अनुप्रयुक्त निधियों को तीव्रता से खर्च करना।

(4) कारोबार के विश्वास को बढ़ाने में मदद के लिए विनिवेश की गति तेज करना।

(ङ) अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को बारीकी से मानीटर किया जाता है और अर्थव्यवस्था की विकास सम्भावनाओं में सुधार लाने के उपाय किये जाते हैं। इनमें प्रगति और विकास की बाधाओं को दूर करना, करों का यौक्तिकीकरण और पुनर्गठन, आधारभूत ढांचे और उद्योग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के स्वदेशी और वैदेशिक सेक्टरों का उदारीकरण ताकि उनकी विकास सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सके, शामिल हैं।

[अनुवाद]

रबड़ के लिए एकल विभाग

3148. डा. वी. सरोजा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घाटे में कमी करने के लिए रबड़ बोर्ड और भारतीय रबड़ उत्पादक संघ को एकल विभाग के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) वाणिज्य विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) की 2001-02 की अनुदान मांगों (मांग नं. 10) से संबंधित अपनी 47वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन वभाग द्वारा रबड़ बोर्ड तथा इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन को एक ही विभाग के अंतर्गत लाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए ताकि लागतों को न्यूनतम किया जा सके और उनके प्रचालनों में और अधिक समन्वय एवं कुशलता सुनिश्चित की जा सके। सरकार (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) द्वारा उक्त सिफारिश पर कोई अंतिम निर्णय विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात लिया जाएगा।

[हिन्दी]

विनिवेश आयोग का पुनरुद्धार

3149. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नए सदस्यों सहित विनिवेश आयोग का पुनरुद्धार करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इसके लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है और उनकी योग्यताएं क्या हैं;

(घ) सरकार सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों का विनिवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए किस सीमा तक सहमत हो गई है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जाना है; और

(च)इस संबंध में विनिवेश आयोग द्वारा क्या पद्धतियां अपनाई गई हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) विनिवेश आयोग का दिनांक 24.7.2001 को पुनर्गठन किया गया है। क्लियरिंग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष डा. आर.एच. पाटिल ने विनिवेश आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके पूर्व की नियुक्तियों में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करना शामिल है। वे भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पहले प्रबंध निदेशक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री जी. गणेश विनिवेश आयोग के सदस्य सचिव हैं। अन्य सदस्यों की अभी नियक्ति नहीं हुई है।

विनिवेश आयोग एक परामर्शी निकाय है तथा इसकी भूमिका एवं कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश पर तथा सरकार द्वारा इसे सौंपे गए अन्य मामलों में सरकार को सलाह देने के होंगे। यह विनिवेश से संबंधित इस प्रकार के किन्हीं भी क्रियाकलापों का भी संचालन करेगा जो इसे सरकार द्वारा सौंपे जाएंगे। अपनी सिफारिशें करते समय आयोग सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई(यों) में कामगारों, कर्मचारियों तथा अन्य शेयर धारकों के हितों पर भी विचार करेगा। विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय सरकार के पास निहित रहेगा।

(घ) जैसे कि वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में कहा गया है, सरकार की घोषित विनिवेश नीति साधारण मामलों में गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा इससे भी कम स्तर पर नीचे लाने की है महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में सरकार अधिकांश शेयरधारिता अपने पास बनाए रखेगी।

(ङ) निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश जो विभिन्न चरणों में हैं, इस वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है: एयर इंडिया, सी एम सी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. (चरण 1), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इंडियन एयर लाइन्स, आइ बी पी लि., इंडियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि. की सम्पत्तियां, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेट्स लि., स्पोन्ज आइरन इंडिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., जेसप एण्ड कम्पनी लि., नेपा लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्बस लि., एच टी एल लि., एन आइ डी सी, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, हिन्दुस्तान साल्टस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड।

(च) विनिवेश आयोग ने विनिवेश के लिए कोई पद्धति नहीं अपनाई थी। इसने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, जिन पर इसने विचार किया था, केवल विभिन्न पद्धतियों अथवा उनकी मिली-जुली पद्धति की सिफारिश की थी। विनिवेश के सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए तथा क्रियान्वित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ईरान के साथ व्यापार

3150. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण सुविधाओं के अभाव के कारण ईरान के साथ व्यापार पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री के हाल के ईरान यात्रा के दौरान भारतीय व्यापारी उनसे मिले और उन्हें ऋण सुविधाएं प्रदान किये जाने का अनुरोध किया;

(ग) क्या "भेल" पहली क्रेडिट लाइन रही है जोकि ईरान में 400 मेगावाट के विद्युत संयंत्र के लिए बोली लगा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रधान मंत्री की यात्रा के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार संवर्द्धन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारतीय और ईरानी अर्थ व्यवस्थाएं मिलती-जुलती होने के बावजूद, कच्चे तेल के व्यापार को छोड़कर दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा नगण्य है। 1997-98 से ईरान को भारत से वस्तुओं के होने वाले निर्यातों में गिरावट आने की मुख्य वजह अप्रतिस्पर्धी कीमतें और निर्यात ऋण की कमी रही है। जहां तक पूंजीगत इंजीनियरिंग सामानों, वस्त्र और मुद्रण मशीनरी, इलैक्ट्रानिक इत्यादि जैसे अन्य उत्पादों का संबंध है, भारत से अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करने की ईरानी व्यापारियों की इच्छा के बावजूद भारत द्वारा मुख्यत: निर्यात ऋण, मध्यावधि से दीर्घावधि ऋण (5-8$^{1}/_{2}$ वर्ष) के प्रस्ताव के अभाव की वजह से इस संभावना का दोहन नहीं किया जा सका। इसके विपरीत, पश्चिमी देशों और कुछेक एशियाई देशों ने ऋण सुविधाओं के प्रस्ताव के जरिए पूंजीगत वस्तुओं, सेवाओं, परियोजनाओं और जिंसों के अपने निर्यातों में वृद्धि की है।

(ख) जी, हां।

(ग) "भेल" फिलहाल किसी क्रेडिट लाइन के तहत 400 मेगावाट के किसी विद्युत संयंत्र की बोली लगाने की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा है। तथापि "भेल" भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ईरान की यात्रा के दौरान घोषित 200 मिलियन अमरीकी डालर की क्रेडिट लाइन का उपयोग बिजली परियोजना आपूर्तियों, जब भी शुरू होगी, के लिए करना चाहेगा।

(घ) माननीय प्रधान मंत्री की ईरान की यात्रा के अनुसरण में, यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किए गए सभी उपायों पर कार्रवाई शुरू की गई है, जो प्रगति पर है। "भेल", तेहरान में भारतीय दूतावास, फिक्की इत्यादि विभिन्न ईरानी संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं के बारे में अवगत करा रहे हैं और उन्हें ईरानी बाजार में उभरते

अवसरों की जानकारी देने के सघन प्रयास भी किए हैं। माननीय प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान घोषित उक्त क्रेडिट लाइन से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

3151. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान वे कौन-कौन सी कम्पनियां, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जोकि विनिवेश प्रक्रिया के लिए विचाराधीन रहे हैं; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार इनकी सम्पत्तियों का बाजार मूल्य क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) इस समय निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है:

एयर इंडिया, सी.एम.सी. लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. (चरण I), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इंडियन एयर लाइन्स, आइ बी पी लि., इंडियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि. की सम्पत्तियां, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेट्स लि., स्पोन्ज आइरन इंडिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., जेसप एंड कंपनी लि., नेपा लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्बस लि., एच टी एल लि., एन आइ डी सी, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, हिन्दुस्तान साल्टस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड।

एक जटिल अनुकूल बिक्री/विनिवेश में, अन्य बातों के साथ-साथ सौदे के पूरा होने से पहले सलाहकारों का चयन, संभावित बोलीदाताओं से रुचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विधिवत अध्यवसाय, शेयर धारक करार/शेयर खरीद करार नामक सौदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देना, वित्तीय/तकनीकी बोलियां आमंत्रित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्य निर्धारण इत्यादि शामिल होता है। विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाई जाती है और इसमें कोई बातचीत नहीं की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्य निर्धारण मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसरण में किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अनुकूल विनिवेश पूरा होने से पहले प्रत्येक उपक्रम की संपत्तियों के बाजार मूल्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

बैंक बोर्डों के निदेशक

3152. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के अनेक बैंकों के निदेशक बोर्ड में शेयर दलाल हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक बोर्ड में शेयर दलाल हैं;

(ग) क्या शेयर दलाल निदेशकों और बैंक प्रबंधन के बीच सांठ-गांठ के चलते शेयर दलाल बैंक से बड़ी धनराशियां अपने अवैध व्यक्तिगत लाभों के लिए हड़प लेते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बैंकों के निदेशक पदों पर शेयर दलालों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) शेयर दलालों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निदेशक बनने से रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

टायर उत्पादन

3153. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान टायर उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें अप्रैल-मई, 2001 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में और गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू आटोमोबाइल सेंटर के बेहतर विकास के लिए टायर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, नहीं। टायरों के कुल उत्पादन में 1999-2000 (414.13 लाख नगों) की तुलना में 2000-2001 के दौरान (424.71 लाख नग) 3 प्रतिशत वृद्धि देखी गयी है;

(ग) और (घ) अप्रैल-मई, 2001 के दौरान सभी प्रकार के टायरों का कुल उत्पादन (35,25,617 नग) वर्ष 2000 की इसी अवधि में हुए कुल उत्पादन (35,44,752 नग) की तुलना में 3 प्रतिशत कम हो गया है। यह मुख्यत: वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में कमी तथा इस अवधि के दौरान सड़क द्वारा माल के परिवहन में कमी की वजह से है।

(ङ) केन्द्रीय बजट 2001-02 में सरकार ने यात्री कारों के मामले में (40 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक) और स्कूटर/मोटरसाइकिलों के मामले में (32 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक) 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की है, जिसके फलस्वरूप आटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह से मूल उपकरण क्षेत्र में विकास और मांग के माध्यम से टायर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

बैंकों का आधुनिकीकरण

3154. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डा. वासुदेवन समिति ने ग्राहकों को और प्रभावी सेवा देने के लिए बैंकिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय बैंकों द्वारा इसे किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या ग्राहक सेवा के संबंध में बैंकों के लिए रेटिंग प्रणाली आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। वासुदेवन समिति की सिफारिशें अधिकांश रूप में बैंक में सूचना आधारिक तत्व से संबंधित हैं। तदनुसार, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए सैटेलाइट आधारित नेटवर्क के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 1999 में भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफआईएनईटी) शुरू किया गया। इसमें लगभग 643 वीएसटी हैं। इसी बीच केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्राय: सभी बैंकों ने 30.6.2001 तक की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटरीकरण द्वारा अपने कारोबार के 70% भाग को किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

3155. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वीकृत प्रतिशत कितना है;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो आज तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नहीं खोले गये हैं;

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने हेतु सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) इन क्षेत्रों पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) घरेलू निवेश में सरकार के प्रयास में मदद करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार ने एक पारदर्शी, गतिशील और निवेशक-अनुकूल एफ डी आई नीति पहले ही लागू कर दी है, जिसके द्वारा लगभग सभी कार्यकलापों को 100 प्रतिशत तक एफ डी आई के लिए स्वत: मार्ग के अधीन रख दिया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी

आई) के निबंधन और शर्तों सहित विस्तृत दिशानिर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर विधिवत् अधिसूचित किये जाते हैं। इन अधिसूचनाओं के आधार पर एफ डी आई नीति और प्रक्रियाएं निवेशकों की सुविधा के लिए एक मैनुअल के रूप में भी प्रकाशित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (एम ई एम ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को शासित करने वाले नियम और विनियम तैयार एवं अधिसूचित किए हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था के उत्तरोत्तर उदारीकरण के भाग के रूप में अधिकांश कार्यकलापों को स्वत: मार्ग पर रख दिया गया है, जिसके अधीन निवेशकर्ता कंपनी को निधियां प्राप्त होने और शेयरों के भी निर्गम के 30 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को केवल अधिसूचना देनी होती है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, कृषि एवं वृक्षारोपण, प्रिंट मीडिया, परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन, कानूनी सेवा, खुदरा व्यापार और अचल संपदा व्यवसाय के क्षेत्रों में एफ डी आई की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(घ) और (ङ) एफ डी आई नीति का उदारीकरण एक जारी तथा परामर्शदायी प्रक्रिया है, जिसमें एफ डी आई के लिए क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के बीच परामर्श अंतर्ग्रस्त होते हैं। सरकार ने एफ डी आई पर मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है, जो समय-समय पर एफ डी आई नीति की समीक्षा करता है, एफ डी आई व्यवस्था का और उदारीकरण करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करता है तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ नीतिगत परिवर्तनों की सिफारिश करता है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार में बैंकों का निवेश और अग्रिम

3156. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजी बाजार में बैंकों के निवेश और अग्रिम संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तकनीकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिशानिर्देशों में कतिपय परिवर्तनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो दिशानिर्देशों में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) निवेश मानदंडों में होने वाली अनियमितताओं को इस कार्यवाही से किस सीमा तक रोका जा सकेगा;

(घ) क्या बैंकों द्वारा इन संशोधित दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिणामों पर निगरानी रखने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक-सेबी की तकनीकी समिति की अनुशंसाओं और समिति की रिपोर्ट के संबंध में विशेषज्ञों, बाजार प्रतिभागियों से प्राप्त टिप्पणियों को आधार मानते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11 मई, 2001 के अपने परिपत्र सं. डीबीओडी बीपी बीसी 119/21-04.137/2000-2001 द्वारा इक्विटियों के बैंक वित्तपोषण और शेयरों में निवेश संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पूंजी बाजार में बैंकों के निवेश और अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देशों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:

(1) दिनांक 11 मई, 2001 के उपर्युक्त परिपत्र ने दिनांक 10 नवम्बर, 2000 के पूर्व परिपत्र डीबीओडी बीपी बीसी 51/21. 04. 137/2000-2001 का अधिक्रमण किया है। (2) शेयरों/डिबेंचरों, आदि में निवेश हेतु निर्धारित 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा अब से आगे सभी रूपों में बैंकों द्वारा पूंजी बाजार की कुल देनदारियों (निधि आधारित और निधि-भिन्न आधारित) पर लागू होगी। (3)निधि-भिन्न आधारित सुविधाएं और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों व अन्य ऐसी लिखतों (सीपी को छोड़कर)में बैंकों द्वारा निवेश को बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। (4) पूंजी बाजार में देनदारी से संबंधित उच्चतम सीमा की संगणना के लिए बैंकों द्वारा शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश की संगणना शेयरों के लागत मूल्य पर की जाएगी। (5) बैंक अन्य कंपनियों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों में निवेश हेतु कंपनी का वित्तपोषण नहीं करेंगे और आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों हेतु व्यक्तियों को आगे उधार देने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तपोषण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। (6) परस्पर जुड़ी स्टाक दलाली कंपनियों व बैंकों के बीच उभरते किसी गठजोड़ से बचने के लिए प्रत्येक बैंक का बोर्ड 5 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर स्टाक दलालों/निर्माताओं (निधि आधारित तथा निधि-भिन्न आधारित अर्थात गारंटियां तथा एकल स्टाक दलाली कंपनी, जिसमें इसके सहयोगी/परस्पर जुड़ी कंपनियां शामिल हैं, को कुल अग्रिमों के लिए एक उप-सीमा का निर्धारण करेगा। (7) डिमैट तथा भौतिक

शेयरों के प्रति अग्रिमों पर क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के मौजूदा मार्जिन के बजाए सभी अग्रिमों/आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के वित्तपोषण/गारंटियों के निर्गम पर 40 प्रतिशत का एक समान मार्जिन लगाया जाएगा। बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में 20 प्रतिशत के न्यूनतम नकद मार्जिन (40 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) का अनुरक्षण करना होगा। (8) बैंक स्वयं मध्यस्थता प्रचालन नहीं करेंगे अथवा स्टॉक बाजरों में मध्यस्थता प्रचालनों के लिए स्टाक ब्रोकरों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऋण सुविधा प्रदान नहीं करेंगे। (9) बैंक अपने निवेश खाते में वस्तुतः शेयर धारण किए बिना बिक्री लेन-देन नहीं करेंगे । (10) शेयरों में बैंक के निवेश तथा शेयरों के प्रति अग्रिमों के संबंध में निर्णय लेने में स्पष्ट अंतर होगा।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अपना व्यक्तिगत ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, विशेष रूप से बैंक में जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगाएं। इसके अलावा, शेयरों में बैंकों के निवेश तथा शेयरों के प्रति अग्रिम देने की निगरानी तथा अनुवीक्षण बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। अपनी प्रत्येक बैठक में, बोर्ड भिन्न रूपों (निधि-आधारित तथा निधि भिन्न आधारित) पूंजी बाजार में बैंक की कुल देनदारियों की समीक्षा करेगा, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। इसके अतरिक्त, बैंकों की लेखापरीक्षा समितियां बोर्ड को पूंजी बाजार में बैंकों की समग्र देनदारियों तथा इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक/बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अवगत रखेंगी।

गरीबी पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव

3157. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के आर्थिक सुधारों के कार्यक्रमों का देश में गरीबी की दशा पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): 1991-92 को समाप्त हुई 12 वर्षों की अवधि के दौरान औसत वार्षिक वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 5.4 प्रतिशत से बढ़ कर 1992-93 से 2000-2001 के दौरान 6.3 प्रतिशत हो गयी। सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतर वृद्धि गरीबी कम करने की कुंजी है क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी, आमदनी और रोजगार के स्तर, गुणवत्ता और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि का बहुत प्रभाव पड़ता है।

गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त गरीबी का स्तर 1973-74 की कुल जनसंख्या के 54.9 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में 36 प्रतिशत और 1999-2000 में 26.10 प्रतिशत (30 दिवसीय पुनर्सूचना आधार पर) हो गया (विवरण संलग्न है) इस प्रकार 1990 के दशक में देश में गरीबी के समग्र अनुपात में इस अवधि में दर्ज की गई उच्चतर विकास दरों के परिणामस्वरूप काफी गिरावट आने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है।

विवरण

गरीबी के अनुमान

वर्ष	अखिल भारतीय		ग्रामीण		शहरी	
	संख्या (मिलि.)	गरीबी अनुपात (प्रतिशत)	संख्या (मिलि.)	गरीबी अनुपात प्रतिशत	संख्या (मि.)	गरीबी अनुपात (प्रतिशत)
1973-74	321	54.9	261	56.4	60	49.0
1977-78	329	51.3	264	53.1	65	45.2
1983	323	44.5	252	45.7	71	40.8
1987-88	307	38.9	232	39.1	75	38.2
1993-94	320	36.0	244	37.3	76	32.4
1999-2000						
30 दिवसीय पुनर्सूचना	260	26.10	193	27. 09	67	23.62
7 दिवसीय पुनर्सूचना	233	23.33	171	24.02	61	21.59

विकास केन्द्र

3158. डा. वी सरोजा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कुछ और विकास केन्द्र स्थपित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास केन्द्रों के लिए होने वाला आबंटन अपर्याप्त रहा है; और

(घ) यदि हां तो आबंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) विकास केन्द्र के चयन के लिए मानदण्ड तथा दिशा-निर्देश सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में 1988 में गठित सचिवों की समिति तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित किये गये थे। इन मानदण्डों के आधार पर 71 विकास केन्द्रों को अन्तिम रूप दिया गया और विभिन्न राज्यों को आबंटित किया गया है। इसके पश्चात् किसी भी राज्य के लिए कोई अतिरिक्त विकास केन्द्र आबंटित नहीं किया गया है।

वित्तीय पारदर्शिता

3159. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय पारदर्शिता सलाहकार समूह ने सिफारिश की है कि राज्य तीन वर्षों की अवधि के अन्तर्गत हासिल की जाने वाली वित्तीय पारदर्शिता के लिए न्यूनतम नियमावली को अपनाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सलाहकार समूह द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात पर बल दिया है कि विभिन्न राज्यों को इस संबंध में आचार संहिता अपनानी चाहिए;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वास्तव में इस ओर इशारा किया है कि भारत में राज्य ऐसी आचार संहिता के मानदण्डों की पूर्ति कर पाने में पिछड़ रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकारियों की उच्च स्तरीय कोई बैठक बुलाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो यह बैठक कब हुई और इसके परिणाम क्या निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित राजकोषीय पारदर्शिता पर परामर्शी दल ने यह सिफारिश की है कि राज्य वित्त सचिव मंच (फोरम) राजकोषीय पारदर्शिता पर परामर्शी दल की रिपोर्ट की समीक्षा कर सकता है और पारदर्शिता पर न्यूनतम मानकों का एक सेट निर्धारित कर सकता है; जिसे सभी राज्य सरकारों को तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त करना चाहिए।

(ग) मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

(1) राज्य सरकारों को आकस्मिक देयताओं, मुख्य कर व्ययों तथा अर्ध-राजकोषीय कार्यकलापों पर सूचित करने की सीमा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;

(2) कर-ढांचे को सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग द्वारा सरलीकृत किया जाए;

(3) व्यय और राजस्व की मुख्य श्रेणियों को 2002-2003 से दो वर्ष आगे के लिए पूर्वानुमानित किया जाए;

(4) संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों, दोनों पर पिछले वर्ष के आंकड़ों संबंधी अतिरिक्त जानकारी को बजट सार में दिया जाना चाहिए;

(5) प्राप्ति बजट में दी गई विदेशी देयताओं की रिपोर्ट बाजार विनिमय दर पर की जानी चाहिए।

(6) आधारभूत वृहत आर्थिक अनुमानों में व्याप्त अनिश्चितताओं पर आधारित राजकोषीय जोखिम संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए पहल की जानी चाहिए।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रत्युत्तर का मुद्दा उत्पन्न नहीं होता।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल व्यापार में हानि

3160. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल नरेश की हत्या के पश्चात नेपाल के साथ भारत के सीमावर्ती व्यापार में करोड़ों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामतः कुल कितना घाटा होने का अनुमान किया गया है;

(ग) क्या भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सामान्य स्थिति बहाल हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सीमावर्ती व्यापार अपनी पूर्वास्थिति को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) समाचार माध्यमों की रिपोर्टों के अनुसार भारत-नेपाल सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित नेपाल में कुछ अशांति पैदा हुई थीं जिसके परिणामस्वरूप सीमा-पार वाणिज्यिक सौंदों में मंदी आ सकती है। चूंकि किए जा रहे वाणिज्यिक सौदों और डी जी सी आई एस, कोलकाता द्वारा संकलित किए जा रहे व्यापार के आकड़ों के बीच समयान्तराल है इसलिए, इस समय इस अवधि के दौरान व्यापार के प्रवाह की मात्रा की तुलना गत वर्ष की संगत अवधि के साथ करना कठिन है।

(ग) और (घ) वाणिज्य विभाग को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि भारत और नेपाल के बीच इस समय द्विपक्षीय व्यापार उस ढंग से नहीं किया जा रहा है जिस ढंग से यह नेपाल में हाल ही में हुई दुखद घटना से पहले किया जा रहा था।

वित्तीय घाटे पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3161. श्री ए. वेंकटेश नायकः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के वित्तीय घाटे पर गंभीर चिन्ता जताई हैं;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक विश्वव्यापी विकास वित्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों के वित्तीय घाटे का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) देश के वर्तमान लेखा घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वित्तीय घाटे की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्वव्यापी विकास वित्त रिपोर्ट, 2000 में वर्ष 1999 के दौरान दक्षिण एशिया की हाल के घटनाक्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जहां तक भारत के राजकोषीय घाटे का संबंध है, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा (स.घ.उ. का 5-6 प्रतिशत) सरकार के लक्ष्य (स.घ.उ. का 4.4 प्रतिशत) से काफी अधिक होने की संभावना है। राज्यों के व्यापक राजकोषीय खर्चे भी चिन्ता का विषय हैं।"

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सभी राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 1999-2000 (सं.अ.) के 94,739 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2000-01 (ब.अ.) में 90,092 करोड़ रुपये था।

(घ) चालू खाता घाटा जो 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत था, 2000-01 में कम होकर स.घ.उ. का केवल 0.5 प्रतिशत रह गया। यह निर्यातों में तेजी से वृद्धि अदृश्य प्राप्तियों में निरन्तर वृद्धि तथा तेल-भिन्न आयातों के संवर्धन में कमी होने के कारण हुआ।

(ङ) राजकोषीय सुदृढ़ता हासिल करने की दृष्टि से वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय सरकार के व्यय के संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यय प्रबंध, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता पर जोर दिया गया। इस प्रयोजन हेतु बजट में कई उपाय किए गए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ, नई भर्ती को कुल सिविलियन स्टाफ संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित रखना, सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों में इन सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना आदि शामिल है। इसके अलावा, ब्याज-भार को कम करने की दृष्टि से अधिकांश लागू ब्याज दरों में 1 मार्च, 2001 को 1.5 प्रतिशत की कमी की गई है। इसके अलावा, दिसम्बर, 2000 में संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में ऋण, घाटे और उधार की उच्चतम सीमा से प्रतिबंधित प्रावधान शामिल हैं।

फिजूल का व्यय

3162. श्री अनन्त नायकः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालयों और मंत्रियों के कार्यालयों में फिजूल के खर्चे को रोकने के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) फिजूल के व्यय को नियंत्रित करना सरकार का सतत् प्रयास रहा है। इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों/विभागों को सरकारी व्यय में मितव्ययिता हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। मितव्ययिता संबंधी इन उपायों में, पदों के सृजन पर पाबंदी, स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्ययों में कटौती, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेशी यात्रा और स्वागत/सत्कार व्यय पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा के लिए दैनिक भत्तों में कमी आदि शामिल हैं। विभिन्न मितव्ययिता उपायों और उनके कठोर अनुपालन को रेखांकित करते हुए सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री स्तर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

मंत्रियों का विदेश दौरा

3163. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा एक के बाद एक विदेशी दौरे आयोजित किए गए या उनके द्वारा दौरे किए गए;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 2000 के अंत तक पिछले 15 महीनों के दौरान केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय किया गया और इन दौरों के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों की ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर इस संबंध में कोई नए निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा में भारत का स्थान

3164. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 की नवीनतम विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान 41 वां हो गया है जबकि वर्ष 2000 में उसका स्थान 39वां था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा रिपोर्ट 2000 के अनुसार भारत के विकास की प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग सुधर कर (जो अर्थव्यवस्था के भावी विकास में योगदान करने वाले कारकों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करती है वर्ष 1999 के 52वें स्थान से वर्ष 2000 में 49वे स्थान, पर आ गई है। वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक रैंकिंग (जो उच्च वर्तमान उत्पादकता और आर्थिक निष्पादन को सुदृढ़ करने के कारकों का संक्षिप्त ब्यौरा देती है) भी 1999 के 42 से 2000 में 37 पर आ गई है। रैंकिंग में सुधार इस कारण से हुआ कि भारत निर्यात संवर्धन के उदारीकरण में पांचवें, प्रौद्योगिकी के लाइसेंस प्रदान करने में प्रथम, कारोबारी परिवेश की गुणवत्ता वाले आपूर्तिकताओं की उपलब्धता में आठवें, आय कर दर में तीसरे, सड़क आधार ढांचे में दूसरे और मूल्यवर्द्धित कर (वी.ए.टी.) में बारहवें स्थान पर है। इसके अलावा, भारत की रैंकिंग वित्त में 46 से 39 पर और प्रौद्योगिकी अन्तरण में 38 से 26 पर आ गई है।

(ग) वर्ष 1991 से भारत ने, भारतीय उद्योगों की कार्यक्षमता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए और समग्र विकास प्रक्रिया में गति लाने के लिए औद्योगिक, व्यापार, वित्तीय, राजकोषीय और सरकारी क्षेत्रकों में सराहनीय सुधार किए हैं। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में सुधार भारत में हो रहे आर्थिक सुधारों का परिणाम है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, **डा. वल्लभभाई कथीरिया** की ओर से मैं भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3928/2001]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, **श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित, प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(सिविल) (2001 की संख्या 1)-संघ सरकार के लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3929/2001]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(सिविल) (2001 की संख्या 2)-लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संव्यवहार।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3930/2001]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(2001 की संख्या 5) (वैज्ञानिक विभाग)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3931/2001]

(चार) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(2001 की संख्या 11)-(अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3932/2001]

(2) वर्ष 1999-2000 के संघ सरकार के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3933/2001]

(3) वर्ष 1999-2000 के संघ सरकार के विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3934/2001]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 293(अ) जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 399(अ) जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचा संख्या 29/97-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 400(अ) जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 48/99-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 401(अ) जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना संख्या 50/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3935/2001]

(5) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) जो 29 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद के स्थान में परिवर्तनों

को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3936/2001]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत दिनांक 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या ए पी ई डी ए/एस ई सी/जी ई एन एल/30 में प्रकाशित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भर्ती विनियम, 2001 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3937/2001]

अपराह्न 12.01$^{1}/_{2}$ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 24 जुलाई, 2001 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. टीका (निरसन) विधेयक, 2001
2. उत्तर प्रदेश गन्ना उपकरण (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001
3. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2001
4. औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय (निरसन) विधेयक, 2001।

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 13 अगस्त, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार;
2. भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् आदेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् विधेयक, 2001 पर विचार तथा पारित करना;
3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना-
   (क) ऊर्जा संरक्षण वधेयक, 2000
   (ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2001
4. राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-
   (क) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2001
   (ख) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001
   (ग) भारतीय रेल कम्पनी (निरसन) विधेयक, 2001
   (घ) रेल कम्पनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) (निरसन) विधेयक, 2001
   (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2001
   (च) प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2001
   (छ) भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001
   (ज) गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001
   (झ) निरसन और संशोधन विधेयक, 2001
   (ट) पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2001
5. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

6. रेल अभिसमय समिति (1999) द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में ''वर्ष 2001-2002 के लिए लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक मामलों'' पर की गई सिफारिशों की स्वीकृति चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

7. जे.सी.एम. योजना के अधीन अपेक्षित समयोपरि भत्ते के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

8. 1992 के सी.ए. संदर्भ संख्या 11 में आशुलिपिक ग्रेड ''घ'' के ग्रेड के वेतनमान में वृद्धि करने संबंधी माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट को अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

9. 1991 के सी.ए. संदर्भ संख्या 2 में निजी सचिवों (सी.एस.एस.एस. में विलय किये गये ग्रेड ''क'' और ''ख'') को विशेष वेतन प्रदान करने हेतु माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

(एक) राजधानी दिल्ली में अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने की आवश्यकता।

(दो) नेफेड द्वारा खरीद नहीं किए जाने के कारण नारियल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट।

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाएं: केन्द्र-राज्य संबंध इस समय सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। इसलिए, इस संबंध में तुरन्त विस्तृत चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

1. ''आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा में एकरूपता, समानता तथा अन्यान्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ अधिक सुसंगत बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार।''

2. केन्द्रीय विद्यालय तथा निवोदय विद्यालयों के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण किन्तु प्रवेश भाव के कारण निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रति रुचि को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों की स्थापना व प्रवेशादि नियमों पर पुनर्विचार। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:

(एक) एच.एस.सी.एल. की दुर्गापुर एकक में 25 महीनों से कर्मकारों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना तथा हेड आफिस को कोलकाता से बंगलौर स्थानान्तरित करना और प्रबन्ध द्वारा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लागू करने के लिए धमकी देना अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा।

(दो) ऑफिसर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन की प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना के अनुसार तत्काल प्रभाव से इस्को का पुनरुद्धार।

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा भारत की साख स्थिति के बारे में जो मूल्यांकन किया गया है उससे भारत की छवि धूमिल हुई है। अत: इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

1. विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित जनवरी 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक छ: करोड़ बाल मजदूर भारत में हैं। भारत में उपलब्ध बाल श्रम को रोकने के लिए उपलब्ध अधिनियमों और कानूनों में अधिकांश दोषी नियोजकों को दंडित कर पाना संभव नहीं हो पाता, अत: संबंधित अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता।

2. प्रधान मंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क योजना पूर्ण रूप से केन्द्र प्रवर्तित शत-प्रतिशत राशि प्रदत्त केन्द्रीय योजना है। अत: इसकी क्रियान्विति में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में सांसदों की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता, जिससे

विधायकों की भांति सांसदों को भी अपने क्षेत्र में ग्राम सम्पर्क सड़क योजना में एक करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य कराये जाने का अधिकार प्राप्त हो।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:

(1) देश में तथा बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् संदर्भ में खेल-कूद आधारभूत संरचना के विकास करने की आवश्यकता।

(2) ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने तथा रेफरल केसों के लिए और अधिक केन्द्रों के बनाने तथा देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के स्तर उठाने के मामले पर चर्चा।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:

(एक) कोस्टल जोन अर्थात् सी आर जेड पॉलिसी तैयार करना।

(दो) पुनर्वास परियोजनाओं से प्रभावित तथा मुम्बई और अन्य महानगरों में मलिनबस्तियों में बसे लोगों को हटाने के लिए नीति तैयार करना।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

1. छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न राज्य मार्ग बहुत खराब एवं गंदे रहने से आवागमन तथा बसें चलने में कठिनाई हो रही है। इन्हें राज्य सरकार नहीं बनवा रही है। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर से पोड़ी मंडला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर अविलम्ब स्वीकृत किया जाए।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से मंडला जबलपुर नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन को भेजा जाए तथा इसे केन्द्र सरकार अविलम्ब स्वीकृत करें।

अपराह्न 12.09 बजे

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, हमें भी अवसर मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सूची के अनुसार चलूं या नहीं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू टी आई से संबंधित अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक को मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू टी आई से संबंधित अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय वित्त मंत्री और पूरी सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदयः मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यू टी आई से संबंधित वाद विवाद में हस्तक्षेप के दौरान मैंने उन पत्रों जो 18 मई, 15 जून तथा 30 जून को वित्त मंत्रालय को मिले का स्पष्ट हवाला दिया था। *...(व्यवधान)*

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय, हमें मीडिया रिपोर्टों से पता चला, जो रिकार्ड में हैं, कि वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं थी। *...(व्यवधान)* बिजनेस स्टैण्डर्ड में एक रिपोर्ट छपने के बाद मैंने एक सप्ताह तक इंतजार किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं। श्री दासमुंशी, हमने यूटीआई पर चर्चा की थी। जे पी सी भी इस विषय की जांच कर रही है। सी बी आई भी इस विषय की जांच कर रही है। आप इस विषय को बार-बार उठा रहे हैं। हमने इस सभा में यू टी आई पर चार से पांच घंटे तक चर्चा की थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हमने पिछले सप्ताह स्थगन प्रस्ताव के दौरान इसी विषय पर चर्चा की थी। जेपीसी भी इस विषय की जांच कर रही है। श्री दासमुंशी, आप इस सभा में बार-बार इस विषय को उठा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह प्रासंगिक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री दासमुंशी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप से उम्मीद की जाती है कि आप सभा के साथ सहयोग करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री रामनरेश त्रिपाठी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आज सप्ताह का अंतिम दिन है। मेरे पास चालीस सूचनाएं हैं। कृपया दूसरे सदस्यों को बोलने दें। उन्होंने विभिन्न विषयों के संबंध में सूचनाएं दी हैं। उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः हम अत्यन्त ही वस्तुपरक जांच चाहते हैं। सीबीआई कैसे जांच कर सकती है यदि वित्त मंत्री वहां पर बैठे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे श्री राम नरेश त्रिपाठी और श्रीमती जयश्री बनर्जी, संसद सदस्यों से 'शून्य काल' के लिए सिवनी, मध्य प्रदेश में पुलिस के गोली चलाने से एक व्यक्ति के मारे जाने का विरोध करते समय पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं गृह मंत्रालय से इस विषय में अंतिम तथ्यपरक नोट मंगवा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए।

श्री किरीट सोमैयाः महोदय, आपके माध्यम से माननीय महोदय का ध्यान एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि एक माननीय भूतपूर्व सदस्य और मंत्री दोषी पाए गए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः सैंतीस माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। आज सप्ताह का अंतिम दिन है। वे अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैयाः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री ने फारेन एकाउंट्स में धन ट्रांसफर किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री किरीट सोमैया, कृपया आप अपना 'शून्य काल' का मामला उठाएं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैयाः अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन एक्सप्रैस पेपर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप अपना, शून्यकाल, का मामला उठायें।

श्री किरीट सोमैया: मुम्बई में, एक प्लास्टिक के कारखाने में 7 व्यक्तियों की मौत हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। वित्त मंत्री जी, क्या आप श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) उन्होंने वित्त मंत्री जी को यूटीआई संबधी स्थगन प्रस्ताव पर उत्तर नहीं देने दिया *...(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि सभा में पूर्ण व्यवस्था और शांति बहाल नहीं थी। अत: मैं माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा कही जा रही बातों को नहीं सुन पाया। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह जोड़ना चाहूंगा कि यह विपक्ष की ज्यादती है कि उन्होंने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया *...(व्यवधान)* अब, उन्होंने यह मुद्दा नए सिरे से उठाया है। यह अनुचित है *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हमने आपको इसलिए नहीं बोलने दिया क्योंकि आपने इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य के प्रति अभद्र व्यवहार किया। *...(व्यवधान)* इसीलिए हमने आपत्ति की।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष में हिम्मत है, तो मेरा उत्तर सुनें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यह कह रहे हैं कि वे यह सुन नहीं पाये कि मैं क्या कह रहा था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री द्वारा फारेन एकाउंट्स में धन ट्रांसफर करने के बारे में सरकार नोट ले इसकी जांच कराए तथा कार्रवाई करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण यह उचित नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय श्री कांतिलाल भूरिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए]*

सभापति महोदय: अब कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। श्री रूपचन्द पाल।

कार्यमंत्रणा समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजकुमार वंग्चा (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के एक मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह अरुणाचल प्रदेश के मनभन तेल क्षेत्र से संबंधित है जिसमें गत 10 दिनों से भूमिगत लोगों से जबरदस्ती वसूली संबंधी पत्र प्राप्त होने के कारण कार्य बंद हो गया है।

यह घटना 25 जुलाई, 2001 को रात लगभग 9 बजे हुई। जबरदस्ती वसूली करने वाले छः भूमिगत लोग मनभम तेल क्षेत्र में आये और उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी से 10,000 रुपए की मांग की। इस घटना की पुलिस अथवा प्रशासन को सूचना दिए जाने की स्थिति में कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। 26 जुलाई को, भूमिगत विद्रोही तेल क्षेत्र में पुनः आये और प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर उन्होंने कहा कि वे तेल प्रबंधन को 1 अगस्त, 2001 को अथवा इससे पहले 60 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था करने को कहे।

फिर 27 जुलाई को प्रबंधन को एक संदेशवाहक के माध्यम से पत्र भेजा गया जिसमें पुनः यह दुहराया गया कि 1 अगस्त 2001 को उन्हें धनराशि दी जाए। यह पत्र गवर्मेंट आफ दी पीपुल्स रिपब्लिक आफ नागालैण्ड के लेटर पैड पर लिखा गया था। प्रशासन को इन सभी बातों की जानकारी नहीं दी गई थी। अपने सूत्रों से सूचना पाने के बाद अरुणाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने तेल प्रशासन से संपर्क करके उन्हें कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे इन जबरन वसूली करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु एक योजना बनाने में उनसे मदद करने का अनुरोध भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, कर्मचारियों ने प्रशासन की सहायता करने से मना कर दिया। 29 जुलाई को उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी पुलिस कर्मियों के एक प्लाटून के साथ तेल कर्मचारियों को सुरक्षा देने हेतु उस स्थान पर गए। तथापि तेल कार्मिक उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन सभी मामलों की जानकारी गृह मंत्री जी के कार्यालय को दूरभाष पर दी गई है।

मैं भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हम तेल क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने में बिलकुल असमर्थ हैं क्योंकि यह ही केवल एकमात्र तेल क्षेत्र नहीं है। हमारे पास अन्य तेल क्षेत्र भी हैं। हम अन्य तेल क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाओं की आशंका कर रहे हैं। अतः हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु हमें पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराये जायें।

वर्ष 1998 से पूर्व अरुणाचल पुलिस को सीआरपीएफ की पांच बटालियन दी गई थी। लेकिन वर्ष 1998 के बाद हम पाते हैं कि अरुणाचल पुलिस के पास सीआरपीएफ की सिर्फ 2 बटालियन ही रह गई हैं। अतः जैसाकि आपको ज्ञात है कि यह विद्रोही गतिविधियों वाले ऐसे अशांत क्षेत्र के लिए कतई पर्याप्त नहीं है।

मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह अरुणाचल प्रदेश सरकार की इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने हेतु उस क्षेत्र में और अधिक बटालियन तैनात करके उनकी मदद करे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर मामला है।

सभापति महोदयः सरकार की ओर से कौन प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह वास्तव में अरुणाचल प्रदेश के लोगों और वहां रह रहे अन्य लोगों से संबंधित है। यदि मैं यह कहूं कि उनके जीवन को भी खतरा है क्योंकि उन्होंने इसे अत्यंत कठिनाई से कहा है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, चूंकि आपने मुझे निदेश दिया है अतः मैं कहूंगा कि मैंने इस मामले को नोट कर लिया है।

सभापति महोदयः ठीक है। धन्यवाद।

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरुअनंतपुरम): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के त्रिवेंद्रम राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर काराकुट्टम और चिवला के विकास में आ रही कठिनाइयों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। काराकुट्टम और चिवाला उपमार्ग जिसकी लम्बाई 47 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के समानान्तर है, का निर्माण एक महात्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य दक्षिण राज्य केरल का समग्र विकास है।

केरल राज्य को तमिलनाडु से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर भारी यातायात की आवाजाही रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग केरल और तमिलनाडु के बीच यातायात का प्रवेश द्वार है। उप मार्ग का निर्माण वर्ष 1980 में शुरु किया गया था। काराकुट्टम से वल्जापुट्टम के बीच 20 किलोमीटर लंबे उप मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि वलजापुट्टम से कोवलम के बीच उपमार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। इस कार्य को अब किन्हीं अज्ञात कारणों से रोक दिया गया है। इस कार्य को रोकने से वर्तमान सड़क का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक परेशानी और कठिनाई हो रही है। पूरे यातायात को राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के माध्यम से चलाया जा रहा

है जिससे पारसेलम और त्रिवेंद्रम शहर के बीच प्रतिदिन अत्यधिक यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

यह नोट करना आवश्यक है कि कोवलम से इंचीवाड़ा के बीच उपमार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण जैसे प्रारंभिक कार्य को पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बगैर किसी विलंब के यह मंजूरी प्रदान कर दी जाए। मैं सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि केरल राज्य को आवंटित धनराशि अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक कम है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्यों को जनसंख्या के आधार पर धनराशि दिए जाने हेतु कोई मानदंड अपनाया जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने और इस दिशा में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की हैपीटाइटिस-बी से पीड़ित जनसंख्या का लगभग दस प्रतिशत भाग हमारे देश में है और इस समय हैपीटाइटिस-बी से पीड़ितों की वर्तमान दर चार प्रतिशत है। इसलिए यह समस्या भी हमारी कार्यसूची में शामिल है। यह एक भयानक रोग भी है जो एच आई वी एड्स से कम भयानक नहीं है।

दुर्भाग्यवश, एच आई वी एड्स के लिए हमारे पास अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम है परन्तु एच आई वी एड्स के लिए कोई निर्धारित इलाज या रोग निरोधी प्रबंधन नहीं है। परन्तु हैपीटाइटिस बी के लिए निश्चित रोगनिरोधी उपाय हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागरिकों के व्यापक प्रतिरक्षीकरण की सिफारिश की है। इस प्रतिरक्षीकरण को हमारे देश के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाना चाहिए।

अब तक सरकार यह नहीं कर सकी, उनके पास कई दलीलें हैं। आज के एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि दिल्ली सरकार ने अपना कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है। सांकेतिक रूप में उन्होंने नवजात शिशुओं को हैपीटाइटिस-बी का टीकाकरण करके उनका प्रतिरक्षीकरण करने का प्रावधान किया है। यह एक अच्छा संकेत है और मैं उन्हें यह निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, यह देश के लिए एक बड़ा कार्य है।

राज्य अपने आप हैपीटाइटिस के प्रतिरक्षीकरण का काम नहीं कर सकते क्योंकि यह आज भी बहुत महंगा है। इसलिए, केन्द्र सरकार को व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में हैपीटाइटिस-बी सहित एक निश्चित कार्यक्रम चलाना चाहिए और इस व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को हमारे देश के व्यापक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अनुसूची के अंतर्गत लाना चाहिए।

इससे हमारे देश में स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है। महोदय, मेरे पास एक दस्तावेज है। यह एक चेतावनी है। हाल ही में मेरे जिले में एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा महामारी अध्ययन किया गया है। तथ्यों से पता चला है कि लगभग 6.21 प्रतिशत जनसंख्या को हैपीटाइटिस-बी वाहक हैं। यह एक समुदाय आधारित अध्ययन था। यह रोग पूरे देश में फैला है विशेषकर ग्रामीण भारत में जनजातीय लोगों में, पिछड़े लोगों में और उन लोगों में जो अपनी आम चिकित्सा के लिए इन्जेक्शन लेने के काफी अभ्यस्त हैं। हमारे देश में बहुत नीम हकीम हैं और दुर्भाग्यवश, हमारे लोगों को उन पर निर्भर रहना पड़ता है। वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं का बहुत कम पता है। अज्ञान भी है। संदूषित इन्जेक्शन, कांच इन्जेक्शन, (पिचकारी सिरींज और सूई के प्रयोग के कारण इस प्रकार का संक्रमण फैल रहा है।

अत: भविष्य में स्वास्थ्य समस्या आने वाली है और हमें अपने बच्चों को इस भयानक रोग से बचाना है जो एच आई वी एड्स से कम खतरनाक नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार को हमारे देश के व्यापक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हैपीटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम लाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हैपीटाइटिस-बी की बीमारी के हो जाने के बाद चार महीने तक 1600 रुपये प्रतिदिन की सुईयां लगती हैं। इसलिए उसके टीके का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन सरकार बेखबर है। गरीब आदमी को अगर यह बीमारी हो जाती है तो उसके लिए मरने की स्थिति हो जाती है।

सभापति महोदय: डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, अब आप बोलिये, आपके नोटिस का नम्बर आ गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, यूटीआई का घोटाला तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, गरमा रहा है, आईडीबीआई जो सरकार का संस्थान है पैसा दे करके बराबर उसको बेल-आउट कर देते हैं। एक कोशिका टेलीकॉम है जिसका लाइसेंस रद्द हो गया था। उसको 100 करोड़ रुपया कर्जा दे दिया। इसी तरह से आईएफसीआई भी घपले में जा रहा है। हाल ही में पैसा देकर उसको भी बेल-आउट किये हैं। एलआईसी का भी वही हाल है। आईडीबीआई, आईफसीआई, यूटीआई सब संस्थान घाटे में जा रहे

हैं और नॉन-परफोर्मिंग एसेट्स जो पहले 62 हजार करोड़ रुपए था बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये हो गया है। यह पैसा कौन खा रहा है और कौन दिला रहा है? तहलका कांड में बताया गया कि कौन दलाली करता है और कौन कितना रुपया लेकर के कर्जा दिला रहा है। ये धन लोलुप लोग, देश के पूंजीपति और उद्योगपति गरीब का पैसा, देश का पैसा जो जमा है उसको ले लेकर खा रहे हैं। सरकार इस पर जवाब दे, नहीं तो हमारा आरोप सही है।

यह लोग देश को लूटने में लगे हैं। गरीब देश की हालत चौपट हो रही है! अभी हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स ने जो रेटिंग की, उसने कहा है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत खराब है। हम इस बारे में सरकार से वक्तव्य चाहते हैं। मैं इसकी सदन को जानकारी दे रहा हूं। ऐसा न हो कि बाद में मंत्री कहें कि हम इस बारे में जानते नहीं हैं। कोशिका टेलीकॉम का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी उसे सौ करोड़ रुपए कैसे मिल गए? सरकार इस बारे में बयान दे। नहीं तो हम त्याग पत्र मांगेंगे। फिर बाद में ये कहेंगे हम त्यागपत्र नहीं देंगे। हमने आपको जानकारी दी है। आप हमें इस बारे में बताएं कि क्या हुआ? कहा गया है यह ऑटोनमस बॉड है। आप ऑटोनमस के नाम पर बेखबर रहते हैं और गलत बयान देते हैं। लूट जारी है, भ्रष्टाचार जारी है और घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कब तक होंगे? शेयर घोटाला, यूटीआई घोटाला और एलआईसी घोटाला हुआ। सरकार इस बारे में बयान दे। नहीं तो सब कहेंगे कि यह घोटाले वाली सरकार है। आज गरीब मर रहा है और पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। हिनदुस्तान की प्रतिष्ठा खत्म हो रही है और वित्तीय हालत चौपट हो रही है। सरकार इस बारे में बयान दे। नहीं तो यह साबित हो जाएगा कि यह घोटाले वाली पार्टी है, ये घोटाले के सरदार हैं, घोटाले कराते हैं और देश को लुटवाते हैं। हमने देश को बचाना है। सारा विपक्ष मिल कर इन्हें धक्का देने वाला है। यूपी में इनकी सरकार जाने वाली है। यूपी में इनकी सरकार के जाने के बाद यहां भी इनकी सरकार चली जाएगी।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नेशनल कैपिटल टैरिटरी जो दिल्ली है, उसके तीन तरफ हरियाणा प्रदेश लगता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर निकालने का जो आदेश दिया था, उससे दिल्ली की सभी फैक्ट्रियां पड़ोसी प्रान्तों में जा रही हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

हरियाणा चूंकि दिल्ली से लगता है इसलिए अधिकतर इंडस्ट्रीज हरियाणा में जा रही हैं। जो भी प्रदेश दिल्ली के साथ लगते हैं चाहे वह राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, वहां की सरकारें धड़ाधड़ किसानों की जमीन एक्वायर कर रही हैं। जो छोटे-छोटे किसान हैं और जिन के पास एक-दो एकड़ जमीन है, उनकी जमीन एक्वायर हो रही है। सभापति महोदय, आप स्वयं भी किसान हैं। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव एक्वायर हो रही हैं और करोड़ों रुपए एकड़ के हिसाब से बेची जा रही है। राज्य सरकारों ने इसे व्यापार बना लिया है। आज किसान मर रहा है। आप दिल्ली के बॉर्डर के किसी साइड में चले जाएं आपको ये सब देखने को मिलेगा। किसानों की जमीन हरियाणा में एक्वायर हो रही है। बॉर्डर पर किसानों से जमीन एक लाख 90 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से ली जा रही है और उसे पांच-पांच हजार रुपए गज में बेचा जा रहा है।

लेकिन हरियाणा बार्डर से जमीन दिल्ली में लगती है, दिल्ली सरकार उस जमीन का किसानों को 23 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देती है। बार्डर से इधर हरियाणा में लगती जमीन 1 लाख 90 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से एक्वायर कर रही है। इस तरह एक-एक और दो-दो एकड़ जमीन रखने वाला किसान बर्बाद हो रहा है। इससे किसानों में भय पैदा हो गया है। वे दुखी हैं तथा बेघर हो गये हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट में संशधन करना चाहिए जिसके अंतर्गत, यदि केन्द्र या राज्य सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण करे तो उसे मार्किट रेट पर पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकारों ने इस प्रकार की दुकानदारी बना ली है कि किसानों से सस्ते रेट पर जमीन लेकर महंगे रेट पर बेच रही है। सरकार को इस बात का नोटिस लेना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, भारतीय रेलवे द्वारा अस्सी प्रतिशत वैगनों का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया जाता है। परम्परागत रूप से वैगनों का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया जाता रहा है। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कई वैगन विनिर्माणकारी इकाइयां हैं। वैगन विनिर्माणकारी इकाइयों की स्थापना भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने, बैगनों की आपूर्ति करने के लिए की गयी है। उनका प्रमुख उत्पाद रेलवे वैगन है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि चालू वित्त वर्ष में चार महीने पहले ही समाप्त हो गए हैं और अभी तक चालू वर्ष के आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस वर्ष के बजट में यह दिखाया गया है कि भारतीय रेलवे को इस वर्ष 23,000 वैगनों की आवश्यकता होगी। मैं इस संबंध में यहां उपस्थित माननीय रेल मंत्री का ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय रेल की चालू वर्ष में 23,000 वैगनों को प्राप्त करने की योजना है। परन्तु चालू वर्ष के आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। मैं पश्चिम बंगाल की लगभग चार इकाइयों के बारे में जानता हूं जहां इस समय क्रयादेश स्थिति शून्य है। अप्रैल 2001 से, उनकी क्रयादेश स्थिति शून्य है। रेल मंत्रालय ने पहली बार वैगनों के अधिग्रहण का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। चालू वर्ष के पहले ही चार महीने बीत चुके हैं।

महोदय, मैं गत इक्कीस वर्षों से लोक सभा का सदस्य रहा हूं। मैंने ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी। पहली बार वत्तीय वर्ष के चार महीने बीत जाने के बाद रेलवे ने वैगनों के लिए आदेश नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल की वैगन विनिर्माणकारी इकाइयां–सात में से कम से कम चार बंद कर दी गई हैं। कर्मचारियों को गत चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है।

संसद भवन में माननीय रेल मंत्री के कक्ष में एक बैठक हुई थी। सभी दलों कांग्रेस, सीपीआई (एम) विपक्ष के सभी वामपंथी नेताओं ने बैठक में भाग लिया था। माननीय संचार राज्य मंत्री श्री तपन सिकदर भी हमारे साथ आना चाहते थे। उन्होंने अपना समर्थन भी व्यक्त किया था। हम सभी माननीय रेल मत्री, श्री नीतिश कुमार से मिले थे। उस बैठक में रेलवे के कर्मचारी भी थे। सभापति, रेलवे बोर्ड और सदस्य (मेकेनिकल) रेलवे बोर्ड भी थे। उस बैठक में, माननीय रेल मंत्री ने सुस्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा कि एक सप्ताह के अंदर आदेश जारी किए जाने चाहिए।

महोदय, यह बैठक 25 जुलाई को हुई थी। आज मुझे रेलवे बोर्ड से सूचना मिली कि वे अभी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमने पूछा कि कितने दिन यह बात चलेगी।

[अनुवाद]

महोदय, रेलवे बोर्ड में कुछ अधिकारी हैं जो इस आदेश को जारी करना नहीं चाहते।

महोदय निम्न कोटि के इस्पात का उपयोग करने के संबंध में शिकायत की गई थी। हम यह भी चाहते हैं कि जांच की जानी चाहिए।

हम जानते हैं कि किसके शासन काल में वह हुआ था। चाहे कोई भी रेल मंत्री हो–जब कुछ–सभी नहीं–वैगन निर्माणकारी इकाइयां घटिया किस्म के इस्पात का प्रयोग करती हैं और खुले बाजार में 'कार्टन स्टील' की बिक्री करती हैं तो इसकी जांच की जानी चाहिए। पूर्व रेल मंत्री को इसकी जानकारी थी। हमे इस तथ्य को उनके ध्यान में लाया था परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया था। डेढ़ वर्ष पहले अगर जांच का आदेश दिया जाता तो यह इस समय तक पूरा हो जाता और हमारे देश के लोग यह जान सकते कि इसके लिए कौन जिम्मेदार थे।

महोदय, जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे सजा होनी चाहिए परंतु जांच को रो कर आदेश क्यों नहीं जारी किया जाता? वर्तमान रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने जांच का आदेश दिया था। विगत में ही हुई सारी बातों की जांच होनी चाहिए।

जब मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का सभापति था तब हमने शत प्रतिशत निविदा प्रणाली का विरोध किया था। रेल मंत्रालय ने 1997 में शत प्रतिशत निविदा प्रणाली को अपनाया था। उससे पहले वैगन इंडिया लिमिटेड थी। वैगन इंडिया लिमिटेड एक 'अम्ब्रेला' संगठन था। वैगन इंडिया लिमिटेड का प्रमुख कार्य सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की वैगन निर्माणकारी इकाइयों को आदेश देना था। वैगन इंडिया लिमिटेड पूर्व मंत्री के शासन काल के दौरान बंद कर दी गई थी। इसे किस उद्देश्य के साथ बंद किया गया था। जब वैगन इंडिया लिमिटेड थी तो कोई शिकायत नहीं थी।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने अभी-अभी बोलना शुरू किया है *...(व्यवधान)* आज 'शून्य काल' अपराह्न 3.30 बजे तक चल सकता है।

महोदय, जब वैगन इंडिया लिमिटेड थी तब कोई शिकायत नहीं थी। जिसने वैगन इंडिया लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे क्या उद्देश्य था?

श्री तपन सिकदर ने भी मांग की थी। मैंने उनका वक्तव्य समाचार पत्र में पढ़ा था कि श्री नीतीश कुमार के पूर्व रेल मंत्री के शासन काल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए।

उसका क्या हुआ? हमने मंत्री के साथ यह चर्चा की थी कि जांच की जानी चाहिए परन्तु स्थापन आदेश प्रस्तुत करने और आदेश जारी करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए और मंत्री जी इस बात से सहमत हो गए थे। वैगन विनिर्माणकारी इकाइयों में आदेश की कमी नहीं होनी चाहिए। यह केवल वैगन विनिर्माण इकाइयों की ही समस्या नहीं है जहां हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। वैगन

उद्योग पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कई लघु और मध्यम दर्जे की अनुषंगी उद्योग हैं जो वैगन उद्योग पर निर्भर हैं। हमें पांच वर्ष पूर्व वैगन उद्योग में इस संकट का अनुभव है और हमने कर्मकारों का दुख देखा है। हमने न केवल वैगन विनिर्माताओं की समस्या देखी है बल्कि अनुषंगी इकाइयों की भी समस्याएं देखी हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, वह बताइए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): सब बातें इनको पता हैं। एक बात ऐसी नहीं है जो इनसे छिपी हुई है।

श्री बसुदेव आचार्य: हम मांग करते हैं कि जो सिद्धांत दिग्विजय सिंह जी, जो सिद्धांत रेल मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में लिया था कि एक हफ्ते के अंदर वैगन का ऑर्डर रिलीज कर देना चाहिए, कर देंगे, लेकिन क्या अड़चन उसमें हुई?

श्री दिग्विजय सिंह: कोई अड़चन नहीं हुई, उस पर लीगल ओपनियन ली जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: आप ले लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: जितना जल्दी हो सकेगा, उसे लेकर आपके सामने आयेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे देश के माननीय बैरिस्टर सोमनाथ चटर्जी उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने अपनी लीगल ओपनियन उस समय दी थी, बिना फीस के। अभी फीस देकर आप लीगल ओपीनियन ले रहे हैं, लेकिन श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मंत्री जी को लीगल ओपनियन दी।

श्री दिग्विजय सिंह: जितनी जल्दी से जल्दी लीगल ओपीनियन आ जाएगी, हम उस काम को करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: हम चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर वह काम होना चाहिए। आप बताइए क्या एक हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि यह कहावत ''यथाशीघ्र' काफी अस्पष्ट है। आप कहिए कम से कम एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर रिलीज़ होगा। बोलिये दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह: लीगल ओपीनियन उससे पहले आ जाएगी तो एक हफ्ते की बात क्या करते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: एक हफ्ते के पहले ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, यह दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, मैं सभा का ध्यान उन लघु उद्योगों द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो रक्षा मंत्रालय के अधीन अस्त्र-शस्त्र फैक्टरियों को हथियारों के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसी हजारों इकाइयां हैं और इनमें लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। पहले, जब वे रक्षा मंत्रालय को इसकी आपूर्ति कर रहे थे तब कोई उत्पाद शुल्क नहीं था परन्तु पिछले बजट में सरकार ने उन लघु उद्योगों को 32 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया था जो रक्षा मंत्रालय को आपूर्ति कर रहे हैं। पहले एक करोड़ रुपये तक की छूट थी परन्तु अब सरकार ने उन पर शुल्क लगाया है और उसके कारण इन उद्योगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो इकाइयां विलासी वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं उन्हें छूट दे दी गई है यहां तक कि उन वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं है जो आयुध फैक्टरियां विदेशों से आयात कर रही हैं। ये वस्तुएं शुल्क मुक्त हैं। अब, हमारे देश में वे लघु उद्योग जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करके विशेषज्ञता विकसित की है और जो पिछले कई दशकों से पुर्जों की आपूर्ति कर रहे हैं, इससे प्रभावित होंगे।

महोदय, बत्तीस प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। इससे उनके लिए गंभीर समस्या पैदा हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह उत्पाद शुल्क हटा लिया जाना चाहिए और लघु इकाइयों को उन पर कोई शुल्क लगाए बिना रक्षा भंडारों को अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के भारी उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 1984 में 240 बीघे जमीन किसानों से समझौता करके अधिगृहीत करके मैसर्स राजश्री सीमेंट कंपनी को दी। वह फैक्ट्री 1995-96 से चल रही है। अब सरकार 242 बीघा जमीन किसानों की और एक्वायर कर के उसी कंपनी को दे रही है। इतनी जमीन की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए बैठती है और राजस्थान सरकार उस निजी कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में देने जा रही है जो किसानों के साथ घोर अन्याय है।

सभापति महोदय, जिस जमीन को राजस्थान सरकार एक्वायर करके सीमेंट कंपनी को देने जा रही है वह जमीन किसानों की

बहुत उपजाऊ तथा कुएं वाली जमीन है, यानी सिंचित जमीन है। उसी जमीन के निकट बारानी जमीन भी है जिसे एक्वायर करना चाहे, तो सरकार कर के, किसी को भी दे सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने किसानों का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया।

सभापति महोदय, वह पैक्ट्री 1995 से चल रही है। फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री की बिल्डिंग बना दी है, कंपाउंड बना दिया है यहां तक कि कर्मचारियों और अधिकारयों के क्वार्टर भी बना दिए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फैक्ट्री को और अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि फैक्ट्री मालिक ने पहले राजस्थान सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि में से जिसे उसने फैक्ट्री बनाने के लिए दिया था, उसमें एक बीघा भूमि डेढ़ लाख रुपए में किसी दूसरी फैक्ट्री वाले को बेच दी है। इससे पता चलता है कि वह भूमि कितनी महत्वपूर्ण है तथा महंगी है और सरकार उसे किसानों से कौड़ियों के भाव में लेना चाहती है। किसानों की सिंचित भूमि को एक्वायर करने से हजारों किसान बेकार हो जाएंगे और भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह राजस्थान सरकार को किसानों की 242 बीघे 2 बिस्वे उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण न करने के संबंध में निर्देश दे क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। केन्द्र सरकार तुरंत इस बारे में राज्य सरकार को निर्देश दे।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिला रहा हूं। आज अखबारों में आपने देखा होगा कि एक संगठन के कार्यालय मंत्री को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि वह साम्प्रदायिकता फैला रहा था।

सभापति महोदय, सदन और सभी पार्टियों को इस बात का नोट लेना चाहिए। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर मेरे चांदनी चौक क्षेत्र में एक अफवाह फैलाई गई कुरान जलाने की और उसके बाद हमारे यहां के शाही इमाम और मुस्लिम लोगों से इस बात की अपील की गई कि वे इस संगठन के साथ बाहर निकलें। यह संगठन कोई नया नहीं है। इसके बारे में सभी पार्टियों ने लगभग सही विचार व्यक्त किए हैं। संगठन का नाम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया, सिमी है।

सभापति महोदय, पूरे भारत के अंदर इस संगठन ने 1977 से लेकर जिस तरह से जड़ें जमा ली हैं और जिस तरह से यह काम कर रहा है, जिस तरह से आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, जिस तरह से इस संगठन के पाकिस्तान के साथ संबंध हैं, जिस तरह से यह संगठन दाऊद इब्राहीम के साथ जुड़ा हुआ है और जिस तरह से इसकी फंडिंग हो रही है, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं यह मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि केन्द्र सरकार को चाहिए वह सिमी संगठन पर तुरंत प्रतिबंध लगाए। मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। भले ही वहां कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन वह बधाई की पात्र है। उसने इस संगठन के बारे में लिखा है-महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को सूचित किया है कि इस साल मार्च में पुणे व औरंगाबाद में साम्प्रदायिक सौहार्द को खराब करने के कई मामलों में सिमी की संलग्नता पाई गई है। इस बात को देखते हुए महाराष्ट्र ने केन्द्र सरकार को 21 मामलों का ब्यौरा भेजा है जिसमें सिमी के 206 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। इन्हीं गिरफ्तारियों को आधार बनाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

सभापति महोदय, इस साल गुजरात ने कहा कि-अहमदाबाद में आतंकवाद विरोधी मुहीम तेज करते हुए गुजरात ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के चलते समूचे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग केन्द्र सरकार से की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इस बात की मांग की है कि सिमी संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए।

ऐसा इंडिया टूडे जैसी महत्वपूर्ण आर्गेनाइजेशन लिखती है। मैं सिर्फ एक लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

> "यह सब कुछ बिकोनगंज की तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों में तब शुरू हुआ जबकि 500 लोगों का एक दल उस शुक्रवार को दोपहर जामा मस्जिद से बाहर आया और दिल्ली में कुरान को जलाये जाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा भड़काया गया।"

[हिन्दी]

आज सिम्मी का जाल पूरे देश में फैल रहा है और ये लोग दाउद इब्राहिम और लादेन को, जो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, अपना आदर्श बनाए हुए हैं कि वे हमारे हीरो हैं। *...(व्यवधान)* क्या आप मेरा समर्थन करने के लिए कह रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विजय गोयल: मैं कहना चाहता हूं कि सभी पार्टीज को इस मामले को पुरजोर तरीके से गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार के

पास रखना चाहिए क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि किसी ऐसे संगठन पर प्रतिबंध की बात आती है तो कई बार उसमें राजनीति आ जाती है। किन्तु मैंने जैसे ही प्रशंसा की ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह पूर्व उदाहरण नहीं बनेगा। शून्यकाल में विशेष परिस्थिति में मौका दिया गया है। अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपने अपनी मांग रख दी है।

श्री विजय गोयलः मैं सिर्फ दो लाइन और बोल कर बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब मैं तारीफ भी कर रहा हूं तब भी आप सभी संगठनों की बात करते हैं। अगर आप चाहें कि इस संगठन के साथ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उधर देख कर बात नहीं करनी है। आपने अपनी मांग रख दी है, अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैं मांग करता हूं कि सभी साम्प्रदायिक संगठनों को प्रतिबंधित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयलः पहले कम्युनल ऐग्रैशन, जो आतंकवाद के अंदर लिप्त हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सिमी संगठन पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): हम आपकी बात का समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः त्रिपाठी जी, आपका मामला प्रिविलेज समिति में भेजा गया है। स्पीकर साहब के यहां से दे दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयलः गृह राज्य मंत्री बैठे हैं, आप इनसे कहिए। ...*(व्यवधान)* इस मामले को कई राज्यों ने उठाया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। सभी माननीय मंत्रीगण सुन रहे हैं। जवाब देने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयलः यदि वे स्टेटमैंट दे सकते हैं तो दें। ...*(व्यवधान)* वे स्टेटमैंट देने के लिए तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उनको कोई नहीं रोक सकता।

श्री विजय गोयलः आप उनसे पूछ लें कि क्या वे कुछ कहना चाहेंगे।

सभापति महोदयः कोई मंत्री कुछ कहना चाहे तो वह कहने के लिए आजाद है।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, जब सब माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं तो गृह राज्य मंत्री इस मामले में कुछ कहें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब सदस्य मांग कर रहे हैं, यह सरकार सुन रही है। आसन से कम्पैल नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैंने सदस्यों द्वारा कही गई सभी बात पर गौर किया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आपका मामला पहले नम्बर पर है। विशेषाधिकार शाखा को प्रतिलिपि भेजी गई है। कृपया क्र.सं. 19 भी देखें। दोनों का निष्पादन हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): यह मामला पहले भी विशेषाधिकार समिति के पास दिया गया है लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वहां गोलियां चल रही हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप स्पीकर साहब से बात कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह आपके हित में है। मामला ज्यादा सीरियस है। आप स्पीकर साहब से बात कीजिए।

श्री रामनरेश त्रिपाठीः ठीक है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों का अत्यधिक बोझ

है। जजों की कमी है और वाद कार्यों की परेशानी बढ़ रही है। इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग साढ़े आठ लाख मुकदमे लंबित हैं। इन विवादों का निस्तारण करने के लिए शताब्दियां लग जाएंगी। इस बोझ के चलते 14 मार्च, 1981 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच हो। कहां स्थापित हो, इसके लिए भारत सरकार एक कमीशन का गठन करे। 4 सितम्बर, 1981 को भारत सरकार ने जस्टिस जसवंत सिंह की देख-रेख में जसवंत सिंह कमीशन गठित किया और सभी संभावनाओं का पता लगाने के बाद जसवंत सिंह कमीशन ने, अपनी रिपोर्ट दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच के लिए आगरा सबसे उपयुक्त स्थान है।

कमीशन ने कहा:

[अनुवाद]

> "आगरा के संबंध में सभी स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये हम भारतीय न्यायाधीशों और अन्य लोगों के उक्त विचार से सहमत हैं कि आगरा खण्डपीठ के लिए उचित स्थान है।"

[हिन्दी]

इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी 1986 में इस सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई है। न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतों में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए लोग बराबर मांग करते रहते हैं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। लोग चाहते थे कि रायपुर में एक बेंच बने, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने की वजह से अब यह बिलासपुर में बन जायेगी। तमिलनाडू में हाईकोर्ट चेन्नई में है, वहां भी बराबर मांग थी। वहां अब मदुरै में बिल्डिंग बन गई है और हाईकोर्ट की बेंच बनने वाली है। *...(व्यवधान)* मैं आधे मिनट में खत्म कर रहा हूं। यह अत्यधिक गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय: आप क्या चाहते हैं?

श्री रामजीलाल सुमन: यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। 26 तारीख से मेरठ और आगरा में वहां के वकीलों ने काम करना बन्द कर दिया है। *...(व्यवधान)* मि. भडाना, मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बन जाये, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर जिले में बन जाये। लेकिन यह जसवन्त सिंह कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें आगरा को बेंच के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। मेरठ में सरकार बेंच बना दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगरा सबसे उपयुक्त स्थान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। वे मेरठ गये तो वहां कह दिया कि आपके यहां बेंच बननी चाहिए और आगरा गये तो वकीलों से कह दिया कि मेरे मन की बात आप कह रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। 26 तारीख से बराबर मेरठ और आगरा के न्यायालयों का कामकाज ठप्प है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ आगरा में स्थापित हो। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: जैसे ही आपका क्रम आयेगा, वैसे ही आपको मौका मिलेगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: कृषि क्षेत्र में सन् 1999-2000 में कम्प्यूटर खरीदी में 150 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आई.सी.ए.आर. और कृषि भवन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि डायरैक्टर जनरल के पद का आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किया गया हो। इस साल डायरैक्टर जनरल के ऊपर सी.बी.आई. और सी.वी.सी. इन्क्वायरी चल रही है। इनको अभी स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मिली है और वे देश छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कुछ राजनैतिक लोग उन्हें बचाने के लिए लगे हुए हैं और उनको सुरक्षित देश के बाहर भेजने में लगे हैं।

मेरा आपके माध्यम से विदेश मंत्री और पंत प्रधान से प्रार्थना है कि उनको वीजा न दिया जाये और देश के बाहर न भेजने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): सभापति महोदय, मैंने दो मामलों के बारे में सूचना दी है किन्तु सर्वप्रथम मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले को उठाने जा रहा हूं।

महोदय, भारत सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी पहले 1996 में एक एफ.एम. स्टेशन की स्वीकृति दी थी।

सभापति महोदय: यह दूसरा मामला है अर्थात् मंजेरी, केरल में एफ एम रेडियो स्टेशन को आरंभ करना, जो कि अब आप उठा रहे हैं।

श्री ई. अहमद: महोदय, जी हां, मैं पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामला उठा रहा हूं। फिर मैं उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक स्थिति के संबंध में बात करूंगा।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंजेरी में 1996 में एक एफ एम स्टेशन की स्वीकृति दी थी। किन्तु आज तक इस परियोजना पर कार्य पूरा नहीं हुआ है। यह भारत सरकार के ढीले रवैये को दर्शाता है। विशेषकर इस सरकार की विकास परियोजनाओं को लागू करने के ढीले रवैये को।

महोदय, 1996 से मैं प्रत्येक मंत्री के पीछे, इस परियोजना को पूरा करने के लिए दौड़ रहा हूं। 1996 से 2001 के बीच इस परियोजना से संबंधित 5-6 मंत्री रहे थे। इसकी स्वीकृति तत्कालीन मंत्री श्री के.पी. सिंह देव के समय में दी गई थी। फिर श्री पी.ए. संगमा आए। जब वे मंत्रालय के प्रभारी थे तो पूरी धनराशि जारी की गई। फिर श्री सी.एम. इब्राहीम, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली आए। अब पुन: श्रीमती सुषमा स्वराज माननीय मंत्री हैं।

प्रत्येक मंत्री ने मुझे आश्वासनों पर आश्वासन दिए किन्तु अब तक एफ.एम. रेडियो स्टेशन चालू नहीं हो सका है। मैं सरकार के ध्यान में मेरे 4 अगस्त 2000 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

> ''कुछ एफ एम परियोजनाएं हैं जिनमें मंजेरी शामिल है, की प्रगति धीमी है।''

वे अत्यंत ईमानदार मंत्री हैं। उन्होंने आगे बताया कि:

> ''परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कुछ कारणों में, स्थल को देने में विलम्ब, सिविल कार्य की धीमी प्रगति, उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब तथा स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्या है।
>
> मंजेरी के मामले में, राज्य सरकार ने फरवरी 1997 में स्थल को सौंपा था। सिविल कार्य की गति अत्यंत धीमी है। भवन का तकनीकी क्षेत्र अगस्त 2000 तक तैयार हो जाने की संभावना है।''

महोदय, आज 10 अगस्त 2001 है। अब तक कुछ भी तैयार नहीं है। हम किसके पास जाकर अनुरोध करें। प्रत्येक सत्र में मैं इस मामले को उठाता रहा हूं। सरकार पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों कर रही है? पिछड़े और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की ओर उनका ठंडा रवैया है। पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को वे लागू नहीं कर रहे हैं। धन का आबंटन हो चुका है; सब कुछ कर दिया गया है किन्तु सरकार इसे आरंभ नहीं कर रही है। यह बड़ी ही धीमी प्रगति है।

अत: महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार को यह सूचित करना चाहता हूं कि यदि सरकार इस मामले में और अधिक विलम्ब करती है तो केरल के लोग प्रतिक्रिया करना और उसके विभिन्न तरीके जानते हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम वे लोग हैं जो कि सरकार से सहयोग करना चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो तथा उसका कैसा भी दृष्टिकोण हो। देश की उन्नति से सभी लोगों को लाभ होगा।

अत: मैं विनम्रतापूर्वक, तत्परता से, अत्यंत गंभीरता से और अत्यंत दृढ़ता से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार उस दिशा में कुछ कदम उठाए। कम से कम किसी न किसी को वहां यह देखने को भेजा जाए। यदि कोई मंत्री यहां है, और माननीय सांसदों की भावनाओं को समझ सकता है तो उसे इस बात को संबंधित मंत्री महोदय तक अविलम्ब पहुंचानी चाहिए।

मुझे कुछ आश्वासन दिया जाना चाहिए। परियोजना 5 वर्षों से जारी है किन्तु वे कुछ नहीं कर रहे हैं। अंतत: सरकार को कुछ कहना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह सरकार के ढीले, ठंडे रवैये को दर्शाता है और यह उसकी असफलता है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, गुजरात के अंदर नर्मदा योजना बन रही है। उसके बारे में सारे देश को ही नहीं, पूरे एशिया को जानकारी है। लेकिन मेधा पाटकर-नर्मदा बचाओ आंदोलन-के नाम पर जन आंदोलनकर्ता का मुखौटा पहन कर पूरे देश में एक जाल बिछा रही हैं। सारे देश में इनकी लगभग 30 सहयोगी संस्थाएं हैं। इसके अलावा दस अन्य देशों में भी इस तरह का जाल बिछाया गया है। इसके लिए इन्हें विदेशों से जैसे राइट लाइवलिहुड फाउंडेशन, गोल्डमैन फाउंडेशन आदि संस्थाओं से लाखों-करोड़ों रुपए मिलते हैं। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में भी अशांति फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं वहां अराजकता फैलाने का काम ये कर रही हैं। आदिवासियों को बारूदी सुरंगें बिछाने की ट्रेनिंग दे रही हैं और आदिवासियों को राइफलें भी दी जा रही हैं। हाल ही में कई आदिवासियों के घर से राइफलें मिली भी हैं। यह देश के साथ जालसाजी है। इन्होंने जो लाखों रुपए नकद बैंक से निकाले हैं, उनका प्रयोग भी लोगों को उकसाने के लिए किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ऐसा कार्य चल रहा है। अभी मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा घाटी के पांच जिलों में किए गए सत्याग्रह में सिर्फ 48 लोगों ने भाग लिया। उसमें भी तीन विदेशी

थे। जब इसका विरोध वहां के 400 आदिवासियों ने निवाड़ सर्वोदय मंच के तत्वावधान में किया तो उनको घरों में जाकर पीटा गया। जिन लोगों ने पैसा लिया अपने स्थानांतरण के लिए उनको भी घरों में जाकर मारा-पीटा गया कि तुमने क्यों पैसा लिया है और क्यों सरकार के पास जाते हो। मेरी प्रार्थना है कि इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर जो गतिविधि चल रही है, उसे रोका जाए। अभी जो मध्य प्रदेश में मेहंदी खेड़ा में गोलीकांड हुआ, उसमें चार व्यक्ति मारे गए। एक भी व्यक्ति उनमें से वहां का नहीं था। बाहर से लोग लाकर वह सत्याग्रह कराती हैं और पर्यावरण के नाम पर गुजरात के विकास को रोक रही हैं। मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी गतिविधियां तुरंत बंद होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदय, मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): क्या मैं सदन का ध्यान भारत में विधवाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट कर सकता हूं। जब हम महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और पुरुष प्रधानता के समापन की बात करते हैं, तो हमारे समाज का एक प्रमुख भाग अर्थात विधवाओं को भूल जाते हैं। हमारे समाज में वह एक निष्कासित वर्ग की भांति देखी जाती हैं। बूढ़ी और जवान विधवाएं, अक्सर हमारे धार्मिक शहरों तथा वाराणसी, मथुरा अथवा वृन्दावन में वेश्यावृत्ति के शिकार के रूप में पाई जाती हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि वे विधवाएं जिन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन अपना पसीना बहाकर किया है अब अपनी जीविका उपार्जन गरिमाहीन तरीके से अर्जित कर रही हैं। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन्हें कम से कम न्यूनतम समर्थन दे ताकि वे सम्मान से अपना जीविका उपार्जन कर सकें। राम मंदिर के निर्माण अथवा धर्म के नाम पर रक्तपात के बजाय हमें विधवाओं के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान केरल के स्वतंत्रता सैनानियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय केरल के वे योद्धा जिन्होंने केरल के कैय्यूर, करीवेलूर, कवयूम्बाई, मोराजा, पुन्नापरा-वयलार के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा एम.एस.पी. विद्रोह में भाग लिया के आवेदन केन्द्र सरकार ने इस कारण निरस्त कर दिए कि वे जेल रिकार्ड अथवा अन्य अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके। यह सत्य है कि कांग्रेस सरकार ने अनेक वर्षों तक उन योद्धाओं/वीरों को पैंशन नहीं दी क्योंकि संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इन संघर्षों के बल से अंग्रेज हमारे देश से भाग खड़े हुए थे। प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा और गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार ने उन संघर्षों को पहचाना था किन्तु वर्तमान सरकार का इन वीरों अथवा शहीदों के संबंधियों की पैंशन स्वीकृति के प्रति दृष्टिकोण असंतोषजनक और आधे मन से है। अत: मैं माननीय गृह मंत्री से तथा भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ओर सहानुभूतिपूर्वक देखें। सभी व्यक्ति, उनमें से कुछ ही अब जीवित हैं, जो कि राज्य से पैंशन ले रहे हैं; को केन्द्र से भी पैंशन मिलनी चाहिए। इन वीरों के प्रति अथवा शहीदों के संबंधियों के प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान की जो भी रेल की परियोजनाएं भारत सरकार के पास पड़ी हैं, उनको भारत सरकार को शीघ्र स्वीकृत करना चाहिए। अगर शीघ्र स्वीकृत नहीं करेंगे तो उन योजनाओं की लागत बढ़ रही है, ड्योड़ी, दोगुनी हो गई है और अब वह तिगुनी हो जाएगी। फिर सरकार मजबूरी में कह देगी कि हम इन योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते। दौसा-गंगापुरसिटी, अजमेर-पुष्कर, रामगंजमंडी-भोपाल, वीरमगाम-जोधपुर-भिलड़ी-समदड़-लूणी, लूणी-बाड़मेर, मुनाबाओ, रेवाड़ी-सादुलपुर, श्रीगंगानगर-सरूपसर, लूणी-जोधपुर, लूणी-मारवाड़, फुलेरा-जोधपुर-पीपाड़रोड-बिलाडा, अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़, आगरा फोर्ट-बांदीकुई, फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद, नीमच-रतलाम, मिल्डी-बिरमगाम, गांधीधाम-पालमपुर की परियोजना है। आगरा-बांदीकुई का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट है। अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब जयपुर आने वाले थे, मैं समझता हूं कि अच्छा हुआ वह वहां नहीं आए, वापस पाकिस्तान चले गए। वह यहां पर जितना कर सकते थे, उन्होंने किया और अपनी बात कह कर चले गए। देश को कुछ देकर भी नहीं गए।

वे भी आगरा आने थे। आगरा से बांदीकुई का ट्रैक जब देवगौड़ा जी देश के प्रधान मंत्री थे उनके समय में शुरु हुआ। माननीय कलमाड़ी जी उस समय रेल मंत्री थे वे उद्घाटन कर आये लेकिन वह प्रोजैक्ट आज भी अधूरा पड़ा हुआ है।

इसी तरह से भीलवाड़ा-अजमेर का एस्टीमेट स्वीकृत हो गया है लेकिन बजट का प्रावधान नहीं हुआ है। दौसा-गंगापुर का अभी तक सर्वे कार्य ही बहुत लम्बे समय से चल रहा है भूमि अवाप्ति के लिए मात्र 10 लाख रुपये का प्रावधान इस वित्तीय बजट में किया गया है जबकि इसकी 17 करोड़ रुपये की आवश्यकता भूमि अवाप्ति के लिए होगी। शेष परियोजनाएं भी राज्य के विकास के

लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर परियोजनाओं के लिए इनकी स्वीकृति के समय से ही टोकन प्रावधान रखा गया है। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि इन परियोजनाओं के लिए राशि के आवंटन में वृद्धि की जाये। विशेषकर आगरा-बांदीकुई, अजमेर-दौसा-गंगापुरसिटी परियोजनाओं के लिए अधिक राशि आवंटित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आगरा फोर्ट-बांदीकुई के कन्वर्सन के लिए केवल 10 करोड़ रुपया देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वहां पर एक जोनल ऑफिस बनने को था और भारत के उस समय के प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी उद्घाटन कर आये। मैंने उस समय कहा था कि आप पत्थर का उद्घाटन कर रहे हैं या कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। जयपुर शहर में एक जोनल ऑफिस बनना जरूरी है। जमीन हमारे विभाग ने दे दी है। क्वार्टर की जगह मौजूद है और जवाहर नगर के पास एक जोनल ऑफिस के लिए जगह दे दी है। उत्तर पश्चिमी जोन की आवासीय योजना के लिए 17.44 हैक्टेयर भूमि अधिगृहित की गयी है और जोन के मुख्यालय के लिए रेलवे ने जवाहर सर्किल के पास की भूमि आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है। इसके लिए राज्य सरकार बहुत सस्ती दर पर जमीन देने के लिए सहमत हो गयी है। स्वायतशासन विभाग के जमीन के प्रस्ताव रेलवे को भेज दिये गये हैं तथा रेलवे बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के जो भी प्रोजैक्ट्स पड़े हुए हैं मेरा अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र उनको पूरा कराना चाहिए, नहीं तो लागत कीमत बढ़ जाएगी और ये प्रौजैक्ट्स पास नहीं हो सकेंगे। धन्यवाद।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, चिनाब नदी जम्मू प्रांत के बीचोंबीच से गुजरती है और उसके पास 15 लाख की जनसंख्या आबाद है तथा वहां सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी संख्या में है। वहां तीन जिले हैं और उनको मिलाने के लिए एक ही राजमार्ग है और चिनाब नदी को पार करने के लिए एक ही पुल है। पहले ही वह पुल दो बार गिर चुका है। वह इतना कमजोर है कि उस पर हैवी-ट्रैफिक नहीं चल सकता है। हर दिन दो बार ट्रैफिक रोक करके उसकी मरम्मत करनी पड़ती है तब जाकर ट्रैफिक चलता है। हालत नासाजगार हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पाकिस्तान भी कभी कोई दुर्घटना कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से भी एक वैकल्पिक पुल अलग से बनाना बहुत जरूरी है। मैं वर्षों से मांग कर रहा हूं कि इस पुल की ठीक से मरम्मत की जाए तथा एक नया पुल और बनाया जाए जिससे लोगों को सुरक्षा और सहूलियत हो सके। अगर यह पुल गिर गया तो वहां सामान के अभाव में लोग घुटकर मर जाएंगे और सुरक्षा के मामले में भी हम चौपट हो जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां एक पक्का पुल और बनना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति जी, मैं एक बहुत बड़े और अहम सवाल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राष्ट्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और बढ़कर एक अरब का आकंड़ा पार कर चुकी है। देश का उत्पादन तो एक-दो-तीन-चार के हिसाब से बढ़ रहा है और जनसंख्या दो-चार-आठ-सोलह के हिसाब से बढ़ रही है। राम चरित मानस की एक चौपाई है कि "जस-जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासू दून कपि रूप दिखावा"। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि केवल योजना बना बनाकर देने से विकास के पथ पर बढ़ना नहीं है बल्कि आबादी को भी रोकना चाहिए। आज मच्छर मक्खी की तरह आदमी बढ़ने लगे हैं। हमारे पास भूमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत हमारे यहां रहता है। अगर यह वृद्धि दर जारी रही तो 2045 तक हम चीन की जनसंख्या से भी आगे निकल जाएंगे। हमारी जनसंख्या प्रतिवर्ष 1.55 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है जिसके कारण पारिवारिक कलह तथा असंतोष बढ़ रहा है तथा बिजली, पानी, रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन आद तमाम चीजें कम पड़ती जाती हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह जनसंख्या को रोकने के लिए तथा लोगों के जीवन में खुशहाली और गुणवत्ता लाने के लिए कदम उठाए।

देश में खुशहाली लाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना होगा और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने होंगे। परिवार नियोजन सफल नहीं हो पाया है। इसलिए देश में ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण लग सके। इस बारे में पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर राष्ट्र हित में कदम उठाए जाएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक उपक्रमों के तहत विभिन्न बोर्डों और निगमों में आए दिन नौकरशाहों को अध्यक्ष मनोनीत करने की परिपाटी का सिलसिला शुरू हो गया है। इन बोर्डों और निगमों में दोनों सदनों के सदस्यों को मनोनीत करके भेजा जाता है। जो माननीय सदस्य इसमें नॉमिनेट होकर आते हैं, उनकी अपनी-अपनी कार्य कुशलता है, अनुभव है और उनका अपने क्षेत्र में काफी महत्व है लेकिन उन नौकरशाहों की अध्यक्षता में गठित समितियों में जन प्रतिनिधियों को सदस्य बनाना जन प्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा है, अपमान है। सरकार फिलहाल कई बोर्डों और निगमों का पुनर्गठन करने जा रही है जैसे शिपिंग कार्पोरेशन। मेरा अनुरोध है कि ऐसे बोर्डों और निगमों के गठन के समय जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने पर सरकार विचार करे।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, आपने अति संवेदनशील मुद्दा उठाने की मुझे अनुमति दी है, इसके

लिए धन्यवाद। राजस्थान प्रान्त ऐतिहासिक इमारतों के लिए सारे संसार में जाना जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में इतिहास प्रसिद्ध टिनमगढ़ दुर्ग है। उसकी एक विशेषता है कि वहां कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जिस की मूर्ति कला की अदभुत और बहुत सुन्दर झलक दिखाई न देती हो। इस किले में असंख्य मूर्तियां हैं जिनकी कीमत यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकी जाए तो वह इतनी ऊंची है कि इन मूर्तियों के लोभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह पनप गए हैं। वे वहां से मूर्ति चोरी करके बाहर ले जा रहे हैं। 6 अगस्त को वहां से एक मूर्ति निकाली गई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत दो करोड़ रुपए थी। उस मूर्ति को निकालने वाले हैलीकॉप्टर से उस दुर्गम किले में उतरे और वहां से मूर्ति लेकर चले गए। राजस्थान सरकार को जब यह जानकारी मिली तो उसने आसपास जो गरीब लोग पशु-पालन में लगे थे, उनके और खेतिहर मजदूरों के ऊपर इस कद्र अत्याचार किया कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा। वे गूजर समुदाय की महिलाएं थी। उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार वहां की पुलिस ने किया, उससे जबर्दस्त आन्दोलन भी हुआ। उस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के पीछे कोई नहीं पड़ा और उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। गरीब लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक इमारत की धरोहर को यदि पुरातत्व विभाग नहीं सम्भालती है तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी। वहां असंख्य मूर्तियां इसी तरह चोरी हो रही हैं। इन मूर्तियों के तस्कर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के लोग हैं। इसके बदले में गरीबों को फंसा कर उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए और इस दुर्ग को पुरातत्व विभाग अपने देखरेख में संभाले।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय मैं आपका ध्यान अत्यन्त गम्भीर मामले पर लाने का प्रयास कर रहा हूं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को* संसद सदस्य और भूतपूर्व मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा के लेन देन में विदेशी बैंक खातों के सम्मिलित होने और कथित धन के अंतरण के लिखित साक्ष्य मिले हैं। महोदय सतर्कता आयोग में श्री एन. विट्ठल द्वारा सरकार को एक पत्र भेजा गया था। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि किसी सदस्य विशेष के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को माननीय अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है और सम्बद्ध सदस्य को प्रति देनी पड़ती है ताकि उसे स्वयं के बचाव का मौका मिल सके। उसके बिना उनके बारे में यहां कुछ नहीं कहा जा सकता है। वह वर्तमान सदस्य है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नियम है कि किसी मैम्बर के खिलाफ एलिगेशन लगाने से पहले उसके पास कागज भेजे जाते हैं, इसलिए नाम रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: सब कुछ समाचार में छपा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चेयरमैन साहब, ऐसा नहीं है। पहले बहुत बार हो चुका है जब हाउस में बोला गया है।

सभापति महोदय: आपने परमिशन नहीं ली है, इसलिए आप बैठ जायें। श्री अवतार सिंह भडाना।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): सभापति महोदय, आज देश में किसानों की जो हालत हो रही है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा हो रही है, वह देश की वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण है। देश का किसान बर्बादी के कगार पर है। जहां एक तरफ किसानों को पानी, बिजली और सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वहां दूसरी ओर उन्हें मारने का काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने की खेती पर निर्भर है। जब किसान का गन्ना मिल में जाता है और वहां से जब पैसा मिलता है, तभी वह अपनी बेटी की शादी करता है और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है लेकिन इस सरकार ने इस तरह के कानून बनाये हैं कि वह बैंकों के चक्कर काट-काटकर परेशान है।

सभापति महोदय: इसके लिए क्या होना चाहिए, वह जल्दी बताइए।

श्री अवतार सिंह भडाना: मेरा कहना यह है कि किसानों के लिए ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे वह आगे बढ़ सके। साथ ही मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि मऊखास में किसानों की जमीन डी.सी.एम. ग्रुप ने ले रखी है जिस पर एक मिल बनायी जानी है लेकिन आज तक वहां मिल नहीं लगी है। मैं इस बारे में पहले भी सरकार का ध्यान दो बार आकर्षित कर चुका हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो जमीन डी.सी.एम. ग्रुप ने किसानों की मिल लगाने के लिए ली है, उस पर वह मिल बनेगी या नहीं? यदि नहीं बनेगी तो किसानों को उनकी जमीन

वापस दिलाई जाये ताकि वे अपनी रोजी-रोटी कमाकर परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

सभापति महोदय, अभी इस सदन में एक माननीय मंत्री जी इस तरह की बात की जिसका मैं विरोध करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने, खासकर उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भडाना जी, किसानों के विषय के अलावा और किसी दूसरे विषय पर नहीं। आप बैठ जायें।

श्री सुकदेव पासवान।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और उच्च वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपया मकान बनाने के लिए दिया जाता है लेकिन इतनी कम राशि से किसी इन्सान के रहने के लिए मकान नहीं बन सकता है। इसके पूर्व भी मैं दो बार इस विषय को यहां उठा चुका हूं कि यह राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये की जाये। यह 20 हजार रुपये की राशि पिछले कई वर्षों से चल रही है जबकि ईंट, सीमेंट, बालू और मजदूरी का रेट दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इसे 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाए। जिस तरह से प्रदेश सरकार से एम.पी. लैड स्कीम के असैसमैन्ट की रिपोर्ट मांगी जाती है, प्रगति प्रतिवेदन मांगा जाता है, उसी तरह से इंदिरा आवास योजना में भी प्रत्येक राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बिहार के सुखाड़, भुखमरी और बाढ़ की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वायदा किया था, सदन को आश्वासन दिया था कि साल भर में एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के वायदे का क्या हुआ, वह कहां गया।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि हमने बेरोजगारों लोगों को बहुत मुश्किल से रोजगार दिया है। लेकिन डिसइनवैस्टमैन्ट की वजह से वे लोग रोड पर आ गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि आपने बिहार प्रान्त के लिए कौन से ठोस कदम उठाये हैं जिससे कि वहां के उद्योगों, लघु उद्योगों, गृह उद्योगों को एक संकेत मिल सके और लोगों में एक आशा की किरण जाग सके। मैं यही पूछना चाहती हूं।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बतलाना चाहती हूं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार में 280 शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है जिसमें 130 महिला शिक्षिकाएं भी हैं। इस स्थानान्तरण में इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है कि वे महिला शिक्षिकाएं बीमार हैं, विकलांग हैं, उन्हें ब्लड प्रैशर है या डायबिटीज है या वे किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, इसमें इन सब बातों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है और उन महिला शिक्षिकाओं को मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर जैसे उग्रवादग्रस्त क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इन महिलाओं को नौकरी नहीं करने देना चाहती है। जब कि सरकार में नियम है कि जहां पति रहेगा, वहीं पत्नी भी नौकरी करेगी। इन महिलाओं के पति बिहार में काम कर रहे हैं और इन महिलाओं को उपरोक्त इलाकों में भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि एक ओर वह महिला सशक्तिकरण वर्ष मना रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बातकर रही है, महिलाओं की प्रगति और विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ उनकी वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि सरकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दे कि वे इस तरह के तबादलों पर रोक लगाएं और ऐसी महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर ध्यान देकर उन्हें वापस बुलायें तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में दनियामा से लेकर शेखुपुरा रायाबरबीघा योजना का सर्वे हो गया है। लेकिन अभी तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं उनसे उपरोक्त काम शीघ्र ही प्रारम्भ कराने का अनुरोध करता हूं।

मेरा दूसरा निवेदन है कि रेलवे स्टैण्डिंग कमेटी ने सिफारिश की थी कि वहां कंप्यूटर सिस्टम से रिजर्वेशन किया जाए। शेखुपुरा हमारे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय है। मैं निवेदन करता हूं कि वहां कंप्यूटर से रिजर्वेशन कराने की व्यवस्था की जाए।

मेरा तीसरा निवेदन है अभी यहां रेल राज्य मंत्री जी बैठे हुए थे, नीतीश जी भी बैठे हुए थे, अब वे चले गये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र और दवादा इलाके के बहुत सारे लोग कोलकाता में काम करते हैं। उन्हें गया-हावड़ा वाया क्यूल सफर करना पड़ता है। वहां कोई एक्सप्रैस ट्रेन नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि गया से लेकर हावड़ा

वाया क्यूल एक एक्सप्रैस ट्रेन चलाई जाए। इससे उस इलाके के लोगों को हावड़ा जाने में सुविधा होगी और अपनी रोजी रोटी वे चला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, यह देखकर दुख होता है कि गरजता हुआ शेर ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है और दूसरों को गरजने से रोक रहा है और उन्हें रिरिया रहा है।

यह बात भारत के बंटवारे के पश्चात् पूर्वी बंगाल से लोगों के उत्प्रवास से संबंधित है। उन्हें काफी लम्बी अवधि तक पश्चिम बंगाल में शरणार्थी कैम्पों में रखा गया था। वर्ष 1962 और 1967 के बीच उनमें से कुछ को उड़ीसा में पूर्व कोरापुट जिले में और मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में भेजा गया था। कोरापुट में मखनगिरि और उमरकोट, तहसीलों में जगह दी गई। उन्हें दो से सात एकड़ भूमि दी गई थी ताकि वे अपना कार्य शुरू कर सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आसन के प्रति कुछ टिप्पणी हो तो वह रेकार्ड से निकाल दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: उस समय दण्डकारण्य परियोजना में जिस चीज का अभाव था वह जनजातीय लोगों की देखभाल का अभाव। उस समय जनजातीय लोगों को कोई भूमि नहीं दी गई थी। हालांकि बंगाली प्रवासियों को जो उस क्षेत्र में बस गये थे को तीन से सात एकड़ भूमि दी गई थी। कुछ वर्षों में बंगलादेश से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी आए थे और उन्होंने संदिग्ध अथवा गलत तरीकों से जनजातीय लोगों की भूमि लेनी शुरू की थी। दूसरे वंश के जनजातीय लोगों ने बंगाली प्रवासियों के और अवैध अप्रवासियों जो उस क्षेत्र में आए थे के खिलाफ हथियार उठा लिए थे।

यह अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की अनुसूची पांच के अधीन आता है। यह उस राज्य के राज्यपाल का अनिवार्य कर्त्तव्य बन जाता है कि वह उस राज्य की समस्या का और वहां की कानून और व्यवस्था की समस्या जो वहां विद्यमान हैं का कोई समाधान निकालें। जनजातीय लोगों से अनेक साधनों के माध्यम से भूमि घीनी हो गयी थी हालांकि इन प्रवासियों को उसे 7 एकड़ भूमि भी दी गई थी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा के राज्यपाल को निर्देश दें कि स्वतंत्र निकाय के रूप में, ताकि मंत्रिपरिषद के मार्फत वह भारत के संविधान के अधीन अपनी मौलिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थिति का अध्ययन करे और यह सुनिश्चित कराए कि जनजातीय भूमि उन्हें लौटाई जाएगी और वहां कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर नक्सलवादियों ने दुर्ग में राज्य परिवहन की बस के यात्रियों को उतारकर जला दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर साढ़े तीन बजे यह घटना घटी और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और डीजीपी उस घटनास्थल से चार किलोमीटर दूर एक चौकी पर इंस्पैक्शन कर रहे थे। मेरा निवेदन है कि एक तरफ रात 12 बजे तक दोनों राज्य तय नहीं कर पाए कि यह घटना किसके राज्य में हुई है और उन घटनाओं का उल्लेख इस सदन में बार-बार हुआ है जिसमें एक बार मैं खुद सौ लाठियां चुका हूं छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की और अभी मध्य प्रदेश में सिवनी में हमारी जबलपुर की सांसद ने प्रिविलेज का मामला उठाया और मैंने भी उठाया। हमारे साथ सख्ती ऐसी होती है कि जैसे दुनिया में सबसे ताकतवर यह पुलिस है, लेकिन जहां पर ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं, वहां पर पी.डब्ल्यू.जी. पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न छत्तीसगढ़ में है, न मध्य प्रदेश में है। बार-बार सुरक्षा का सवाल उठता है, उनसे निपटने का सवाल उठता है मगर यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के गृह मंत्री और डीजीपी मौजूद रहें और नक्सलवादी लोगों द्वारा ऐसी घटना हो, और उसके 12 घंटे बीतने के बाद भी दोनों राज्य सरकारें तय न कर पाएं कि यह घटना किस राज्य में हुई है, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार के गृह मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैंने भी आपको बार-बार पत्र लिखे हैं, इसको संज्ञान में लाना चाहिए और मुख्यमंत्रियों से इस बात की तलब करनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): सभापति महोदय मैं इस माननीय सभा का ध्यान जहां तक तमिलनाडु का संबंध है दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग हेतु बजट आवंटन के संबंध में दिलाना चाहता हूं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए 3000 करोड़ रुपये की वित्तीय अड़चन पड़ी है।

महोदय, डा. पुराची थालावी ने 700 करोड़ रुपये की देनदारी सहित अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार के पास धन का

अभाव है वह सामान्य रूप से योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित तक नहीं कर सकती है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बाजार से उधार लेने की अनुमति प्रदान करे।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 8 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी ,समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 8 अगस्त 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित

(एक) निस्सहाय बालक (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मुझे निस्साहस बालकों के अधिकारों का संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि निस्सहाय बालकों के अधिकारों का संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक,*

(अनुच्छेद 15, आदि का सशोधन)

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 120 आदि के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

[अनुवाद]

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 130 का संशोधन)

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

श्री वैको: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

[अनुवाद]

(छह) महिला और बालिका (सम्पत्ति अधिकारों का संरक्षण) विधेयक*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि महिलाओं और बालिकाओं के सम्पत्ति अधिकारों के संरक्षण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं और बालिकाओं के सम्पत्ति अधिकारों के संरक्षण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.36$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

(सात) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक*

(धारा 10 का संशोधन)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.37 बजे

[अनुवाद]

(आठ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 21क का अंत:स्थापन)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.371/2 बजे

(नौ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक*

(नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन)

श्री किरीट सोमैया : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

[अनुवाद]

(दस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक,*

(अनुसूची का संशोधन)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधीर चौधरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न $3.38^{1}/_{2}$ बजे

(ग्यारह) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण का निवारण विधेयक*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि नियोजकों अथवा सहकर्मियों द्वारा महिला कर्मकारों का उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण का निवारण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"नियोजकों अथवा सहकर्मियों द्वारा महिला कर्मकारों का उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण का निवारण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

[अनुवाद]

(बारह) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(तेरह) त्वरित कार्रवाई बल विधेयक*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने हेतु त्वरित कार्रवाई बल के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

''देश में सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने हेतु त्वरित कार्रवाई बल के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) (निरसन) विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव–वापस लिया गया

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: विधेयक के पुर:स्थापन से पूर्व, मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने इस विधेयक का विरोध करने के बारे में सूचना दी है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) विधेयक को इस सदन में 1987 में देश के जूट उद्योग की रक्षा के लिए पारित किया गया। लाखों जूट कामगार व जूट उत्पादक, जूट उद्योग में कार्यरत हैं।

जब हमें स्वतंत्रता मिली और बंगाल का विभाजन हुआ, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में रह गया जबकि जूट उत्पादक भूमि पूर्वी पाकिस्तान में रह गयी। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने लोगों से अपील की, विशेषकर पश्चिम बंगाल के किसानों से, कि वे अधिक से अधिक जूट उपजाएं ताकि पश्चिम बंगाल की जूट मिलों को बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल के किसानों ने चुनौती स्वीकार की और जूट उपजाना आरम्भ किया और हम आत्मनिर्भर हो गए। जूट मिलों में अधिकांश कामगार, सभापति महोदय, या तो आपके राज्य से हैं अथवा उड़ीसा से हैं।

इस अधिनियम को जूट उद्योग के प्लास्टिक थैलों से मिलने वाली चुनौती के मद्देनजर उनको बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, अधिनियमित किया गया किन्तु एक लॉबी माननीय मंत्री जी यहां है और वे इस बारे में जानते हैं; कि उस अनिवार्य आदेश को जो कि 1987 से है को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसलिए यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल अपितु बिहार और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के पूरे जूट उद्योग के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यहां तक कि उनके राज्य के लोग भी प्रभावित होंगे। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, महोदय। लाखों लोगों की जीविका खतरे में पड़ जाएगी। यह विधेयक हमारे देश के लोगों के हित के विरुद्ध है। इसलिए, इस विधेयक को पुर:स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से यह विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा व्यक्त विचारों का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम सभी श्री बसुदेव आचार्य द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करते हैं तथा माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वह इस देश के कामगार वर्ग के हित में इस विधेयक को वापस ले लें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: सभापति महोदय, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि जूट मिलें बंद हो जाएं और लोगों को नुकसान हो। इस समय

मेरी जानकारी है कि पूरी दुनिया में ऐसा हो गया है कि 100 किलो ग्राम और उससे अधिक की जो पैकिंग होती है, वह लेबर न उठाए। यह आई.एल.ओ. ने भी स्वीकार किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: अभी 50 किलोग्राम के बैग जूट के बन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उत्तर प्रदेश में अभी भी चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी जूट की आती है। उसे उठाने में मजदूरों को दिक्कत होती है। अगर 50 किलोग्राम की आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपना बिल वापस ले लेता हूं। लेकिन 100 किलोग्राम की बोरी पर मुझे आपत्ति है। उत्तर प्रदेश में 100 किलो ग्राम की चीनी की बोरी जूट की ही आती है। इसलिए 50 किलो ग्राम से अधिक भार की बोरी जूट की न हो।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): सभापति महोदय, मैं जो मिसअंडरस्टेंडिंग हैं, उसको दूर करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: लेकिन वे तो बिल वापस लेना चाहते हैं।

श्री काशीराम राणा: जो 50 किलो ग्राम वाले बैग की बात की कि वह चलता है, लेकिन वह शूगर में नहीं चलता। उसमें अभी भी 100 किलोग्राम वाला बैग ही चलता है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करने के अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 3.47 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित–जारी

[अनुवाद]

(चौदह) बाल दत्तक ग्रहण (विनियमन) विधेयक*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बालकों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

[अनुवाद]

(पन्द्रह) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन) विधेयक*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को विनियमित करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को विनियमित करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.49 बजे

[अनुवाद]

(सोलह) शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण (गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बालकों के लिए) विधेयक*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता पिता के बालकों के लिए सभी शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता पिता के बालकों के लिए सभी शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षण

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50 बजे

[अनुवाद]

(सत्रह) महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राज्य के अधीन पदों और नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि राज्य के अधीन पदों और नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

[अनुवाद]

(अठारह) राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति आयोग विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नि:शक्त व्यक्तियों, जिनमें मानसिक रूप से तथा दृष्टि में नि:शक्त व्यक्ति भी शामिल हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए हम आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नि:शक्त व्यक्तियों, जिनमें मानसिक रूप से तथा दृष्टि से निशक्त व्यक्ति भी शामिल हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उसमें ससक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक–वापस लिए गए

[हिन्दी]

(एक) राजभाषा (निरसन) विधेयक

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 का निरसन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, वापस लेने का हाउस को कारण बताना चाहिए। *...(व्यवधान)* बिल हाउस की प्रोपर्टी होता है।

[अनुवाद]

यह सभा की सम्पत्ति है। हमें कारण मालूम होना चाहिए। सभा को यह जानने का हक है *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): यह बहुत अच्छा विधेयक है। सदस्य विधेयक क्यों वापस ले रहे हैं? हम सभी विधेयक का स्वागत करते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब कोई माननीय सदस्य विदड्रा करता है तो उसे उसका रीजन बताना पड़ता है। *...(व्यवधान)* यह कम से कम रीजन तो बताएं कि क्या कारण है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर इसके खिलाफ नोटिस होता तो उस पर विचार होता।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2 दिनांक 10.8.2001 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है:

"कि राजभाषा अधिनियम 1963 का निरसन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 3.52$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा का अनिवार्य उपयोग करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा का अनिवार्य उपयोग करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 3.53 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–विचाराधीन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 51 पर चर्चा करेगी।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, अपने विधेयक के समर्थन में पिछले माह की 27 तारीख को जो मैंने कहा था जारी रखते हुए मैं संविधान के अनुच्छेद 46 को उद्धृत करना चाहूंगा ताकि सभा जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने शिक्षा और आर्थिक हित का संबंध है राज्य की जिम्मेदारियों से परिचित हो सके। मैं उद्धृत करता हूं:

"राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी में अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण में उनकी संरक्षा करेगा।"

अपराह्न 3.54 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए]*

महोदय, यह भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जिसके अधीन सभी राज्य सरकारें और विशेषकर केन्द्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में विभिन्न कदम उठाए। मैं आज शिक्षा के संवर्द्धन के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन मैं अपने आप को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक संवर्द्धन तक ही सीमित रखूंगा। किसी भी वर्ग के आर्थिक संवर्द्धन के लिए उस वर्ग के पास परिसम्पत्ति होनी चाहिए, उस वर्ग के पास कृषि हेतु भूमि होनी चाहिए अथवा उस वर्ग के पास व्यवसाय होना चाहिए।

अथवा अंतिम चीज है कि उस वर्ग के पास काम करने का अवसर होना चाहिए। हमें मालूम है कि परम्परास्वरूप हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास कोई सम्पत्ति नहीं होती है उन्हें 100-200 वर्ष पहले सम्पत्ति रखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस देश में उनके पास कोई उद्योग भी नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास कोई व्यवसाय भी नहीं होता। अत: उनके आर्थिक हित हेतु मात्र नौकरी के कोई अन्य अवसर भी नहीं होता है।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

प्रसंगवश, अथवा संयोगवश, अनजाने में हम उसी चतुवर्ण प्रथा अर्थात सेवा हेतु शुद्र, शिक्षा हेतु ब्राह्मण, शस्त्र हेतु क्षत्रिय और व्यापार हेतु वैश्य का अनुपालन कर रहे हैं। मैं केबिनेट में मंत्रियों की सूची देख रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि संयोगवश अथवा प्रसंगवश शिक्षामंत्री ब्राह्मण हैं, रक्षा मंत्री क्षत्रिय हैं और श्रम मंत्रालय और उसी मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है। यह संयोगवश है कि श्रम मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया और उनके राज्य मंत्री श्री मुनि लाल, श्री जसवन्त सिंह रक्षा मंत्री है और डा. मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री हैं। इसके पीछे कोई मंशा नहीं है लेकिन ऐसा हो गया है।

आज के 100 वर्ष पहले जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी वे निश्चय ही विद्वान लोग थे और अब उस मंत्रालय के प्रभारी हैं। अनुसूचित जाति के लिए मात्र अवसर सेवा था। अत: जब संविधान के निर्माताओं की 1946-48 के दौरान बैठक हुई तो उन्होंने निर्णय किया कि इस वर्ग को आर्थिक रूप से संवर्द्धित करना है तो इन्हें सरकारी सेवाओं में आने की अनुमति दी जाए। इसके परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 335 पुर:स्थापित किया गया। यह अनुच्छेद अत्यंत साधारण है। इसमें प्रावधान है कि ऐसा वर्ग जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है को राज्यों और संघ सेवा में पर्याप्त आरक्षण दिया जाए।

पर्याप्त आरक्षण क्या है? इसका तात्पर्य है कि जब जनसंख्या की तुलना में उनकी जनसंख्या के न्यूनतम आंकड़े को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15 प्रतिशत है और उन्हें 15 प्रतिशत का न्यूनतम आरक्षण दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.5 प्रतिशत है अत: उन्हें 7.5 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए निस्सन्देह ऐसा प्रतिबंध अन्य वर्गों और जातियों के लिए नहीं है। उनमें से कुछ ने अधिक प्राप्त किया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में जब पद आधारित रोस्टर आरम्भ किया था कि एक पद के लिए यदि अनुसूचित जाति के 15 सदस्य हैं तो 16वें व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा यह विसंगति उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिये निर्णयों में से एक निर्णय में की गई थी।

एक अन्य विसंगति तब पैदा हुई जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में निर्णय दिया था। इस सभा को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एक बात है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दूसरी बात है। सुश्री इंदिरा साहनी सरकारी कर्मचारी नहीं थी। उसे कोई हानि नहीं हुई। वह एक वकील थी। उन्होंने न्यायालय में जाकर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिये जाने वाले आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया था। न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों को कोई मौका नहीं दिया था। इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के विरुद्ध इस मामले में फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायालय ने इस मामले में गलती की थी। उन्होंने एक गलती की थी। उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 16 (4) (क), अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 46 को समझने में भूल हुई। मैं आज उन पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह विधेयक क्यों पुर:स्थापित किया और मैं यह क्यों चाहता हूं कि माननीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री मेरी बात से सहमत हों और मेरे विधेयक को स्वीकार करें। इसका कारण यह है कि मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति की इच्छानुसार सरकार का काम कर रहा हूं। जब इस लोक सभा का गठन हुआ था तब भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 25 अक्तूबर को अभिभाषण दिया था और मैं उनके अभिभाषण से एक पैरा पढ़ना चाहूंगा। भारत सरकार ने यह बहुत ही अच्छा भाषण तैयार किया था परंतु मैं केवल एक ही पैरा अर्थात् भारत के माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का पैरा 39 पढ़ना चाहूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं उद्धृत करता हूं:

> "हम समुचित कानूनी, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों के जरिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम शिक्षा और सामाजिक, आर्थिक अधिकारिता पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। हम अपने समाज से छुआछूत के आखिरी अवशेष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और दस वर्षों तक बढ़ाया जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे 50 प्रतिशत से ऊपर के आरक्षण को विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलायी जायेगी।"

भारत के माननीय राष्ट्रपति जब राजनैतिक आरक्षण की बात कर रहे थे। उन्होंने दस वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात की। महोदय, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इसका आश्वासन दिया है। अक्तूबर 1999 में जब मैं इस सम्माननीय सभा का सदस्य बना था तब मुझे बहुत आशा थी। मैंने दो-तीन महीने तक इन्तजार किया था। परन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा का संबंध है सरकार कोई विधेयक नहीं लाई।

सौभाग्य से, दिसम्बर, 1999 के महीने में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों की एक संगोष्ठी बुलायी थी। हम सभी 135 हैं–इस सभा में 120 और शेष सदस्य राज्य सभा में है। भारत सरकार ने इस संगोष्ठी का आयोजन संसदीय सौध में किया था जिसको माननीय प्रधान मंत्री, माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने संबोधित किया था। वास्तव में, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को यहां उपस्थित होना था। परन्तु वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से असम्बद्ध किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में व्यस्त होंगी इसलिए वे यहां उपस्थित नहीं हैं। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री को भी यहां उपस्थित होना चाहिए। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। इसका कारण यह है कि यह उनके लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है।

मैं उस संगोष्ठी में लिए गए निर्णयों को उद्धृत कर रहा हूं। मैं सभी सरकारी दस्तावेज उद्धृत कर रहा हूं। उस संगोष्ठी में आठ संसद सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी और इसका नाम प्रारूप समिति रखा गया था जिसका काम यह देखना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको समिति की रचना के बारे में बता रहा हूं। यह बहुत रोचक है। समिति में श्री राम विलास पासवान, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री, कुमारी मायावती, इस सभा की एक बहुत वरिष्ठ सदस्य, श्री कड़िया मुंडा जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं तथा इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति हैं; श्री अमर राय प्रधान, एक वरिष्ठ सदस्य; श्री के.एच. मुनियप्पा; श्री रतिलाल वर्मा, जो गुजरात के सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, श्री दिलीप सिंह भूरिया, जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं और अंत में-मैं भी उसी समिति में सदस्य था।

ये आठ वरिष्ठ सदस्य और मेरे जैसे कुछ कनिष्ठ सदस्य-क्योंकि मैं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् ही संसद में शामिल हो सकता था–ने बताया कि इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 20 मुद्दे हैं जिन पर भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इन 20 सिफारिशों में सबसे पहला मुद्दा था:

> ''इस समय आरक्षण नीति इस मुद्दे पर समय समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों से शासित होती है और यह कारगर साबित नहीं हुई। यह सिफारिश की जाती है कि इसके कार्यान्वयन न किए जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या प्राधिकरण के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के लिए प्रावधान के रूप में इस नीति को विधायी आधार देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए तथा इस नियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए।''

यह मेरा विचार नहीं है। यह संसद के आठ वरिष्ठ सदस्यों का विचार है जिसमें एक केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हमें आधिकारिक रूप से बताया है कि यह मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है। पाद-टिप्पणी में यह लिखा हुआ है–'कार्रवाई: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग'।

सभापति महोदय, आज तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही 20 सिफारिशों में से सबसे पहली सिफारिश लागू करने के लिए कोई ध्यान दिया है या कोई उपाय ही किया है। यह सिफारिशें किसी संगोष्ठी में की गई थी जो कोई निजी संगोष्ठी नहीं थी बल्कि भारत सरकार द्वारा आयोजित संगोष्ठी थी और इस संगोष्ठी को पहले दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री और आखिरी दिन माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री राम जेठमलानी ने भी संबोधित किया था।

श्री भूरिया, सभापति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने भी इसे संबोधित किया। इसके बाद भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों से संबंधित दोनों पक्षों के सदस्यों-श्री अशोक प्रधान, श्री थावर चंद गहलोत, श्री रतिलाल कालिदास वर्मा, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री रामदास आठवले और स्वयं मैंने इस सभा में इसका उल्लेख किया था। मेरे पास इसकी प्रतियां है परंतु मैं इन वाक्यों का उल्लेख करके सभा को परेशान नहीं करना चाहता। हर बार जब भी हमने इस मुद्दे को इस सभा में उठाया, तो सभा के प्रथम व्यक्ति माननीय प्रधान मंत्री द्वारा, न कि किसी मंत्री द्वारा इस बारे में आश्वासन दिया गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वासन दिया था मेरे पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माननीय राज्य मंत्री का एक पत्र है जो इस समय मेरी बात नहीं सुन रही हैं। वह मेरे दल किसी अन्य संसद सदस्य के साथ बात कर रही हैं यह महिलाओं की आदत है कि जब भी किसी विषय पर बात हो रही हो। तो वे आपस में बातें करने लगती हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने शून्य काल के दौरान इस सभा में तीन बार आश्वासन दिया है। जब माननीय प्रधान मंत्री इस संगोष्ठी में आए थे तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था। मैं समझता हूं कि मैं कम से कम संगोष्ठी में उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को जरूर पढ़ कर सुनाऊं। उन्होंने कहा:

[हिन्दी]

> ''उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के अपने हाल के निर्णय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

> की पदोन्नति पर वरिष्ठता को निर्धारित करने के सिद्धांत के संबंध में पहले निर्णय को पुनः दोहराया है। मेरी सरकार वरिष्ठता सिद्धांत की बहाली के लिए संवैधानिक संशोधन लाने का प्रस्ताव करती हैं जो इन निर्णयों के पूर्व विद्यमान था।''

माननीय प्रधान मंत्री जब उस गोष्ठी में भाग लेने आये तब उन्होंने भी कहा:

> ''स्वतंत्रता के बाद इतिहास की इस महान् बेला में इस तथ्य का मूल्यांकन करना उपयोगी होगा। सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कहां तक समर्थ हुये हैं और''

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री उस भाषण की तारीख से अगले तीन सप्ताहों की बात कर रहे थे। वह भाषण 5 दिसम्बर 1999 को दिया गया था। इसका मतलब यह है कि वे 5 दिसम्बर 1999 से तीन सप्ताह के अंदर कुछ कदम उठाना चाहते थे। वह क्या चाहते थे? उन्होंने कहा:

[हिन्दी]

> ''अगले तीन सप्ताहों में आने वाली सदी में प्रगति की रूपरेखा तैयार करना ताकि हम एक समतावादी समाज का सृजन कर सकें।''

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि उस समतावादी समाज का, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों को आश्वासन दिया था, क्या हुआ।

वह ही नहीं। मैं चाहता हूं कि एक आरक्षण अधिनियम भी होना चाहिए। मेरे पास विभिन्न राज्यों के आरक्षण अधिनियमों की प्रतियां हैं। उड़ीसा सरकार में अधिनियम है, त्रिपुरा सरकार में अधिनियम है, बिहार में भी अधिनियम है, कर्नाटक सरकार में अधिनियम है। मध्य प्रदेश सरकार में अधिनियम है। छह राज्य हैं जहां आरक्षण अधिनियम हैं। आरक्षण अधिनियम होने का क्या लाभ है? एक बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों को एक अधिनियम में रखा जाए, यह एक सशक्त अधिनियम होगा और इसे किसी भी न्यायालय में कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकेगा। एक अन्य बात यह है कि जो अधिकारी आरक्षण के प्रावधानों को इसलिए लागू नहीं करता है क्योंकि इसका उपबंध अधिनियम में किया गया है, को दंडित किया जायेगा। विभिन्न राज्यों द्वारा पारित इन सभी अधिनियमों की प्रतियां मेरे पास हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु सरकार का अधिनियम भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जब एक बार अधिनियम को भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो यह न्यायसंगत हो जाता है और उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जो कि आरक्षण नीति को लागू नहीं करता है।

सभापति महोदय, मैं सभा में माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि देश में आरक्षण नीति श्री राष्ट्रपाल, श्री शिन्दे अथवा श्री रतिलाल वर्मा के चाहने से नहीं आई वरन् आरक्षण, इस देश में महात्मा गांधी, डा. अम्बेडकर, पंडित नेहरू, राजेन्द्र बाबू और श्री जगजीवन राम जी इसे चाहते थे। वे सभी संविधान सभा के सदस्य थे। सभी जातियों और समुदायों के लोगों ने पाया कि लोगों का एक वर्ग अछूतों की तरह रहा है।

उन्हें स्कूल, मंदिर अथवा किसी विशेष गली में नहीं जाने दिया जाता था। एक दक्षिणी राज्य में उन्हें सूर्यास्त से पूर्व अपनी झोपड़ियों से बाहर आने की अनुमति नहीं थी। संविधान के निर्माताओं ने इन सभी समस्याओं पर विचार किया और अनुच्छेद 15, 16, 17, 38, 46 और 335 का भारतीय संविधान में समावेश किया। मैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री महोदय से यह शिकायत करना चाहता हूं कि उनके विभाग ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(9) को उद्धृत करता हूं। अनुच्छेद क्या कहता है? यह कहता है:

> ''संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग (अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग) से परामर्श करेगी।''

अब जबकि 1998 में डीओपीटी के 5 परिपत्र जारी किये गये थे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग से विचार विमर्श नहीं किया गया था। तत्पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ने शिकायत की और जब मामला अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जोकि एक संसदीय समिति है जोकि एक छोटी संसद है। समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक पत्र लिखा और डी.ओ.पी.टी. का उत्तर यह था 'एक बार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आ जाने पर, यह देश का कानून बन जाता है' और उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 को उद्धृत किया है। यदि उनके अनुसार अनुच्छेद 141 महत्वपूर्ण है तो

मेरे अनुसार अनुच्छेद 338 (9) भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संख्यावार भी अनुच्छेद 338(9) अनुच्छेद 141 से बड़ा है। 338 की तुलना में 141 एक छोटा अंक है अनुच्छेद 338(9) में कहा गया है:

> ''संघ और प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी....।''

मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों अर्थात् डीओपीटी के सचिव अथवा जो भी हो जिन्होंने अ.जा./अ.ज.जा. के विरुद्ध वे परिपत्र उन दिनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श किये बिना जारी किए थे के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? अन्यथा आयोग का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। आयोग की स्थापना किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे ने नहीं की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के निर्देशों के अंतर्गत की है। इस सम्पूर्ण समस्या को एक अधिनियम बनाकर स्पष्ट किया जा सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में है बल्कि यह सरकार के हित में है क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है, गारंटी दी है किन्तु उनके पास उसे लागू करने का समय नहीं है। मैंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से परामर्श किया है और मैंने देश के सर्वोत्तम अधिवक्ता से परामर्श किया है। मैंने अप्रैल 2000 में एक विधेयक पुर:स्थापित किया है। जिन्होंने मेरे विधेयक अर्थात् 2000 के विधेयक संख्या 24 को पढ़ा है मुझे कुछ अधिकारियों ने निजी तौर पर बताया कि यह एक व्यापक विधेयक है क्योंकि जहां तक अनुच्छेद 16(4) और 16(4) (क) का सवाल है। यह उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सृजित की गई विसंगतियों को ध्यान में रखता है। अनुच्छेद 16(4) केन्द्रीय सरकार को पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) (क) राज्य सरकार को किसी भी वर्ग के लिए कोई भी प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। यह निम्न वर्ग अर्थात् ग्रेड-1 अथवा ग्रुप 'क' तक ही सीमित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण निम्न वर्ग में ही दी जा सकती है। मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूं?

विधेयक, आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को शक्ति प्रदान करता है। यह परिभाषित करता है कि 'संस्थापना' क्या है। नई आर्थिक नीति और विनिवेश के कारण विभिन्न सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है, आप उसका मूल्यांकन करेंगे। अनेक मिल अब बन्द हो रही हैं। उदाहरण के लिए, मेरे माननीय मित्र एक विशेष जूट मिल की बात कर रहे थे।

मैं गुजरात की कपड़ा मिलों की स्थिति से अवगत हूं। अब वे बन्द हो रही हैं। सरकारी कार्यालयों में भी नयी भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं है। सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर को आरंभ करने के साथ लिपिकीय अनुभाग में दस रिक्तियों की तुलना में मात्र एक डाटा-एन्ट्री आपरेटर की भर्ती की जा रही है। वे नवयुवक जिन्होंने मैट्रिक अथवा स्नातक अथवा डिग्री अथवा एम.बी.ए. की है कहां जाएंगे? यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या नहीं है, यह सभी की समस्या है। किन्तु यह समस्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए अधिक है क्योंकि निजी क्षेत्र में नौकरी में उनके लिए आरक्षण नहीं है। मैंने इस विधेयक में एक अनुच्छेद जोड़ा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के लिए उन निजी संस्थापनाओं जो कि सरकार द्वारा प्रदान किए गए ढांचे से पनपी हैं में आरक्षण होना चाहिए। औद्योगिक सम्पदा सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है। सरकार उन्हें बिजली, पानी और संपूर्ण रेलवे नेटवर्क, डाक सेवाएं, सार्वजनिक वित्त तथा उपग्रह संचार सुविधाएं प्रदान करती है। निजी उद्यमियों की ये फैक्ट्रियां या तो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से 90 प्रतिशत ऋण सहायता से आरम्भ की जाती हैं। मैंने इस विधेयक में 'प्रतिष्ठान' की परिभाषा दी है।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): उस विधेयक को इस सरकार ने पुर:स्थापन की अनुमति नहीं दी थी।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, वरिष्ठता किस तरह से तय की जानी है? यह अत्यन्त ही सरल है। केन्द्र सरकार के अंतर्गत सभी नियम अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। एक परिवार में वरिष्ठ कौन है-एक बालक जो जनवरी माह में पैदा हुआ है अथवा बालक जिसका जन्म दिसम्बर में हुआ है? राजा के निधन के पश्चात् सिंहासनारूढ़ कौन होता है-बड़ा भाई अथवा छोटा भाई? स्वाभाविक चयन बड़ा भाई है। न्यायालय कहता है कि यदि सामान्य श्रेणी का कर्मचारी आठ वर्षों के बाद पदोन्नत होता है और यदि वह फीडर श्रेणी में वरिष्ठ है, तब वह वरिष्ठ हो जाएगा। मैं इसके औचित्य को नहीं समझ पाता हूं। मैं उच्चतम न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकता। मैं उच्चतम न्यायालय की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। किंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए वरिष्ठता नियमों, पदोन्नति नियमों तथा भर्ती नियमों को उच्चतम न्यायालय कैसे बदल सकता है। उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन करने का तब तक

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

कोई प्राधिकार नहीं है जब तक कि वे देश की सुरक्षा के प्रतिकूल न हों। किंतु यह वरिष्ठता के बारे में भी निर्णय कर रही है।

महोदय, मेरा विधेयक राज्य को विशेष भर्ती अभियान चलाने की शक्ति प्रदान करता है। इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान नहीं चल रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय राष्ट्रपाल जी, इस विधेयक पर दो घंटे हैं। आपने लगभग आधा घंटा ले लिया है। अगर अन्य माननीय सदस्यों का भी सहयोग लेना है तो थोड़ा ब्रीफ करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सदस्य यह भी चाहेंगे कि अन्य सदस्य बोल सकें।

सभापति महोदय: मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर दूसरे सदस्यों का सहयोग चाहिए तो थोड़ा ब्रीफ करें।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहूंगा किंतु मैं उनके पक्ष में अपना नाम वापस लेता हूं। कृपया उन्हें पांच से दस मिनट तक और बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मेरा कहना यह है कि आखिर में कम से कम एक मिनट मेरे लिए छोड़ दिया जाए ताकि मैं अपना बिल शुरू कर दूं।

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پونناني): میرا کہنا یہ ہے کہ آخر میں کم سے کم ایک منٹ میری لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اپنا بل شروع کر دوں۔

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप पांच मिनट बोलेंगे?

[अनुवाद]

महोदय, मेरा विधेयक इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। मेरा विधेयक इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड भी वसूलता है। यह विधेयक जाति प्रमाण पत्र का भी ध्यान रखता है। मैं स्वयं, श्रीमती जसकौर मीणा, श्री रतिलाल कालिदास वर्मा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य के रूप में देश के सभी भागों का दौरा कर रहा हूं। हमने बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संगठनों में जाली जाति प्रमाणपत्र के सैंकड़ों मामले देखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वे अपना जाति प्रमाण पत्र एम एल ए, एम पी और यहां तक कि तहसीलदार से भी प्राप्त करते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम पा जाते हैं। यह विधेयक इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के अपराधों का भी संज्ञान लेता है।

यह विधेयक केन्द्र सरकार के अधिकारों के मुद्दे को भी स्पष्ट करता है। यह विधेयक सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक के सभी उपबंध सरकार और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हित में हैं।

मैं एक और दस्तावेज का हवाला देना चाहता हूं। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन द्वारा 22 जनवरी, 1998 को भारत के माननीय राष्ट्रपति को सौंपा गया विशेष प्रतिवेदन है। इसमें जो कहा गया है मैं उद्धृत करता हूं:

> "आयोग, पहली बार, संविधान के अनुच्छेद 338(5) (घ) के अंतर्गत इस विकल्प का उपयोग कर रहा है चूंकि यह विषय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और तात्कालिक है। यह संविधान में उल्लिखित उपबंधों के मूल तक जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा दशकों से प्राप्त किए जा रहे लाभों को आज की सरकार की कार्यवाही से खतरा पैदा हो गया है।"

आयोग के चेयरमैन, श्री एच. हनुमनथप्पा द्वारा 22 जनवरी, 1998 को भारत के राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में यह कहा गया था। स्वाभाविक है, यह पत्र राष्ट्रपति से प्रधान मंत्री और संबंधित मंत्री को गया होगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सरकार द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा लिखे गए इस पत्र पर भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की थी। हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि हमें डा. अम्बेडकर की वजह से जो कुछ मिला, हमें महात्मा गांधी की वजह से जो कुछ मिला, उसे इस सरकार अथवा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के फैसले अथवा उच्च न्यायालय के फैसले के नाम पर छीना जा रहा है।

आप इस तथ्य को कृपा कर समझेंगे कि आरक्षण 'पूना पैक्ट' के कारण अस्तित्व में आया। सामान्यत: दो व्यक्तियों के बीच समझौता की स्थिति में "पैक्ट" शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका दो राष्ट्रों के बीच समझौता की स्थिति में उपयोग किया जाता है। गांधी अलग राष्ट्र नहीं थे, किंतु वह दो राष्ट्रीयताओं के

बीच पैक्ट था। डा. अम्बेडकर ने शोषित और अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व किया। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, किंतु भूलवश उन्होंने सिर्फ 'अस्पृश्यों' का प्रतिनिधित्व किया। डा. अम्बेडकर ने पृथक् निर्वाचक मंडल की मांग की थी। गांधी मानते थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति हिन्दू समाज के अभिन्न अंग हैं और इसलिए वह पृथक निर्वाचक मंडल के विरुद्ध थे। वह अनशन पर गए जिसके बाद एक समझौता हुआ। यह वही समझौता था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। यह एक पवित्र समझौता था। इसी समझौता के कारण आरक्षण अस्तित्व में आया। न्यायालयों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इस मौलिक अधिकार को छीनने का कौन सा अधिकार है? न्यायालय ने ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिया है। वरिष्ठता बदल दी गई और हमारा रोस्टर बदल दिया गया। रोस्टर भारत सरकार का अधिकार है। महोदय, इस सभा में मैं किस तरह से आऊं उसका आदेश आपके द्वारा दिया जाएगा। न्यायालय यह फैसला नहीं कर सकती कि इस सभा में एक संसद सदस्य के रूप में मुझे क्या पोशाक पहननी चाहिए। संसद देश में सर्वोच्च है। संसद ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है; संसद ने उच्च न्यायालयों की स्थापना की है; और संसद ने राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। ये सभी संसद द्वारा स्थापित हैं। न्यायालय कैसे करोड़ों-करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों को चुनौती दे सकती है?

मेरा अनुरोध है कि विधेयक पारित किया जाए। अन्यथा, डा. बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान पुरः स्थापित करते हुए देश को जिस स्थिति के प्रति सावधान किया था वह सच हो सकती है। यदि सरकार अपनी भर्त्ती प्रणाली में संशोधन नहीं करती है, यदि सरकार वायदा करती है कि वह तीन सप्ताह में कोई काम करेगी लेकिन वह तीन वर्ष लेती है-पिछला परिपत्र 1998 में जारी किया गया था और आज हम वर्ष 2001 में हैं-तो वह चेतावनी आज भी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए समय नहीं है। सरकार गलत आश्वासन दे रही है। इस स्थिति को डा. बी.आर. अम्बेडकर ने ध्यान में रखा था। उन्होंने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं:

> ''सामाजिक स्तर पर, भारत में हमारा समाज विशेषाधिकारयुक्त समानता पर आधारित है जिसका अभिप्राय कुछ लोगों को ऊपर उठाना है तथा शेष को नीचे रखना है। आर्थिक धरातल पर हमारा समाज ऐसा है जिसमें कुछ के पास असीम सम्पत्ति है जबकि अनेक ऐसे हैं जो घोर गरीबी में रह रहे हैं। दिनांक 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। हमें जितनी जल्दी हो सके इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए। अन्यथा, जो असमानता की शिकार हैं वे राजनीतिक प्रजातंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस सभा ने अत्यधिक परिश्रम से बनाया है।''

महोदय, मैं इस सभा के बारे में चिन्तित हूं। हमारे संविधान के प्रवर्तक द्वारा स्थापित इस सुंदर प्रजातांत्रिक प्रणाली के बारे में मैं चिन्तित हूं। मैं चुनौती नहीं देना चाहता कि विदेश में क्या होता है।

महोदय, यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इन बेरोजगार लोगों को रोजगार में आरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे संसद में पहुंच जाएंगे। सरकार ने वायदा किया था कि वह एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी लेकिन वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सकी है।

वे क्या करेंगे? भूखमरी से क्रांति पैदा होगी। हम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग पिछले 2005 वर्षों से भूखे हैं। हमें 1950 के बाद ही कुछ मिलना शुरु हुआ। वर्ष 1997, 1998 और 1999 में न्यायालयों द्वारा इसे क्यों छीना जाना चाहिए? क्यों भारत सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है?

महोदय, वास्तव में, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है किंतु समयाभाव के कारण मैं हर विषय पर नहीं बोलने जा रहा हूं। मेरे पास माननीय मंत्री के पत्रों की प्रतियां हैं। मुझे अक्तूबर, 2000 में सूचित किया गया था कि एक परिपत्र वापस लिया जाएगा। मई में, उन्होंने कहा कि यह विषय जांचाधीन है। महोदय, एक डॉक्टर को अपने मरीज की जांच में मुश्किल से आधा घंटा लगता है। किंतु यहां, इस विषय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जांच के लिए एक वर्ष ले रही है।

इससे काम नहीं चलेगा। मैं यहां पर अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 25 करोड़ लोगों की ओर से बोल रहा हूं। मैं आक्रोशवश बोल रहा हूं। मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं जो पीड़ित हैं। हम रोजगार चाहते हैं। अन्यथा, इस संवैधानिक गारंटी का क्या उपयोग है? सिर्फ न्यायालयों द्वारा पैदा किए गए भ्रम के कारण भारत सरकार को असहाय नहीं हो जाना चाहिए।

महोदय, उच्चतम न्यायालय के प्रति सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि इस सभा को भारतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए गलत निर्णयों को समाप्त करने का अधिकार है। हम सभी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। वास्तव में, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है किंतु मैं यह भी समझता हूं कि कम से कम 10-15

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

वक्ता इस सभा में हैं जो मेरे विधेयक का समर्थन करेंगे। मुझे विश्वास है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अच्छी मंत्री मेरे साथ और मैंने जो कहा उसके प्रति सहमत होंगी। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, मेरे साथी गुजरात से चुने हुए कांग्रेस के सांसद श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 पेश किया है। उन्होंने इसे पेश करते समय अपने दिल का दर्द और समाज के प्रति जो भावना व्यक्त की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं उनके वक्तव्य का अभिनन्दन करता हूं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस भावना वाले, दलितों का उद्धार करने की उनकी जो तमन्ना है, इस भावना के साथ वे कांग्रेस के सदस्य हैं, यह मेरे लिए सबसे दुखदायी बात है। उन्होंने डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की। जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कितना परेशान किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को कितना अपमानित किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को इसी लोक सभा में आने से रोकने के लिए कितना प्रयत्न किया, उस कांग्रेस के प्रतिनिधि आज जो बोल रहे हैं, इसका मुझे दुख है। वे लोक सभा में आए, इससे मुझे खुशी है लेकिन जिस पक्ष से वे आए हैं, उस पक्ष द्वारा देश में दलितों का कितना अहित हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप कृपया विधेयक पर बोलें। यह बात माइने नहीं रखती कि मैं किस दल का हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: श्री राष्ट्रपाल ने प्रधान मंत्री जी के आश्वासन की बात की। यह खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, हमने दो अध्यादेशों को वापिस लिया। लेकिन यह काम किसके समय में हुआ, दलितों पर अन्याय किसके समय में हुआ-पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवे गौड्डा, श्री गुजराल के समय में हुआ। वे प्रधान मंत्री किसके सहयोग से बने थे, कौन उनकी सहायता कर रहे थे-यही कांग्रेस वाले सहायता कर रहे थे।

वही लोग बैठे थे, यह दलितों विरोधी अध्यादेश उन्हीं के सहयोग से आया, पास हुआ। उस वक्त अगर ये लोग जागरूक होते और दलितों के प्रति सच्ची भावना होती, दलितों का कल्याण करने का सोचते तो उसी वक्त गुजराल और देवेगौड़ा सरकार से अपना सहयोग वापस ले लेते।

श्री थावरचन्द गेहलोत: आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा, तब उत्तर दे देना। अभी आप नोट कर लें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मैं उनकी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता परन्तु इसी बीच मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं। जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया था वह पूरी तरह से आरक्षण से संबंधित है और केवल डी ओ पी टी परिपत्र से ही नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मैं आपसे समय चाहूंगा। डी.ओ.पी.टी. तो अभी आया है। भारत की आजादी के 50 साल पूरे हुए तो स्पेशल सैशन बुलाया गया। उस स्पेशल सैशन में रात के 12 बजे मुझे बोलने का मौका मिला था। उस दिन भी मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करके, प्रणाम करके कहा था, देश की आजादी के 50 साल बाद कांग्रेस का शासन सबसे ज्यादा रहा। दलितों का कोई उत्थान हुआ, दलितों के रहने में कोई परिवर्तन आया? आज भी दलित समाज उसी झोंपड़ी में रहता है, उसी टूटे-पुराने में मकान में रहता है और वही घरों का गन्दा काम वह करता है। आज भी उसको नौकरी नहीं मिली है। आज भी उसको रोजी नहीं मिली है। आज उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। आज भी उसके रिजर्वेशन का परसेंटेज जो पूरा होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। कांग्रेस ने 50 साल तक देश में राज किया। अगर वे चाहते तो रिजर्वेशन पूरा हो सकता था। आज जो बैकलॉग की बात होती है, यह बैकलॉग क्या तीन साल में हुआ, क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। क्या एन.डी.ए. की सरकार में हुआ। 50 साल में अगर ईमानदारी से कांग्रेस के लोगों ने दलितों का उत्थान करना चाहा होता, उनको सही नौकरी पर लगाना चाहा होता, उसको ग्रेड वन की पोस्ट पर रखना चाहा होता तो कब का पूरा हो गया होता, लेकिन दिखाने के दांत अलग होते हैं। दिल के अन्दर कुछ है और बाहर कुछ है। कहा गया है:

'कथनी मीठी खांड सी, करनी मिस्री होय,
कथनी जैसी करनी करे तो विष भी अमृत होय।'

कांग्रेस ने सिर्फ कथनी की है, कांग्रेस ने सिर्फ अपना वक्तव्य दिया है। कांग्रेस ने दलितों के प्रति हमदर्दी जताई है। कांग्रेस ने दलितों को वोटर माना है, इन्सान नहीं। अगर उसे इन्सान माना होता तो आज तक दलित ऊपर उठ चुके होते। आज दलित

अच्छी-अच्छी जगह पर होते, आज दलित बड़े उद्योगपति होते। आज दलितों पर गांवों के अन्दर अत्याचार हो रहे हैं, शहरों में अत्याचार हो रहे हैं। वे अपमानित हो रहे हैं, आज वे नहीं होते, अगर इनकी सही भावना होती।

जो पूना पैक्ट की उन्होंने याद दिलाई, यह अच्छी बात हुई। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के पूना पैक्ट का विरोध किसने किया था, किन लोगों ने उनके साथ अपनी सहमति नहीं दी थी, वे कौन लोग थे, किसके सहयोगी थे, यह आप सब जानते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज एन.डी.ए. का सरकार है। भारतीय जनता पार्टी छोटी-छोटी संस्थाओं के साथ संलग्न है। मैं आज यहां रा. स्व. संघ का भी नाम लेना चाहूंगा। रा. स्व. संघ के द्वारा संचालित छोटे-मोटे केन्द्र जिनमें दलित समाज के युवा लोगों को ले जाया गया, लोगों में बिठाया, जो छुआछूत की बात होती थी, आज उनमें छुआछूत दूर करने का काम संघ ने किया। इसके साथ युवा वर्ग के अन्दर एक नया उत्साह दिलाया। जिन डा. बाबा साहेब अम्बेडकर को मंदिर जाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ता था, मंदिर में जाने के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, तालाब का पानी पीने के लिए उन पर लाठी चली, विश्व हिन्दू परिषद ने आज सारे देश के अन्दर दलितों को साथ रखकर किसी भी मंदिर के अन्दर, जहां प्रवेश से उनके ऊपर रोक थी, वहां उससे उनको मुक्त कर रहे हैं। जगतगुरू शंकराचार्य दलितों की बैठक के अन्दर आकर बैठते हैं, दलितों का उत्साहवर्धन करते हैं। दलितों के घर जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। जो वर्षों का पाप था, उसको धोने का काम विश्व हिन्दू परिषद कर रही है।

आदिवासियों के कल्याण के लिए वनवासी कल्याण परिषद है। उनके द्वारा जंगल में जाकर हमारे आदिवासी भाइयों की सेवा हो रही है। अगर 50 साल तक इस सरकार ने, जिसने शासन किया, यह काम किया होता तो उनकी हालत कुछ और होती। मैं मध्य प्रदेश में गया था, आज भी हमारे भाई, हमारी बहनें एक साड़ी पहनकर रास्ते पर खड़ी रहती हैं।

जंगल से जो कुछ बीनकर लाती हैं, उसे बेचकर आटा लेकर घर जाती हैं। 50 साल में यह हालत हुई, आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की सुविधा न दी होती तो आज उनकी हालत और भी दयनीय होती। इसलिए मेरा कहना है कि जब राष्ट्रपाल जी ने कुछ बातें कहीं तो उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी ही पार्टी उस सरकार को समर्थन दे रही थी। यह आपने गलती की थी। मैं नौवीं लोक सभा से यहां सदस्य हूं। मैं पहले उधर बैठता था। जब भी दलितों पर अत्याचार की बात होती थी, तो हम लोग उसको यहां उठाते थे और उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया जाता था। दक्षिण भारत में दलित की हत्या हुई तो मारने वाला भी रेड्डी, डी.एस.पी. भी रेड्डी और वहां का मुख्य मंत्री भी रेड्डी।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): इनके भाषण का इस बिल से कोई संबंध नहीं है।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा: राष्ट्रपाल जी ने कुछ पुरानी बातों को कहा इसलिए मुझे यह कहना पड़ा। हमारे जो साथी लोग हैं, उनके द्वारा यह काम हुआ। कांग्रेस ने और सभी दलों के सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर जब संसद का विशेष सत्र हुआ था तो एक स्वर में यह कहा था कि दलितों का उद्धार नहीं हुआ, उनकी आज भी वही स्थिति है।

रिजर्वेशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। 1997 में कार्मिक विभाग द्वारा जारी पांच आदेशों के द्वारा आरक्षण नीति को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिल रही सुविधाएं भी उस अध्यादेश से रद्द हो गई। इस चीज का हमें दुख है। इस अध्यादेश के कारण जो काम हो रहा था, वह उसके विपरीत होने लगा। जो अध्यादेश जारी किए गए, उनमें तीन के संबंध में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से भी परामर्श करना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आयोग से परामर्श किए बिना ये अध्यादेश जारी कर दिए गए। अगर राष्ट्रीय आयोग से परामर्श किया होता तो ये अध्यादेश जारी न होते। संविधान के अनुच्छेद 338 (9) के अनुसार परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा अनेक बार आयोग से परामर्श किया गया। यहां तक कि उस वक्त के प्रधान मंत्री जी के साथ भी आयोग ने बात की थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर आयोग ने अनुच्छेद के खंड पांच के अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजी कि वे इसमें अपना योगदान दें। कार्मिक विभाग ने दिनांक 2.7.1997 को कार्यालय ज्ञापन से सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए भारत सरकार में रोस्टर के रख-रखाव की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। दो पृष्ठों का जो आदेश था, उसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति का हित बदलने से उनका बहुत बड़ा अहित हुआ है। कार्मिक विभाग के उस आदेश में यह उल्लेख किया गया कि यह आर.के. सब्बरवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। आर.के. सब्बरवाल का जो केस चल रहा था, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की बात थी, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात ही नहीं थी। वह मुद्दा ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। लेकिन परिणाम जो निकला उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लपेटे में आ गए, जबकि हारे ऊपर यह लागू होने वाला नहीं था,

[श्री रतिलाल कालिदास वर्मा]

क्योंकि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई थी। न्यायलय के आदेश के अनुसार यह प्रतीत नहीं होता। उसमें विसंगति थी, जिसके कारण आज अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी परेशान हैं। जैसा कि उस वक्त था रोस्टर प्रक्रिया वाली पद्धति को उस समय तक चालू रखा जा सकता है जब तक संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता, तब तक पुराना रोस्टर रखना था, लेकिन उसके पहले ही रोस्टर बदल दिया। रोस्टर बदल जाने के कारण उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है।

महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जल्दी में न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला लिए बिना पदों की सभी श्रेणियों के लिए पद पर आधारित रोस्टर प्रारम्भ किया। इससे दलितों को न्याय नहीं मिल सकता। उन्हें तो नौकरी और सही वक्त पर प्रमोशन मिलना चाहिए। उन्होंने तथ्य का पता भी नहीं लगाया कि क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर के अनुसार पूरा किया गया है। नये रोस्टर से क्या नुकसान होगा, यह तथ्य नहीं जाना। उन्हें देखना चाहिए था कि क्या पुराना रोस्टर पूरा हो गया है। नया रोस्टर आने से यह हुआ कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद पर आधारित रोस्टर, आरक्षण का निर्धारित स्तर पूरा करने के बाद ही बनाना आरम्भ करना था, यह हमारी मांग है। इसमें जल्दबाजी हो गई है। जहां आरक्षण की बात आती है वहां विरोधी मानसिकता कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में देखने को मिलती है। अगर दलित के विरोध की बात है तो तुरंत उसे अमल करते हैं, लेकिन उनके हित की बात को अमल नहीं करते, उसकी अनदेखी करते हैं। ऐसे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पूरे समाज को दंडित एवं परेशान किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने न केवल जल्दी में ही रिक्तियों पर आधारित रोस्टर पर प्रयत्न किया है, अपितु उसमें इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी कोई उपबंध नहीं किया है।

महोदय, आरक्षण से संबंधित रोस्टर में आरक्षण करने से पहले अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का निर्धारित स्थान 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत स्तर पूरा कर दिया है, इसे देखना चाहिए था। इन आदेशों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसर से वंचित रखा जाएगा। नये माडर्न रोस्टर में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान किया जाए। *...(व्यवधान)* पुराने रोस्टर के तुलना में नये रोस्टर में आरक्षण के प्वाइंट को प्राथमिकता नहीं दी गई। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वर्मा जी, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया आप इस पर संक्षेप में बोलिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : पुराने रोस्टर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में पहला और तीसरा प्वाइंट था और पदोन्नति में तीसरा और चौथा प्वाइंट था। *...(व्यवधान)* पुराने रोस्टर की तुलना में पहले 13 प्वाइंट तक अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए एक प्वाइंट का नुकसान था। हम जब एससी-एसटी कमेटी में जाते हैं तो देखते हैं कि कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जाता है।

कभी उनको प्रमोशन के नाम पर दूरदराज के इलाके में भेज दिया जाता है जिससे उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। मुझे हमारी बहनें भी ऐसी मिलीं जिनको ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां जाने में उन्हें परेशानी होती है और वे नौकरी छोड़ जाती हैं। अंत में मैं माननीय मंत्री महोदया से इतना ही कहूंगा कि जो बिल माननीय प्रवीन राष्ट्रपाल जी लाए हैं वह ठीक है और हमारी सरकार के द्वारा भी इस दिशा में काम हो रहा है। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए वचनबद्ध हैं। इसका कानून बनना चाहिए, यह हम भी चाहते हैं लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो वे 50 सालों में इसको क्यों नहीं बना पाए, वे बना लेते। अब वे नौवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं पहले इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वे इसकी मांग कर रहे हैं। आप अटल जी की बात छोड़िये, अटल जी का दिल बहुत बड़ा है। मैंने बोलते हुए कहा था कि .....*....* लेकिन अटल जी का दिल है बहुत बड़ा, वह जरूर हटाएंगे बीच में पड़ा रोड़ा, अरे ओ देवगौड़ा।'' अटल जी ने दो रोड़े हटा दिये, अब यह तीसरा रोड़ा हटाना है। हम आपके सारे दु:ख दूर करेंगे, आप हमारे साथ सहयोग कीजिए। मैंने दूसरी बात कही थी कि ''अरे ओ प्रधान मंत्री गुजराल, अनामत के नाम पर दलितों के खींच निकाले बाल और उनको कर दिया बेहाल, लेकिन भाजपा की सरकार करेगी दलितों को निहाल, अरे ओ प्रधान मंत्री गुजराल।'' आप क्या करेंगे, आपके पास तो बोलने के लिए केवल मीठी बातें हैं। आपके दिल में कोई भावना नहीं है और अगर भावना है तो एन.डी.ए. की सरकार दलितों के उत्थान के लिए जो काम कर रही है उसमें सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पीछे उद्देश्य अच्छा है। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य हमारी स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद अभी भी विद्यमान कमियों और विसंगतियों को कम करना और हटाना है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

महोदय, हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को हमारी जनसंख्या के अन्य वर्गों के लोगों के बराबर लाना था। परन्तु स्वतंत्रता के 52 वर्षों के पश्चात् भी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार की राजनैतिक इच्छा में कमी है। हमारे संविधान में कई अनुच्छेद हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है:

> ''राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।''

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी शोषण जारी है। इस पहलू को सभी सरकारों ने अनदेखा किया है। मैं किसी विशेष सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का शोषण अभी भी जारी है। अनुच्छेद 335 में कहा गया है:

> ''संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।''

केन्द्र सरकार की सेवाओं में समूह घ के पदों में भी रिक्तियां हैं। अभी तक पिछले खाली पदों को भरा नहीं गया है। समूह ग के पदों में भी केन्द्र सरकार के विभागों में समूह क और समूह ख के पदों को छोड़कर आरक्षित पदों को भरा नहीं गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है कि संविधान के आदेश को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। यहीं मुख्य कारण है। इसी करण पिछले रिक्त पद भरे नहीं गए हैं। यह समस्या कई बार उठाई गई है।

अब विनिवेश हो रहा है। सर्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदला जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की गारंटी कहां है? जब सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदला जा रहा है और जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है तो क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई गारंटी होती है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर सरकार संविधान के आदेश का किस तरह पालन कर सकती है?

एक अन्य समस्या यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि एक संवर्ग के पदों में कोई आरक्षण नहीं हो सकता पश्चिम बंगाल में हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1989 में आरक्षण अधिनियम पारित किया था। पश्चिम बंगाल में नब्बे प्रतिशत स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं और मुश्किल से दस प्रतिशत स्कूल ही सरकारी स्कूल हैं। राज्य सरकार इन स्कूलों को चलाने के लिए और अध्यापकों को वेतन देने के लिए पूरी निधि प्रदान करती है। परंतु हम एक संवर्ग के पदों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं हैं। प्रिंसिपल, हेडमास्टर आदि के पदों के लिए हमें आरक्षण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो गया है तो भारत सरकार तुरंत संविधान संशोधन क्यों नहीं करती? यदि संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और उन लोगों के प्रयासों को विफल करने के लिए कानून बनाया जाता है जो आरक्षण को कायम नहीं रखना चाहते तो इससे आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। जब तक यह नहीं होता तब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक संवर्ग-पदों के मामले में सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।

शिक्षा के मामले में विशेष कर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए चिकित्सीय शिक्षा के मामले में 1976 में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा एक विनियमन जारी किया गया था। चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 1976 में कौन सा विनियमन जारी किया गया था? विनियमन यह है कि सामान्य उम्मीदवारों के लिए विभिन्न विषयों में अंकों का प्रतिशत 50 रखा गया है जो न्यूनतम प्रतिशत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत रखा गया है। मैं पहले ही स्वास्थ्य मंत्री और जनजातीय मामले मंत्री को इस बारे में लिख चुका हूं। इस विनियमन के कारण इस वर्ष पश्चिम बंगाल में सरकारी चिकित्सा कालेजों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन पर कितने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रवेश मिल सकता है? केवल 5 उम्मीदवार ही प्रवेश ले सकते हैं। 45 सीटों में से जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं केवल 5 सीटें ही भरी गई हैं क्योंकि इस विनियमन के अनुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के 40 प्रतिशत अंक होने चाहिए। यहां मैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं। जब तक इसमें छूट नहीं होगी तब तक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा शिक्षा में किए जाने

[श्री बसुदेव आचार्य]

वाले आरक्षण का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री को पहले ही लिख चका हूं वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि कुछ किया जाना चाहिए जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है ताकि चिकित्सा पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कायम रखा जा सके।

इस विधेयक का आशय अच्छा है। मैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक हो सकता है परंतु इस विधेयक का उद्देश्य अंतर को कम करना है, त्रुटियों, अनियमितताओं को दूर करना और उस शोषण को हटाना है जो अभी तक जारी है। यदि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तो ठीक है। अन्यथा सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण समाप्त करने जो अभी भी जारी है, और उनके लिए आरक्षण को कायम रखने के लिए अनुसूचति जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाला विधेयक है। मेरे मित्र यहां नहीं हैं, शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। इसमें किस सरकार ने क्या किया है, यह कहने की जरूरत नहीं है। आरक्षण को संविधान के हिसाब से किस तरह से लागू किया जाए, यही इस बिल का उद्देश्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 पर मैं बोल रहा हूं। माननीय प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने यहां जो विचार रखे हैं, सबसे पहले मैं अपने विचारों को उनके विचारों से जोड़ता हूं। पिछली जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के निर्माता माननीय डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने की थी। आरक्षण की अवधि को प्रत्येक दस साल में बढ़ाया जाएगा, इसका प्रावधान हमारे संविधान में है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश को आजादी मिले करीब 53-54 साल हो चुके हैं। लेकिन इस बीच में भारत सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में आरक्षण का बैकलॉग बढ़ा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिन्हें मैं बताना चाहता हूं-'ए' ग्रुप की सर्विसेज में एस.सी. का रिजर्वेशन सिर्फ 12 प्रतिशत है और एस.टी. का 3.57 प्रतिशत है। ग्रुप 'बी' में एस.सी. का 12 प्रतिशत और एस.टी. का 2.65 प्रतिशत है। यह सब देखने के बाद हमारे मन में दुख होता है कि भारत सरकार आरक्षण को ठीक ढंग से लागू करने के लिए कुछ विशेष नहीं कर रही है। देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, संविधान सभी पर लागू होता है। हम संविधान के मुताबिक ही मांग कर रहे हैं, हम संविधान से अलग हटकर कोई मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, यह सरकार की जवाबदारी है कि संविधान में एस.सी., एस.टी. और पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हो, नौकरियों में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, वह ठीक ढंग से लागू हो। राजनीति के लिए भी इसमें आरक्षण रखा गया है, इसीलिए आज हम यहां बोल रहे हैं। आरक्षण किसी भी क्षेत्र में हो, वह पूरी तरह से लागू होना चाहिए। अभी यहां पर किसी ने कहा कि यह कांग्रेस ने किया है। हम यहां मांग करते हैं कि चाहे जो भी सरकार हो, संविधान के हिसाब से हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम बार-बार आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि यह बिल सरकार की ओर से लाया जाए और इस आरक्षण एक्ट को इस तरह से लागू किया जाए ताकि न्यायालय भी उसे कभी न बदल सके। आरक्षण एक्ट के आने से अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा।

उसे आपके अधिकारी टाल भी नहीं सकते। बिल ऐसा होना चाहिए कि जो अधिकारी उसे टालने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

इस बिल पर बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए मैं कुछ मुख्य बातें कहना चाहूंगा। संसद की अनुसूचित जाति तथा जनजाति संबंधी समिति बनी हुई है। माननीय राष्ट्रपाल जी और मैं उस समिति के सदस्य भी हैं। समिति भारत सरकार और राज्य सरकार के उपक्रमों को विजट करती है और हमने भारत में कई स्थानों पर दौरा किया। हमने पाया कि कहीं रिजर्वेशन 1% है और कहीं 0% भी है। इसलिए रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू करने के लिए भारत सरकार को कानून लाना चाहिए। कहीं-कहीं भारत सरकार के उपक्रमों में अधिकारी कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन के बारे में जानकारी नहीं है। संविधान में जिनके

रिजर्वेशन की व्यवस्था रखी गई है, उनके लिए अधिकारी समिति के सामने साक्ष्य देते हैं कि उनको रिजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं था। इस देश में भारत सरकार और राज्य सरकारों के कई कार्पोरेशन हैं, महानगर पालिकाएं हैं, नगरपालिकाएं हैं, ज़हां पर हमारा रिजर्वेशन नगण्य है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में जो रिजर्वेशन मिला है उससे बहुत आगे आ गए हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, ऐसा नहीं है। यह गलत बात है।

महोदय, प्रमोशन में रिजर्वेशन पर 1997 में रोक लगाई गई। सभी पार्टियों के संसद सदस्यों के एस.सी., एस.टी. फोरम की मीटिंग हुई और वहां हमने मांग की तो इसमें से दो आदेश वापस हो गए और दो आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उसके लिए हमारे कई मित्र माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले और उनसे मांग की कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए। 1997 से जो प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक दिया गया है, उसी दिन से प्रमोशन में रिजर्वेशन वापस मिलना चाहिए ऐसी मांग मैं करता हूं।

यहां शिक्षा में, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों में भी एस.सी./एस.टी. का रिजर्वेशन है लेकिन हमारा क्या नसीब है कि हमारे नाम पर बोगस लोग वहां ऐडमिशन ले लेते हैं और वहां जो कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, वह नहीं होता है। वहां भी हमारे साथ अन्याय होता है। इसलिए सरकार को इस कानून को ज्यादा प्रबल बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा समय न लेते हुए प्रवीण राष्ट्रपाल जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि रिजर्वेशन एक्ट जल्दी से जल्दी, इसी सत्र में लाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद जब भारत के नागरिकों की सरकार बनी, उसने विचार किया कि देश अनेक वर्षों से गुलाम रहा है। पहले मुगलों के शासनाधीन रहा, फिर अंग्रेजों के शासनाधीन रहा। अब जब अपना स्वयं का शासन आया है, तो अपने देश का विकास तेज गति से हो सके, उसके लिए संविधान बनाया गया। कहीं न कहीं से, अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करके, अपने देश के संविधान में बहुत सारी बातों का समावेश किया गया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थीं जो यहां अनवरत की जा रही थीं और उनमें सुधार करने की दृष्टि से कुछ प्रावधान किए गए।

आदरणीय प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का आरक्षण सेवाओं में बना रहे, इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक 2000 प्रस्तुत किया है। भावनात्मक रूप से मैं उनके इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से इस देश में संविधान निर्माताओं ने संविधान में दलित वर्ग के उत्थान के जो प्रावधान किए, उससे उत्थान धीरे-धीरे हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेज गति से उत्थान होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि संविधान के जो प्रमुख निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय विचार-विमर्श के दौरान कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था करने या आरक्षण दे देने से ही दलित वर्ग का उत्थान नहीं होगा। मैंने संविधान निर्माण के समय की कार्यवाही पढ़ी है। उसके अनुसार उस समय यह डिसकस हुआ और पाइंट टू पाइंट डिसकस हुआ। मैंने उसमें पढ़ा है कि अम्बेडकर जी ने भी आरक्षण का विरोध एक स्थान पर किया था और मैं समझता हूं कि उन्होंने विरोध शायद यह सोचकर किया होगा कि जब वे पढ़-लिख रहे थे, तब शायद आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी या यह सोचा होगा कि वे पढ़ लिखकर अच्छे वकील बन गए और भारत की संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसके साथ-साथ जब संविधान पास हो रहा था, उस समय वे ही अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही यह संविधान पास किया गया था। उस समय जगजीवन राम जी जैसे नेता भी थे, जो यह सोचते थे कि शायद मेहनत करने से ही हम सब लोग उनके जैसे बन सकते हैं। यह सच उसके पीछे रहा होगा। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का आंशिक विरोध किया था, परन्तु संविधान निर्माताओं में नेहरू और सरदार पटेल जी भी थे, उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब यह निर्णय हो गया कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, तो फिर यह सोचा गया कि कितने समय के लिए होना चाहिए। सभी ने इस बात पर बल दिया कि 10 वर्ष के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उस समय सभी ने यह समझा कि जब देश की अपनी सरकार बन जाएगी, भारत के नागरिकों की अपनी सरकार बन जाएगी, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास की दृष्टि से समग्र प्रयास होगा और सारे देश में समरसता का वातावरण बन जाएगा और फिर इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था महसूस नहीं होगी, शायद यह सोचकर उन्होंने यह प्रावधान किया था। परन्तु दुर्भाग्य है देश का कि आजादी के 50 वर्ष के बाद आज भी आरक्षण की आवश्यकता निरन्तर महसूस की जा रही है और हर 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष के लिए, लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की वृद्धि की जाती रही है।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

वह समयावधि की वृद्धि पचास साल तक की गई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 334 में यह भी लिखा है कि यह आरक्षण की व्यवस्था संविधान लागू होने के पचास वर्षों के बाद जारी नहीं रहेगी। इसके पीछे मैं सोचता हूं कि यही मंशा रही होगी कि दस-दस वर्ष करके भी बढ़ाने की आवश्यकता हुई और बढ़ा दिए तो पचास वर्ष में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहां न छुआछूत रहेगी, न अमीरी-गरीबी रहेगी और न किसी प्रकार का भेदभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में अन्य वर्गों के लोगों के मन में कटुता का भाव आए, इसलिए उन्होंने यह प्रतिबंध भी लगाया था कि पचास वर्ष बाद यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, आगे जारी नहीं रखी जाएगी। परन्तु अटल जी की सरकार को, मैं चाहता था कि राष्ट्रपाल जी भी इस बात के लिए धन्यवाद दे देते क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित वर्गों का उत्थान करने का काम, उनको समरसता या बराबरी के वातावरण में लाना, यह किसी एक राजनैतिक दल की समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय समस्या है, सरकार की समस्या है और सारे देशवासियों की समस्या है। इसलिए इस सरकार ने, जो पचास वर्षों का प्रतिबंध था, उसको भी संविधान में संशोधन करके हटाया और आरक्षण की व्यवस्था निरंतर जारी रखने के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया। मैं सोचता था कि वे धन्यवाद देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं धन्यवाद दूं, इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: यह एक अलग विषय है। वह राजनैतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। मेरा विधेयक सेवाओं में आरक्षण के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: मैं वही बोल रहा हूं, वहां ही आ रहा हूं, आप चिन्ता मत करें। लेकिन मेरा कहना था कि इस पर तो आप धन्यवाद दे देते। चलो मान लो, इस पर धन्यवाद नहीं दिया। आदरणीय रतिलाल वर्मा जी ने बताया कि आपके सहयोग से चलने वाली सरकार के समय में अर्थात 1995-96-97 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण तत्कालीन सरकार ने पांच कार्यालयीन ज्ञापन जारी कर दिए और उन आदेशों के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नौकरियों में जो आरक्षण मिलता था, उस पर प्रतिबंध लग गया, आरक्षण में जो छूट मिलती थी, उस पर प्रतिबंध लग गया। चाहिए यह था कि उस सरकार को यह आदेश जारी करने सें पहले मंत्रिमंडल में निर्णय करके सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहिए था कि यह संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है और संविधान में जो परिभाषा लिखी गई है, जो शब्दावली लिखी गई है, उस शब्दावली के कारण, अगर कहीं इस प्रकार का अर्थ निकल रहा हो तो हम उस शब्दावली में चार-छः महीने में संशोधन करके माननीय न्यायालय को सूचित कर देंगे। इस प्रकार का निवेदन करना चाहिए था लेकिन वह नहीं किया, फटाफट आदेश जारी कर दिया और जो पांच कार्यालयीन आदेश जारी किए थे, उनके कारण नौकरियों में आरक्षण में जो छूट मिलती थी, वह प्रतिबंधित हो गई। फिर अगर अनसूचित जाति वर्ग का कोई व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी आज पदोन्नत हो गया, उससे एक दिन पहले वाला अधिकारी, कर्मचारी, जो सवर्ण वर्ग का है, बाद में प्रमोट होता है, जिसकी पहले प्रमोशन हो चुकी है और वह उस पद पर पदस्थ हो चुका है, साल भर बाद अगर कोई दूसरा प्रमोट हो गया तब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति जूनियर हो जाएगा और वह सीनियर हो जाएगा। इस प्रकार की बात का कहीं न कहीं विचार-विमर्श करके कोर्ट को कनविंस करवा कर आदेश करने के बजाए यह व्यवस्था निरंतर जारी रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखी गई। आपने समर्थन किया, हम देखते रहे, विरोध करते रहे। परन्तु अटल जी की सरकार में और अटल जी ने वह दोनों आदेश, जो उस समय न्यायालय में विचाराधीन नहीं थे, वापिस कर लिए। उसके कारण बैकलॉग पचास प्रतिशत से ज्यादा हो गया, कहीं 70 प्रतिशत हो गया, कहीं 75 प्रतिशत हो गया। उसका प्रतिबंध हट गया। अब वह भर्ती करने के लिए आदेश भी जारी हो गए। आदेश की कॉपी आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, उसे पढ़ कर मैं यहां समय जाया नहीं करना चाहता। वह दोनों आदेश जारी हो गए, उस पर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप और हम सब अनुभव कर रहे हैं कि उस पर ठीक से अमल होने का काम अभी भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं। यह आप और हम सब मिल कर करवा रहे हैं। परन्तु आपने कहा कि नौकरी की बात कर रहे हैं तो जो आदेश इस सरकार ने वापिस लिया, इस पर ही धन्यवाद दे देते। आप धन्यवाद भी क्यों नहीं देना चाहते-आपको दे देना चाहिए। हम तो अम्बेडकर जी को, नेहरू जी को और तत्कालीन सरकार को, जिसने संविधान लागू किया था, उन सब का एहसान मानते हैं। उनको एक बार नहीं, बारम्बार धन्यवाद दे रहे हैं। आप एक अच्छा काम करने वाली सरकार को छोटा सा भी धन्यवाद नहीं देना चाहते, आपको दे देना चाहिए। अब इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए तो मन में जब राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहे हैं तो खुले मन से करना चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: हम धन्यवाद देंगे, जब हमारा बिल पास हो जायेगा। मैडम को भी फूलों का हार पहनाएंगे, जब हमारा बिल पास हो जायेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह बिल पास होना चाहिए कि नहीं, इस सम्बन्ध में भी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं

भावनात्मक समर्थन तो कर ही रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय निकल गया तो केवल विधेयक पास करने से जो संविधान की परिभाषाएं हैं, संविधान में जो शब्दावली है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और वह अपना निर्णय दे रहा है। इस शब्दावली में अगर वास्तविक बात, जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है या जो उपयुक्त शब्द होना चाहिए, अगर उसका समावेश नहीं हुआ तो आपके और हमारे द्वारा जो विधेयक पास किया जायेगा, उसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा और सुप्रीम कोर्ट संविधान की परिभाषा के आधार पर अपनी व्याख्या अपने तरीके से करेगा और फिर इस प्रकार के आदेश सुप्रीम कोर्ट सरकार को देने के लिए बाध्य करता रहेगा। इसलिए इस विधेयक को पास करने के बाजय मूल रूप से संविधान में संशोधन करना चाहिए।

अनुच्छेद 335 में पहले जो संशोधन किया है, मैंने उसको उस समय पढ़कर सुनाया था कि सरकार इस प्रकार का कानून बना सकेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा, परन्तु कार्यदक्षता का ध्यान रखेगी। अब यह शब्द उसमें था तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यदक्षता की व्याख्या कर दी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग तो हजारों साल से पिछड़ रहे हैं, दलित रहे हैं, स्कूल में ठीक से पढ़े नहीं हैं, कम नम्बरों से पास हो गये हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करके आगे बढ़ गये हैं, उनकी मानसिकता विकसित नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में अगर उनको आरक्षण मिलेगा और वे उस पद पर पदस्थ हो गये तो उनकी कार्यदक्षता उच्च वर्ग के व्यक्ति के अनुसार नहीं होगी। यह मानकर उन्होंने आदेश दे दिया। इस प्रकार की जो भाषा है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप और हम सब यह बहस कर रहे हैं और आपके द्वारा जो विधेयक पेश हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं आपको अनुच्छेद 335 पढ़कर सुनाता हूं:

> "335. **सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे**–संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा।"

केवल दक्षता बनाये रखने वाला जो आखिरी शब्द है, इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके आपके और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रिजैक्ट कर दिया और आदेश दे दिया कि यह नहीं होना चाहिए। आप और हम सब अभी तक इसे भुगत रहे हैं तो इस प्रकार की जो शब्दावली है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको भले ही पास कर लो, कानून बना हुआ है। संविधान निर्माताओं ने समानता का वातावरण तेज गति से बने, इसलिए भारत के संविधान में अनेक अनुच्छेदों में व्यवस्था की है। अनुच्छेद 16 में है:

> **"16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।"**

लोक नियोजक नौकरियों में इस प्रकार की व्यवस्था होगी और इसके साथ 16(4) भी मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसके कारण हमारी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। इसमें लिखा है:

> (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अर्थात् कानून बनाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। इसका अर्थ यह निकला और आपने कानून बना दिया तो उन्होंने संविधान की भावना के अनुसार उस कानून में खामी निकाल दी।

आप और हम भी वही कानून बनाने जा रहे हैं और उसमें फिर वही खामियां निकलेंगी और फिर आपको और हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से 16-4 (क) में भी दिया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप दूसरी बात कह रहे हैं। अनुच्छेद 16-4 एस.सी. और एस.टी. के लिए नहीं है। मेरा बिल सिर्फ एस.सी., एस.टी. के लिए है। अनुच्छेद 16-4 दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए है, उसको मिक्सअप न करें।

सभापति महोदय : राष्ट्रपाल जी आप जवाब देते समय अपनी बात कहें।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हमने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लोगों को सुविधाएं बहाल करने के लिए 16-4 (क) में संशोधन किया है। मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "अनुसूचित जाति एवम् जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा के पदों के वर्गों या किसी भी वर्ग की उन्नति के मामले में आरक्षण के लिए किसी प्रावधान को निर्मित करने से राज्य को कोई भी नहीं रोकेगा। जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं या नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किए जाएं। इस प्रकार की परिभाषा है, इस प्रकार की शब्दावली है। इस बात की उन्होंने व्याख्या की है और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था।"

नीति निदेशक तत्वों में भी लिखा है। उसमें से मैं 45 को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। अगर इस पर अमल हो गया होता तो अनुसूचित जाति और जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्ग, जिनके

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

लिए आप और हम सब चिंता करते हैं, उनकी जो देश में स्थिति है, वह नहीं होती। इसमें लिखा है कि–

> "बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

क्या वह प्रयास किया गया है–यह हम सभी जानते हैं। अब शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आपके और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। अगर सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वहां मास्टर नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बोर्ड नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो वहां लाखों रुपए फीस है। आप और हम तो किसी तरह से मेहनत करके पढ़ गए और यहां तक आ गए, लेकिन हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, यह विचारणीय विषय है। इसलिए इस पर आज तक अमल नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं किया। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए एक विस्तृत विधेयक आना चाहिए।

अनुच्छेद 46 को भी आप देख लें। उसमें भी दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृत्ति होगी, लेकिन वह आज तक नहीं हुई और हुई भी है तो बहुत धीमी गति से हुई है। कछुआ भी खरगोश से जीत गया था इसलिए इसको तो कछुआ चाल भी नहीं कह सकते। इसी तरह से अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है, अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती तो इन सारी योजनाओं और व्यवस्थाओं का लाभ गरीब तबके के लोगों को मिलता, दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और एस.सी., एस.टी. के लोगों को मिलता। पर इसको ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। कानून आज भी पर्याप्त हैं, लेकिन जो ईमानदारी से लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ। उसी के कारण आज यह स्थिति बनी हुई है। आप और हम सब यह विधेयक पास करें, इसकी आवश्यकता तो महसूस की जा सकती है, भावनात्मक आवश्यकता को महसूस की जा सकती है, परंतु आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक से जो संविधान में लिखा हुआ है, वह सुपरसीड नहीं होगा। संविधान सर्वोपरि है। संविधान में अगर संशोधन होगा और उसकी भावना के अनुरूप कोई कानून बनेगा तो उस पर अमल हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं दो-चार मिनट में समाप्त करता हूं। आपने बिंदु 15 में कहा है कि यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों अथवा पदों के वर्गों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है अथवा ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनको अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसी तरह यदि अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों अथवा पदों के वर्गों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है अथवा वे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरा जाए।

मेरा इस संबंध में यह कहना है और आपको भी मालूम है कि अनुसूचित जाति वर्ग के अगर पद रिक्त हैं तो तीन विज्ञप्तियां लगातार जारी करने के बाद भी अगर पूर्ति नहीं होती है तो एस.टी. वर्ग के लोगों से उसकी भर्ती करके उसकी पूर्ति की जा सकती है, यह प्रावधान है। आपने इसमें फिर लिखा है कि अगर एस.टी. वर्ग के लोगों की रिक्तता है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो लगातार तीन बार विज्ञप्ति जारी करके और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी करके उसकी पूर्ति करने के प्रयास कर सकते हैं। अगर तीन बार में भी उन रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हुई तो वह अनुसूचित वर्ग के लोगों से भर सकते हैं, यह नियम है, शासन का आदेश है। इस पर अमल भी हुआ है और बहुत सी जगह पर अमल होने जा रहा है। आप और हम सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कमेटी में जाते हैं और उसमें अनेक स्थानों पर यह स्थिति सामने आई कि अगर इस वर्ग के पद रिक्त हैं और उपयुक्त कैंडीडेट नहीं मिल रहे हैं तो तीन विज्ञप्तियां जारी करके दूसरे वर्ग के लोगों से भर लेते हैं और अगर उस वर्ग से नहीं है तो दूसरे वर्ग से वही प्रक्रिया पूरी करके उन पदों की पूर्ति की जा सकती है। अब आपने उसमें लिख दिया कि यह किया जाना चाहिए जबकि यह ऑलरेडी है और उस पर अमल नहीं हो रहा है। उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उनको अमल करने के आदेश भी हैं। बाकायदा आरक्षण रखा गया है और विशेष भर्ती अभियान भी चलाये गये हैं। यह मद संख्या 33 में है और धारा 5 में ऐसा उल्लेख है। मेरा इस संबंध में यह कहना है और आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि विशेष भर्ती अभियान चलाये गये हैं और ये अभियान एक बार नहीं बल्कि अनेक बार चलाये गये हैं।

1951 में जब यह कार्यान्वयन आदेश जारी हुआ और उसके बाद बंद हो गया था तो उसके पहले आपने और हमने अनेक मीटिंग में अधिकारियों से पूछताछ की है और उन्होंने बताया है कि 2-5 साल तक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया और उसमें सारे देश में हजारों लाखों रिक्त पदों की पूर्ति की गई है, यह ऑलरेडी प्रावधान है। फिर इस विधेयक में इस प्रावधान को करने का औचित्य क्या है? इसके साथ-साथ और भी ऐसे प्रावधान हुए हैं जहां वर्तमान में कानून भी हैं, प्रावधान और भी हैं और उसके बाद भी अमल नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं इच्छा शक्ति

की कमी है। मैं यह भी कहूंगा कि जो कानून हैं, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जो अधिकारी गलती कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करके उनको सजा देने के प्रावधान की बात होनी चाहिए। यह आपने इसमें दिखाया है और इसका मैं समर्थन करता हूं परंतु इस विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्रचलन में हैं, जो ऑलरेडी नियमन में हैं, पहले ही कानून-कायदे बने हुए हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था का आपने शायद इसमें उल्लेख नहीं किया है, वह छूट गया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : एस्टेबिलिशमेंट की पूरी परिभाषा पढ़िए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था का इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया, जबकि सारे देश के लोगों की यह इच्छा है कि न्यायालय व्यवस्था में भी आरक्षण होना चाहिए। सैशन कोर्ट तक तो है पर इसमें इसका प्रावधान नहीं है। मैं केवल इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि आधा-अधूरा विधेयक प्रस्तुत करने से आपकी और हमारी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। मैं इस अवसर पर कुछ और बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। हमने लगातार पिछले दिसम्बर सत्र से तीन कार्यान्वयन आदेश वापस लेने हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास किये हैं। हमारी संसद का एस.सी., एस.टी. फोरम है, उसमें भी सबने इस दिशा में प्रयास किये हैं, राजनीतिक दलों के आधार पर भी प्रयास किया है। जो संसदीय मीटिंग होती है, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया है और दिसम्बर के सत्र में प्राइम मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी कि एक कार्यान्वयन आदेश और बचा है जो न्यायालय में नहीं चल रहा है। उस समय जो कहा था, वह बता रहा हूं। आज तो केवल एक कार्यान्वयन आदेश ऐसा है जो न्यायालय में चल रहा है और दो आदेश ऐसे हैं जो न्यायालय में नहीं चल रहे हैं, विदड्रॉ किये गये हैं। जब अटल जी ने दिसम्बर सत्र में घोषणा की थी तो एक-दो दिन सत्र के रह गये थे लेकिन सत्र में व्यवधान पैदा हो गया। वह उस पर कुछ करने की इच्छा रखते थे पर नहीं कर पाये।

अगले सत्र में हम सब ने कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन बीच में तहलका आ गया और उसमें हमारा नुकसान हो गया। उस सत्र में हम इस विषय पर विचार नहीं कर पाए। इस सत्र में हम फिर प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रमोद जी को उसके लिए अधिकृत किया है। वसुंधरा जी को भी इसे शीघ्रातिशीघ्र हल करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वह इस दिशा में अग्रसर हैं। मुझे विश्वास है कि जो कोर्ट में लम्बित है, 13 अगस्त, 1997 का कार्यालयन आदेश है। जो 77वें संविधान संशोधन के आधार पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है, उसे छोड़ कर बाकी जो दोनों आदेश हैं-30 जनवरी, 1997 और दो जुलाई, 1997 का, इसे वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है।

महोदय, अटल जी खुले मन से ये सब सुविधाएं बहाल करना चाहते हैं। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयास कर रहे हैं। सत्र न चलने के कारण अवसर नहीं मिला। संविधान समीक्षा भी की जा रही है और उसके लिए एक आयोग बनेगा। उसमें भी आपको और हम सबको संविधान में जो खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने हिसाब से संविधान की परिभाषा या शब्दावली की व्याख्या करता है। उसे ठीक करने के लिए आपको और हम सब को संविधान समीक्षा आयोग के समक्ष इन सब बातों को रखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि उसके बिना कोई सही एवं अच्छा निर्णय नहीं हो सकता, अन्यथा एक संशोधन आज कर दिया और फिर चार-छः समस्याएं बाकी हैं। 13 अगस्त वाले में ऐज़ एट प्रजेंट शब्द लिख दिया है, उसके कारण आपको और हमें तकलीफ हो रही है। तत्कालीन सरकार ने 77वें संविधान में संशोधन कर दिया। इस आदेश को वापस लेने के लिए कर दिया। उसमें भी किसी ने रिट लगा दी कि ऐज एट प्रजेंट का यह अर्थ है कि आज की तारीख में जो सुविधा है वह दो, पहले से मत दो। फिर वह कोर्ट में उलझ गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब विस्तारित तरीके से सरकार की तरफ से विधेयक आना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में संविधान समीक्षा आयोग के समक्ष अपनी बात रख कर जब भी संविधान में समीक्षा करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। सारे देश में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यह सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति विरोधी है, उस भ्रम को दूर करके यह सरकार हमारे हितों के संरक्षण करने में सक्षम होगी। यह दो बातों से सिद्ध हो गया, अन्यथा कह देते कि संविधान निर्माताओं ने लिखा है, 50 साल के बाद आरक्षण जारी नहीं रहेगा। अब 50 साल पूरे हो गए हैं तो आप और हम सब घर बैठ जाते। *...(व्यवधान)* उसमें लिखा है, मैंने आपको 334 पढ़ कर सुनाया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं यह विधेयक सेवाओं में आरक्षण के लिए है, न कि राजनैतिक आरक्षण के लिए *...(व्यवधान)* सेवाओं में यह

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

आरक्षण स्थाई है और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पोलिटीकल रिजर्वेशन और सेवा में आरक्षण में कोई संबंध नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं सरकार की इच्छाशक्ति बता रहा हूं कि अगर हमारे हितों को संरक्षण देने की इच्छा नहीं होती तो जो 50 साल वाला पोलिटीकल रिजर्वेशन वाला है, वह निर्णय भी नहीं करते। *...(व्यवधान)* जो आदेश वापस लिया है, वह इस बात को सिद्ध करता है कि यह सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यकों और दलित वर्ग की हितैषी है और उनके हित में काम करती रहेगी। धन्यवाद, जय भारत।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल का यह बिल, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे प्रयास पोजीटिव होने चाहिए। अब तक क्या हुआ, किसने क्या किया, इस पर बहस से ज्यादा अच्छा है कि हम इस पर विचार करें कि भविष्य में अच्छा कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं कि सरकार भी इस दिशा में प्रयास करे तो कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो सरकार की वचनबद्धता और प्रतिबद्धता होती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का संकल्प दोहराया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों का सम्मेलन सरकार ने बुलाया और उसमें प्रधान मंत्री जी का सम्बोधन भी हुआ। उसमें कमजोर वर्ग के कल्याण का संकल्प दोहराया गया। अभी कुछ समय पहले राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था और उसमें राष्ट्रपति जी ने भी बड़ी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि कमजोर वर्गों के साथ इंसाफ होना चाहिए और महाराष्ट्र के राज्यपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति जी ने एक कमेटी भी बनाई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि देश की यह एक बड़ी समस्या है। जो वर्ग बहुत समय से उपेक्षित रहा है उसकी मदद होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है उस आरक्षण को लागू करने में क्या खामियां हैं और कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके लिए कानून में क्या दंड का प्रावधान हो रहा है, इन सब सवालों पर निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, बाबा साहब डा. अम्बेडकर का जन्म-शताब्दी समारोह तीन वर्ष मनाया गया और तीन प्रधान मंत्री और तीन कल्याण मंत्री उसके उपाध्यक्ष रहे। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस समारोह समिति का उपाध्यक्ष था, जब मैं कल्याण मंत्री था। आज डा. अम्बेडकर सेनटेनरी सेलिब्रेशन स्टेटस ऑफ प्रोग्राम, रिक्मेंडिड फॉर प्लॉनिंग की कार्य योजना मेरे पास है। सभापति महोदय, इसमें 45 बिंदु हैं। भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है और कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है और इसमें जो 30वां बिंदु है उसमें लेजिस्लेशन ऑन रिजर्वेशन फॉर एससी और एसटी है। सरकार ने इसको स्वीकार किया था लेकिन भारत सरकार इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं कर पाई है। अभी राष्ट्रपाल जी ने कहा कि हमारे देश में 6 राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के एक्ट हैं। वे सात में हैं। वैस्ट बंगाल में 1989 में, मध्य प्रदेश में जो कानून है उसमें तो तीन महीने दंड की व्यवस्था भी है। यह 1975 से उड़ीसा में है। त्रिपुरा में 1991 से, बिहार में 1992 से है। मैं तमिलनाडु की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि तमिलनाडु की सरकार ने न केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का बिल बनाया है अपितु उसको 9वीं अनुसूची में भी डाला है।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय था। मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि इस पर चर्चा के लिए एक घंटा और बढ़ा दिया जाए क्योंकि 10 लोग और बोलने वाले हैं।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : सदन सहमत है। इस पर एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : एक घंटा इस चर्चा के लिए जरूर बढ़ाया जाए लेकिन उसे इस तरह से बढ़ाया जाए कि यह हाउस 6 बजे तक ही चले।

श्री जी.एम. बनातवाला : एक घंटा इस तरह बढ़ाया जाए कि इसके बाद वाला बिल आप कह दें कि प्रोटैक्टिड है और आईंदा आएगा। आप चेयर से कह दीजिए। *...(व्यवधान)*

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پونسانی): ایک گھنٹہ اس طرح بڑھایا جائے کہ اسکے بعد والا بل آپ کہہ دیں کہ پروٹیکٹیڈ ہے اور آئندہ آئیگا۔ آپ چیئر سے کہہ دیجیے۔۔۔۔۔(مداخلت)

श्री रामजी लाल सुमन : मैं आपकी मार्फत एक निवेदन और करना चाहूंगा। कानून मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय

और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग इन सब की सहमति से यह बिल बना और उसका ड्राफ्ट मेरे पास है। मेरी वसुन्धरा जी से प्रार्थना है कि वह इसे देख लें कि वह कहां खो गया है या कहां चोरी हो गया है। इसका 1996 में ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इसे देखने की सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी है। यह बहुत आलीशान मंत्रालय है। इस मंत्रालय को जानवरों की समस्या ज्यादा दिखाई देती है और इन्सानों की कम। इस ड्राफ्ट का पता ही नहीं है

[अनुवाद]

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (नियुक्तियों, पदों और शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण) विधेयक, 1996"।

[हिन्दी]

सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार को जिस गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिए वह उसमें कंजूसी बरतने का काम कर रही है। वाजपेयी जी की सरकार ने वायदा किया कि हम प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे लेकिन हमारे देश में रोजगार घट रहे हैं। देश में सरकारी उपक्रम निजी हाथों में जाने के बाद वहां काम करने वालों की संख्या बराबर घट रही है। डिसइनवैस्टमैंट की धारणा अमेरिका और यूरोपीय देशों से ली गई है। भारत सरकार ने यह प्रचारित किया कि सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इन्हें बेचना हमारी मजबूरी है। सरकारी उपक्रमों में पैसे की कमी नहीं है। उसका आर्थिक कारण नहीं है। वहां के मिसमैनेजमैंट के कारण घाटा हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तो खेल खेला गया है, उसमें 49 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और 51 प्रतिशत निजी हाथों में चले गए हैं। सरकारी क्षेत्र की पहली प्राथमिकता सामाजिक दायित्व है और निजी क्षेत्र की प्राथमिकता निजी लाभ है। सामाजिक दायित्व से उसे कोई ज्यादा लेना-देना नहीं है। जब निजी हाथों में ये उपक्रम चले जाएंगे तो वे मनमानी करेंगे। वहां कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। केवल एक साल की सर्विस की गारंटी है। इसके बाद कर्मचारियों को वीआरएस देकर निकाला जा सकता है और नई नियुक्ति की जा सकती है। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता आरक्षण को खत्म करने का काम देश में हो रहा है।

मैं इस तरफ के मित्रों से कहना चाहता हूं कि रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। जो हालात देश में बन रहे हैं, उसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर और कम हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पांच परसैंट कटौती नौकरियों में करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के आलीशान मुख्यमंत्री हैं। वहां दलितों और पिछड़ों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का कोई एक्ट नहीं है लेकिन पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की जा रही है।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब रोजगार के नये अवसर पैदा नहीं होंगे तो कहां से नौकरियां और कहां आरक्षण मिलेगा? केवल लफ्फाजी से काम चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री राष्ट्रपाल जी का प्रयास अच्छा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिये जो कानून बनाया है, उसे नौवीं अनुसूची में डाल दंड की व्यवस्था करें। जब तक लागू करने वालों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगा, तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों के साथ इन्साफ नहीं होगा। आरक्षण पूरा न करने वाले दोषी अधिकारियों को जेल के सींखचों में भेजे बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूं जिस मुद्दे को हमारे अनुभवी भाई श्री राष्ट्रपाल जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेवाओं में आरक्षण, 2001 बिल के रूप में लेकर आये हैं। मैं इस विधेयक के पक्ष में अपनी भावनाओं को जोड़ सकती हूं लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहूंगी कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की जो स्थिति है, और उस पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया है, उसे बचाने के लिए आरक्षण को संरक्षण देने के लिये इस विधेयक का सहारा लिया गया है।

सभापति महोदय, इस विधेयक में कुछ कमियां हैं। हालांकि विधेयक को बनाते समय बहुत मेहनत की गई है लेकिन उसके बावजूद भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(क) में उद्धृत आरक्षण पर समान व्यवस्थायें मात्र व्याख्या के आधार पर आगे बढ़ रही है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(क) का जो अर्थ लगाया जाता है, वह ठीक बिहारी के दोहे के समान है जिसमें एक अर्थ शब्दों का होता है तो दूसरा भावों का होता है। इन्हीं भावों के आधार पर आरक्षण को संरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों के आरक्षण को संरक्षण देना चाहते हैं तो हमारी सरकार जिस तरह पूर्व में दो संशोधन लेकर आयी थी, उसी तरह तीसरा संशोधन भी लाया जाये और इसे

[श्रीमती जसकौर मीणा]

संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। यदि हम इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे तो जिस तरह से बाड़ ही खेत को खाती हो तो उस समय उसकी रक्षा कौन कर सकता है, वही स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों की तथा पात्रता में खड़े हुये पढ़े-लिखे नवयुवकों-नवयुवतियों की है जो इस व्यवस्था के चलते हुये अपने रिक्त पदों का समुचित लाभ नहीं उठा सकते।

सभापति महोदय, अभी हमारे पूर्व अनुभवी वक्ता ने एक बात कही है 40 प्रतिशत के अंक की मिनिमम निर्धारित योग्यता पर भी उम्मीदवार नहीं मिलते हैं जिससे पद रिक्त रह जाते हैं। आज भारतवर्ष को आजाद हुये 54 साल हो गये हैं लेकिन गांवों और शहरों की स्थिति का मूल्यांकन अलग-अलग किया गया है। उसकी स्थिति मैं एक प्रगतिशील कवि की उन पंक्तियों से करना चाहूंगी जिसने कहा है:-

श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की छाती से चिपट-चिपट, जाड़े की रात बिताते हैं।

माननीय सभापति जी, आज गांवों के अंदर और जंगलों के अंदर रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बंधुओं की यही स्थिति है, जिन्हें हमारी सरकार ने राजकीय संस्थाओं में पढ़ने की व्यवस्था तो की है, लेकिन यह मूल्यांकन कभी नहीं किया कि क्या उन संस्थाओं के अंदर हमारे उन बालक और बालिकाओं के लिए ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है कि वे न्यूनतम योग्यता के अंक भी धारित कर सकें। शिक्षा के बिना, स्वास्थ्य के बिना, रोजगार के बिना हम कैसी समरसता की कल्पना करना चाहते हैं और किस तरह से हम नौकरियों में दिये हुए आरक्षण की सीढ़ी तक चढ़ सकते हैं जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्थाओं की माकूल व्यवस्था नहीं होगी और यह कैसे होगी। आज दुख-सुख पाकर गांव का दलित व्यक्ति, जंगलों में रहने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसे मैडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग की सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें नम्बर देने वाले कौन बैठे हुए हैं। उनकी मानसिकता, संवेदनशीलता, इच्छाशक्ति उनके द्वारा प्राप्त किये हुए अंकों पर, उनकी मेहनत पर कुठाराघात कर देती है। मैं खुद भी भुक्तभोगी रही हूं। हमारे लिए किसी भी तरह की पदोन्नति की व्यवस्था में या नौकरियों में प्रवेश करने की व्यवस्था में या उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्थिति में आज भी जो बात कही जाती है, एस.सी., एस.टी. उसके पीछे लिखा हुआ है, यह स्वतः ही मान लिया जाता है कि यह कमजोर होगा। इसकी कक्षोन्नति न की जाए। इसे मैडिकल के प्रथम वर्ष से आगे न बढ़ाया जाए। ऐसी स्थिति में इस भय से भयभीत अनुसूचित जाति और जनजाति के वे आशार्थी जब किसी नौकरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो उस समय उनके साथ बदसलूकी होती है। उनके प्रमाण पत्र तक फाड़ दिये जाते हैं, ताकि वे नॉट अवेलेबल की स्थिति में आ जाए और जब वे नॉट अवेलेबल की स्थिति में आ जाएं तो उसके बाद ही वे स्वतः उस पद को रिक्त रखकर कैरी फॉरवर्ड करने की स्थिति में नहीं लाने देते।

सभापति महोदय, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बैकलॉग की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक विधेयक यहां पेश किया और उस पर माननीय सदस्यों ने अपनी सहमति देकर इस सदन में बैकलॉग की स्थिति में हमें सुरक्षित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि बैकलॉग की स्थिति में हमें सुदृढ़ीकरण तो मिल गया, लेकिन जिन लगों ने इन आदेशों का क्रियान्वयन करना था, उनकी मानसिकता आज भी उतनी दूषित है। उस मानसिकता के चलते मैं पुनः यही कहूंगी कि बाड़ खेत को खा रही है। यदि इस स्थिति में उन्हें किसी तरह से बचाने का उपाय किया जाए तो उन्हें आरक्षण का संरक्षण मिलने का उपाय किया जाए। इसके लिए मैं सोचती हूं कि पुनः हमें संविधान संशोधन करने की ओर आना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केवल वोट बैंक के नाम पर इस तरह से बहकाया जायेगा। आज भी गांव का भोलाभाला, अनपढ़, दलित व्यक्ति, जंगलों में जीने वाला अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति यह कहता है कि हमें घुट्टी ही कांग्रेस ने दी है-भाई क्या होगा, जो हो जायेगा, क्या होता है जो होता रहेगा। हमारे बच्चे वहीं राजकीय स्कूल में जायेंगे और संभ्रान्त परिवार के बच्चे आज कंप्यूटर युग में जा रहे हैं। महोदय इस प्रकार एम.ए. पास बच्चे फिर निरक्षर रहेंगे। कोई एम.ए., बी.एड. डिग्रीधारी तब भी निरक्षर की स्थिति में रहेगा, क्योंकि उसे कंप्यूटर की भाषा नहीं आयेगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले उदारीकरण के समय में हमें और भी डर लग रहा है कि जब उद्योग, निगम और मल्टीनेशनल कम्पनियां यहां आयेंगी, उस समय हमारा एम.ए. पास, ग्रेजुएट भी फिर दर-दर की ठोकरें खायेगा और अंत में वह मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जायेगा। क्योंकि इनके लिए अगर अभी से व्यवस्था नहीं की तो मल्टीनेशनल कम्पनीज यहां आने के बाद जिन योग्यताधारियों को मांगेगी और जिन योग्यताधारियों को वे नौकरी में रखेंगी, वे योग्यताधारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं सोचती हूं कि माननीय मंत्री जी आज यह विचार कर लें और इस विचार के बाद अपने समय में ही इस देश के जो 25 करोड़ एस.सी., एस.टी. लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई उपाय अभी से अपने मन में सोच लें।

जो पांच ओ.एम्स. हैं जिनकी वजह से आरक्षण रुका है, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगी।

सभापति महोदय: आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती जस कौर मीणा: अभी तो मुझे बोलना है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्या श्रीमती जस कौर मीणा अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगी।

अब, राज्य सभा से संदेश लिया जाएगा।

महासचिव।

अपराह्न 5.59 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

''मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 10 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में भारतीय विश्व मामले परिषद् विधेयक, 2000, जिसे लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2000 को पारित किया गया था और 18 दिसम्बर, 2000 को राज्य सभा पटल पर रखा गया था के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:

प्रस्ताव

भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, जिसे लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2000 को पारित किया गया था और 18 दिसम्बर, 2000 को राज्य सभा पटल पर रखा गया, को वापस लेने की अनुमति दी जाए।''

2. तत्पश्चात् विधेयक वापस लिया गया।

सभापति महोदय: अब सभा सोमवार, 13 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 13 अगस्त, 2001/22 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।